अमरीका में सहकारिता

अमरीका में सहकारिता

लेखक

जेरी वूरहिस

[संयुक्त राज्य कॉंग्रेस के भूतपूर्व सदस्य, अमरीकी सहकारी
लीग के कार्यकारी निदेशक]

अनुवादक

श्यामू सन्यासी

प्रकाशक

१ कटरा रोड, प्रयाग

AMRIKA MEN SAHKARITA

[Hindi Version of American Cooperatives]

BY

JERRY VOORHIS

TRANSLATED BY

Mr Shyamu Sanyasi

Price Rs 3 00

प्रथम हिन्दी संस्करण—१९६४—मूल्य ३·००

मुद्रक
प्रेम प्रेस, कटरा
प्रयाग।

विषय-सूची

१ | संघर्षमय संसार

हम एक विचित्र प्रकार की नई दुनिया मे रहते है। हमारे विचार उलझे हुए और हम भयभीत है। हम नही जानते कि यह मानव-जाति का विनाश-काल है अथवा मनुष्य के स्वर्णिम युग का सबेरा।

धर्म से आश्वासन और मार्ग दर्शन पाने की तीव्र, गहन और उत्कटतम आवश्यकता हम अनुभव करते है, लेकिन उसकी आशा भी कैसे की जाए, जब कि भगवान् की सृष्टि का ही विध्वस करने वाली विद्याओ एव तकनीको मे हम निरन्तर पारगत हो रहे है।

हमारे किशोर एक-दूसरे की हत्या करते है, आपसी गिरोह बन्दियाँ कर शहर की सडको और गलियो मे मारा-मारी और गुण्डागिरी करते है। हमे उनके इन कृत्यो पर आश्चर्य होता है। लेकिन वास्तव मे देखा जाए तो हमे आश्चर्य नही होना चाहिए लज्जा आनी चाहिए, क्योकि उनकी अपराधी-वृत्तियो को उकसाने की जिम्मेवारी हमी पर है—हमी ने तो अपने समाचार-पत्रो को यह अनुमति दे रखी है कि वे हिसा की हर कारवाई को चटपटे शब्दो मे, गरमागरम शीर्षक देकर भडकीले ढग से छापा करे, हमी ने तो टेलीविजन वालो को यह अनुमति दे रखी है कि वे प्राय. ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित करे जिनका केन्द्रीय आय किसी-न-किसी प्रकार की हिसा पर आधारित हो। और सबसे बुरी बात तो हमारा यह भूल जाना है कि इस तरह के अपराध करने वाली पीढ़ी भी वही है जिससे हर रोज यह कहा जाता है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और यदि छिड गया तो उस सभ्यता को ही नष्ट कर देगा जिसका सम्मान करने की सीख हम उन्हे क्षीण स्वर मे देते रहते है। पुरानी पीढ़ी के हम बुजुर्गो ने ऐसे दिन देखे है जब शान्ति को कोई खतरा नही था और अपने भावी जीवन के बारे में हम पूर्णत: निश्चिन्त और आश्वस्त थे। लेकिन हमारे बेटो और पोतो ने तो अपने सारे जीवन मे एक भी दिन ऐसा नही जाना जब सर्वग्राही विनाशक युद्ध की सम्भा-

बना सिर पर मँडराती न रही हो। एक बार मैंने अपने सबसे छोटे बेटे और जूनियर हाई स्कूल के उसके दो सहपाठियों से पूछा कि अगर तुम्हारी सिर्फ एक ही इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती हो तो बताओ, तुम क्या चाहोगे? उन्होंने केवल क्षण-भर सोचा और तब तीनों ने एक स्वर में यही कहा कि हम आज की तिथि से दस बरस तक जीवित रहना चाहेंगे।

आज तो भला और बुरा सब गड्ड-मड्ड हो गया है। मनुष्य अपने वैज्ञानिक कौशल से चन्द्रमा को जीत कर उसे आबाद कर लेगा। लेकिन साथ ही मजे की बात यह है कि उसका सामाजिक और राजनैतिक पिछड़ापन—जिसे समाजशास्त्री सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं—पृथ्वी को, चन्द्रमा जिसका केवल उपग्रह है, विनाश से बचाने में पूर्णत असमर्थ है।

हम तकनीकी प्रगति के व्यापक विकास के युग में जी रहे हैं, अपने-आप चलने वाले यन्त्र और परमाणु ऊर्जा तो उस विकास के केवल मुख्य उपादान हैं। अमरीकन कृषि में उत्पादकता १९४७ से १९५७ के बीच प्रतिश्रम-घंटा ८७ प्रतिशत बढ़ा और उद्योग में ३४ प्रतिशत। इस अल्प समय में विद्युत्-शक्ति का हमारी खपत दुगुना से भी अधिक हो गई। दूसरे कई देशों में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं। मानव-इतिहास में प्रथम बार पृथ्वी के सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकने लायक उत्पादन सम्भव हुआ है। लेकिन हमने वस्तुओं और सम्पत्ति का वितरण-पद्धतियों में तदनुरूप प्रगति नहीं की, इसलिए जो बिक नहीं पाता ऐसे 'अतिरिक्त उत्पादन' पर हाथ मलते और सिर धुनते है, अपने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए कोसते हैं और मनुष्य-जाति के तृतीयांश को हर रात भूखे पेट सोने के लिए विवश देखते रहते हैं।

बीमारियों पर विजय पाने, आयु-सीमा में वृद्धि करने और अकाल एवं बाल-मृत्यु का निवारण करने की दिशा में आधुनिक विज्ञान ने चमत्कारिक कार्य किया है। लेकिन इस दीर्घायुष्य का हम क्या करें, यह हमारी समझ में नहीं आता, यह दीर्घायु हमारे लिए 'समस्या—बुढ़ापे की समस्या' बन गई है। और जनसंख्या में इतनी तेज गति से इतनी अधिक वृद्धि की सम्भावना मे इसलिए भय-विकसित कर देती है कि कहीं इतने विशाल जन-समुदाय । पेट भरने के लिए इस धरती के साधन ही कम न पड़ जाएँ।

भविष्य जो भी हो, परन्तु आज तो इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि हमारा ससार एक सम्पूर्ण दुनिया है। केवल ध्रुव प्रदेशों को छोड़ कर भौगोलिक सीमाएँ कही भी नहीं रह गई हैं। टेलीविजन के बावजूद 'पश्चिम' कही रहा ही नहीं। अब वह जमाना नहीं रहा कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग पल्ला झाड़ कर कहीं और जा बसे। कैलिफोर्निया शीघ्र ही अमरीका का सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो जाएगा, परन्तु अपने सामने उसे प्रशान्त महासागर के पार बहुत अधिक जनसख्या वाले जापान और चीन पहले से ही दिखाई दे रहे हैं।

आज जहाँ यह आवश्यक हो गया है कि अपने-आपको विनाश से बचने के लिए हम मिल-जुल कर शान्तिपूर्वक रहना सीखें, वहीं यह परिस्थिति भी परिपक्व हो गई है कि हम जहाँ हैं वहीं डटे रह कर अपनी समस्याओं का सामना करें और उनका समाधान ढूंढे।

हमारी समस्याओं के समाधान की चाभी अब भूगोल के नहीं, समाज-शास्त्र के हाथ में है। किसी समय हमारे देश में स्वतन्त्रता और आरम्भिक ढग के आर्थिक न्याय की गारटी यहाँ की मुक्त भूमि हुआ करती थी, जो न तो आबाद होती थी और न जिसका कोई स्वामी होता था। अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए लोग ऐसे ही नये क्षेत्रों में जा बसते थे। लेकिन आज तो हमें अपनी स्वतन्त्रता और आर्थिक न्याय की रक्षा और सवर्द्धना सजग, विवेकपूर्ण एव सुनियोजित सामाजिक प्रयासों से ही करनी होगी। जनता की स्वतन्त्र होने और आर्थिक अवसर एव न्याय की स्थापना तथा उनके परिरक्षण की दृढ इच्छा शक्ति को ही नये क्षेत्रों में जाकर बसने के उपायों और प्रभावों को स्थानापन्न बनाना होगा।

जाता है कि और-और जगहो के लोगो के साथ क्या हो रहा है। और यह जानने के लिए उनका लिखा-पढा होना भी आवश्यक नही है। यातायात भी सचार की ही भाँति द्रुत और त्वरित है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग उतनी ही जल्दी पहुँच सकते है जितनी देर मे एक स्थान से दूसरे स्थान को खबरे भेजी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना-यात्राएँ और व्यक्तियो का आदान-प्रदान आज एक सामान्य बात हो गई है। जिन लोगो को सैकडो वर्षों से बाहर की दुनिया के ज्ञान से वचित रखा गया था उनमे शिक्षा और साक्षरता की माँग बहुत तेजी से बढ रही है। मानव इतिहास मे ऐसा अवसर भी प्रथम बार ही उपस्थित हुआ है जब विश्व के सभी राष्ट्र और सभी लोग ज्ञान और सूचनाओ का परस्पर आदान-प्रदान कर सकते है। इतना ही नही, वर्तमान समय का सबसे शुभ सकेत यह है कि आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रो को अपने प्रत्यक्ष हित एव कर्त्तव्य के सम्बन्ध मे सहसा यह ज्ञात हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से पिछडे देशो के साथ उन्हे अपनी तकनीकी 'जानकारी,' का हिस्सा बँटाना चाहिए। औपनिवेशिक काल की सारी विचार-पद्धति ने ससार को दो भागो मे बँटा हुआ मान लिया था—एक ओर तो तकनीकी दृष्टि से उन्नत, विनिर्माता और निस्सन्देह 'शोपण करने वाले' राष्ट्र और दूसरी ओर तकनीकी दृष्टि से अविकसित, कृपि-प्रधान और शोपित राष्ट्र। 'तकनीकी' सहायता की नई सूझ ने इस समूची विचार-पद्धति को ही बदल दिया और सर्वथा नये प्रकार के उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर दिए।

लेकिन साथ ही इस विडम्बना को भी स्वीकार करना होगा कि हमने विश्वव्यापी त्वरित सचार-विज्ञान पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यही नही जानते कि सचार किसका करे। इन सचार-साधनो के द्वारा किसी हिटलर, स्तालिन या पेरो के उग्रातिउग्र भाषण भी लाखो श्रोताओ तक पहुँच सकते है और शान्ति के दूतो की मधुर वाणी या कोई उपयोगी तथ्य या सास्कृतिक अनुभूतियाँ भी। वास्तव मे आज तो स्थिति इन नए सचार-साधनो के समुचित उपयोग के विरुद्ध ही जाती है। दुनिया के लगभग तिहाई हिस्से की जनता को वहाँ की तानाशाही सरकारो ने ऐसे तथ्यो अथवा विचारो को पढने या सुनने के मूलभूत अधिकारो से वचित कर दिया जो वहाँ की सर-

कारो द्वारा मान्य नही। तथा कथित 'स्वतन्त्र दुनिया' मे भी 'जन-अभिप्रेरण,' मे प्रवीण चतुर व्यक्तियो को प्रति वर्ष अरबो डालर उनका स्वय प्रचारित उस योग्यता के लिए दिये जाते है जिसके वल पर वे लोगो से जो बात मनवाना चाहे, मनवा सकते हैं; और उन वस्तुओ को खरीदने के लिए लोगो को तैयार कर सकते है जिनकी ओर खरीदारो को अभिप्रेरित करने के लिए उत्पादको की ओर से उनको पारिश्रमिक आदि दिया जाता है। हमारे पास सस्कृति, ज्ञान, सौन्दर्य और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने के विश्वव्यापी प्रचार के साधन मौजूद है। लेकिन हमने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमे इन कार्यो को करना भी चाहिए अथवा नही। अभी तो हमे यही सीखना है कि इन साधनो का समुचित प्रयोग कैसे किया जाए और खतरनाक, अनुचित या अति सामान्य कोटि के कामो मे इनके प्रयोग को कैसे रोका जाए।

दूसरे विश्वयुद्ध और उसके वाद की हलचलो के कारण तथा नए विश्वव्यापी सचॉर एव सम्बन्धो के फलस्वरूप पन्द्रह अरब लोगो की मन–स्थिति तथा दृष्टिकोण मे जबर्दस्त परिवर्तन हुआ है। ये विश्व के आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रो के लोग है। सदियो से ये अदेय ऋणो के बोझ-तले दबे, या तो वचपन मे ही या फिर अकाल मृत्यु का शिकार होते और घिसट-घिसट कर जिन्दगी के दिन काटते रहे है; इस दुरवस्था को ही ये बेचारे अपना भाग्य मान बैठे थे।

लेकिन आज वे इस तरह के दुर्दशा ग्रस्त जीवन को अपना भाग्य नही मानते। उन्होने दूसरे देशवासियो के अपने से बिलकुल भिन्न प्रकार के जीवन के बारे मे सुना है और थोडा-बहुत उसे देख भी लिया है। और उन्हे विश्वास हो गया है कि स्वय उनका जीवन भी कुछ-कुछ तो वैसा ही हो सकता है। हजारो वर्षो मे पहली बार उनके मन मे यह विश्वास जागा है कि वर्तमान से भविष्य भिन्न हो सकता है, और अपने उस भविष्य को सँवारने के लिए वे कृत सकल्प भी है। अपनी इस 'नई आशाओ की क्रान्ति' को जैसे भी हो साकार रूप देने का वे निश्चय किये बैठे है। इतना ही नही, उन्होने कुछ प्रगति भी की है। उनमे से करोडो ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। कुछ ने अपनी आय और रहन-सहन के स्तर में थोडी-बहुत उन्नति भी

की है। संयुक्त राष्ट्र संघ, वाडुंग, तथा अन्य स्थानो मे उनकी वातो को बड़े ध्यान से सुना जाने लगा है।

नई आशाओ की क्रान्ति के इस अभियान के पीछे सवल प्रेरणा इसलिए भी है कि उन लोगो को यह वात मालूम हो गई है कि हमारी दुखदायी भूख के साथ-साथ कुछ देशो मे कथित 'अधिशेष' भरे पडे है। इस दुखद तथ्य को तो स्वीकार करना ही होगा कि हमारे युग की तकनीकी क्रान्ति ने तकनीकी सहायता कार्यक्रमो, विदेशी मदद और तत्सम्वन्धी सभी प्रयत्नो के वावजूद धनी और निर्धनो के वीच की खाई को पाटने के स्थान पर चौडा ही किया है। दूसरे विश्व-युद्ध के वाद से पश्चिमी देशो तथा जापान में उत्पादन जनसख्या की वृद्धि से काफी आगे निकल गया है। किन्तु दूसरी ओर, उदाहरणार्थ, भारत मे, जनसख्या प्रति वर्ष २ प्रतिशत के हिसाव से वढती जाती है और उसकी तुलना मे खाद्योत्पादन केवल ३ प्रतिशत प्रति वर्ष वढाया जा सका है। वहुत-से देशो मे तो इससे भी कम प्रगति हुई है। एशिया, अफ्रीका और विश्व के कुछ अन्य देशो के १५ अरव लोगो की प्रति व्यक्ति आय से अमरीका की प्रति व्यक्ति आय तीस गुना से भी अधिक है।

इस तरह की स्थिति अधिक दिनो तक सहन नही की जा सकती-विश्वव्यापी सचार-साधनो वाली दुनिया मे तो कदापि नही। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता कि आधी मानव-जाति तो अमीर हो और आधी गरीव, दुनिया के आधे लोग 'अधिशेष' की शिकायत करते रहे और आधे उसके लिए तरसते रहे। नई आशाओ की क्रान्ति, जैसे भी होगा, अपना काम करके रहेगी।

मानव-जाति के लम्वे इतिहास मे इस पृथ्वी के अधिकाश लोग निरक्षर रहे और अपने गॉव से परे के जीवन, घटनाओ एव परिस्थितियो से प्राय अज्ञ भी। जिसे जनता की सामान्य शिक्षा कहते है उस तरह की चीज तो दूसरे विश्व-युद्ध के समय तक पश्चिम के कुछ गिने-चुने देशो मे ही और सो भी केवल आशिक रूप मे दिखाई देती है। लेकिन आज यह स्थिति वदल रही है 'नई आशाओं की क्रान्ति' का एक पहलू सारी दुनिया के लोगो मे शिक्षा, साक्षरता और जानकारी की निरन्तर वढती हुई मॉग भी है। यूनेस्को ने सव देशो मे साक्षरता-प्रसार और शैक्षिक सुविधाओ के लिए विश्व-व्यापी

कार्यक्रम शुरू किया है। यह तकनीकी सहायता को सक्रिय रूप देने वाले विचार का ही एक अग है कि शिक्षा के क्षेत्र मे भी इसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। अब एक नई किस्म का प्रचारक (मिशनरी) पिछडे हुए देशो मे इसलिए जाता है कि वहाँ लोगो को साक्षर बनाने मे सहायता करे। लेकिन यह सब होने के पहले से ही लाखो की सख्या मे लोग रेडियो से लाभ उठा रहे है। विश्व के दूरस्थ प्रदेशो मे यदि शिक्षा नही तो कम-से-कम जानकारी तो अवश्य ही पहुँच रही है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि जिन लोगो के लिए भूतकाल मे अपने यहाँ स्वतन्त्र और लोक तन्त्रात्मक राजनैतिक सस्थाओ का निर्माण करना असम्भव था, वहाँ धीरे-धीरे और कठिन परिश्रम के द्वारा अब इस प्रकार की सस्थाओ को चलाने की नीव रखी जा रही है।

लेकिन इसके साथ ही दुनिया मे इस समय जनतन्त्रात्मक (जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा सचालित) राज्यतन्त्र का अन्त कर उसके स्थान पर अधिनायक-तन्त्र (तानाशाही) की स्थापना करने के लिए सुगठित शक्तियों का प्रबल अभियान भी चल रहा है। एकसत्तात्मक राज्य की सकल्पना हमारे ही समय मे आविर्भुत हुई और आज करोडो की आस्था और विश्वासो का मुख्य सैद्धान्तिक आधार बनी हुई है। जो राष्ट्र अभी भी स्वतन्त्र राज्य तन्त्र को अपनाये हुए है उनमे भी राज्य के ऐसे स्वरूप की माँग निरन्तर बढती जा रही है जो स्वतन्त्रता के स्थूल रूप को चाहे हानि न पहुँचाता हो स्वतन्त्रता की भावना के लिए तो निस्सन्देह हानिकारक है।

लगभग सभी देशो मे शासन-सत्ताएँ अधिक बडी और शक्तिशाली होती जा रही है, जहाँ इसके लिए कोई और कारण नही वहाँ एकसत्तात्मक राज्यो की निर्विरोध केन्द्रीय शक्ति के प्रति सन्तुलन के ही लिए ऐसा हो रहा है। अपने देश (अमरीका) की तरह के देशो मे आर्थिक शक्ति अधिकाधिक केन्द्रित होती जा रही है, यहाँ तक कि कुछ बहुत बडे व्यवसाय-निगम हमारी अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्र पर पूर्ण रूपेण छाते जा रहे है और इस दृष्टि से उनका रूप बहुत-कुछ साम्यवादी देशो के सरकारी उद्योगों के समान होता जा रहा है। प्रेस, रेडियो और टेलिविजन पर मुट्ठी भर लोगो का नियन्त्रण

बढता जा रहा है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हाइड्रोजन बम के वास्तविक आतक के कारण सामान्य व्यक्ति इस विश्वास को खोता जा रहा है कि वह किसी महत्त्वपूर्ण विषय मे ऐसे निर्णय ले सकता है जो उसके भाग्य के लिए नियामक हो अथवा समकालीन इतिहास को प्रभावित कर सके।

पचास साल पहले अमरीका मे बहुत ही कम लोगो ने लाओस, वियतनाम या कोरिया का नाम सुना होगा। और इस बात की चिन्ता तो और भी कम लोगो को थी कि इन 'विचित्र नामो वाले दूरस्थ प्रदेशो' मे क्या हो रहा है। आज हम सीरिया और लेबनान यहाँ तक कि जार्डन और यमन तक की घटनाओ के बारे मे बहुत अधिक चिन्तित है। हम कोरिया मे युद्ध कर चुके है और बहुत-कुछ अशो मे वियतनाम मे भी। इसका सीधा-सादा कारण यही है कि हम चाहे या न चाहे, आज सारा विश्व एक है और हमारे देश का और हर महत्त्वपूर्ण देश का हित और चिन्ता सारे विश्व से सम्बद्ध है। हमारी इस सभ्यता के जीवित रहते विश्व के किसी भी स्थान मे अब कोई महत्त्वपूर्ण घटना नही घट सकती जिसकी जानकारी विश्व के अन्य सभी स्थानो के लोगो को तुरन्त न मिल जाए और जो उनके जीवन और भाग्य को प्रभावित न करे।

इसके बाद यह कहना विरोधाभास ही होगा कि आज विश्व जितना बँटा हुआ है उतना पहले कभी नही था। लेकिन ये गहरे मतभेद भी इसी बात को स्पष्ट करते है कि आज की दुनिया के सारे देश अन्योन्याश्रित है। आज से पचास साल पहले अमरीका और रूस के बीच आज की ही तरह सशस्त्र प्रतिद्वन्द्विता और तीव्र विरोध हो सकते थे, और ससार के शेष देशो को उनके तनावपूर्ण सम्बन्धो के बारे मे कोई खास चिन्ता भी न होती। क्योकि पचास साल पहले यदि अमरीका और रूस आपस मे युद्ध करते तो उससे मानव-जाति का विनाश भी न होता, लेकिन आज तो सर्वनाश के सकट की पूरी-पूरी सम्भावना है।

आज विश्व के समस्त देश सारी मानव-जाति के लिए अच्छे जीवन की खोज मे अन्योन्याश्रित सम्बन्धो से बँधे हुए और एक है। विश्व-विनाशक मृत्यु भय और आशका मे भी वे उसी तरह एक-दूसरे से बँधे और एक है। जो

विज्ञान समस्त मानव-जाति की भलाई के लिए समुद्र के पानी से अपरिमित शक्ति उत्पन्न करने का वचन देता है उसी विज्ञान ने ऐसे शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया है जो देशों की सामूहिक हत्याओ का कारण भी बन सकते है।

आज तो हालत यह हो गई है कि दुनिया के सभी स्त्री पुरुष और बच्चे हर रात इस आशका को मन मे लेकर सोते है कि शक्तिशाली शस्त्रो से सजग दो देशो मे कही युद्ध न छिड जाए। इसका कारण व्यक्ति जानता है और वह यह कि अमरीका और रूस के पास ऐसे आयुध है जिन्हे यदि पूरे पैमाने के युद्ध मे प्रयुक्त किया गया तो वे पृथ्वी के समस्त जीव धारियो का अन्त कर सकते है। ऐसी अथवा इससे मिलती-जुलती सम्भावना आज से पहले कभी भी नही थी।

विगत आधी शताब्दी मे, विशेष रूप से पिछले पच्चीस वर्षो मे, तकनीक, भौतिक विज्ञान, जीवन के सभी विशुद्ध भौतिक क्षेत्रो और युद्धास्त्रो के निर्माण मे जो प्रगति हुई है वह सर्वथा चमत्कारिक ही है। लेकिन इसकी तुलना मे मानव-सम्बन्धों, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक, राजनैतिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के विकास और शान्ति के निर्माण मे जो प्रगति हुई है वह खेदजनक रूप से मन्द रही है। समाजशास्त्री इसे 'सास्कृतिक पिछडापन' कहते है; और यह सास्कृतिक पिछडापन ही तो हमारी मुख्य समस्या है।

बडे-बडे नगर, बडे-बडे निगम, बडी-बडी व्यापार शृखलाएँ, बड़े-बडे सगठन, बड़ी-बडी सरकारे और बडे-बडे बम हम पर हावी है और हमे चारो ओर से घेरे हुए है। हम भयभीत ही नही, स्तम्भित और जड भी हो गए है। हम मे से अधिकाश नितान्त हताश होकर यह कहते है कि "मै इन सम्बन्ध मे कर ही क्या सकता हूँ।" कितने खेद की बात है कि हम विभिन्न राष्ट्रा-ध्यक्षो के पारस्परिक दौरो पर अपनी आशा लगाये रहते है। और उससे भी अधिक खेद की बात तो यह है कि हम उनके साथ सवाददाताओ और फोटोग्राफरो की बडी-बडी पल्टने भेजते है। क्योकि शान्ति की हमारी समस्त आशाएँ इन 'बडे आदमियो' के हिसाब-किताब से बोले गए शब्दो अथवा वाक्यों, उनकी नपी-तुली मुस्कराहटो, यहाँ तक कि उनके श्वासोच्छ्वासो पर टिकी और अटकी रहती है। राष्ट्राध्यक्षो के पारस्परिक वार्त्तालापो के खोखले

वेदनों मे हम अपने लिए आश्वासन खोजा करते हैं और उन्हीं मे अपनी मानसिक जडता को मिटाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसीलिए उनके द्वारा मिलन की आशा लगाये रहते हैं। हम मे से अधिकाश को कभी यह ख्याल ही नही आता कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष मानव-जाति की रक्षा के नये और महत्त्वपूर्ण कार्य केवल तभी आरम्भ करेगे जब लाखो क्रुद्ध व्यक्ति एक स्वर मे उन्हे ऐसा करने के लिए बाध्य कर देगे।

हम लोग, यानी विश्व की जनता, अपने उत्तरदायित्व से परागमुख हो रहे हैं और साथ ही अपनी स्वतन्त्रता से भी हाथ धोते जा रहे हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि हमारी नैतिक दृष्टि धुंधली पड गई है। हमने वैभव-लिप्सा और मुनाफे के लिए अन्धी दौड को उन धार्मिक शिक्षाओ के चोखटे मे बिठाने का प्रयत्न किया है जो हमसे पश्चात्ताप, विनम्रता, त्याग और पडोसी के प्रति सौहार्दपूर्ण आचरण की अपेक्षा रखती हैं। अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय जीवन मे हमे कोई प्रेरणा अथवा शाश्वत अनुभूति इसीलिए प्राप्त नही होती कि आधुनिक अमरीकी भौतिकवाद की 'प्रचुरता-पूजा' का ईसाई धर्म अथवा किसी भी प्राणवान् धर्म का विशिष्टताओ (अच्छाइयो) से मौलिक विरोध है।

युद्धोतर वर्षो मे नैतिक दृष्टि और आत्म निर्देश की भावना उत्तरोत्तर मन्द पडती गई है।

शिकागो विश्वविद्यालय के एपिस्कोपल चर्च के माननीय पादरी विलियम एच० बार ने दिसम्बर १९५७ मे 'एडवान्स' पत्रिका मे लिखते हुए निम्न विचार प्रकट किये है

"कारखानों और मेन स्ट्रीट में ही नहीं, अपनी शिक्षा संस्थाओं में भी हम 'औद्योगिकी' नामक एक झूठे भगवान की स्थापना कर रहे है। 'मुझे विश्वास है कि औद्योगिकी हमारी रक्षा करेगी'—आज के विश्व की सबसे व्यापक आस्था का यही मूलमन्त्र हो रहा है और इस तथ्य को अस्वीकार करना मूर्खता ही होगी।

"रस्किन ने 'वेनिस-निवासियों' की कला के द्रुतहास के सम्बन्ध में बडी सुन्दर बात कही है। उसने कहा है कि उनके पास असमान्य कौशल और आश्चर्यजनक तकनीक था। लेकिन ये दोनों ही निष्प्रयोजन थे। महान् प्रतिभा के धनी होने के बावजूद वेनिस-निवासियों के पास देने को कोई सन्देश नहीं था।

"इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कृत संकल्प है। हमें टैकनी शियनों एवं शिल्पियों की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमने थोडे-से पियानो-

वादक कुछ गायक, थोडे-से कार्य, कुछ धर्म-मर्मज्ञ और इतिहासकार आदि पैदा नहीं किये तो जिस सभ्यता की रक्षा की हम इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे है वह रक्षा के इन प्रयत्नों के आरम्भ होने से पहले ही मर जाएगी।

"किसी भी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उन सभ्यताओं पर जो बडे-बडे निर्माण कार्यक्रमों, विशाल वैभव और निरर्थक युद्धो के शोर-शरावे मे चुपचाप समाप्त हो गई, हजारों पुस्तकें मिल जाएँगी।

"यदि कार्यनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष न हो तो इतिहास के ये सारे ग्रन्थ धूल की मोटी तहों के नीचे दवे पडे रह जाएँगे, क्योंकि न तो कोई उन्हे पढने वाला है और न कोई उन सभ्यताओं की चिन्ता करने वाला।"

दूसरे विश्व-यद्ध की समाप्ति के कुछ समय वाद ही अमरीका के एक वडे शहर के समाचार पत्र ने परमाणु वम पर सम्पादकीय लेख लिखते हुए निम्न वात कही थी

"हमारे सामने आज यह नैतिक प्रश्न ज्वलन्त रूप में उठ खडा हुआ है कि हमारे राष्ट्र को या किसी भी राष्ट्र को पृथ्वी पर से समस्त जीवधारियों का अन्त करने वाली संहारक शक्ति को अपने हाथ में रखने का अधिकार है?"

सम्पादकीय मे आगे चल कर विश्व-शान्ति और विश्व-व्यापी निरस्त्रीकरण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता मान कर उनके लिए अथक अभियान करने की अपील की गई थी।

कुछ ही समय वाद, १९५२ मे, उसी समाचार पत्र ने हाइड्रोजन वम पर सम्पादकीय लिखा और उसमे कहा

"अत्यधिक भयानक होते हुए भी इस नये शस्त्र का विकास और निर्माण अवश्यम्भावी हो गया था। यह तो हमारे ही अपने हित की वात है कि हमी ने सवसे पहले इस हथियार को वनाया और इसका पहला विस्फोट भी हमी ने किया।"

बहुत खरी-खरी भयोत्पादक बाते कही गई। उन लेखो मे यह चेतावनी दी गई कि यदि किसी चमत्कार से अधिकाश मानव-जाति बम की आग मे झुलसने से बच भी जाए तो आनेवाली अनेक पीढियो मे दैत्याकृति मानवो की सख्या उत्तरोत्तर अधिक और सामान्य मानवो की सख्या उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। अन्त मे उस लेखमाला पर यह सम्पादकीय टिप्पणी लिखी गई थी

"विकीरण के खतरों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हुए हमें परमाणु शस्त्रों के अपने कार्यक्रम में वास्तविकता को भुलाकर काट-छाँट करने की बात कदापि नहीं करनी चाहिए। अमरीका और स्वतन्त्र विश्व की शान्ति-सुरक्षा के लिए हमें परम्परागत सावधानी के साथ परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के परीक्षण जारी रखने चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गोर्डन डीन के शब्दों में, 'हमें अधिक प्रक्षेपणीय, अधिक बड़े और अधिक अच्छे शस्त्रों का निर्माण करने के लिए निरन्तर परीक्षण करते रहना चाहिए।" '

इस तरह न केवल नैतिक प्रश्न को भुला दिया गया, बल्कि हमारी पीढी द्वारा मानव-जाति के लिए उत्पन्न किये गए अत्यन्त भयानक और सर्वग्राही सकट को समाप्त करने के प्रयत्न भी छोड दिये गए। यह समाचार पत्र अथवा परमाणु ऊर्जा आयोग केवल यही सुझाव दे पाये कि 'हमे अधिक प्रक्षेणीय, अधिक बडे और (भगवान बचाए) अधिक अच्छे शस्त्रो का निर्माण करना चाहिए।' अधिक अच्छे से यहाँ तात्पर्य उस हाइड्रोजन बम से ज्यादा अच्छे बम से है, जिसके एक ही विस्फोट ने ३० से ५० लाख आदमियो का अन्त कर दिया था और जिसने प्रयोगात्मक विस्फोट के स्थान से दो सौ मील की दूरी पर एक जापानी मछुए की जान ले ली थी।

१९५५ के बाद के वर्षो मे कुछ अच्छे परिवर्तन हुए। इक्का-दुक्का लोगो को अमरीकावासियो की हास्यास्पद मन स्थिति का मजाक उडाते हुए सुना जाने लगा। माननीय पादरी बार के लेख की तरह के और भी कई लेख लिखे गए। कभी-कभी लोगो ने यहाँ तक कहा "अपने बच्चो को जीवित रहने का अवसर देने की शिष्टता ही हमारी पीढी का मुख्य काम होना चाहिए।" और अन्त मे उन्होने पूछा "हम इसके लिए क्या कर रहे है ?"

हम यह तो मानने ही लगे है कि हम पथ-भ्रष्ट हो गए है, हमारा नैतिक-निर्देशन नष्ट हो चुका है और अपने धर्म के वास्तविक सन्देश से, मूल प्रयोजन से, हमारा सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है।

मै ऐसा सोचता हूँ या सम्भवत यह मेरी मनोभिलाषा ही हो कि हम इस अपरिहार्य सत्य को भी गम्भीरता से लेने लगे है कि बीसवी शताब्दी के मध्य की

यह पीढ़ी इन दो प्रश्नो का अवश्य निर्णय करेगी कि क्या मानव-जाति जीवित रहेगी या समाप्त हो जाएगी और यदि जीवित रही तो क्या वह स्वतन्त्र भी रहेगी ?

और हम यह भी अनुभव करने लगे हैं कि यदि अपने वर्तमान मार्ग पर ही चलते रहे तो हम निश्चय ही इन दोनो प्रश्नो के गलत निर्णय पर पहुँचेगे।

बीसवी सदी के छठे दशक के अन्तिम वर्षो मे हम इतना तो समझने लगे हैं कि अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए कुछ बाते बहुत आवश्यक और अनिवार्य हैं।

यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन मे नैतिक प्रयोजन की भावना, आप चाहे तो उसे धार्मिक प्रयोजन की भावना भी कह सकते हैं, पुन स्थापित करे।

यह आवश्यक है कि अपने भविष्य के सम्बन्ध मे स्वय निर्णय करने की लोगो की इच्छा को पुन. जाग्रत किया जाए।

यह आवश्यक है कि ऐसे उपायो की खोज की जाए जिससे बड़ों की दुनिया में छोटे लोग आत्मसम्मान और महत्त्व बनाये रख सके।

यह आवश्यक है कि ऐसी सस्थाएँ स्थापित की जाएँ जो इस विश्व मे शान्ति की स्थापना उसका कार्यान्वियन और अनुरक्षण कर सके।

ये आवश्यक कार्य, जो स्वतन्त्र मानव की अस्तिव रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक है, ऊपर के स्तर के व्यक्तियो से शुरू होकर पूरे नही किये जा सकते। नेताओ के उग्र भाषण स्वतन्त्रता की इच्छा को पुनर्जाग्रत नही कर मकते। आधुनिक ढग का निरकुश शासन, चाहे वह साम्यवादी हो अथवा पूँजीवादी, व्यक्ति के आत्मसम्मान को अथवा इस भावना को कि औसत व्यक्ति का भी कुछ महत्त्व है, पुनःस्थापित नही कर सकता। इसी प्रकार केवल सन्धियो, समझौतो और अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से शान्ति कायम नही की जा सकती।

सभी मानवी प्रगतियो की तरह, हमारे युग को जिस प्रगति की आवश्यकता है उसकी जड़े भी विश्व-भर के हजारो समुदायो और लाखो समूहो मे रहनेवाले सामान्य लोगो के जीवन और रहन-सहन मे निहित होनी चाहिए। इसलिए ऐसे उपायो की खोज करना आवश्यक है जिनसे लोग निर्णय लेने का, आत्मगौरव, स्वाभिमान, सहयोगभावना और अपने साथियो के साथ सक्रिय, शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का सुखद अनुभव प्राप्त कर सके।

इस पुस्तक मे इसी प्रकार के उपायो की चर्चा की गई है।

---

२ | नये युग के अनुरूप नये ढंग का व्यवसाय

सभ्य समाज की स्थापना के लिए पहला प्रयत्न कब और कैसे आरम्भ हुआ इसका हमे कोई निश्चित ज्ञान नही है। सम्भवत यह निम्नलिखित ढग से हुआ हो

सर्दी का मौसम था और उस दिन कडाके का जाडा पड रहा था। एक पेड पर बिजली गिरी और वह जल उठा। विभिन्न दिशाओ से कोई एक दर्जन डरे हुए आदि मानव उस आग के पास गर्मी पाने के लिए चोरी-चोरी आये। उन सभी के दिल मे एक-दूसरे का डर समाया हुआ था। वास्तव मे वे एक-दूसरे से इतना अधिक डरे हुए थे कि उस कीमती आग को यो ही जलकर खत्म हो जाने देते और पुन ठण्ड तथा अँधेरे का शिकार हो जाते, क्योकि अभी उन्हे आग जलाना आता नही था।

तभी एक महान् घटना घटी। आग के चारो तरफ खडे उन आदि मानवो मे से किसी एक ने बाकी लोगो के सामने एक बहुत ही साधारण सुझाव पेश किया, जिसमे सभ्यता के निर्माण की प्रक्रिया के सारे बुनियादी तत्त्व समाये हुए थे। प्रस्ताव यह था कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण करने के बजाए आग को सबके हित मे बनाये रखने के लिए मिल-जुलकर काम करने को राजी हो जाएँ।

किसी समय कही-न-कही इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, पारस्परिक सहायता और सहकारिता का जन्म हुआ और मानव-जाति सभ्यता की ओर अग्रसर हुई।

उस दिन से लेकर आज तक मनुष्यो के बीच स्वेच्छापूर्ण पारस्परिक सहायता की प्रथा ही सभ्यता को विकसित करने वाली महान् शक्ति, मानव-जाति की दशा सुधारने वाला महान् प्रभावशाली माध्यम और समस्याओ को सुलझाने का प्रमुख साधन रही है।

दुनिया के इतिहास मे पहले-पहल खेती करने वालो ने यदि पारस्परिक सहायता को न अपनाया होता तो खेती का शुरू हो पाना असम्भव ही था। उस समय का कोई भी अकेला एक किसान खानाबदोश कबीलो की लूट-मार से अपनी खेती

की रक्षा नही कर सकता था। लेकिन यदि घाटी के सभी किसान साथ मिलकर अपने बोये हुए धरती के ऊबड-खाबड टुकडो की रक्षा के लिए तैयार हो जाते तभी वे अपनी फसल को काटने का अवसर पाते थे।

यदि पारस्परिक निर्भरता न होती तो न अमेरीका को बसाया जा सकता या और न किसी नये क्षेत्र को ही। शुरू शुरू के वे अक्खड वाशिन्दे एक-दूसरे की सहायता के बल-बूते ही वहाँ जाकर बसे और उन नये क्षेत्रो को आबाद किया। अपने अनगढ, भोडे मकानो को बनाने के लिए उन्हे पारस्परिक सहायता की आवश्यकता होती थी और अपने खलिहान तथा अन्न-भडार बनाने के लिए भी। पारस्परिक सहायता के बिना न तो वे दुर्दान्त दस्युओ के बर्बर आक्रमणो को परास्त कर जीवित बच पाते, न हैरी-बीमारी का सामना करके और न कठोर शीत से अपनी रक्षा कर के ही।

रोम के पतन के बाद के युगो मे हिसा और उत्पातो का जो दौर चला उसमे कुछ लोगो ने यदि पारस्परिक सहायता के आधार पर मठो मे रहकर ज्ञान तथा सस्कृति के उद्धार और सरक्षण का कार्य करने का निश्चय न किया होता तो प्राचीन काल का समस्त ज्ञान-विज्ञान एव सास्कृतिक परम्पराएँ सम्भवत नष्ट हो जाती।

यूरोप की वर्तमान जातियो और राष्ट्रो की जडे वहाँ के मध्यकालीन नगरो मे समायी हुई है। और उन नगरो का विकास हुआ है उस समय की लगातार होती रहनेवाली छोटी-छोटी लडाइयो के अशान्त और विक्षुब्ध वातावरण मे। शान्तिपूर्वक रहने का अवसर पाने के लिए उस समय के दस्तकारो और व्यापारियो की सुरक्षा के निमित्त पारस्परिक सहयोग की एक खास पद्धति को अपनाना पड़ता था। कालान्तर मे इस पद्धति ने परकोटे वाले नगरो मे पास-पास रहने का रूप ग्रहण कर लिया। और अन्त मे इन्ही नगरो के निवासियो ने ऐसी केन्द्रीय सरकारो की स्थापना पर जोर दिया जो नागरिक शान्ति को बनाये रख सके, और वे इसमे सफल भी हुए।

इस तरह के अगणित उदाहरण दिये जा सकते है, जो प्राय अनावश्यक ही है।

आतक, दमन, भूख और भय से मानव-जाति की रक्षा के साधन के रूप मे पारस्परिक सहायता और सहकारिता की वशावली काफी लम्बी और उजागर है। हमारे युग के श्रेष्ठतम समाजशास्त्रियो ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

श्री एशले माटेगू ने अपनी पुस्तक 'आन विहग ह्यूमन' मे कहा है

"मनुष्य का जन्म प्रतिद्वन्द्विता अथवा पारस्परिक संघर्ष के लिए नहीं सहकारिता के लिए हुआ है। आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व नाज़रेथ के एक ईसा ने यही खोज की थी। आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है क्योंकि उसकी बुनियादी खोज भी यही है। संक्षेप में कहें तो यह प्रेम का सिद्धान्त है— मानवता का सिद्धान्त, एक ही विश्व और वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त है जो समस्त मानव-जाति को आवद्ध किये है।

हमारे युग के समाजशास्त्री माटेगू के विचारो का अनुसरण करे यह सर्वथा उचित ही है, क्योकि आज मानव-जाति के सामने केवल दो ही रास्ते है—विश्व-व्यापी सहकारिता अथवा विश्व व्यापी विनाश।

सम्भव है कि मनुष्य-जाति ऐन वक्त पर अपने सही रूप को पहचान ले। कम-से-कम आशा तो हमे यही करनी चाहिए।

और वह 'ऐनवक्त' अधिक दूर भी नही है।

तव तक परम्परा से प्राप्त दाय सर्वथा रक्षणीय है, और इस दाय का सबसे मूल्यवान अश है परस्पर अभीप्सित लक्ष्यो के लिए जन-समूहो की स्वेच्छा से सयुक्त होकर काम करने की क्षमता।

पारस्परिक सहायता-सहकारिता ने भी अन्य सभी मानवी आवेगोकी भाँति अनेक प्रकार के सस्थागत रूप अपना लिये है। इसका पहला सस्थागत रूप हमे परिवार मे दिखाई पडता है, उसके वाद वश मे, फिर कवीले मे, तव नगर, राज्य और फिर राष्ट्र मे। मानव-इतिहास मे जितने भी 'शान्ति दल' हुए वे सब शान्ति को वनाये रखने और स्वय अपने अस्तित्व के लिए भी स्वैच्छिक पारस्परिक सहायता पर ही मूलत निर्भर करते रहे। कोई भी पुलिस दल कितना ही वड़ा क्यो न हो अकेला कभी इस काम को नही कर सकता।

हमारे युग के सहकारी व्यवसाय वास्तव मे मानव-जाति के दैनिन्दिन आर्थिक क्रिया-कलापो मे पारस्परिक सहायता की भावना एव सिद्धान्त का सस्थागत निरूपण ही है।

आगे चल कर सहकारी व्यावसायिक उद्यमो के जिन नये और अद्यतन रूपो की चर्चा की जाएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वे हमारे युग की समस्त व्याधियो की अचूक चिकित्सा है।

हमारे पूर्वजो ने अपने 'रक्त, स्वेद और अश्रुओ' से स्वतत्रता एव वैधानिक जनतन्त्र की जिन सस्थाओ का विकास किया उन्हे भावी पीढी के लिए सुरक्षित छोड जाने के घनघोर मघर्ष मे आज हम जुटे हुए है।

हम सफल होगे ही इसका कोई आश्वासन नही दिया जा सकता।

कम-से-कम तीन बाते पूरी हो तभी हम सफलता पा सकते है :

पहली तो यह कि लोगो के अपने भाग्य-निर्णय के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि विधिपूर्वक निर्मित और अपने विधानो के द्वारा मनुष्य के मौलिक अधिकारो की गारटी करने वाली सरकारे पनपनी चाहिए।

दूसरी यह कि जिन सस्थाओ की स्वतन्त्रता इस प्रकार बुनियादी तौर पर सुरक्षित कर दी गई है उनके द्वारा आत्मनिर्णय, आत्म-निर्देशन और मूल विषयो पर निर्णय करने के अपने अधिकार को कार्यान्वित करने की लोगो को इच्छा भी अवश्य होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि अपने भाग्य और भविष्य का निर्णय करने की इच्छा तो जनता मे होनी ही चाहिए।

इस अधिकार का अधित्याग करने वाले कभी स्वतन्त्र नही रह सकते।

निर्णय करने के अधिकार से जब जनता यो पराङमुख हो जाती है तो एक ऐसी कुण्ठा और असहायता प्रतिफलित होती है जो इस दु खद विश्वास को बद्ध मूल कर देता है कि सामान्य नरनारी के लिए स्वय अपने भाग्य निर्देशन अथवा अपने बच्चो के भविष्य-निर्माण का कोई भी व्यावहारिक मार्ग नही रह गया है।

इसलिए मानवी सभ्यता मे जो श्रेष्ठतम है उसकी सुरक्षा के लिए तीसरी आवश्यक शर्त है इस तरह के व्यावहारिक साधन जिनके द्वारा साधारण नर-नारी अपने सम्बन्ध मे स्वय निर्णय कर सके।

और जीवन की दैनन्दिन समस्याओ मे, हमारे अस्तित्व के जिन आर्थिक कार्य-व्यापारो ने हमारी इतनी सारी संस्थाएँ बनी है, नये प्रकार के सहकारी व्यवसाय और आर्थिक सस्थाएँ बिलकुल ऐसा ही साधन है।

आज सयुक्त राज्य अमरीका मे सहकारी व्यवसायो के स्वामी अपने लिए और अपने समुदायो के लिए अनेक प्रकार के सेवा कार्य कर रहे है।

वे प्रसव करवाते है, कफन-दफन का इन्तजाम करते है, खेतो और फारमो पर रोशनी का प्रबन्ध करते है, कृषि यन्त्रो को चलाने के लिए बिजली देते है, गृह-निर्माण करते है, खेतो मे नई तरह के तरल खाद डालते है, मोटरो की सर्विस (सफाई और दुरुस्ती) करते है और किसानो की उपज को बेचते है। वे उपभोक्ताओ के लिए विशाल सर्ववस्तु भण्डार (सुपरमार्केट) चलाते है और स्वतन्त्र पनसारियो के लिए किराना माल का थोक काम करते है। वे तेल के कुओ से तेल निकालते है, फास्फेट की खदाने खोदते है, बीज उगाते है, काफी पीसकर तैयार करते है ओर पानी गरम करने तथा दूध दुहने की मशीने बनाते है। वे लोगो के बचाये हुए धन-बचतो को जमा करके साख (उधार) सघ, सहकारी बीमा कम्पनियाँ और सहकारी कृषि साख समितियाँ शुरू कर देते है और इस तरह लोगो को अपनी बचत कारोबार मे लगाने और अपने को ही व्याज देने के योग्य बनाते है। और जैसा कि हम आगे चलकर देखेगे, वे हर प्रकार की छोटी और बडी स्वास्थ्य योजनाएँ भी चलाते है जिससे आधुनिक-चिकित्सा-विज्ञान के चमत्कारिक लाभ सर्व साधारण को सुलभ हो सके।

सहकारिता के आज के इन विभिन्न रूपो को देखकर इसके प्रवर्तक और पुरोगामी कार्यकर्ता अपनी कब्रो मे पडे अकुला रहे होगे। उनकी व्याकुलता सही भी है, क्योकि इनमे से कुछ तो सही अर्थो मे 'सच्ची सहकारी सस्थाएँ' है भी नही। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ है, जो सरक्षण-धन वापसी (patronage refund) नही देती, लेकिन जिनका दिया जाना सहकारिता के चार बुनियादी सिद्धान्तो मे से एक है। ऊपर बताये उद्यमो मे से कुछ ऐसे भी है, जिनमे उपभोक्ता नही होते—फुटकर विक्रेताओ की सहकारी थोक किराना समितियाँ और किसानो की सहकारी विक्रय समितियाँ ऐसी ही सस्थाएँ है। फिर कुछ राज्यो मे शासपत्री (स्टेट-चार्टर्ड) साख-सघ है, जिनमे प्रतिपत्री (प्राक्सी) मतदान की प्रथा है, जब कि यह प्रथा 'हिस्से कितने ही क्यो न हो, एक व्यक्ति, एकमत' वाले 'रोशडेल सिद्धान्त' का स्पष्ट उल्लघन करती है। इसके अतिरिक्त वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना-जैसी सहकारी सस्थाएँ भी है, जहाँ मतदान होता ही नही। और फिर उपनगरो

में परिवर्तनशील 'कृषि आपूर्ति सहकारी समितियाँ' हैं, जिनके बहुसंख्यक सदस्यों को, जो प्राय: गैर-किसान हैं अभी तक पूरी तरह मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया है, और या वे एक प्रकार से द्वितीय कोटि के सदस्य हैं।

इस प्रकार हमारे आधुनिक विश्व की ही भाँति आज के और विशेष रूप से अमरीका के सहकारी उद्यम द्रुतगति से परिवर्तनशील और विकासोन्मुख अवस्था में हैं। सहकारिता वास्तव में एक नये प्रकार का व्यवसाय है, जो ऐसे नये युग की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप है जिसमें पुराने किसी भी युग की अपेक्षा हम ज्यादा अच्छी तरह जीवन-यापन करते हैं, लेकिन जिस तथ्य को न तो इस नये युग के अधिकांश वाचाल हितैषी और न इसके शोर-शराबा करने वाले अधिकांश शत्रु ही अभी तक ठीक से समझ पाये हैं।

सहकारिता के आधुनिक विभिन्न रूपों और प्रकारों के कारण जो उलझन और गड़बड़ पैदा हो गई है उसे कुछ लोग यह कहकर सुलझाने का प्रयास करते हैं कि अब सहकारी और दूसरे किसी भी प्रकार के व्यवसाय में विशेष अन्तर नहीं रह गया है। लेकिन वे गलत हैं।

कुछ लोग पिछली शताब्दी की आवश्यकताओं के उपयुक्त, और नई स्थितियों और नई आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य-संचालन की रूपान्तरित विधियों जैसे सहकारी संगठनों के पारस्परिक अन्तर पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं।

मे पायी जाती है और स्वामीत्व का वह प्रकार उसके प्रयोजन से अवश्यम्भावी रूप से मेल खाने वाला होना चाहिए।

यही भिन्न प्रयोजन और स्वामीत्व का यही भिन्न प्रकार तो सहकारी को दूसरे ढग के आर्थिक सगठनो से पृथक् और वैशिष्ठ्य प्रदान करता है।

तो पहली बात यह कि अपने जिन ग्राहको और उपभोक्ताओ की सेवा में वह रत है उन्हे आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक न्यूनतम असल कीमत पर उनकी आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ, जिस रूप मे और जिस कोटि की वे चाहे, उपलब्ध करना जिस उद्यम का प्रयोजन हो वही सहकारी है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब ग्राहक अथवा सेवाओ के उपभोक्ता ही उस व्यवसाय के स्वामी और एकमात्र स्वामी हो।

जो व्यवसाय, उद्यम या सस्था उन्ही लोगो के अधिकार मे हो जिनको कि सामान सेवा देने का कार्य वह प्रमुख रूप से करती है और जिसके अस्तित्व का प्रयोजन भी उसी जन-समुदाय की किसी-न-किसी आवश्यकता को पूरा करना हो, सही अर्थो मे उसी को सहकारी कहा जा सकता है।

थोडे से विवेचन से ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। यदि कोई व्यवसाय एक जन-समुदाय के यानी अपने स्टाकधारियो के लाभ के लिए दूसरे जन-समुदाय को यानी अपने ग्राहको को माल या सेवाएँ बेचता है तो वह सहकारी नही है। इसी प्रकार जिस व्यवसाय के सरक्षक अथवा सेवाओ के उपभोक्ता उस व्यवसाय के स्वामी नही है, उसे भी सहकारी नही कहा जा सकता। ऐसे व्यवसाय को सहकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके वर्तमान स्टाकधारी अपने सारे हिस्से (स्टाक) उस व्यवसाय के ग्राहको को बेच दे और व्यवसाय का पूरा नियन्त्रण भी 'एक व्यक्ति और एक, केवल एक वोट' के आधार पर उन्ही ग्राहको को सौप दिया जाए।

इसका यह अभिप्राय तो कदापि नही कि हमारे देश की तथाकथित स्वतन्त्र अर्थ-प्रणाली मे व्यवसाय के दूसरे प्रकार के सगठन अच्छे, उपयोगी और आवश्यक नही है। न यही कहा जा रहा है कि अमरीकी अर्थ-व्यवस्था मे निकट भविष्य मे सहकारी ढग के व्यापारी सगठनो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संगठन प्रमुखता प्राप्त करेगे ही नही। उलटे जोर तो इस बात पर है कि

लाभ अभिमुखी निर्धारित अन्य व्यवसायो की कड़ी प्रतियोगिता सहकारियो के हित मे ही है, क्योकि ऐसी स्थिति के न रहने पर सहकारियो का विकास सम्भवत. अवरुद्ध हो जाएगा।

यह सही है कि सभी सहकारी सहकारियो के जैसा ही आचरण नही करते। लेकिन यह बात तो ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार कि सभी आदमी हमेशा भले आदमियो की ही तरह आचरण नही करते, या जिस प्रकार मेथोडिस्ट चर्च के सभी अनुयायी अच्छे मेथोडिस्टो के जैसा या ईसाई धर्म के किसी भी फिरके से सम्बद्ध लोग हमेशा अच्छे-भले ईसाइयो-जैसा ही आचरण नही करते।

एक साधारण से उदाहरण से वात और स्पष्ट हो जाएगी। हिस्सा-पूँजी से वनी ज्वाइट-स्टाक बीमा कम्पनियाँ एक तो अपने हिस्सेदारो (स्टाकधारियो) के लिए लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यवसाय करती है और दूसरे, उन बीमा कम्पनियो के पालिसीधारी उनके स्वामी नही होते, इसलिए हिस्सा पूँजी से बनी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ज्वाइट-स्टाक बीमा कम्पनी सहकारी पद्धति का व्यावसायिक उद्यम नही है। इसके विपरीत पारस्परिकता के आधार पर बनी बीमा कम्पनियाँ हर दृष्टि से सहकारी सस्थाएँ है,क्योकि एक तो उनका व्यावसायिक उद्देश्य अपने पालिसीधारियो को न्यूनतम असल कीमत पर, जो व्यावहारिक भी हो, बीमा-सुरक्षा उपलब्ध करना होता है दूसरे, इस कोटि की सभी बीमा कम्पनियो का स्वामित्व किसी दूसरे मे नही, उनके पालिसी-धारियो मे ही निहित रहता है। अब यह सर्वथा दूसरी बात है, और इस समय हम यहाँ उस पर विचार भी नही कर रहे है, कि पारस्परिकता के आधार पर बनी वहुत-सी बीमा कम्पनियाँ पारस्परिक अथवा सहकारी सस्थाओ जैसा आचरण नही करती।

तो सहकारी अपनी सेवाओ का उपयोग करने वालो के ही पूरे अधिकार मे उपभोक्ता-स्वामीत्व कृत ग्राहक-स्वामीत्व-कृत सरक्षक-स्वामीत्व-कृत व्यवसाय है। न केवल इतना ही, बल्कि यह भी कि आप कोई भी क्यो न हो यदि थोडे से समय तक इन व्यवसायो से खरीदते रहे तो अपने-आप इनके स्वामी बन सकते है।

सहकारी वितरण-अभिमुखी, आवश्यकता-अभिमुखी और उपभोक्ता-अभि-

मुखी व्यवसाय हैं। प्राय यह कहते सुना जाता है कि 'उपभोक्ता-अभिमुखता' मे तो दूसरे ही व्यवसाय सहकारियो से बाजी मार ले जाते हैं। वे अपने उप-भोक्ताओ से तरह-तरह की अपीले करते हैं और उन्हे बडे जोर-शोर से एव विस्तारपूर्वक यह बतलाते हैं कि नये उत्पादनो की शोध-खोज और विकास पर उनके द्वारा कितने लाख खर्च किया जाता है। यह सब एक अंश तक सच है। और यह भी सच है कि सहकारी सस्थाओ को नये उत्पादको की शोध-खोज पर जितना वे अभी खर्च कर रही हैं उसमे कही अधिक करना चाहिए, और यदि उनके पास रुपया हुआ तो वे करेगी ही। लेकिन इस तर्क की सबसे बडी कम-जोरी यह है कि दूसरे व्यवसाय उपभोक्ताओ के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन तो खूब करते हैं, यहाँ तक कि इस काम को प्राय सनसनीखेज और कभी-कभी तो बीभत्स भी बना डालते हैं, लेकिन नितान्त आवश्यक हो जाने के अतिरिक्त कीमतो को कभी कम नही करते, और यह तो कभी कहते ही नही कि सारा असल लाभ ग्राहको की सम्पत्ति हे जो वर्ष के अन्त मे उन्हे चुकाया ही जाना चाहिए।

सहकारी ये दोनो ही काम करते हैं।

वे इससे भी ज्यादा करते हैं। वस्तुओ और सेवाओ का उनका समस्त उत्पादन और वितरण उनके सरक्षको की आवश्यकता और माँग के अनुसार ही होता है। लेकिन दूसरे व्यवसाय पहले स्वय तय कर लेते हैं कि उन्हे किस चीज का उत्पादन करना है और कीमत भी तय करली जाती है और तब उपभोक्ताओ को खरीदने के लिए प्रवृत्त किये जा सकने के अनुसार ही उनका उत्पादन होता है।

सहकारी वास्तव मे उपभोक्ता-अभिमुखी व्यवसाय है। वे उपभोक्ता-निर्देशित वस्तुओ और सेवाओ का ही उत्पादन और वितरण करते है। और यही बुनियादी बात सहकारी को 'नये युग के अनुरूप नये प्रकार का व्यवसाय' बनाता है, जिस पर आगे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अधिकाश सहकारी सस्थाओ के सम्बन्ध मे और कारण भी है, क्योकि अधिकाश सहकारियो के स्वरूप, सिद्धान्तो और कार्यविधियो की ज्यादा ठीक तरह से परिभाषाएँ की जा सकती हैं। **लेकिन वे सब गौण** और है अभी तक

जिन अन्तर्निहित मौलिक विशेषताओं पर विचार किया गया है उन्हीं का अनुसरण करने वाली और उन्हो पर निर्भर है।

१९२० के वाद की दशाब्दी के प्रारम्भिक वर्षो मे किसानो को, विशेप रूप से कुछ मध्यवर्ती पश्चिमी राज्यो मे, आवश्यक मात्रा मे, उपयुक्त मूल्य पर सन्तोषजनक कोटि के उर्वरक प्राप्त करने मे कठिनाई होने लगी। जो उर्वरक वे खरीदते थे उनकी किस्म के सम्बन्ध मे सामान्यत उन्हें 'विश्वास' पर ही निर्भर करना पडता था। ग्राहको को उर्वरक का कोई विश्लेपण या सूत्र भी नही दिया जाता था।

तव उनमे से कुछ किसानो ने नया व्यवसाय—अपना ही सहकारी व्यवसाय आरम्भ करने का निश्चय किया। शुरू-शुरू मे काम करने का ढग बडा ही सरल और सीधा-सादा था। सवका रुपया जमा करके जहाँ भी अच्छे भावो पर मिल जाता वही से वे सव के लिए एक साथ उर्वरक खरीदने लगे। इस सीधे-सादे ढग से ही उन्हे उर्वरक १० प्रतिशत सस्ता पडने लगा। लेकिन थोडे ही दिनो मे उन किसानो को उपयुक्त मूल्य पर विश्लेषण युक्त उर्वरक आवश्यक मात्रा मे प्राप्त होने मे कठिनाई होने लगी। तव स्थानीय 'कृषि आपूर्ति' सहकारी सस्थाएँ उर्वरक-उत्पादन की अपनी निजी सुविधाएँ जुटाने लगी। इसके लिए सवसे पहले किसानो का अपने इन सहकारी उद्यमो मे पैसा लगाने को तैयार होना आवश्यक था। पूँजी निवेश के लिए निर्धारित राशि के हिस्से निकाले गए और प्रति किसान कम-से-कम एक हिस्से के हिसाव से किसान सहकारी के सदस्य बन गए। इस प्रकार किसानो के धन ने उन्ही किसानो के हाथ बेचने के लिए उर्वरक का उत्पादन करने वाले कारखानो का निर्माण किया। ये कारखाने वहुत ही वढिया उर्वरक बनाने लगे, और क्यो न बनाते, जव कि वह स्वय उन्ही के उपयोग के लिए होता था। उर्वरक-उत्पादन व्यवसाय मे इन सहकारियो के प्रवेश का परिणाम यह हुआ कि खुले सूत्र वाले उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक का उत्पादन खूव वढ गया। अब तो इस व्यवसाय मे इस तरह का खुले सूत्र वाला उच्चकोटि का उर्वरक बहुत सामान्य बात हो गई है।

तो सहकारी लोगो का ऐसा समुदाय है जो एक-जैसी **आवश्यकता** से

प्रेरित होकर यह निर्णय करते हैं कि उस आवश्यकता की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ या एकमात्र उपाय ऐसे नये व्यवसाय का सगठन है जो सीधे उस आवश्यकता को पूरा करे। निवेश पूंजी जमा करने के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होकर वे इस काम को करते और यों अपने उद्यम के स्वामी, नियन्त्रणकर्ता और सरक्षक बनते हैं।

सहकारी के स्वामी और सरक्षक बनने के कार्य मे जितने ही अधिक लोग हिस्सा लेगे उन सब की हालत भी उतनी ही अच्छा होगी। एक सहकारी उर्वरक व्यवसाय को आरम्भ करने वाले किसान यदि उस उद्यम के स्वामीत्व और सरक्षण के लिए दुगुने सदस्य बना सके तो व्यापार तो दुगुना होगा ही लाभ भी सभी को होगा। इसीलिए तो सहकारी सगठन वर्ग, पन्थ, वर्ण और आस्था-विश्वासो के भेदभाव के बिना सभी को अपना सदस्य बनाते है। सहकारिता का यही पहला सिद्धान्त है। पन्थगत धार्मिक और पक्षगत राजनैतिक विवादो से अपने-आप को पूरी तरह अलग रखकर सहकारी सगठन इस सिद्धान्त की रक्षा ही नही करते, बल भी पहुँचाते है।

सहकारी सगठनो का अस्तित्व निवेश पूंजी पर ऊँचे प्रतिलाभ उपार्जित करने के लिए नही, बल्कि अपना निर्माण करने वाले लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति के ही लिए होता है। इसी से सहकारिता के अगले दो सिद्धान्तो अर्थात् सिद्धान्त दो और तीन की अनिवार्य निष्पत्ति होती है। वे है एक सदस्य के पास हिस्से कितने ही क्यो न हो उसके द्वारा एक और केवल एक ही मत दिये जाने का सिद्धान्त, और निवेश पूंजी पर सीमित प्रति लाभ का सिद्धान्त जो प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से क्वचित् ही अधिक होता है।

अपना उर्वरक अपने को ही बेच कर किसान अथवा अपना किराना अपने को ही बेच कर उपभोक्ता मुनाफा कमाने की कोशिश करे यह एक ऐसी बात है जो न किसान की समझ मे आ सकती है और न उपभोक्ता को ही। इसलिए चौथे सिद्धान्त मे 'सरक्षण-धन वापसी' का प्रावधान किया गया। इस युक्ति के द्वारा सहकारी अपने सदस्यो और सरक्षको को लागत मूल्य पर माल और सेवाएँ प्रदान करने के अपने प्रयोजन की सिद्धि करते है। लेखा-अवधि के अन्त मे, व्यवसाय की सारी लागत चुका कर, आवश्यक अथवा

जिस तरह उनके प्रतियोगी चुकाते हैं।

मुनाफा करने का उद्देश्य न होते हुए भी कुछ सहकारियों को तो मुनाफा होता ही है और यदि होता है तो उसके एक-एक सेंट पर पूरा-का-पूरा संघीय आय कर चुकाते है। लेकिन न्यायालयों ने लगातार उचित ही निर्णय दिये है कि सहकारी या दूसरा कोई भी व्यवसाय अपने संरक्षकों को 'संरक्षण धन वापसी' के लिए वचनबद्ध हो और इस तरह की अदायगियां करे तो उसे उन व्यवसाय की आय नहीं समझा जाना चाहिए, वास्तव में वह संरक्षक की सम्पत्ति है और उसी से उसका कर वसूला जाना चाहिए, जैसा कि किसी भी करदाता से उसकी कर-योग्य सम्पत्ति पर लिया जाता है।

इसका कारण एकदम स्पष्ट है। देयता (देनदारियाँ) आस्तियाँ (परि-सम्पत्ति) नहीं हैं। जिस धन के लिए व्यवसाय किसी का ऋणि हो वह देयता उस व्यवसाय की कर-योग्य आय नही हो सकती। वह बुनियादी तरीका तो हम देख ही आये है कि जिसके द्वारा सहकारी अपने सदस्यों और अधिकतर मामलो मे अपने सभी संरक्षकों के लिए निर्लाभ ढंग से काम कर पाते हैं। वह तरीका है उस निधि को जो दूसरे व्यवसायों मे सदस्यों और संरक्षकों के लिए लाभ है, सहकारियों द्वारा अपने संरक्षकों को उनके संरक्षण अनुपात के अनुसार संरक्षण-धन वापसी के रूप मे लौटाने के लिए वचनबद्ध होना। ये दायित्व सहकारी व्यवसायों के लिए बन्धनकारी देनदारियाँ हैं। इन दायित्वों से विमुख होकर न तो उनका रूप सहकारियों का रह जाता है और न वे सहकारी कहलाने की योग्यता ही रख सकते है। यदि सहकारी दूसरे व्यव-सायों की अपेक्षा कम आयकर देते हैं तो इसका कारण केवल यही है कि उनकी कर-योग्य आय ही कम होती है। और कर-योग्य आय के व्यय होने का कारण यह है कि उस आय का काफी बड़ा हिस्सा सहकारियों का नहीं उसके संरक्षकों का होता है। वास्तव मे वह संरक्षक की आय है, जिसका वह जो चाहे करे। उस धन के निर्वर्तन का अधिकार सहकारी को नही है। इसीलिए वह धन सहकारी की आय नही हो सकता।

यह तो कोई भी नहीं कहेगा कि घाटा देने वाले व्यवसाय को उस लाभ पर भी आय कर देना चाहिए जिसे वह कर सकता था, लेकिन किया

नही। न कोई यही सुझाव देगा कि सहकारी व्यवसायो को, जिन्हे उनके स्वामी विमर्शपूर्वक ही निलोभ आधार पर चलाने का निश्चय करते है, इस निर्णय के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए। सहकारियो से सरक्षण धन वापसी पर आय कर लेना ठीक इसी प्रकार का दण्ड होगा। यह तो अमरीकन ना रिक के बिना लाभ बनाये व्यवसाय करने के अधिकार पर करारोपण होगा। कोई भी राष्ट्र जो सही अर्थो मे स्वतन्त्र हो इस तरह का कर बर्दाश्त नही कर सकता।

यदि सरक्षण धन वापसी पर यो दण्ड-शुल्क देना पडे तो मानी हुई बात है कि सहकारी उनसे बचने का उपाय भी कर ही सकते है। उनका व्यावसायिक अस्तित्व ही होता है अपने सदस्यो को लाभ पहुँचाने के लिए, न कि अपना निज का लाभ करने के लिए, इसलिए वे निस्सन्देह लागत मूल्य पर बिक्री करने का प्रयत्न करके सरक्षण धन वापसी को अदायगियो से बच सकते है। लेकिन ऐसा करने पर तो उनके विशिष्ट सहकारी स्वरूप का ही अन्त हो जाएगा।

इसलिए सहकारिता के सभी, और सरक्षण धन वापसी वाला चौथा तो विशेष रूप मे मूलभूत सिद्धान्त है।

कुछ नियम भी है जिनका पालन करने की सहकारियो मे अपेक्षा की जाती है और अधिकाश उनका पालन करते भी है। पहला नियम है नकद व्यवहार। अपने ग्राहको का पैसा बचाने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए यह नियम बहुत जरूरी है, क्योकि उधार का कारबार बड़ा महँगा सौदा है। हमारे देश मे ऐसे बहुत-से सहकारी सगठन भरे पडे है जो नकद व्यवहार की नीति के पास भी नही फटकते। और कुछ धन्धे तो ऐसे भी है जिनमे प्रतियोगियो द्वारा उधार देने की व्यवस्था के कारण सहकारियो को भी यह व्यवस्था चालू करनी पड़ी है। लेकिन नकद का व्यवहार ही एक ऐसा नियम है जिसको अपना कर सहकारी व्यवसाय अपने सरक्षको के लिए ज्यादा-से-ज्यादा बचत कर सकते है और उन्हे ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुँचा सकते है।

दूसरा नियम है सहकारियो का एक विचारपूर्ण नीति अपना कर सामान्यत. अपने माल और सेवाओ को बाजार भाव पर बेचना और जो भी

अतिरिक्त आय हो उसे सरक्षण धन वापसी के द्वारा लौटा देना। यदि सहकारी शुरू से ही अनुमानित लागत मूल्य पर वेचने का प्रयत्न करें तो उन्हे आरम्भिक वर्षो मे ही बन्द हो जाना पडे। क्योंकि लागत मूल्य का अनुमान गलत हो सकता है और तब उन्हे कारबार मे बुरी तरह घाटा होने लगेगा। इसलिए लागत मालूम हो जाने पर ही सदस्यो को लागत मूल्य पर व्यावसायिक लाभ पहुँचाना अच्छा होता है, न कि पहले।

तीसरा नियम है स्वस्थ ढग से अपना विस्तार करते जाना, क्योंकि तभी सहकारियो के सफल होने की आशा की जा सकती है। 'विस्तारित न होना' सहकारियो के लिए, जो आवश्यक रूप से अपने सदस्यो की दिलचस्पी और निष्ठा पर निर्भर करते है, दूसरे सामान्य व्यवसायो की अपेक्षा कही अधिक खतरनाक है और इसी पर चल कर अधिकाश सफल सहकारियो का निर्माण हुआ है।

चौथा नियम है निरन्तर शिक्षा, जो लम्बे अनुभव के उपरान्त सहकारियो की व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य सिद्ध हुई है। जब तक सदस्य और सामान्य जनता दोनो ही सहकारियो की कार्य प्रणाली को नही समझते और उनका उचित ढग से सही-सही मूल्याकन नही कर पाते उलझने अवश्यम्भावी है और उस समय तो और भी अधिक जब कि बचत बहुत कम हो रही हो।

तो ये है **सहकारिता के सिद्धान्त**

१ खुली सदस्यता।

२ जनवादी नियन्त्रण—प्रत्येक सदस्य-स्वामी को केवल एक मत देने का अधिकार, हिस्से उसके पास कितने ही क्यो न हो।

३ निवेश पूँजी पर सीमित प्रतिफल।

४ सम्पूर्ण वास्तविक बचत का सरक्षण के अनुपात से वितरण।

और ये है **सहकारिता के नियम**

१ यथा सम्भव नकद व्यापार।

२ चालू बाजार भाव पर विक्री।

३ सतत विस्तार।

४. निरन्तर शिक्षा।

इन सिद्धान्तो और नियमो पर चलते हुए कई देशों में सौ वर्षों से भी अधिक समय से सहकारी सगठन कारबार कर रहे हैं।

तो फिर हम सहकारियो को 'नये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय' क्यो कहते है ? कुछ तो इसलिए कि अमरीका अभी तक सहकारियो को सही-सही पहचान' नही पाया है। कम-से-कम नगरवासी अमरीका ने तो इन्हे नही ही समझा है। और कुछ इसलिए भी कि आज के हमारे श्रेष्ठतम सहकारी व्यवसाय मन्दी के जमाने के अपने परवर्ती सहकारियों से नितान्त भिन्न प्रकार के उद्यम हैं।

लेकिन इस अध्याय का यह शीर्षक रखने का मुख्य कारण है हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मे कुछ ऐसी चिन्तनीय प्रवृत्तियो का होना जिनकी ओर बहुत ही कम ध्यान जा पाया है। सहकारी व्यवसायो के सगठन का कारण भी उन्ही मे की कुछ प्रवृत्तियाँ है। और इसलिए भी कि हमारे कुशल-क्षेम और हमारी स्वतन्त्रता पर सकट बन कर छाई हुई उन प्रवृत्तियो के विरुद्ध स्वैच्छिक स्वतन्त्र उद्यम' के ढग की प्रतीकारात्मक और सशोधक शक्ति के रूप मे सहकारियो की आज आवश्यकता है।

अतिरिक्त आय हो उसे सरक्षण धन वापसी के द्वारा लौटा देना। यदि सहकारी शुरू से ही अनुमानित लागत मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करें तो उन्हे आरम्भिक वर्षो मे ही बन्द हो जाना पडे। क्योकि लागत मूल्य का अनुमान गलत हो सकता है और तब उन्हे कारबार मे बुरी तरह घाटा होने लगेगा। इसलिए लागत मालूम हो जाने पर ही सदस्यो को लागत मूल्य पर व्यावसायिक लाभ पहुँचाना अच्छा होता है, न कि पहले।

तीसरा नियम है स्वस्थ ढग से अपना विस्तार करते जाना, क्योकि तभी सहकारियो के सफल होने की आशा की जा सकती है। 'विस्तारित न होना' सहकारियो के लिए, जो आवश्यक रूप से अपने सदस्यो की दिलचस्पी और निष्ठा पर निर्भर करते है, दूसरे सामान्य व्यवसायो की अपेक्षा कही अधिक खतरनाक है और इसी पर चल कर अधिकाश सफल सहकारियो का निर्माण हुआ है।

चौथा नियम है निरन्तर शिक्षा, जो लम्बे अनुभव के उपरान्त सहकारियो की व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य सिद्ध हुई है। जब तक सदस्य और सामान्य जनता दोनो ही सहकारियो की कार्य प्रणाली को नही समझते और उनका उचित ढग से सही-सही मूल्याकन नही कर पाते उलझने अवश्यम्भावी है और उस समय तो और भी अधिक जब कि बचत बहुत कम हो रही हो।

तो ये है **सहकारिता के सिद्धान्त**

१ खुली सदस्यता।

२ जनवादी नियन्त्रण—प्रत्येक सदस्य-स्वामी को केवल एक मत देने का अधिकार, हिस्से उसके पास कितने ही क्यो न हो।

३ निवेश पूँजी पर सीमित प्रतिफल।

४ सम्पूर्ण वास्तविक बचत का सरक्षण के अनुपात से वितरण।

और ये है **सहकारिता के नियम**

१ यथा सम्भव नकद व्यापार।

२ चालू बाजार भाव पर बिक्री।

३ सतत विस्तार।

४. निरन्तर शिक्षा।

इन सिद्धान्तो और नियमो पर चलते हुए कई देशो मे सौ वर्षो से भी अधिक समय से सहकारी सगठन कारवार कर रहे है।

तो फिर हम सहकारियो को 'नये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय' क्यो कहते है ? कुछ तो इसलिए कि अमरीका अभी तक सहकारियो को सही-सही पहचान' नही पायः है। कम-से-कम नगरवासी अमरीका ने तो इन्हे नही ही समझा है। और कुछ इसलिए भी कि आज के हमारे श्रेष्ठतम सहकारी व्यवसाय मन्दी के जमाने के अपने परवर्ती सहकारियों से नितान्त भिन्न प्रकार के उद्यम है।

लेकिन इस अध्याय का यह शीर्षक रखने का मुख्य कारण है हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मे कुछ ऐसी चिन्तनीय प्रवृत्तियो का होना जिनकी ओर बहुत ही कम ध्यान जा पाया है। सहकारी व्यवसायो के सगठन का कारण भी उन्ही मे की कुछ प्रवृत्तियाँ है। और इसलिए भी कि हमारे कुशल-क्षेम और हमारी स्वतन्त्रता पर सकट बन कर छाई हुई उन प्रवृत्तियो के विरुद्ध स्वैच्छिक स्वतन्त्र उद्यम' के ढग की प्रतीकारात्मक और सशोधक शक्ति के रूप मे सहकारियो की आज आवश्यकता है।

———

३ | जनता का स्वास्थ्य

बीमार पडोसी की सुश्रूषा कर उसे स्वस्थ करना मानव-इतिहास के सभी युगो मे और सर्वत्र एक मौलिक सद्‌गुण और बडे परोपकार का कार्य माना जाता रहा है। ऐसे कृत्यो से ही स्नेहपूर्ण मानवी सम्बन्धो की उत्पत्ति हुई और नये स्थानो मे सच्ची बिरादरी के विकास का शुभारम्भ। आज भी इन कृत्यो का यही परिणाम होता है। लेकिन अब तो आधुनिक अमरीका और अन्य विकसित देशो के देहातो मे भी, इस तरह की बाते बहुत कम देखने को मिलती है, और हमारे बडे नगरो मे तो शायद ही कभी।

इस परिवर्तन के कई कारण है और वे सब बुरे भी नही है। मुख्य कारण तो यही है कि आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान रोगियो को अच्छा करने की दिशा मे चमत्कार कर दिखाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति नही कर सकता।

आज से पचास वर्ष पहले रोगी डाक्टर के पास बिलकुल ही नही जाता या चला भी जाता तो दोनो ही स्थितियो मे उसके रोग-मुक्त होने की सम्भावनाएँ प्राय एक-जैसी ही होती थी। क्योकि बीमार को अच्छा करने की तरकीबें किसी अच्छे डाक्टर को भी लगभग उतनी ही मालूम होती थी जितनी किसी और को।

आज ये दोनो ही बाते नही रही। आज तो बीमार होने पर उसी रोग का विशेषज्ञ निपुण डाक्टर यदि मिल सके तो उसके पास जाने और न जाने मे जीवित रहने और मरने तक का अन्तर हो सकता है।

आधुनिक चिकित्सक अच्छी दशाओ मे चिकित्सा और सुश्रूषा का पूरा-पूरा अवसर मिलने पर न केवल किसी भी रोग को अच्छा कर सकते है, बल्कि लोगो को निरोग और स्वस्थ भी बनाये रख सकते है।

हमारे आधुनिक समाज मे बीमारी के समय पडोसी की प्राय निरर्थक-सी सहायता के स्थान पर जहाँ भी सम्भव होता है निपुण डाक्टरो, परिचारिकाओ

और दूसरे-दूसरे पेशेवर तकनीशियनों को बुलाया जाता है, और इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है।

सामाजिक दृष्टि से हमने कुछ मूल्यवान खोया अवश्य है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से जीवन और स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के रूप में हमने काफी कुछ प्राप्त भी किया है।

यदि चिकित्सक, परिचारिकाएँ, जन-स्वास्थ्य कार्यताओं और चिकित्सकों तथा परिचारिकाओं के काम में हाथ बँटाने और उनके कार्यों की अनुपूर्ति करने वाले छोटे और बड़े सब तरह के तकनीकी कौशलों में दक्ष नाना विधि लोग काफी संख्या में हों, और यदि जनता इन सारी सेवाओं के लिए पैसा दे सके तो हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य इतना अच्छा और उन्नत हो सकता है जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते।

लेकिन दुर्भाग्य से अभी इनमें से एक भी बात नहीं है।

१९०० से १९५० के बीच की अवधि में अमरीका में डाक्टरों की संख्या में केवल ५८ प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि जनसंख्या में १००प्रतिशत वृद्धि होती रही। और अब भी यही हाल है। यह सही है कि पेशेवर परिचारिकाओं, - औषध-कारकों और अन्यान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक डाक्टर के समय का ज्यादा अच्छा उपयोग होने लगा है।

है। लेकिन एक तो इस धन का अधिकाश वडी वेतरतीवी से खर्च किया जाता है और दूसरे लाखो परिवार निम्न आय वाले है इसलिए हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्यम कोटि से ज्यादा अच्छा नही हो पाता।

इस स्थिति मे सुधार करना अनेक कारणो से आवश्यक हो गया है।

एक कारण तो साथे उन जवर्दस्त परिवर्तनो से सम्वन्धित है जो अमरीका जनता के रोजगार के रूपो मे होते जा रहे है। इतिहास मे सम्भवत पहली ही वार हमे वडे पैमाने के उत्पादन उद्योगो मे तेजी वढती हुई और व्यापक औद्योगिकीय वेकारी की स्थिति और समस्या का सामना करना पड रहा है। यह स्थिति असन्दिग्ध रूप मे हमारी अर्थ-व्यवस्था के उन सभी विभागो मे पाई जाती है जो सेवाओ के विपरीत माल (वस्तुओ) का उत्पादन करते है।

इस सम्वन्ध मे थोडे से ही उदाहरण काफी होगे।

देश का प्रत्येक वडा वायुमार्ग अपने विमान-चालको की सख्या मे निरन्तर कमी करता जा रहा है। कारण यह है कि विशाल जेट विमान दुगुने यात्रियो को आधे समय मे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते है इसका अर्थ हुआ विमान-चालको के उड्डयन घण्टो का सिर्फ एक चोथाई रह जाना, क्योकि वढे हुए यातायात के लिए कोई भत्ता नही दिया जाता।

मोटर (आटोमोवाइल) मजदूर सघ की सदस्यता कुछ ही वर्ष पहले १५ लाख के लगभग थी। इस सघ की भावी योजनाएँ इस धारणा पर आधारित है कि मोटर उद्योग मे लगे कर्मचारियो की सख्या आगे कभी भी १० लाख से अधिक नही होगी।

अमरीका मे कपडा उद्योग मे लगे श्रमिको की सख्या १९४७ मे ११,४६,३००, १९५४ मे ९,४७,००० और १९५८ के मार्च महीने मे ८,२०,००० थी। यह निन्तर घटती ही जा रही है।

अगर हमारे आर्थिक विकास की गति को मन्द कर दिया जाए तो हमे वहुत वडे पैमाने पर औद्योगिकीय वेकारी का सामना करना पडेगा। वास्तव मे तो जव तक इस गति को तेज नही किया जाता यह समस्या अधिकाधिक गम्भीर ही होती चली जाएगी।

इसके अतिरिक्त उन वेकार मजदूरो की काफी वडी सख्याको उप-

भोक्ताओ को बेचे जाने वाले माल का अधिक उत्पादन करने के काम पर लगाने की सम्भावनाएँ तो प्राय: निराशा जनक ही है। जब तक हम इस न्याय सगत बात को जल्दी-से-जल्दी नही सीख लेते कि हमारे बच्चे बगैर भीड-भाड वाली कक्षाओ मे उचित वेतन पाने वाले ऐसे शिक्षकों से, जो कार्याधिक्य से क्लान्त नही हो जाते, अच्छी शिक्षा पाने के अधिकारी है, जब तक हम यह नही सोचने लगते कि गन्दी बस्तियो का उन्मूलन और नगरो का पुर्नविकास लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश के चौथाई भाग को कक्रीट की पक्की सडकों से पाटना; जब तक हम स्वास्थ्य-सेवाओ के विस्तार की ओर तत्काल ध्यान नही देने लगते और जब तक हम इस बात को नही समझ लेते कि अब आगे से सबको यथा सम्भव पूरा काम या नौकरी देना केवल जन-कल्याणकारी सेवाओ से सीधे रूप से सम्बन्धित क्षेत्रों के तेज विकास पर ही निर्भर करता है, हम अपने-आप को बराबर कठिनाइयों के जजाल मे फँसा पाएँगे।

कोई भी महान् सभ्यता भौतिक साधनो और तुष्टियों के उपभोग की सीमातीत वृद्धि पर ही कभी निर्मित नही की जा सकी है। हमारा देश अपवाद नहीं हो सकता।

नौकरी या काम देने के अवसर का अमरीकी जनता के स्वास्थ्य-मान का अभिवृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओ के क्षेत्र मे विस्तार करने से अधिक युक्तियुक्त और व्यापक रूप से मान्य दूसरा कोई उपाय सोचा भी क्या जा सकता है? यह तो सच है कि वस्त्रोद्योग के सभी विस्थापित श्रमिक डाक्टर नही बन सकते। लेकिन १९०० मे जहां प्रत्येक पांच पेशेवर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ मे तीन डाक्टर होते थे, १९५० मे अपने पडोसियों के स्वास्थ्य को उन्नत करने के कार्य मे लगे प्रति पाँच व्यक्तियों में केवल एक ही डाक्टर होता था। वास्तव मे लोगों के स्वास्थ्य को बनाये रखने और उन्नत करने वाला व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें उच्चकोटि की प्रवीणता प्राप्त डाक्टर से लेकर निपट अकुशल [illegible] तक सभी तरह के लोगों को काम पर लगाया जाता है।

प्राणित होकर किसी जमाने मे पुरोगामी महिला पडोसी की झोपडी मे उसके बीमार बच्चे की सुश्रूषा के लिए जाया करती थी उस अभिप्रेरणा का इस जमाने मे आधुनिक ढग से उपयोग किया जाए। इससे अवश्य ऐसी तरकीबे समझ मे आ सकती है जिनको अपनाने से अमरीकी जनता द्वारा आज चिकित्सा परिचर्या पर जितना व्यय किया जाता है उतनी ही धनराशि मे ज्यादा सक्षम सेवाएँ और अधिक उत्तम कोटि की सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।

और जो एक-एक परिवार के लिए अकेले-अकेले सम्भव नही उसे परिवारो के समूह सहकारिता के लिए राजी होकर कर सकते है और वास्तव मे इस दिशा मे काफी अच्छा कार्य कर भी रहे है।

लेकिन इसके लिए सबसे पहले रोगी और निरोग दोनो ही तरह के परिवारो को अपनी वर्तमान ओर भावी आवश्यकताओ का तथा अपनी मासिक आय के एक अश का निकाय करने का फैसला करना होगा।

जब लोग किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के सदस्य बनते या उसमे सम्मिलित होते है तो बिलकुल यही करते है। इस तरह की कुछ योजनाओ को सहकारी योजनाओ के नाम से पुकारा जाता है, जो सर्वथा उचित ही है, कुछ सामुदायिक योजनाएँ कहलाती है, कुछ श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओ के नाम से जानी जाती है। नाम जो भी हो, सभी मे कुछ मूलभूत विशेषताएँ तो अवश्य एक-जैसी है। ओर स्वास्थ्य के लिए निर्धारित धनराशि का ये सभी योजनाएँ निश्चित ही सदुपयोग करती है।

चीन के गाँवो के सम्बन्ध मे एक कहानी कही जाती है कि वहाँ के लोगो ने एक बार यह नियम बनाया कि यदि साल-भर परिवार के सदस्यो का स्वास्थ्य अच्छा रहा तो गाँव के चिकित्सक को हर परिवार की ओर से एक निर्धारित रकम दी जाएगी। लेकिन यदि परिवार मे कोई बीमार हो जाता तो डाक्टर का पारिश्रमिक उसी अनुपात से कम कर दिया जाता था। लोगो को स्वस्थ बनाये रखने के लिए डाक्टर को पुरस्कृत करना ही इसमे मुख्य बात थी।

यह कहानी सच है या झूठ, इससे हमे कोई मतलब नही, लेकिन इसमे रोग को अच्छा करने के व्यवसाय और निरोग बनाये रखने की योजनाओ के मूलभूत अन्तर पर काफी अच्छा प्रकाश पडता है।

यह अध्याय स्वास्थ्य को बनाये रख और उसमे उन्नति करने की योजनाओ के सम्बन्ध मे है। इस अध्याय मे यह भी बताया गया है कि जन-समुदाय इस दिशा मे स्वत -प्रेरणा से क्या कर सकत है। यह अध्याय कुछ ऐसी उपयुक्त विधियों के प्रयोग के सम्बन्ध मे है जिन्हे अपना कर अधिकाधिक लोग आधुनिक ढग की सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिचर्या को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते है। यह अध्याय अमरीका के सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन के बारे मे भी है। अमरीका मे इस आन्दोलन को आमतौर पर सामूहिक स्वास्थ्य आन्दोलन कहते है। यहाँ के समस्त विधि-विधानो मे 'सामूहिक स्वास्थ्य' यह ही प्रयुक्त होता है और इस कर्य मे सलग्न अधिकाश सगठन भी इसी पद का प्रयोग करते है। 'सामूहिक स्वास्थ्य' जिसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनो ही वैयक्तिक स्वास्थ्य से उसके अन्तर को व्यक्त करते है।

लेकिन चूँकि यह पुस्तक आधुनिक जीवन मे सहकारिता के मूल्यो के सम्बन्ध मे है इसलिए हम इस आन्दोलन को 'सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन' ही कहेगे, और हमारा ऐसा कहना यथार्थ भी होगा। क्योकि उत्कृष्ट कोटि का यह सम्पूर्ण उपक्रम मूल रूप से लोगो के एक समूह के इस निर्णय पर निर्भर करता है कि पूरे समूह को महँगी बीमारी के आर्थिक दुष्परिणामो से बचाने के साथ ही सभी के स्वास्थ्य-स्तर को समुन्नत करने के लिए वे सब मिल-जुलकर सहकारिता से काम करेगे।

इस मूलभूत निर्णय के पश्चात् ही इन सहकारी समूहो को सब तरह के सम्बद्ध प्रश्नो का स्वय निपटारा करने का अवसर प्राप्त होता है। वे प्रश्न है . दवाइयों और नुस्खो का हम कितनी कीमत दे, क्या अपने लिए दन्त-परिचर्या का प्रावधान हमारी भी करे, हमारे खयाल मे डाक्टरो का कौन सा समूह बहुत बढिया और पूरी लगन से सेवा कर सकता है, इस बात का निश्चय कैसे किया जाए कि वे डाक्टर अच्छी-से-अच्छी दवाओ का ही अच्छी-से-अच्छी दवाओ मे प्रयोग करे और आर्थिक दृष्टि से उनके व्यावहारिक परिणाम भी बहुत ही अच्छे निकले, बूढ़ों की स्वास्थ्य-समस्याओ के बारे मे क्या किया जा सकता है, हमे प्रतिमास कितना धन देना चाहिए कि अपेक्षित स्वास्थ्य-परिचर्या निश्चित रूप से उपलब्ध होती रहे और हमारी योजना आर्थिक दृष्टि से सुदृढ बनी रहे, दिवालिया न हो जाए। फिर यह प्रश्न भी है कि क्या हम अपना निजी अस्पताल बनाएँ,

सामुदायिक अस्पतालो के साथ प्रबन्ध कर ले या अपने सदस्यो का ब्लूक्रास बीमा करवा दे ?

सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ जन-समूहो को अपने पारिवारिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नो का स्वय निर्णय करने की सम्भावनाएँ प्रदान करती है जो जनता और जन-स्वास्थ्य दोनो के ही हित मे अच्छी बात है।

अब प्रश्न उठते है कि यह आन्दोलन कब और कहाँ आरम्भ हुआ, दूसरा फैलाव कितना है, इसने कौन-से रूप ग्रहण किये और इसका भविष्य क्या है ?

इसके आरम्भ की निश्चित तिथि बताना तो मुश्किल ही है। सम्भवत बेंजामिन फ्रेंकलिन ने १७५२ मे अमरीका मे पहली पारस्परिक अग्नि बीमा कम्पनी सगठित कर उसके पालिसीधारियो को आग से अपने स्वास्थ्य का बचाव करने के लिए मिल-जुलकर काम करने को प्रोत्साहित किया था। इस बात के लिए प्रोत्साहित तो उन्होने अवश्य ही किया था कि अकेले न तो वे आग से लड सकते है, न उसका निवारण कर सकते है और न उसके द्वारा की हुई हानि का भुगतान ही; लेकिन अगर मिल-जुलकर जोखिम को फैला लें और सयुक्त रूप से सरक्षण के लिए पैसा दे तो अवश्य ऐसा कर सकते है। १८५१ मे सैनफ्रासिस्को मे फ्रासिसी आप्रवासियो ने फ्रेंच म्युचूअल बेनिफिट सोसाइटी (फ्रासिसी पारस्परिक हित सवर्धन समिति) बनाई, जिसने एक अस्पताल स्थापित किया और पूर्व अदायगी (अग्रिम शुल्क की योजना प्रचलित की। कुछ वर्षों बाद सैनफ्रासिस्को मे जर्मन आप्रवासियो ने और टाम्पा मे क्यूबा के स्पेनवासियो ने भी इसी तरह का काम किया। ये सब योजनाए अब भी चल रही है।

इन सब योजनाओ मे एक ही राष्ट्रीयता के कारण सन्निकट आये हुए समान हितो वाले भ्रातृत्वपूर्ण समूह मिल-जुलकर अपने आप के लिए स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य सुरक्षा क्रय करते है।

या सम्भवत. १८८२ मे 'नार्दन पैसिफिक बेनिफिशियल एसोसिएसन' द्वारा सस्थापित पहले रेलरोड अस्पताल से ही इस आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ हो। उन रेल श्रमिको ने रोशडेल बुनकरों का नाम भी नही सुना था, फिर भी समूहगत आवश्यकताओ और आर्थिक मोलभाव का सामूहिक शक्ति के बलपर उन्होने मालिको से हानिपूर्ति के एक अश के रूप मे अपने लिए . ता।

ावाओ की सुविधा का समझौता किया और उसे प्राप्त भी कर लिया। किसी ाकेले रेल मजदूर के लिए यह कदापि सम्भव नही था।

१९१३ मे इण्डर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन ने न्यूयार्क सिटी ो अपने सदस्यों के लिए अमरीका के इतिहास में सबसे पहला श्रमिक सघ-ाचालित स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया। सघ के सदस्यो मे से किसी को कोई ाल रोग हो जाता तो उन्ही के धन से इस केन्द्र मे बाहरी रोगी के रूप मे ाउनकी परिचर्या की जाती थी। आज यह और ऐसे बीसियो स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे है।

या फिर १९२९ मे ओक्ला होमा के एल्क सिटी मे इस आन्दोलन का प्रारम्भ ाना जा सकता है। उस समय वही के एक डाक्टर, माइकेल शैडिड ने वहाँ की चार कठिनाइयों का उपाय सोच निकाला और दूसरों को भी उसी ढंग े उनके निवारण के लिए प्रोत्साहित किया। उनमे से पहली कठिनाई थी ाश्चिमी ओक्ला होमा के किसानो को अत्यधिक गरीबी; वे डाक्टरो का बिल और विशेष रूप से आपत्कालीन डाक्टरी सेवा का बिल तो और भी अधिक, ाुश्किल से ही चुका पाते थे। दूसरे, उस क्षेत्र मे दूर-दूर तक कोई अस्पताल ाही था। तीसरे, डाक्टरो को न तो यही भरोसा था कि वहाँ अच्छी आम-दनी हो सकेगी और न यही विश्वास कि जिन अच्छी दवाइयो का वे प्रयोग करना चाहते हैं उन्हे रोगी ले ही लेगे। और चौथे यह कि लोग इन कठि-ाइयों की ओर से नितान्त उदासीन सब कुछ चुपचाप सहे जा रहे थे।

डाक्टर शैडिड ने सुझाव दिया कि अन्तिम कठिनाई से आरम्भ करके इन चारो पर एक साथ हमला बोलना चाहिए। जिन लोगो को चिकित्सा-परिचर्या की अभी आवश्यकता है या आगे हो सकती है वे सब यदि एक ऐसे सघ का सदस्य बनना स्वीकार कर ले जो व्यवस्थित ढग से अस्पताल और चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर सके तो अपने अत्यल्प साधनो के बावजूद वे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते है। और यदि वे इस उपक्रम को आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक शुल्क देने को प्रस्तुत हो जाएँ और उसके बाद हर महीने केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकार की परिचर्या का मूल्य [illegible] भर को डालर देते रहे तो परिचर्या प्रदान करने वाले डाक्टर [illegible]

आने को राजी हो जाएँगे और उन डाक्टरो को निर्भरता-योग्य आय का कुछ विश्वास भी हो जाएगा। हो सकता है कि वे अपना अस्पताल भी बना ले, जिसके सदस्य ही स्वामी होंगे और जो उस सारे क्षेत्र के लिए चिकित्सा-केन्द्र का काम देगा।

उन्होने यही किया।

काम अवश्य आसान नही था। लेकिन डाक्टर शैडिड ने स्वय काफी रकम उधार दी ओर इस तरह अमरीका की पहली सहकारी स्वास्थ्य योजना का, यही उसका नामकरण किया गया, जन्म हुआ। इसका जीवन काफी उथल-पुथल वाला रहा है। एल्क सिटी के कम्युनिटी हास्पिटल क्लिनिक (सामुदायिक अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र) की कुछ बाते आज भी ऐसी है जिनकी स्वास्थ्य समस्याओं के विद्यार्थी प्राय आलोचना करते है।

लेकिन एल्क सिटी का सहकारी स्वामीत्व वाला, सुयोग्य डाक्टरो से लैस अस्पताल पश्चिमी ओक्ला होमा के कई जिलो का चिकित्सा-केन्द्र है, और इसके कुछ डाक्टर तो जिला और राज्य की चिकित्सा समितियों के पदाधिकारी भी है।

और सबसे बडी बात तो यह कि इस अस्पताल ने उस क्षेत्र के बहुत से लोगो को अपने परिवारो की अच्छे ढग की चिकित्सा-परिचर्या के लिए पैसा खर्च करने का अवसर भी दिया।

इसके बाद ही तरह-तरह की योजनाएँ सभी स्थानो मे और सब तरह के लोगो के बीच अस्तित्व मे आई और विकसित हुई। उनमे से कुछ तो सभी दृष्टियों से पूर्णत सहकारी सगठन है जैसे कि महानगर की पथ प्रदर्शक योजना—ग्रुप हेल्थ एसोसिएशन आफ वाशिगटन (वाशिगटन डी० सी० का सामूहिक स्वास्थ्य सघ)—और ग्रूप हेल्थ कोआपरेटिव आफ पगेट साउण्ड (पगेट साउण्ड का सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी सघ, (एव टूहारवर्स,) मिनोसोटा) का हेल्थ एसोसिएशन सामुदायिक स्वास्थ्य सघ)। इनकी सदस्यता सब के लिए खुली है, जो भी चाहे सदस्य बन सकता है, सचालन और नियन्त्रण, एक व्यक्ति केवल एक ही मत के आधार पर, सदस्यो के ही हाथ मे है, सारी सुविधाओं का स्वामित्व सदस्यो मे निहित है, और पूरी योजना

को वास्तव मे लाभहीन आधार पर चलाया जाता है। पूरे वर्ष के कारोबार के अन्त मे यदि अधिक आय पायी भी गई तो भी सदस्यों को सरक्षण धन वापसी अदायगियाँ नही की जाती। स्वास्थ्य योजनाओ मे और दूसरे सहकारी उद्यमो मे यही मुख्य अन्तर है। रूढिगत व्यवसायो मे जो लाभ है वह दूसरे सहकारी उद्यमो मे सदस्यो ओर सरक्षक-स्वामियो का प्राप्तव्य है, जिसे वर्ष के अन्त मे सरक्षण के अनुपात से उनमे वितरित कर दिया जाता है। लेकिन, नैतिक दृष्टि से, स्वास्थ्य योजना को तो किसी के भी यहाँ तक कि सदस्यो के भो लाभार्जन के लिए नही चलाया जा सकता। यदि अधिक आय होती भी है तो या तो सदस्यो से लिया जानेवाला मासिक शुल्क घटा दिया जाता है, या डाक्टरो और अन्य सेवा-नियुक्त कर्मचारियो को दिये जाने वाले पारिश्रमिक मे वृद्धि कर दो जातो है, या फिर उस राशि को भवननिधि मे जाने वाले पारिश्रमिक मे वृद्धि कर दो जाती है, या फिर उस राशि को भवननिधि मे नया कक्ष बनाने के लिए जमा कर दिया जाता हे।

इन 'विशुद्ध' सहकारी योजनाओ के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की दूसरी योजनाएँ भो है, लेकिन दो बुनियादी विशेपताएँ उन सभी मे समान रूप से पायो जाती है। एक तो यह कि उन सभी योजनाओ मे लोगो का एक समूह स्वास्थ्य-परिचर्या की अपनी आवश्यकता के निकाय का, और रोगी निरोग दोनो से एक-सी राशि के आधार पर, समूह के रूप मे धन देने का और चिकित्सको के दल एव अन्य पेशेवर तथा गैर-पेशेवर कार्य कर्ताओ से, जो उनके लिए अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कर सके, व्यवस्था करने का फैसला किये रहता हे। दूसरे यह कि ये सभी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ युक्तियुक्त विचार-परम्परा पर आधारित होती है, जो सार रूप मे इस प्रकार है

(१) आज ओसत अमरीकी परिवार के समक्ष परमाणु युद्ध के खतरे के अतिरिक्त स्वास्थ्य का आर्थिक पक्ष ही वास्तव मे सबसे गम्भीर समस्या है। यह कुछ तो इसलिए है कि बीमारी से कष्ट और पीडा होती है, और कुछ इसलिए भी कि पर्याप्त स्वास्थ्य-परिचर्या का मूल्य एक तो पहले से भार नही हो पाता ओर फिर बडी तेजी से बढता भी रहता है।

(२) लेकिन यदि परिवारो को उचित समय उचित प्रकार की चिकित्सा-परिचर्या, जिसमे निरोधिक परिचर्या भी सम्मिलित है, उपलब्ध हो सके तो अधिकाश बीमारियो की रोक-थाम की जा सकती है। और यदि परिवार स्वास्थ्य परिचर्या के लिए हर महीने छ. या हर हफ्ते निर्धारित किस्त अग्रिम जमा करवा सकें या जैसा कि अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली मे कहेगे 'वजारत आवर्ती पूर्व अदायगी' के आधार पर पैसा दे सके तो बीमारी के अधिकाश आर्थिक दुष्परिणामो को टाला भी जा सकता है।

(३) पारिवारिक डाक्टर के शुल्क के अतिरिक्त आपत्कालीन मामलो मे या कठिनाई के समय बुलाये गए विशेषज्ञो की फीस शायद ही कोई परिवार दे सकता है। वास्तव मे औसत परिवार डाक्टरो के चुनिन्दा दल का सामूहिक प्रैक्टिस के सिवाय चिकित्सा-सेवा मे विशेषज्ञता से लाभान्वित हो ही नही सकता।

(४) सेवा के लिए आयातित शुल्क के आधार पर पैसा देने की कोशिश करके भी औसत परिवार को आधुनिक चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नही हो सकती, क्योंकि एक तो इस प्रणाली मे मूल्य नियन्त्रित नही होते और दूसरे, न यही पहले से बताया जा सकता है कि कितना मूल्य देना होगा। परिणाम स्वरूप औसतन काफी पैसा खर्च करके भी आज लोगो को पर्याप्त चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नही हो पाती।

(५) बीमार पडने पर अमरीकी जनता आयातित चिकित्सा परिचर्या के लिए इतना अधिक पैसा देती है कि यदि सही ढग से खर्च किया जाए तो उस रकम से उन्हे स्वस्थ बनाये रखने वाली व्यापक परिचर्या बडी आसानी से मिल सकती है। राष्ट्र की स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओ के बारे मे नियुक्त राष्ट्रपति के आयोग ने और अन्य विश्वसनीय अधिकारियो ने जो आँकडे निकाले है उनसे पता चलता है कि हम अपनी आय का ५ प्रतिशत चिकित्सा-परिचर्या पर खर्च करते है। अमरीका की औसत पारिवारिक आय पाँच हजार डालर प्रतिवर्ष है, इसका ५ प्रतिशत २५० डालर होता है।

(६) पूर्व अदायगी की पद्धति सारी समस्या का सीधा-सा समाधान है। इस पद्धति के अन्तर्गत लोग प्रतिमास एक निर्धारित धन राशि जमा कर-

चाते रहते हैं, जिसके बदले में जब भी आवश्यक हो उन्हें चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध हो सके। और एक परिवार से प्रति वर्ष २५० डालर इतनी बड़ी रकम है कि यदि उसे चुने हुए डाक्टरों की 'सामूहिक प्रैक्टिस वाली पूर्व अदायगी स्वास्थ्य योजना' के अन्तर्गत अच्छे ढग से खर्च किया जाए तो परिवारों को सम्पूर्ण और व्यापक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो सकती है।

(७) अस्पताल परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी अच्छी बात है; लेकिन समय पर स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल और निरोधक उपायो वाली सेवाओं के लिए पूर्व अदायगी और भी अच्छी और ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात है, क्योकि ऐसा करने से अस्पताल जाने की नौबत ही नही आती। दूसरे शब्दो मे यह कि हमें आवश्यकता है व्यापक परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी की, जो लोगों को अस्पताल से दूर रखती और इस तरह चिकित्सा-परिचर्या का मूल्य भी कम करती है। हमे अपने डाक्टरो को निरोधक औषधियों का प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए और इसके लिए उनसे समय-समय पर मिलते रहना, बीच-बीच मे अपने स्वास्थ्य की जॉच-पड़ताल करवाते रहना और साधारण तथा गम्भीर, सभी प्रकार के लक्षणो के सम्बन्ध मे उनकी सलाह लेते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब इस तरह की सेवाओं के लिए किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हमने पहले से पैसा दिया हो।

(८) काफी सख्या मे सभी तरह के लोगो के सम्मिलित हुए बिना इस तरह की योजना न तो वन सकती है और न कार्यान्वित ही की जा सकती है। कोई भी योजना सफल कैसे हो सकती है ? यदि उसमे चन्दा देने वाले सभी लोग तत्काल चिकित्सा सेवा पाने वाले ही हो। इसलिए ऐसी योजनाओ मे स्वस्थ लोगों को भी काफी सख्या मे सम्मिलित करना चाहिए।

(९) लोकतन्त्र मे लोगो का आवश्यकता से अधिक सरकार पर निर्भर करना कदापि उचित नही; अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें स्वत. प्रेरणा को विकसित करना और उसी पर निर्भर करना चाहिए। अपने लिए काम करना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए चिकित्सा . . के आर्थिक पहलुओ, उसके मूल्यो और अदायगी के तौर-तरीको पर . . का कुछ-न-कुछ नियन्त्रण और उपभोक्ता पर इन सब की कुछ जिम्मेवारी

तन्त्र का एक अच्छा ढग है।

(१०) डाक्टरो की सामूहिक प्रैक्टिस, पूर्व अदायगी, व्यापक परिचर्या, जोखिम का बराबर-बराबर बँटवारा और उपभोक्ता के स्वत प्रेरणा को मिला कर सामूहिक-स्वास्थ्य-पूर्व अदायगी-योजना बनाई जाए तो चिकित्सा-सम्बन्धी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है और इस तरह आधुनिक चिकित्सा से छोटे समुदायो एव सामान्य आय वाले परिवारो को भी लाभान्वित किया जा सकता है।

कुछ लोग और उनके डाक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सहकारी ढग से काम करने को कैसे प्रवृत्त हुए इसकी कहानी सघर्ष, अन्तर्विरोध, सन्देह, निराशा और क्रमश अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते जाने की कहानी है।

ओक्लाहोमा के निवासियो ने जो कुछ किया उसके समाचार शीघ्र ही मन्दीग्रस्त देश मे चारो ओर फैल गए। अब जो दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना बनी वह थी वाशिगटन डी० सी० का सामूहिक स्वास्थ्य सघ (Group Health Association of Washington D C)। सरकारी कर्मचारियो के एक समूह ने १९३७ मे इसकी स्थापना की। आरम्भ से ही यह सघ सभी दृष्टियो से पूरा तरह सहकारी रहा है। कोई भी इस योजना का सदस्य बन सकता है। नियन्त्रण सदस्यो का ही है और एक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार है। सदस्य ही इसकी समस्त साधन-सामग्री और सम्पत्ति के स्वामी है और इसके सचालक-मण्डल का चुनाव भी वे ही करते है। १९६० मे, साधारण ओर विशेषज्ञ डाक्टरो के इसके विशाल और सुयोग्य चिकित्सक दल ने वाशिगटन क्षेत्र के लगभग ४५ हजार लोगो को चिकित्सा-परिचर्या प्रदान की। इसमे विशाल ट्राजिट वर्कर्स यूनियन के सदस्य भी सम्मिलित है, जिन पर १९५९ मे काफी विचार-विनिमय के बाद इस योजना को लागू किया गया। बढी हुई सदस्य सख्या की समुचित देख-भाल के लिए इस यूनियन ने वाशिगटन सामूहिक स्वास्थ्य सघ की शाखा के रूप मे एक नये स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण भी कर दिया है।

इस स्वास्थ्य सघ को सघर्ष भी कई करने पडे। आरम्भ के वर्षो मे चिकित्सा समिति ने इस योजना से सम्बद्ध डाक्टरो के नाम वर्ज्य सूची मे डाल दिये और

सामूहिक स्वास्थ्य सघ के डाक्टरों और रोगियो को अपने अस्पतालो का उपयोग करने से रोक दिया। पॉच वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अन्त मे संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चिकित्सा समिति के एकाधिकारी व्यवहारों को रोका गया, सामूहिक स्वास्थ्य संघ के डाक्टरों के लिए चिकित्सा समिति की सदस्यता फिर से खोल दी गई और अस्पतालों के उपयोग को सुविधा पुन प्रचलित कर दी गई। यह फैसला १९४३ में हुआ और एक अच्छी नजीर वन गया। सामूहिक स्वास्थ्य योजनाओ को 'सगठित चिकित्सा' द्वारा अपने डाक्टरो के साथ भेदभाव करने पर जब भी न्यायालयो मे जाना पडता है तो १९४३ मे हुए उक्त फैसले के उदाहरण स्वरूप उनको वराबर जीत ही होती है।

१९४१ से प्रारम्भ होने वाली शताब्दी मे ग्रेट प्लैन्स के दर्जनो छोटे-छोटे देहाती कस्बो के निवासियो ने अपने-अपने सहकारी अस्पताल सघ बनाये। इनमे से कइयों ने तो वास्तव मे बहुत सारे अस्पताल बना भी डाले और वेस्ट टेक्सास जैसे कुछ क्षेत्रो मे तो सवसे अधिक अस्पताल वनाये गए। कही-कही पूर्व अदायगी योजनाएँ भी शुरू की गई। लेकिन मासिक चन्दा प्राय सर्वत्र बहुत ही कम रखा गया। जो साधन-सुविधाएँ जुटाई गई वे अक्सर बहुत अच्छी बनी हुई और सुनियोजित भी नही थी। चिकित्सा समिति के विरोध के कारण बहुत से डाक्टर डर कर भाग गए। परिणाम यह हुआ कि इनमे से अधिकाश अस्पताओ को सामुदायिक स्वामीत्व का रुप दे देना पडा, अधिकाश पूर्व अदायगी योजनाओ को वन्द कर देना पडा और केवल अस्पताल की इमारते ही सद्प्रयत्नो के स्मारक के रूप मे बची रह गई, यह कहने के लिए कि जो प्रयत्न किये गए उनमे जल्दवाजी की मात्रा बहुत ही अधिक और दूरदर्शिता एव योजनावद्धता की मात्रा बहुत ही थोडी थी।

इस प्रकार एल्क सिटी और वाशिगटन डी० सी० के अतिरिक्त सहकारी स्वास्थ्य योजनाओ का सारा ही विकास द्वितीय महायुद्ध के काल मे ही हुआ है। यह बिलकुल नया आन्दोलन है और इसका जन्म हुआ है अमरीकी जनता की निरन्तर बढ़ती हुई स्वास्थ्य चेतना और उनके इस अभिज्ञान के फ स्वरूप कि चिकित्सा परिचर्या की लगातार मूल्य-वृद्धि उनकी

पहले नम्बर की आर्थिक विपत्ति हैं। पाँच लाख अमरीकी परिवारों पर प्रति वर्ष चिकित्सा-बिलों का जितना बोझा पडता है वह उनकी सम्पूर्ण वार्षिक आय के बराबर हो जाता है। दस लाख परिवारो पर उनकी वार्षिक आमदनी की आधी रकम के बराबर चिकित्सा-व्यय का कर्ज हो जाता है। लाखों लोगो ने ब्लूशील्ड, ब्लूक्रास और व्यापारी कम्पनियो के अन्तर्गत किसी-न-किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है। १९५८ तक अमरीका की लगभग तीन-चौथाई जन सख्या किसी-न-किसी प्रकार के स्वास्थ्य-बीमा से रक्षित हो चुकी थी।

लेकिन इस प्रकार के बीमो की कुल अदायगियाँ तो स्वास्थ्य बीमा करवा कर 'अपने को रक्षित' समझने वाले अमरीकी परिवारो के चिकित्सा बिलो के चतुर्थांश के लिए भी पर्याप्त नही होती। कुछ भी न होने से तो यह अवश्य ही अच्छा है। लेकिन यह कुछ बहुत अच्छा सरक्षण तो है नही और न स्वास्थ्य को उन्नत करने की दिशा मे ही इससे कुछ हो पाता है। दूसरी ओर जो परिवार सहकारी ढग की सामूहिक-प्रैक्टिस वाली-पूर्व अदायगी-स्वास्थ्य योजनाओं के सदस्य हैं उन्हें सरक्षण का लाभ नकद अदायगियो मे नही डाक्टरो और नर्सों की परिचर्या के रूप मे प्राप्त होता है, और प्रयत्न किया जाता है कि वह परिचर्या ज्यादा-से-ज्यादा प्रकार की बीमारियो के लिए और रोग-निवारण के अधिक-से-अधिक उपायो वाली भी हो।

१९४४ में मिनेसोटा के टूहारबर्स नामक छोटे से नगर मे मुख्यत रेल-मार्गों और इस्पात श्रमिकों ने मिल कर एक सहकारी योजना आरम्भ की। इस योजना ने नगर के एकमात्र अस्पताल को बन्द होने से बचा लिया, नगर के तीन-चौथाई परिवारो को अपना सदस्य बनाया, कई साहसी डाक्टरो को जन-परिचर्या के लिए आकर्षित करने मे सफलता प्राप्त की और अन्त मे, १९५६ मे अपने डाक्टरो के लिए चिकित्सा समिति की सदस्यता के रूप मे मान्यता भी प्राप्त कर ली।

१९४५ मे सेंट लुई मे लेबर हेल्थ इन्स्टीटयूट श्रमिक स्वास्थ्य संस्था (Labor Health Institute) बनाई गई। यह सस्था केवल एक स्थानीय श्रमिक के सदस्यो और उनके परिवारो तक ही सीमित थी और आज सारे सयुक्त

राज्य की किसी भी श्रमिक प्रायोजित योजना से सम्बद्ध अपने १५,००० सदस्यों को व्यापकतम परिचर्या प्रदान करती है। मालिक स्वास्थ्य और कल्याण-निधि मे जो अशदान करते है उससे इस योजना को चलाया जाता है। इस सस्था के सदस्यो का अस्पताल के बिलों का खर्च ब्लू क्रास बीमा करवाने के खर्च से कही कम होता है, क्योंकि सस्था का यह अनुभव है कि आवश्यकता पडते ही चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो जाने वालो को दूसरो की अपेक्षा कम बार अस्पताल जाने की जरूरत पडती है।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो यह बात आश्चर्यजनक नही, उचित ही प्रतीत होगी।

१९४६ मे युनाइटेड माइन वर्कर्स वेलफेयर एण्ड रिटायरमेण्ट फण्ड (सयुक्त खनि श्रमिक कल्याण एवं निवृत्ति निधि (United Mine Workers Welfare and Retirement Fund) को खान से निकाले गये प्रतिटन कोयले पर ४० सेंट मिलने लगा। निधि मे यह अंशदान मालिको की ओर से किया जाता था और आज भी किया जाता है। लेकिन कोयला खोद कर निकालते तो मजदूर ही है। खनिको एव उनके आश्रितो को उच्च कोटि की चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने एव निधि के धन का दुरुपयोग रोकने के बारे में अनेक प्रकार से आश्वासन दिये गए। अन्त मे यही उपाय ठीक समझा गया कि निधि मे काम करने के लिए ऐसे ही डाक्टरो का चुनाव किया जाए जो भले, निर्भरता योग्य और शुद्ध अन्तःकरण वाले हो, लापरवाह और काम करने मे अक्षम बूढ़ो को छोड़ दिया जाए। निधि के इस सही निर्णय ने बहुत से राज्यों की चिकित्सा समितियो मे खलबली मचा दी। कुछ राज्यों की विधान सभाओं ने तो ऐसे कानून बनाने की धमकियाँ दे डाली कि यदि कोई डाक्टर खनिकों की परिचर्या करेगा और निधि से इस काम का पैसा लेगा तो उसे जेल मे बन्द कर दिया जाएगा।

लेकिन न तो ऐसा कानून बना और न बनने की सम्भावना ही है।

इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि खनिक निधि ने देश के उन हिस्सों मे जहाँ चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ बहुत कम या नहीं के ही बराबर थी, लोगो के स्वास्थ्य के लिए काफी प्रशसनीय काम किया है।

चियान (Appaluchian) के पहाडी प्रदेश मे जहाँ पहले एक भी अच्छा अस्पताल नही था निधि ने दस वडे ही खूबसूरत वढिया अस्पताल निर्मित किया।

१९४७ वडा ही महत्वपूर्ण वर्ष था। उसी वर्ष (हेल्थ इन्श्योरेन्स प्लान आफ ग्रेटर न्यूयार्क (वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य वीमा योजना, Health Insurance Plan of Greater New york) ने, जिसे अँग्रेजी मे 'हिप' (HIP) भी कहते है, अपने सदस्यो की सेवा प्रारम्भ की। और उसी वर्ष महाद्वीप से उस ओर पगेट साउण्ड मे ग्रुप हेल्थ कोआपरेटिव्स (सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी) योजना शुरु की गई। आज ये दोनो ही योजनाएँ अपने-अपने क्षेत्र की लगभग ५ प्रतिशत जनता को व्यापक चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रही है।

सीटल योजना भी वाशिंगटन के सामूहिक स्वास्थ्य सगठन की ही तरह एक सच्चा सहकारी उद्यम है। इसके स्वास्थ्य केन्द्र और एक वढिया नया अस्पताल भी है और इनमे अधिकतर पूंजी सदस्यो की ही लगी हुई है।

न्यूयार्क की योजना 'हिप' वृहत्तर न्यूयार्क के सारे क्षेत्र मे अपने पाँच लाख से भी अधिक सदस्यो को अपेक्षित सेवाएँ प्रदान करने के लिए डाक्टरो के समूहो से करार करती है। इन डाक्टर-समूहो को प्रति व्यक्ति के हिसाव से पारिश्रमिक दिया जाता है —समूह-विशेष को चुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष इतने डालर।

जैसे-जैसे समय वीतता गया अधिकाश दूरदर्शी श्रमिक सघ स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या मे अभिवृद्धि करते गए, जिससे उनके सदस्यो का वहाँ रोग-निदान और मामूली किस्म के चल रोगो की परिचर्या की जा सके।

१९५१ मे फिलाडेलफिया का अमरीकी श्रमिको के महासघ की चिकित्सा सेवा योजना ने (American Federation of Labor Medical Service Plan of Philadelphia) उस वाधा को तोड दिया जो श्रमिक सघो की स्वास्थ्य योजनाओ को एक ही श्रमिक सघ के सदस्यो तक सीमित करने-वाली थी। इस योजना को प्रारम्भ ही इसलिए किया गया था कि इसमे हिस्सा लेने वाली किसी भी स्थानीय यूनियन की सेवा की जा सके। पहले आठ वर्षो के कार्यकाल के अन्त मे इस योजना से तीस से भी अधिक स्थानीय श्रमिक सघ और कोई ६० हजार लोग परिचर्या प्राप्त कर रहे थे। और

किया जिन्हे स्वास्थ्य सेवाओ की आवश्यकता थी, कुछ श्रमिक सघो के पदाधिकारियो द्वारा शुरु की गई, कुछेक को सार्वजनिक कार्यकर्ताओ ने, और कुछ को केवल डाक्टरो ने ही आरम्भ किया। लेकिन कोई भी सरक्षण-धन वापसी की अदायगी नही करता।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ' सहकार। शब्द के सही अर्थ मे तो पूरी तरह सहकारी नही ही है। कुछ है तो खुली सदस्यता वाले सहकारी सिद्धान्त की अवहेलना करती है, कुछ जनवादी नियन्त्रण के सिद्धान्त को भग करती है, और सरक्षण धन वापसी वाली कसौटी पर तो एक भी खरी नही उतरती।

लेकिन मूलत अपने सारभूत रूप मे वे सभी निस्सन्देह सहकारी ही है, क्योकि उन सभी मे सहकारिता की एक अत्यन्त आवश्यक विशेषता सदैव ही विद्यमान रहती है।

वे ऐसे उद्यम है जिनके स्वामी ही उनकी सेवाओ के उपभोक्ता भी है। इसलिए वे उद्यम न तो किसी व्यक्ति-विशेष के और न उस उद्यम के ही आर्थिक लाभ के लिए होते है। वे होते है एक जन-समूह की, कहना चाहिए कि अपने स्वामियो की न्यूनतम शुद्ध मूल्यो पर, जो व्यावहारिक भी हो, सेवा-यहाँ अभिप्राय है स्वास्थ्य-सेवा करने के लिए। और वे है पारस्परिक सहायता की परिकल्पना और सिद्धान्त को आचरण द्वारा अभिव्यक्त करने वाले ठोस, मूर्त रूप।

एक प्रकार से तो वे उक्त सिद्धान्त की सर्वाधिक प्रभावशाली अभिव्यक्तियाँ है, क्योकि किसी भी सामूहिक स्वास्थ्य योजना की सफलता अनिवार्यत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी निधि मे पैसा देने वाले स्वस्थ लोग भी काफी सख्या मे रहे, जिससे उनके रोग ग्रस्त साथी सदस्यो की परिचर्या का मूल्य चुकाया जा सके।

और यदि थोडा विचार किया जाए तो पता चलेगा कि यह विचार कितना श्रेष्ठ और कितना उदात्त है।

सक्षेप मे यह कि इन योजनाओ के द्वारा एक परिवार अपना पैसा बीमारी ो अच्छा करने के बजाय बीमारी से बचने और स्वास्थ्य को अच्छा बनाये

रखने मे खर्च कर सकता है। इन योजनाओ का उद्देश्य ही होता है ऐसे निरोधक उपायों को व्यवहार मे लाना जिससे लोगो को अस्पताल जाने की जरूरत हो न पडे; यह तो कदापि नही कि वे अस्पताल जाते रहे और वहाँ के बिलो का भुगतान करते रहे। पिछले तीस वर्षो मे केवल अस्पताल के ही नही सामान्यत स्वास्थ्य-चिकित्सा-सम्बन्धी सभी वस्तुओं के मूल्यो मे लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है, इसलिए स्वास्थ्य-परिचर्या पर पारिवारिक व्यय को कम करने का सिवाय इसके और कोई उपाय नही है कि लोगो को यथा सम्भव अस्पताल से दूर रखा जाए—किसी के वहाँ जाने की नोबत ही न आने पाए।

लेकिन अधिकाश व्यावसायिक बीमा योजनाएँ, यहाँ तक कि ब्लू क्रास और ब्लू शील्ड भी, लोगो को अस्पताल जाने के लिए सचमुच प्रोत्साहित करती है, क्योकि अनेक मामलो मे उन्हे अपने बीमा से पैसा तभी मिलता है जब वे अस्पताल मे भर्ती हो जाते हैं।

सहकारी ढग का स्वास्थ्य योजनाओ की कार्य-पद्धति इसकी ठीक उलटी वे चूँकि पैसा नही देती, जब, जहाँ और जैसी आवश्यकता हो उसी के अनु- चिकित्सा-परिचर्या प्रदान करती है, इसलिए उनके ये प्रयत्न अत्यन्त स्वाभा- ही है कि एक तो वे अपने ग्राहको को जितना भी हो सके भला-चगा , दूसरे, उन्हे अस्पताल मे भर्ती किये बिना ही श्रेष्ठ डाक्टरी सहायता जितना सम्भव है अधिक-से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी परिचर्या प्रदान , और सबसे अधिक तो यह कि उनके स्वास्थ्य का सरक्षण करके गम्भीर ा का निवारण करे।

और इस सम्बन्ध मे तथ्यों का जादू तो और भी सर पर चढ कर बोलता १९५६ मे देश व्यापी पैमाने पर ब्लू क्रास के प्रति हजार बीमाधारी ों ने औसत ९९५ दिन अस्पताल-परिचर्या का उपयोग किया। मिचिगन ह सख्या प्रति हजार बीमाधारी ११०० दिन थी। लेकिन इसके विप- पगेट साउण्ड के सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी के सदस्यो को प्रति हजार य केवल ५६२ दिन अस्पताल परिचर्या की आवश्यकता हुई, और वाशि- डी० सी० के सामूहिक स्वास्थ्य सघ मे तो सिर्फ ५४६ दिन। न्यूयार्क ा मे ब्लू शील्ड के प्रति १०० ग्राहकों मे से औसत १० को प्रति वर्ष अस्प-

ताल मे भर्ती होना पडता है जब कि वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना के ग्राहकों का यह औसत केवल ८ प्रतिशत ही है।

इतना ही नहीं, ये योजनाएँ दूसरे ढग से मूल्यों का नियन्त्रण भी करती है। उदाहरणार्थ अस्पताल परिचर्या के कुल बिल का २१ प्रतिशत तो दवाइयों का मूल्य ही होता है और इस अनुपात मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। फिर बिल की दूसरी भी बहुत-सी कीमते जबर्दस्ती बढा-चढा कर लिखी जाती है, जो सरासर ज्यादती है और जिसे जबरिया वसूली ही समझना चाहिए, क्योंकि उन वृद्धियो का दवाइयों अथवा कर्मचारियों की श्रेष्ठता अथवा सेवा के विस्तार और उन्नति से रच-मात्र भी सम्बन्ध नही होता।

इन दवाइयों की कीमत इतनी अधिक तो कदापि नही होनी चाहिए जितनी कि लगाई जाती है, और यह बात अमरीकी सीनेट की केफौवर समिति के समक्ष १९५९ और १९६० मे दिये गए बयानों से बहुत ही अच्छी तरह सिद्ध भी हो चुकी है।

सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ इस सम्बन्ध मे बहुत-कुछ कर सकती है। उदाहरणार्थ, पगेट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी का अपना ही औषधालय (फारमेसी) है। इस औषधशाला ने १९५८ मे जितने नुसखे बनाये उनका औसत मूल्य प्रति नुसखा १ १५ डालर हुआ, जब कि राष्ट्रीय औसत मूल्य २.६२ डालर था। इस प्रकार इस सहकारी के सदस्यों को दवा-दारू पर लगभग आधे की बचत हुई, जो उन्हे इस व्यवस्था के न होने पर दूसरी जगह अवश्य ही देनी पडती। अपने लिए नुसखे बनाने का व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय करके ही वे यह सारी बचत कर सके।

उतने ही मूल्य की दवाई के यदि दूने दाम देने पडे तो वह सारी अतिरिक्त रकम निरोधक परिचर्या, पुनर्वास सेवाओं, दन्त चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा आदि के विस्तार अथवा विकास पर या लोगो की स्वास्थ्योन्नति के दूसरे किसी भी काम मे खर्च करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।

एक बुधवार के दिन तीसरे पहर शहर के सम्पन्न उपनगर मे किसी महिला का हाथ डिब्बे का ढक्कन काटते समय बुरी तरह से कट गया। उन्होंने डाक्टर को बुलाने का प्रयत्न किया। सम्भ्रान्तो की उस बस्ती मे डाक्टरो की

कमी नही थी। सारे देश की तरह वहाँ भी डाक्टरो का औसत प्रति व्यक्ति दो डाक्टर था। लेकिन बुधवार को डाक्टर लोग छुट्टी रखते और गोल्फ खेलने चले जाते है। पीडित महिला को बड़े प्रयत्नो के बाद एक डाक्टर के सचिव से टेलीफोन पर सम्पर्क हो पाया। उसने सलाह दी कि वे दस मील दूर दूसरे उपनगर मे अपनी मोटर से चली जाएँ, वहाँ एक अस्पताल है और सम्भवतः बुधवार की शाम को भी कोई-न-कोई चिकित्सा कर्मचारी उन्हे वहाँ मिल जाएगा।

यदि वे महिला टूहार वर्स, (मीन्नोसोटा) के कम आय वाले समुदाय के साथ निवास करती होती तो उन्हे अपने लहू-लुहान हाथ को लिये मोटर चला कर दस मील न जाना पडता। वहुत अधिक सम्भावना तो इसी बात की थी कि उनका परिवार टू हारवर्स की सामुदायिक स्वास्थ्य योजना का सदस्य स्वामी होता। लेकिन वे सदस्य भी न होती तो भी सहकारी चिकित्सालय को टेलीफोन कर सकती थी और उन्हे कोई-न-कोई डाक्टर बुधवार के दिन-भी ड्यूटी पर या टेलीफोन पर अवश्य मिल जाता।

क्योंकि जहाँ भी इस तरह की योजना प्रचलित होती है साल के हर दिन चोवीसो घण्टे कोई-न-कोई डाक्टर ड्यूटी पर रहता ही है।

कितना वडा अन्तर है ? सम्पन्न उपनगरो मे सेवालो शुल्क दो, आपतो चिकित्सा, हर डाक्टर ओर हर रोगी अपने-अपने भरोसे वाली वही पुरानी पद्धति अभी तक चली आ रही है। इसके विपरीत लेक सुपीरियर के वोरान किनारो पर बसे रेलरोड और इस्पात श्रमिको के अपेक्षाकृत विपन्न नगर मे चिकित्सा परिचर्या पर खर्च किये गए थोडे से डालरो से लोगो के लिए अधिक अच्छी और अधिक निर्भरता योग्य चिकित्सा परिचर्या क्रय की जाती है।

इसका कारण यही है कि लोगो ने पारस्परिक सहायता के—अपनी ही स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अपनी ही स्वास्थ्य परिचर्या पर मिल-जुल कर रुपया खर्च करने के महत्त्व को समझा ही नही है अजमा कर देख भी लिया है।

स्वास्थ्य सूचना प्रतिष्ठान (Health Information Foundation) की सूचना के अनुसार १९५८ मे निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर ओसत पारिवारिक

खर्च २९४ डालर था। इतनी रकम खर्च करके भी अधिकाश परिवारो को केवल मध्यम कोटि की ही स्वास्थ्य परिचर्या मिल रही थी। वे यह सारी रकम आयाती आधार पर चुका रहे थे—प्राय. बहुत अधिक बीमार हो जाने के बाद ही, जब डाक्टर के पास गये विना कोई चारा नही रह जाता।

लेकिन २८० डालर कम नही होते। इतनी रकम मे तो देश की किसी भी श्रेष्ठतम और अत्यधिक व्यापक किस्म की सहकारी स्वास्थ्य योजना को वार्षिक सहायता का पूरा चन्दा बडे मजे मे दिया जा सकता है। कुछ योजनाओ का चन्दा तो २८० डालर से भी कम है। हाँ, कुछक का अधिक भी है।

अमरीकी जनता के काफी बड़े हिस्से को अधिक अच्छे प्रकार की स्वास्थ्य-परिचर्या मिल सके और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चमत्कारी लाभ उन्हे सुलभ किये जा सके इस के लिए न तो अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है और न सरकार के द्वारा कानून ही बनाये जाने का।

वास्तव मे इसके लिए आवश्यकता है लोगो के समझदार और दूरदर्शी होने की, उनके द्वारा सामूदायिक विचार और दृष्टिकोण के अपनाये जाने की एव अपनी स्वास्थ्य-परिचर्या-सम्बन्धी आश्यकताओ तथा उनका मूल्य चुकाने के लिए अपने रुपयो का मिल-जुलकर निकाय करने की।

उन चिकित्सा चमत्कारो को बहुजन सुलभ बनाने के लिए वास्तव मे आवश्यकता है हम मे से अधिकाधिक लोगो द्वारा उस हेतु को आधुनिक ढग से अपने आचरण मे उतार लेने की, जिससे अनुप्राणित होकर पुरोगामी महिला पडोसी की झोपडी मे बीमार बच्चे की सुश्रूषा के लिए पहुँच जाया करती थी।

ठीक इन्ही उद्देश्यो को कार्यान्वित करने वाला एक राष्ट्रीय सगठन भी है। उसका नाम है अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ (Group Health Association of America)। देश की बडी-बडी सहकारी, सामूदायिक और श्रमिक स्वास्थ्य योजनाएँ इस सघ की सदस्य है। सघ का कार्यक्रम है सामूहिक प्रैक्टिस, पूर्व अदायगी, व्यापक रूप की तात्कालिक सेवा-परिचर्या और उपभोक्ता के स्वत प्रेरणा को प्रोत्साहित करना। इसीलिए अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ की प्रगति ही वह पैमाना है जिससे अमरीका को अधिक स्वस्थ बनाने की दिशा मे उठाये गए इन सुविचारित कदमो की प्रगति को नापा जा सकेगा।

विशाल जन-सहायता वाला यह सगठन ही १९५९ से चिकित्सा परिचर्या के उपभोक्ताओ का प्रमुख,एक मात्र कहना ज्यादा सही होगा, हित सरक्षक और प्रवक्ता है। क्योकि १९५९ मे ही दो सगठनो ने मिलकर इस अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ का निर्माण किया था। उनमे से एक था अमरीकी श्रमिक स्वास्थ्य सघ, (American Labour Health Association); सयुक्त राज्य की प्राय: सभी श्रमिक-सघ प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रशासक एव प्रतिनिधि इस सगठन के सदस्य थे। दूसरा था अमरीका का सामूहिक स्वास्थ्य महासघ (Group Health Federation of America), यह ज्यादा बडा और ज्यादा पुराना सगठन था और १९४६ मे कुछेक श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओं और सयुक्त राज्य तथा कनाडा की दो-एक को छोडकर अधिकाश महत्त्वपूर्ण सहकारी एव सामुदायिक स्वास्थ्य योजनाओ को सम्मिलित कर सहकारी स्वास्थ्य महासघ (Co-operative Health Federation) के नाम से इसकी नीव डाली गई थी।

---

४ | घर और पड़ोस

हमारी अर्थ व्यवस्था मे आज ऊपर से सब-कुछ ठीक होने की जो स्थिति-आर्थिक स्वास्थ्य-दिखाई देती है वह नितान्त भ्रामक है। वास्तव मे हमारी अर्थ-व्यवस्था को गहरी बीमारी लग चुकी है। जिस मूल्य पर बेचने के आग्रह के साथ अमरीकी उद्योग जो उत्पादन कर रहा है उसकी निकासी का बाजार बहुत ही नगण्य है; क्योंकि हमारा उद्योग उसी परिमाण मे जनता की क्रयशक्ति को पैदा नही कर पा रहा है। समग्र मूल्यों और समग्र सार्थक माँग के बीच की खाई वास्तव मे बहुत चौडी है। यह खाई पैदा हुई है हमारी अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक माल के 'व्यवस्थापित' अधिमूल्यन की रीति और व्यवसाय के अन्दर से ही पूंजीगत खर्चों के लिए उनका लागत माल के उपभोक्ता मूल्य मे जोडकर, आन्तरिक वित्तिय-प्रबन्ध की पद्धति से।

सयुक्त राज्य इस्पात कारपोरेशन (United States Steel Corporation) ने 'इस्पात और मुद्रा स्फिति से सम्बन्धित तथ्य एव कपोल कल्पनाएँ' नामक अपने एक वक्तव्य मे स्वय ही कहा है कि हमारी अर्थ व्यवस्था मे सभी कीमतो का ८८ प्रतिशत 'व्यवस्थापित' है।

जहाँ पर सपत्र (प्लाट) के लिए निवेश की वित्त-व्यवस्था आन्तरिक स्रोतो (साधनो) से, अर्थात् व्यवसाय से नि सृत निगम अधिशेषो से की जाती है, वहाँ यह एक साधारण-सा तथ्य है कि ऐसे सपत्रो की लागत उन उद्योगो के उत्पादनो के उपभोक्ताओं द्वारा ही चुकाई हुई होती है। एकाधिकारी लाभ उत्पादित माल के समग्र मूल्यो एव उपभोक्ताओ की सार्थक क्रय शक्ति के बीच की खाई के विस्तार का निर्धारित करते है, और नई पूंजी जमा किये बिना सपत्र के लागत की वित्तीय व्यवस्था उस खाई का एक घटक है।

उस खाई को बहुत-कुछ अशो मे निम्न उपायो से पाटने का प्रयत्न किया जा रहा है : सारे सैनिक खर्चे और उपभोक्ता ऋण मे वृद्धि और बन्धक तथा लम्बी

अवधि के ऋण मे बहुत अधिक मात्रा मे वृद्धि और स्थानीय, राज्य की अथवा सघ की सरकार के घाटे और वे हानियाँ जो छोटे एव प्रति स्पर्धी व्यवसायों को लागत से कम मूल्य पर अपना माल बेचने की विवशता के कारण होती है, जैसा कि हमारे किसानों को आमतौर पर मजबूर होकर करना पडता है।

लेकिन इतनी बड़ी आर्थिक सहायता के बावजूद हमारे निर्माताओं को अपने माल के धारा प्रवाह उत्पादन को खपाने के लिए बहुत बडे पैमानो पर बहुत खर्चीले और अजीबोगरीब विज्ञापनों एव बिक्री बढाने के अन्य अनेक साधनो को काफी अधिक मात्रा मे अपनाना पडता है।

यही स्थिति बनी रही तो हमारी अर्थ-व्यवस्था का शीघ्र अन्त हो जाएगा।

और सच तो यह है कि यदि उपभोक्ता ऋण का इतना अधिक फैलाव न होता और हमारी जनसख्या मे इतनी तेजी से वृद्धि न हो रही होती तो अन्त कभी का हो भी जाता। अमरीकी परिवार इतने विलासप्रिय और शौकीन तो हो ही सकते है और सम्भवत है भी जो यह सोचे कि उनमे से हरएक के पास दो-दो मोटरे, दो-दो टेलीविजन, एक बहुत बढिया रेफ्रिजरेटर और उपनगर मे काफी महँगा मकान होना चाहिए। लेकिन आज या आगे कभी भी कोई भी परिवार तीन या चार मोटरे, चार या पाँच टेलीविजन सेट, एक से अधिक रेफ्रिजरेटर या पचास हजार डालर से अधिक महँगा मकान नही खरीद सकता। विलास वस्तुओं की खपत की भी अपनी सीमाएँ है। एक सीमा तो यही कि औसत युवा परिवार पारिवारिक ऋण का बोझ केवल एक हद तक ही बढ़ा सकता है, उससे अधिक नही। दूसरी सीमा है जिस उपहासास्पद वस्तु-पूजा के फेर मे हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था ने हमे डाल रखा है उसके प्रति स्वस्थ, स्वाभाविक विरक्ति का भाव, जिसके चिन्ह अब निश्चित रूप से दिखाई देने लगे है। और जहाँ तक मोटरो का प्रश्न है वे तो अधिक इसलिए नही बिक पाती कि खरीदार के लिए उन्हे खडा रखने की जगह पाना सचमुच ही असम्भव होता जा रहा है। इसी कष्ट के कारण तो लोग सार्वजनिक यातायात का अधिकाधिक उपयोग करने लगे है और बहुत कुछ पैदल आवागमन का भी।

सौभाग्य से इस असन्तुलन को काफी हद तक सुधारने का उपाय है और उ[illegible] उपयुक्तता प्रमाणित भी हो चुकी है। सुधार का वह उपाय है—

यीत्व को लाखो लोगो मे विस्तारित कर देना। इससे लोग ऐसे कुछ औद्योगिक सयन्त्रो के स्वामी वन सकते है जिनकी कीमत वास्तव मे वे स्वय ही चुका रहे होते है। यह लोक समूहो द्वारा व्यावसायिक उद्यमो का ऐसा सगठन है जिसका सुनिश्चित प्रयोजन उन्ही लोगो की माँगो को पूरा करना है। यह **उपभोक्ता-दिदेशित उत्पादन** और वस्तुओ तथा सेवा का वितरण है। सुधार का यह उपाय अधिकाधिक मात्रा मे एक प्रकार की ऐसी प्रतिद्वद्विता को जन्म देता है जिसे एकाधिकार न तो डरा पाता है और न खरीद ही सकता है, वल्कि जो वर्तमान स्थिति की वहुत वडी खराबियो को केवल इसलिए ठीक कर सकती है, कि वह होती ही है लोगो की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए, न कि उनकी सनको से अनुचित लाभ उठाने के लिए। व्यावसायिक सगठन के जिस रूप के द्वारा इस सुधार को कार्यान्वित किया जाता है वह सहकारी अथवा पारस्परिक व्यवसाय कहलाता है।

उदाहरण देना ठीक रहेगा।

१९६० को १६ फरवरी को न्यूयार्क के गवर्नर नेल्सन राक फेलर ने यह घोषणा की कि जमैका (लाग आइलैण्ड) के घुडदौड मार्ग पर ६३०० गृह-इकाइयाँ शीघ्र ही निर्मित की जाएगी। उन्होने यह भी घोषणा की कि इस वस्ती का नाम रोशडेल (इगलैण्ड) मे, १८४८ मे, पहली उपभोक्ता सहकारी स्थापित करने वाले २८ गरीब बुनकरो के सम्मान मे रोशडेल ग्राम रखा जाएगा। गवर्नर महोदय ने अपनी घोषणा मे यह भी वताया कि इस निर्माण-योजना के लिए आवश्यक बन्धक पूँजी की व्यवस्था मुख्य रूप से जिन तीन स्रोतो से की जाएगी वे है राजकीय शिक्षाको की निवृत्ति निधि से २ करोड ८० लाख डालर, राजकीय कर्मचारियो की निवृत्ति विधि से भी लगभग इतनी ही रकम, और राजकीय गृह एव अवास विभाग से १ करोड ८० लाख डालर।

उन्होने यह भी कहा कि देश और सम्भवत विश्व की इस सबसे वडी सहकारी गृहनिर्माण योजना का प्रयोजक, निर्माता और उन्नायक सयुक्त आवास प्रतिष्ठान (United Housing Foundation) रहेगा।

गवर्नर महोदय की घोषणा को २४ घण्टे भी पूरे नही हो पाये थे कि युक्त आवास प्रतिष्ठान के पास दो हजार से भी अधिक आवेदन-पत्र पहुँच

गए। ये उन लोगो ने भेजे थे जो ६२९९ अन्य परिवारो के साथ रोशडेल ग्राम मे रहने और उसके स्वामी बनने के इच्छुक थे। इन लोगों ने इमारतो के नक्शे अथवा चित्र नही देखे थे। इन्हे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि अपने नये मकानो मे रहना शुरू करने पर उन्हे पहली बार नकद और बाद मे मासिक कितनी रकम देनी होगी। और अधिकतर लोग तो पहली बार की नकद रकम उसी समय देने को तैयार थे।

इसका कारण क्या था ?

कुछ तो यह कि सयुक्त राज्य मे मध्य और निम्नवित्त परिवारो की अच्छे पडोस मे अच्छे मकान पाने की विशिष्ट आर्थिक मॉग आज भी पूरी नही हो पाई है।

और कुछ यह कि रोशडेल ग्राम संयुक्त आवास प्रतिष्ठान द्वारा हाथ मे ली जाने वाली दूसरी गृह निर्माण योजना थी और जनता का इस प्रतिष्ठान मे विश्वास था और लोग जानते थे कि जो मकान बनाये जाएँगे वे मुनाफे पर बेचने के लिए नही होगे, बल्कि ज्यादा-से-ज्यादा परिवारो को अच्छे पडोसियों वाले अच्छे मकान इतने लागत मूल्य पर दिये जाएँगे जो उन्हे भारी नही पडेगा।

साथ ही न्यूयार्क सिटी के निवासियो को यह अनुभव भी हो चुका था कि उपभोक्ता प्रायोजित सहकारी निर्माण योजना के अन्तर्गत जो मकान बनाये जाते है वे लोगो की गृह-सम्बन्धी मॉग को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन के लिए नही होते। इस प्रकार का गृह-निर्माण उपभोक्ता-निदेशित उत्पादन का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। इस ढग पर जिन वस्तुओ अथवा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे उत्पादन के पूर्व ही बिक जाती है, जैसा कि रोशडेल ग्राम के उन मकानो का हुआ जिनका अभी अस्तित्व भी नही था।

यहाँ थोडा स्पष्टीकरण आवश्यक है।

आज कोई १ लाख ४० करोड़ अमरीकी परिवार या तो रद्दी या फिर गन्दी बस्तियॉ वाले मकानो मे रहते है। और बहुत से परिवार तो अपना मकान खरीदने के लिए सामर्थ्य से बहुत अधिक पैसा खर्च करके ही इस दुर्भाग्य से बच पाये है। फिर भी हमारी कुछ महानगरियो मे मकान बनाने सम्बन्धी रोजगारो मे बहुत ज्यादा बेकारी है।

इस सब के दुहरे कारण हैं। एक तो यह कि हम काफी सख्या मे नये मकान नही बना रहे और न महानगरो के कलक स्वरूप गन्दी वस्तियो को ही साफ करने की दिशा मे काफी-कुछ कर रहे हैं। दूसरे यह कि जो भी मकान बनायें गए उनमे से अधिकतर बहुत महँगे और विलास की चीज हो गए हैं। १५ हजार डालर से कम कीमत वाले मकान अपेक्षाकृत बहुत ही थोडे है—लगभग नही के बराबर। उतना महँगा मकान खरीदने के लिए एक परिवार की कम-से-कम वार्षिक आय ७ हजार डालर होनी चाहिए, जब कि इतनी आय वाले परिवार अमरीका मे अल्प सख्या मे ही हैं।

हमारा गृह-निर्माण उद्योग जैसे मकान चाहता है बनाता है, जो कीमत चाहता है वसूल करता है, आम तौर पर वह इस बात की परवाह ही नही करता कि लोग क्या चाहते हैं और कितना दे सकते हैं।

इसलिए कुछ बुद्धिमान लोगो ने इस सारी प्रक्रिया को ही उलटने और ऐसे मकान बनाने की सोची जिनकी लोगो को जरूरत है और कीमत भी उनकी पहुँच से परे न हो। इसको करने का एकमात्र सही ढग यही है कि जिन लोगो को मकानो की आवश्यकता है उन्ही को इस सम्बन्ध मे निर्णय भी करने दिया जाए। दूसरे शब्दो मे यह कि मकान चाहने वालो की सहकारी सस्था बनाई जाए, उनकी आवश्यकता और जेब का पूरा-पूरा ध्यान रख कर मकान बनाये जाएँ और जब मकान बनकर तैयार हो जाएँ तो सहकारिता के आधार पर उन्ही को उनका कब्जा दे दिया जाए।

ऐसी हालतो मे बिक्री के लिए एँडी-चोटी का जोर लगाने की कोई जरूरत न होगी। बनने से पहले ही वे मकान उनमे रहने वाले परिवारो के होजाते हैं।

न्यूयार्क के निचले ईस्ट साइड का एक पूरा हिस्सा इसी पद्धति का अवलम्बन करके गन्दी वस्ती मे सुन्दर मकानो वाली शरीफ आदमियो और भले पडोसियो की आबादी मे बदल दिया गया है। इन मकानो को बनाने की लागत व्यावसायिक ढग पर बने मकानो की अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत कम हुई है। इन सहकारियो मे चार कमरो वाले हिस्सो का औसत मासिक शुल्क सारी लागते (खर्चे) जोड कर ६० से ७० डालर है, जो ७२० से ८०० डालर प्रति वर्ष हुआ। जिन परिवारो की वार्षिक न्यूनतम आय ४ हजार डालर है वे सिर पर

सबसे पहले तो इन पोशाक मजदूरों ने यह हिसाब लगाया कि जिन खस्ताहाल कमरो में वे अभी अपने परिवारों के साथ रहते है उनको कुल किराया कितना देना पडता है। सम्मिलित किराये की इस रकम को उन्होंने अपनी पूँजी बनाया। फिर उन्होंने यह पता लगाया कि न्यूयार्क क्षेत्र मे रिहायशी कमरो वाली इमारतें बनाने की लागत क्या बैठती है। उन्होंने यह भी मालूम किया कि बन्धक पूँजी की दरे क्या हैं। इस सारी खोज-बीन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि हमी अपने गृह-स्वामी बन सके अर्थात् स्वय मकान बनाये और स्वय ही उनके स्वामी बन जाएँ तो रहने को बढिया मकान भी मिलेंगे और पैसा भी बचेगा। अन्त मे योजना को विधिवत रूप देने और विशेष रूप से यह पता करने के लिए कि रुपया कहाँ से उधार मिल सकता है, उन्होंने एक समिति नियुक्त कर दी। सौभाग्य से इस सारे उद्यम की व्यवस्था करने के लिए उन्हे अब्राहम ई० कजान मिल गए, जो कद मे तो अवश्य छोटे परन्तु सूझ-बूझ और दूरदर्शिता मे पर्वताकार है। पोशाक मजदूरो ने उन्ही को अपना व्यवस्थापक चुन लिया।

कजान जो आजकल सयुक्त आवास निगम के अध्यक्ष है, तभी से अमरीका मे सहकारी गृह निर्माण अध्यवसाय की मुख्य प्रतिभा और प्रमुख प्रेरणा रहे है।

उस पुरोगामी प्रयत्न का प्रतिफल हुआ अमलगामेटेड हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना के रूप मे, इसी निगम ने वान कार्ट लैंग्ट पार्क के किनारे रिहायशी कमरो वाली इमारत प्रायोजित और निर्मित की। एक सहानुभूति रखने वाली बैंक, जो इस योजना के महत्त्व को समझती थी, उसने बन्धक पर कर्ज देना स्वीकार कर लिया। बैंक के लिए यह निवेश बडा ही सुरक्षित और बिना जोखिम का सिद्ध हुआ। आगे चल कर उसने ऐसे और भी बहुत से निवेश किये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यूयार्क के किसी भी सहकारी गृह-निर्माण सघ ने एक भी किस्त चुकाने मे कभी देर नही की—ब्याज और पूरा मूल धन उनके द्वारा हमेशा ठीक समय पर चुकाया जाता रहा है।

यह अमलगामेटेड निर्माण योजना बहुत ही सफल रही। बहुत ही कम लागत पर इसने अच्छे मकान ही उपलब्ध नही किये, अमरीका के सबसे बडे नगर के बीच मे सच्चे पडोसियों और अच्छे पडोस का भी सृजन किया। इसने

अच्छे पडोसियो वाली एक ऐसी वस्ती का निर्माण किया जहाँ सभी विषयो पर विचार-गोष्ठियाँ और भाषण-मालाएँ आयोजित की जाती है, जहाँ बच्चो के लिए बाल मन्दिर और सैर-सपाटो (समर कैम्प्स) का प्रबन्ध किया जाता है, जहाँ पडोसी ही पडोसियों के पारस्परिक लाभ के लिए सहकारी खाद्य भण्डार, साख-सघ और बीमे का काम सचालित करते है। उद्यानो, निकुजो और इमारतो पर चढी अगूरी लताओ पर यहा के परिवारो को वडा नाज है। अपनी वस्ती को साफ सुथरा रखने और उसकी देख-भाल करने मे यहाँ के निवासी बडे गौरव का अनुभव करते है इसीलिए सहकारी स्वामीत्व वाली इमारतो के रख-रखाव का खर्च प्राय किराये पर उठाई गई मालिकाना इमारतो अथवा सरकारी स्वामीत्व वाले निवास भवनो की अपेक्षा आधा ही पडता है।

लेकिन अमलगामेटेड के गृह-स्वामियो और उनके-जैसे अन्य गृह-समूहो के सम्बन्ध मे जो सबसे महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है वह यह कि वहाँ अपराध अथवा अपचार बहुत ही कम मात्रा मे पाये जाते है। वान कार्टलैण्ड पार्क के वर्तमान निवासियो मे से तीन चौथाई परिवार या तो वे ही है अथवा उनके वंशज जो १९२६ मे यहा रहने के लिए आये थे। मगर वहाँ पर भीषण अपराध का एक भी मामला या बाल अपचार का कोई भी गम्भीर काण्ड आज तक नहीं हुआ।

सहकारी गृह स्वामीत्व अपने पडोसियो पर गर्व और अभिमान की भावना को जन्म देता है। बिलकुल स्वाभाविक भी है। अच्छे मकान और अच्छे पडोस उपलब्ध करने मे पारस्परिक सहायता की भावना असन्दिग्ध रूप से एक ऐसी सामूहिक नैतिकता। और आचरण संहिता के ऐसे मानों का सृजन करती है जिनके सामाजिक मूल्यों को आंकना सरल नहीं है।

जैसे-जैसे समय बीतता गया अमलगामेटेड आवास निगम अपने मूल भवन-समूह मे कई नये भवनो की वृद्धि करता चला गया।

विकास की गति मे तेजी नही आ पायी। फिर इटर नेशनल ब्रदर हुड आफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स ओर इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स जैसे शक्तिशाली श्रमिक सगठनो ने इसमे रुचि लेना आरम्भ किया। कुछ वडे-वडे साखसघ और अन्य सहायता-सगठन भी इस ओर झुके। और इन सव की रुचि केवल निर्माण योजनाओ को प्रायोजित करने तक ही सीमित नही रही, ये वन्धक वित्त की व्यवस्था भी करने लगे। कुछ वीमा कम्पनियाँ भी निर्माण योजनाओ के लिए वित्तीय प्रवन्ध करने के कार्य मे सम्मिलित हो गई। अधिकाश निर्माण-कार्य निम्न ईस्ट साइड के कोरलिथर्स हूक विभाग मे ही केन्द्रित रहे। किसी जमाने मे यह घनघोर गन्दी वस्तियो वाला क्षेत्र था, लेकिन १९६० तक सहकारी गाम (कोआपरेटिव विलेज) के नाम से सुविख्यात चहल-पहल ओर सुषमा-सोन्दर्य से भरी सहकारी वस्ती मे परिवर्तित हो गया, ५ हजार परिवार इसके रिहायशी कमरो के स्वामी है, कई साख-सघ उनकी विभिन्न आवश्यकताओ को पूरा करती है, सहकारी स्वामित्व का वहुत ही वढिया वृहद् भण्डार (सुपर मारकेट) है ओर वच्चो के लिए कई शानदार क्रीडागण भी।

दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने से पहले ही न्यूयार्क के निवासियो के मन मे यह वात घर कर गई थी कि सहकारी गृह-निर्माण वहुत ही वढिया वात है।

लेकिन युद्ध के दिनो मे गृह-निर्माण का कार्य कुछ भी नही हो पाया, जो स्वाभाविक ही था। हर महीने आवश्यकताएँ वढती गई, और साथ ही वहुत से परिवारो की वचत राशियाँ भी। इसलिए जैसे ही शान्ति स्थापित हुई इस दिशा मे क्रियाशीलता की लहर-सी उमड पडी। लेकिन निर्माण-कार्य अव भी न्यूयार्क सिटी मे ही केन्द्रित रहा। ओहियो के डैटन, इडियाना के साउथ वैण्ड, टेक्सास के डललास और कुछ अन्य स्थानो मे सामरिक श्रमिको के लिए निर्मित सरकारी मकानो मे रहने वाले किरायेदारो ने अपने-अपने सहकारी सघ वनाकर उन किराये के मकानो को सरकार से खरीद लिया। लेकिन जितने अच्छे और सुविधाजनक कानून न्यूयार्क मे थे वैसे और कही नही थे। न न्यूयार्क के अतिरिक्त कही पर खाली जमीन को आनन्दित पडोसियो को सुख-चैनवाली वस्तियो के रूप मे परिवर्तित करने वाली सहकारी गृह निर्माण की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण ही उपलब्ध था, और न कही

ही परिवार उन इमारतो के स्वामी भी थे, जो सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के प्रयत्नो का ही सुफल था। साफ दिखाई दे रहा था कि आगामी कुछ वर्षो में यह सख्या तिगुनी हो जाएगी। अमल्गामेटेड श्रमिको के अतिरिक्त अन्य श्रमिक सगठनो ने भी इस काम मे रुचि दिखाई। इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन ने निम्नतर ईस्ट साइड मे इल्वु ग्राम नामक एक निर्माण योजना प्रायोजित की और उसके लिए डेढ करोड डालर का वन्वक ऋण भी प्रदान किया। १९५६ मे जव यह ग्राम अपने सरक्षको को सौंपा गया तो उन उद्-घाटन समारम्भ मे, न्यूयार्क से सयुक्त राज्य की सीनेट के दोनो सदस्य, नगर के महापौर (मेयर), नगर परिषद् के अध्यक्ष (Borough Council), अनेक काग्रेसमैन, अमरीकी श्रमिक महासघ (American Federation of Labour) के अध्यक्ष, श्रीमती फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट एव राज्य तथा राष्ट्र के अनेक नेतागण उपस्थित थे। और वहाँ उपस्थित सभी ने इस वात को निर्विवाद रूप मे स्वीकार किया कि सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के ढग पर गिया गया सहकारी गृह निर्माण अमरीका के नगर जीवन के लिए, वडे महत्त्व का रचनात्मक कार्य है।

इसका प्रमुख कारण तो यही था कि इस प्रकार की गृह-निर्माण योज-नाओ मे सम-स्वामीत्व का क्रमिक अधिकार प्रदान करते जाने वाले अश (साम्या-स्वामीत्व) समेत जो मासिक धन-राशि ली जा रही थी वह इसी कोटि के व्याव-सायिक मकानो के सादे किरायो की अपेक्षा २० से ३० प्रतिशत कम थी और अव भी है। और इस कमी या बचत का बुनियादी कारण यही है कि सहकारी गृह-निर्माण मकानो का उपभोक्ता-निदेशित उत्पादन होता है—एक ऐसा उत्पादन जो वास्तविक आवश्यकताओ के ही आधार पर ठीक-ठीक तुष्टि के लिए आव-श्यकताग्रस्त लोगो के द्वारा ही किया जाता है।

यह सच है कि न्यूयार्क मे दूसरे किसी भी लाभार्जन-विहीन मकान की ही तरह सहकारी मकान को भी कर मे कुछ छूट दी जा सकती है। इस तरह का कानून दूसरे किसी भी राज्य मे नही है। और सहकारी मकान के लिए विशेष प्रकार का कर-प्रावधान तो निश्चित रूप से कही भी नही है। दूसरे किसी भी प्रकार के मकान को जितने कर देने पडते है ठीक उतने ही सहकारी मकान

भी चुकाता है। लेकिन न्यूयार्क मे किसी भी प्रकार का लाभार्जन विहीन मकान, जिसमे सहकारी मकान भी समाविष्ट है, पच्चीस वर्षो के लिए कर मे छूट पाने की अर्हता प्राप्त कर सकता है। यह कर से मुक्ति तो किसी भी प्रकार नही है। न्यूयार्क के कानून के अन्तर्गत लाभार्जन-विहीन मकानो को इतनी छूट अवश्य दी गई है कि वे पच्चीस वर्षो तक उतना ही कर दे सकते है जितना कि नया निर्माण होने से पहले उस सम्पत्ति से लिया जा रहा है। इससे सदस्य-स्वामियो से ली जाने वाली मासिक धनराशि को न्यून करने मे कुछ सहायता अवश्य मिल जाती है, लेकिन इसे सहकारी मकानो को दी गई 'विशेष सुविधा' तो कदापि नही कहा जा सकता। यह केवल विशेष प्रावधान है, जो न्यूयार्क के कानून मे लाभार्जन-विहीन मकानो के लिए किया गया है।

युद्धोतर काल मे इस क्षेत्र मे सयुक्त आवास प्रतिष्ठान अकेला ही काम नही कर रहा था। मध्यवित्त आवास निगम (Middle Income Housing Corporation) ने भी कई धार्मिक एव शैक्षिक सस्थाओ द्वारा प्रायोजित मार्निंग साइड हाइट्स् हाउसिग कोआपरेटिव के निर्माण, विकास और अधिभोग (दखल किये जाने के कार्यो) के निर्देशन द्वारा कार्यारम्भ किया। इसके वाद नगर ओर राज्य के साख-सघो द्वारा प्रायोजित चैथम ग्रीन हाउसिग कोआप-रेटिव ने कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय साख सघ के नेता विलीयम रीड, जो आगे चल कर न्यूयार्क सिटी आवास आयोग के अध्यक्ष हुए, मध्यवित्त आवास निगम के सभापति वनाये गए।

सयुक्त आवास प्रतिष्ठान की कमियो को काफी हद तक सहकारी आवास प्रतिष्ठान (The Foundation for Co-operative Housing) ने एक दूसरी दिशा मे पूरा किया। सहकारी आवास प्रतिष्ठान की स्थापना चिनरजो कार्लटन ने की, जो जन-सेवी नागरिक नेता और एक उपभोक्ता-अभिप्रेरित स्वास्थ्य वीमा कम्पनी के अध्यक्ष है, इस प्रतिष्ठान को चलाने के लिए पूंजी का अधिकाश प्रवन्ध भी उन्होने किया। सहकारी आवास प्रतिष्ठान ने सारे राष्ट्र मे अपनी नजर दौडाई और सामान्यत. राष्ट्रीय आवास समस्या पर विचार किया और तव सारे देश मे कही पर भी सहकारी गृह निर्माण के सचालन मे सलाह और सहायता देने के लिए तैन हुआ। इसका नाम

आवास प्रतिष्ठान की अपेक्षा कम गहन और अधिक व्यापक है, जिन निर्माण योजनाओ को यह कार्यान्वित करता है उनमे सहकारिता के सभी सिद्धान्तो को लागू किये जाने का इसका विशेष आग्रह भी नही रहता। इसका उद्देश्य अपने कार्य और प्रभाव को अधिकाधिक व्यापक और विस्तारित करते जाना है। इसने कनेक्टिकट के ब्रिजपोर्ट मे, मेरीलेण्ड के ग्रीन बेल्ट मे, मिसौरी के कनसास सिटी मे और दर्जनो दूसरे स्थानो मे मकानो के स्वामीत्व को सहकारी स्वामीत्व मे परिवर्तित किया। ब्रिजपोर्ट म हस्तान्तिरण का यह कार्य मकानो को खरीदने के बाद नेशनवाइड इन्श्युरेन्स कम्पनी के द्वारा किराये दारो के हाथ उन्हे पुन वेच कर सम्पन्न किया गया।

१९५० मे वाशिंगटन मे एक ऐसी घटना घटी जो आगे चल कर ऊपर वर्णित तीनो सगठनो, सयुक्त राज्य की सहकारी लीग (Cooperative League of the United States) और सहकारी आन्दोलन से सम्वन्धित हर व्यक्ति के लिए अच्छी-खासी मुसीवत, कहना चाहिए कि एक चुनोती ही वन गई। इसी वर्ष सयुक्त राज्य की काग्रेस ने सघीय आवास अधिनियम (Federal Housing Act) की धारा २१३ को कानून का रूप दे दिया। इस नये कानून ने सहकारी गृह निर्माण योजनाओ को दिये जाने वाले कर्जो का सघीय आवास अधिनियम के द्वारा बीमा करवाना आवश्यक कर दिया। ओर निर्माण योजनाओ के स्वरूप मे भी कुछ सशोधन कर दिये गए। अव इन सशोधित निर्माण योजनाओ को उपभोक्ता, निर्माता अथवा पूँजी निवेश करनेवालों मे से कोई भी प्रायोजित कर सकता था। ऋण की अदायगी और व्याज की शर्तो मे भी काफी सुविधाएँ दे दी गई।

इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश मे विभिन्न रूप-रगो और आकार-प्रकारो की सहकारी गृह निर्माण योजनाओ की वाढ-सी आ गई। उनमे से कुछ योजनाएँ, ओर विशेषकर वे सब जिनका सचालन और निर्देशन ऊपर वताये हुए सगठन कर रहे थे, अवश्य अपने वहुलाश मे शुद्ध सहकारी ही थी, लेकिन दूसरी वहुत-सी तो रिहायशी कमरो के नाम पर निरे विलास-कक्ष वनाने वाली ऐसी योजनाएँ थी, जिनके लिए अधिनियम की 'सहकारिता' वाली धारा ने वित्तीय प्रवन्ध का वडा ही सुविधाजनक ढग प्रस्तुत कर दिया था।

अधिकांश निर्माण योजनाओं ने जो कार्य-प्रणाली अपनाई वह बहुत-कुछ इस प्रकार की थी मकान बनाना और अपने लिए बहुत ही लाभकारी शर्तों पर उन्हें धड़ाधड़ बेचते चले जाना, क्योंकि निर्माताओं अथवा निवेश-कर्ताओं के लिए अब धारा २१३ ने इस व्यवसाय में लाभ कमाने के बढ़िया अवसर प्रस्तुत कर दिये थे। और मकानों की आवश्यकता तो इतने अधिक लोगों को थी कि अनगिनत परिवारों ने इस प्रकार की गृह-निर्माण योजनाओं के हिस्से तुरत-फुरत खरीद लिये---बहुत-कुछ तो इसलिए भी कि आरम्भ में पहली नकद राशि ज्यादा नहीं देनी पड़ती थी। इनमें से शायद ही किसी को यह पता था कि वह क्या कर रहा है और कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले बाँध रहा है। यद्यपि फेडरल हाउसिंग एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध की जान-कारी देने वाला पर्चा तैयार करवा कर लोगों में बाँटवा भी दिया था, फिर भी किसी ने यह जानने-समझने की परवाह नहीं की कि सहकारिता कहते किसे हैं और सहकारी के स्वामी बन जाने पर उनके कर्त्तव्य और दायित्व क्या हो जाते हैं। और न किसी ने स्पष्टता से यही अनुभव किया कि अपने मकान के स्वामी बन जाने के अतिरिक्त पड़ोस का विकास और उन्नयन करने तथा आवश्यक वस्तुएँ, सेवाएँ एवं मनोविनोद के साधन उपलब्ध करने में सहकारिता का कितना महत्त्व और कितनी उपादेयता होती है।

१९५९ तक सारे संयुक्त राज्य में कुल मिला कर तीनेक सौ के लगभग सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ हो गईं, जिनमें से १५० तो न्यूयार्क राज्य में ही थीं और सब में मिला कर अनुमानतः ४० लाख लोग बसे हुए थे। इनमें से कुछ तो आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः सहकारी समुदाय थे। कुछ में सहकारिता का नाम भी नहीं था।

प्रतिनिधियों ने इसमें इतना अधिक उत्साह दिखाया कि लोग को इस तरह के सम्मेलन प्रति वर्ष बुलाने को तत्काल घोषणा करनी पड़ी।

लेकिन वर्ष मे एक बार केवल दो दिनों के लिए सहकारी गृह-निर्माण के कुछ नेताओ का आपस मे विचार-विनिमय और अनुभवों का आदान-प्रदान उन लाखो लोगो को, जो घरो मे रहने के साथ-साथ उनके स्वामी भी हैं, सहकारिता का अर्थ और महत्त्व समझाने के लिए काफी नही हो सकता।

इस दिशा मे सहकारी लोग द्वारा प्रायोजित एव सचालित सहकारी गृह-निर्माण के व्यवस्थापको के एक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर की खूब सराहना की गई और साथ ही इस आशय की माँग भी कि इस तरह के प्रयत्न अधिक मात्रा मे किये जाने चाहिए।

शीघ्र ही यह विदित हो गया कि सहकारी गृह-निर्माण सघों और सस्थाओं का एक राष्ट्रीय सगठन ही इस सारी समस्या का हल हो सकता है। ऐसा सगठन ही अपने सदस्यों के लिए यथोचित सहकारी कार्यविधि के मानदण्ड निर्धारित कर सकता है। ऐसा ही सगठन समस्याओ को सुलझाने मे सहायता और परामर्श दे सकता है। ऐसा ही सगठन देश के अन्यान्य भागो मे अधिकाधिक सख्या मे 'सयुक्त आवास प्रतिष्ठानों' और 'सहकारी आवास प्रतिष्ठानों' को विकसित कर सकता है। ऐसा ही सगठन प्रशिक्षण शिविरो एव सम्मेलनों का सचालन कर सकता है। और ऐसा ही सगठन सहकारी गृह-निर्माण योजनाओ के स्वामी-निवासी-सदस्यो की पर्याप्त शिक्षा के कार्यक्रमों पर आवश्यक जोर दे सकता है।

सहकारी गृह-निर्माण का राष्ट्रीय सगठन इन सारे कामों को तभी कर सकता है यदि इस क्षेत्र मे काम कर रहे विविध तत्त्वो का समाधान कर उन्हे एक साथ लाया जा सके, विभिन्न दृष्टिकोणो मे उचित सामजस्य स्थापित किया जा सके और राष्ट्रीय सगठन मे सम्मिलित होने एव चन्दा देकर उसका व्यय भार उठाने के लिए सहकारी गृह स्वामीत्व वाले समूहो को बहुत बडी सख्या मे राजी किया जा सके। १९५९ का प्राय पूरा वर्ष और १९६० के ।९५५ के कुछ दिन सहकारी लोग, संयुक्त गृह-निर्माण प्रतिष्ठान और सहकारी ह-निर्माण प्रतिष्ठान की प्रेरणा से इन्ही दिशाओं मे कार्य होता रहा।

११ मई १९६० को सहकारी गृह-निर्माण के प्रतिष्ठित नेताओ की एक वैठक न्यूयार्क सिटी मे हुई और राष्ट्रीय गृह-निर्माता सहकारी सघ (National Association of Housing Cooperatives) की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ।

इस प्रकार के राष्ट्रीय सगठन का कार्य क्षेत्र अभी तो उपलब्ध साधनो तक ही सीमित रहेगा, लेकिन वह क्रमश. विस्तारित होता चला जाएगा, क्योंकि इसमे तो कोई सन्देह है ही नही कि आने वाले वर्षो मे सारे देश मे सव तरह से सच्ची सहकारिता वाली 'सहकारी गृह निर्माण योजनाओ' का जाल-सा बिछ जाएगा।

फरवरी १९६० मे, वाशिगटन मे, सहकारी गृह निर्माण के वार्षिक सम्मेलन मे सघीय आवास प्रशासन (Federal Housing Administration) के कज्रवेटिव आयुक्त ने अपने भाषण मे विलकुल ठीक ही कहा कि राष्ट्र के लाखो मध्य ओर निम्न वित्त परिवारो के लिए अच्छा घर पाने और गृह स्वामी वनने की एकमात्र आशा सहकारी गृह-निर्माण ही है। उसी सम्मेलन मे आवास एव पुनर्विकास अधिकारियो के राष्ट्रीय सघ (Association of Housing and Redevelopment Officials) के कार्यकारी सचिव ने भी यही कहा था कि सहकारी गृह-निर्माण नगर-नवीनीकरण कार्यक्रमो मे सर्वाधिक महत्त्व का कार्यक्रम है।

इसी सम्मेलन मे न्यूयार्क सिटी आवास आयोग (New York City Housing Commission) के एक सदस्य, मिस्टर इरा राविन्स ने जो घोषणा की उसे अमरीकी परिवारो को अच्छे मकान उपलव्ध कराने में सहकारी स्वामीत्व के भविष्य के सम्बन्ध मे एक शुभ शकुन समझना चाहिए। मिस्टर राविन्स की घोषणा का सार यह था कि न्यूयार्क सिटी आयोग ने आठ गृह योजनाओ के निर्माण का निश्चय किया है, जिनमे सात हजार से भी अधिक परिवारो को वसाया जाएगा, और उन्होने यह भी कहा कि ये योजनाएं सहकारी स्वामीत्व वाली 'जन-सम्पत्ति' नही होगी, वल्कि जो परिवार इनमे रहेगे उन्ही को वे मकान सहकारिता के आधार पर वेच दिये जाएँगे। यह तो सभी जानते है कि जिन मकानो को 'जन-सम्पत्ति' कहा जाता है उन्हे लेकर कुछ वहुत ही गम्भीर प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उठ खडी

हुई है। सहकारी प्रणालियाँ एव सहकारी स्वामीत्व को कुछ नये ढग से लागू कर दिया जाए तो इनमे की कुछ समस्याएँ तो अवश्य ही सुलझ सकती है। कम-से-कम नगरपालिका को ही पाँचेक करोड डालर करो के रूप मे मिल जाएँगे, जो अन्यथा वह कभी वसूल ही नही पायेगी। शुरू मे ही साम्या-स्वामीत्व समाविष्ट पहली नकद अदायगी के रूप मे कोई २ करोड डालर मिल जाएँगे, जो १३ करोड ८० लाख डालर की अनुमानित लागत के बोझ को इस अर्थ मे थोडा हलका कर देगे कि २ करोड डालर की रकम दूसरी जगह उपयोग करने के लिए तुरत निकल आयेगी। आर्थिक उपदान की आवश्यकता नही होगी। उलटे नगर की ऋण-धारण की शक्ति के कारण सस्ती दरो पर वित्तीय प्रबन्ध सम्भव हो सकेगा, इससे नये सहकारी-स्वामियो से ली जाने-वाली मासिक किस्ते इतनी घटाई जा सकेगी कि निम्न-मध्य परिवार उसे आसानी से दे सकेगे। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि व्याज की दरो मे १ प्रतिशत की कमी मासिक किस्त को २ २५ डालर प्रति कमरे तक घटा सकती है।

न्यूयार्क सिटी आवास आयोग के निर्णय ने सहकारी निवास व्यवस्था की दिशा मे एक बिलकुल नया ही मार्ग खोल दिया है। यदि नगर-अधिकारी आशिक उपदान प्राप्त सरकारी भवनो के लालायित, लोगो की मकान-सम्बन्धी माँगो को पूरा करने के लिए सहकारित को अपनाने लगे तो इस सर्वाधिक सकट-ग्रस्त क्षेत्र मे भी सहकारी गृह-व्यवस्था को काफी बढाया जा सकता है।

जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ मे कहा गया था, जितनी सामर्थ्य है उतने मूल्य पर अच्छा मकान पाना ही सम्भवत आज अमरीकनो की एक ऐसी आर्थिक माँग है जिसे सबसे कम पूरा किया जा सका है। यह परिस्थिति ही सहकारियो के अस्तित्व का सबल कारण है और उन्हे समाज के लाभ के लिए कुछ कर दिखाने का एव जन समुदाय का व्यापक समर्थन अर्जित करने का श्रेष्ठतम अवसर प्रदान करती है।

हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन मे सहकारी गृह-निर्माण उत्तरोत्तर महत्त्व प्राप्त करता जाएगा, इसमे तो किसी को सन्देह है ही नही प्रश्न केवल इतना ही है कि शुद्ध, श्रेष्ठ और सम्पूर्ण सहकारिता के पूरे-पूरे सार्थक लाभ किस सीमा तक प्राप्त किये जा सकेगे ?

---

५ | अमरीका के गाँवों में बिजली कैसे पहुँची

'देहाती विद्युत् सहकारियों को बिजली कम्पनियों का व्यवसाय क्यों छीनने दिया जाता है?'

'क्या ये सहकारी समाजवादी नही हैं?'

'सरकार स्वय जिस दर पर कर्ज लेती है उससे भी कम ब्याज पर इन्हे सरकार से कर्ज क्यों दिया जाता है?'

'किसान बिजली के कार-बार मे टॉग क्यो अडाते है? है उनके पास इसका कोई जवाब?'

'यदि विद्युत् सहकारियो ने देश के सारे बिजली व्यवसाय को हथिया लिया तो क्या होगा? और हथिया लेने से इन्हे रोक भी कौन सकता है?'

'और ये कम्बख्त कर क्यो नही देते?'

ये कुछ प्रश्न है जो लोगों के मन मे, और विशेष रूप से महानगरो के अखबार पढ़ने वालो के मन मे, घुमडते रहते है।

यह अध्याय इसी तरह के प्रश्नो के बारे मे है।

१९३५ मे संयुक्तराज्य अमरीका के १० मे से एक भी किसान के घर मे न तो बिजलो को रोशनी थी और न खलिहान मे विद्युत् शक्ति ही। इसका मुख्य कारण यह था कि बिजली कम्पनियाँ देहातों मे बिजली पहुँचाने के काम को लाभ-हीन व्यवसाय समझती थी। वे बडे विश्वास के साथ कहती थी कि किसान कभी बिजली के दाम चुका नही सकते। व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से जितनी भी जाँच-पडताल की गई उनसे पता चला कि यदि कम्पनियाँ बिजली देने का अपना निर्धारित लाभ उपार्जित करना चाहे तो किसानो को उसके लिए प्रति किलोवाट-घण्टा ७५ सेंट देने पडेगे। किसानो से कहा जाता था कि उन्हे अपने फारमो तक बिजली की लाइन ले जाने के ही दो सौ, पाँच सौ और कभी-कभी तो दो हजार डालर तक बिजली कम्पनियों को देने पड़ेगे।

असल बात यह थी कि १९३५ मे व्यावसायिक विजली कम्पनियाँ इस धन्धे मे हर एक ग्राहक से लाभ, जितना ज्यादा-से-ज्यादा हो सके, उतना लाभ कमाने के लिए थी और यही स्थिति आज भी है।

यदि लाभार्जन के अतिरिक्त दूसरा कोई आर्थिक हेतु न होता तो अमरीका के देहात आज भी मोमबत्तियाँ और लालटेन का ही प्रयोग कर रहे होते। अमरीकी किसानो ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान और वाद मे उत्पादन के क्षेत्र मे जो चमत्कार कर दिखाये वे कदापि न होते। अमरीका कृषि एक पिछडा हुआ उद्योग हो होता, आज को तरह का राष्ट्र का सर्वाधिक प्रगतिशील व्यवसाय तो कदापि नही। विद्युत् उपकरणो को करोडो-अरवो डालरो को खपत वाला एक देहाती वाजार भी न होता। नगर के रहन-सहन को तुलना मे देहात का रहन-सहन अपेक्षाकृत आदिकालीन और कष्टकर ही होता। आज शहरो तथा उप-नगरो मे विजली की जो दरे है, देहातो मे उसकी दुगुनी ही होती।

और सवसे विकट समस्या तो होता विद्युत्-शक्ति और विद्युत्-साधनो के व्यवसाय मे औद्योगिकीय वेकारी की।

लेकिन एक दूसरा हेतु प्रयुक्त हुआ, जिसका काफी अच्छा प्रभाव पडा और विद्युत्-शक्ति-व्यवसाय मे एक भिन्न प्रकार का आर्थिक सगठन अस्तित्व मे आया।

लाभार्जन के हेतु से जो न हो सका या उसने जो नही किया उसे सेवा और पारस्परिक सहायता के हेतु ने कर दिखाया। जो काम वाणिज्यिक कारोवार से न हो सका उसे सहकारी कारोबार ने वहुत अच्छी तरह पूरा किया। जो ग्रामीण अमरीका विद्युत्-शक्ति की बनावटी कमी वाला क्षेत्र था वही सहकारी ढग पर विद्युत्-उत्पादन और वितरण की एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिसने फारमो (कृषिवरो) और गाँवो को विद्युत्-शक्ति और साधनो की खपत का बडी तेजी से निरन्तर विकासमान वाजार बना दिया। मन्दी के जमाने मे लाखो लोगो को काम-काज दिया गया, और तभी से विद्युत्-उद्योग मे नई-नई नियुक्तियाँ होती रही है और आगे भी प्रतिवर्ष होती रहेगी।

उदाहरण के लिए, किसानो ने १९५७ की अपेक्षा १९५८ मे १४ प्रतिशत ...ली अधिक खर्च की और औसत मासिक उपभोग तो ४१५ किलोवाट-घटो ...सिक से वढकर ४७२ किलोवाट-घटा हो गया।

गाँवों में बिजली पहुँचने के पहले पच्चीस वर्षों मे ग्रामीण जनता ने विद्युत्-साधनों पर १५ अरब डालर खर्च किये।

१९५८ तक ९५ प्रतिशत से अधिक अमरीकी कृषिधरों मे बिजली पहुँच चुकी थी।

और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण विद्युत् सहकारियो की प्रतिस्पर्धा ने समूचे व्यवसाय के स्वरूप को ही, जो बनावटी कमो और महँगी दरो वाला था, बदलकर पर्याप्त प्रदाय और उचित दरो वाला व्यवसाय बनादिया। चूंकि हमारी अमरीकी अर्थ प्रणाली मे इस बात की गुँजाइश है कि लोगो के समूह अपनी विशिष्ट आर्थिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए व्यवसाय आरम्भ कर सकते है, इसालिए आधुनिक आर्थिक जीवन के एक बुनियादी उद्योग मे व्याप्त गडबडी को कम-से-कम देहाती क्षेत्र मे तो ठीक कर दिया गया।

यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की 'टी एवी' जैसी विद्युत् विकास योजनाओं का भी विद्युत् व्यवसाय मे प्रतिस्पर्द्धा को पुन प्रारम्भ करने मे काफी बडा हाथ है, लेकिन यदि ग्रामीण विद्युत् सहकारी सस्थाएँ न होती तो गाँवो मे इस प्रतिस्पर्द्धा का कुछ भी असर न हो पाता।

इस प्रकार १९३५ से आरम्भ होनेवाली ग्रामीण बिजली की कहानी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि उपभोग मुखीअथवा उपभोक्ता-निदेशित उत्पादन और वितरण से समूचा राष्ट्र किस प्रकार और कितनी अधिक मात्रा मे लाभान्वित होता है। इस कहानी से, और सहकारी गृह-निर्माण से भी, हमे यह शिक्षा भी मिलती है कि औद्योगिकीय बेकारी को कैसे मिटाया जा सकता है। क्योकि जहां उद्योग पर स्वाम्याधिकारी व्यवसाय का एकाधिकारी नियन्त्रण होता है वहाँ तो बनावटी ऊँची कीमतो को बनाये रखने के लिए प्राय उत्पादन को रोका जाता है और इस प्रकार रोजगार को कम करके बेकारी बढ़ाई जाती है; लेकिन इसके विपरीत सहकारी अथवा उपभोक्ता निर्देशित व्यवसाय का स्वरूप ही इस प्रकार का होता है कि वहाँ उत्पादन और वितरण उसी का किया जाता है जिसकी जनता को आवश्यकता होती है, और फिर इस सारे उत्पादन और वितरण का उद्देश्य होता है शुद्ध लागत पर, जो उचित और व्यावहारिक भी आवश्यकताओ को पूर्णरूपेण सन्तुष्ट करना।

१९३५ मे देशव्यापी मन्दी का दौर बडा गहरा था। कोई १ करोड ४० लाख मजदूरो को काम नही मिल रहा था। किसान और छोटे व्यापारी या तो दिवालिया हो चुके थे या होने ही वाले थे। काग्रेस और देश का प्रशासन लोगो को रोजगार सुलभ करने के लिए आर्थिक गति-विधियो को बढाने के उपाय खोज रहे थे। कुछ तो यह कारण हुआ ओर कुछ कृषि को सहायता देने के उद्देश्य से १९३५ मे सरकारी आदेश से ग्रामीण विद्युतन प्रशासन (Rural Electrification Administration) की स्थापना की गई। १९३६ मे कांग्रेस मे नॉरिस-रेबर्न अधिनियम स्वीकृत किया गया, जो ग्रामीण विद्युतन अधिनियम (Rural Electrification Act) के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार मे ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के रूप मे एक नये अभिकरण, नये विभाग का प्रावधान इस अधिनियम मे किया गया और यह प्रावधान भी कि नया अभिकरण किसानो, ग्रामीणजनो एव ग्राम्य सस्थाओ को दी जानेवाली विद्युत्-सेवाओ को बढाने के लिए कर्ज दे सकेगा। शर्त यह थी कि ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पाने वाले एक तो १५०० जनसख्या से अधिक बडे समुदाय की सेवा नही करेगे और दूसरे, अपने क्षेत्र मे जो भी किसान या अन्य उपभोक्ता सेवा चाहेगे उन्हे लाभ-हानि की परवाह किये बिना सेवा देगे। अधिनियम बनानेवालो ने आशा तो यही की थी कि अधिकाश कर्ज जानी-मानी बिजली कम्पनियाँ ही लेगी, जो ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पाने के योग्य थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन यह कुछ नही हुआ। असल मे तो अधिनियम बन जाने के बाद के महीनो मे भी कुछ नही हो पाया।

तब किसान सोचने लगे कि यदि बिजली कम्पनियाँ गाँवो मे बिजली पहुँचाने की दिशा मे कुछ भी नही करती तो हम किसान स्वय ही कुछ क्यो न करे।

ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के प्रचारको ने इस विचार की जड जमाने और इसे परिपुष्ट करने की दिशा मे काफी काम किया। उन्होने किसानो को यह भी समझाया की कि अपना सहकारी सगठन बना लेने के बाद सारे समूह की साख पर किसान बिजली आवश्यक लाइने बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पा सकते है।

इस दिशा मे कुछ पुरोगामी प्रयत्न भी अवश्य हो चुके थे। जिस पहले ग्रामीण विद्युत् सहकारी का विवरण मिलता है, वह १९१४ मे मिन्ने सोटा के

ग्रेनाइट फाल्स मे सगठित किया गया था।

१९१९ मे क्लाईड ग्रोअर नामक एक व्यक्ति के पास विसकोनसिन मे वॉयला के निकट एक छोटा-सा पनविद्युत सयत्र था। इस कारखाने मे जितनी बिजली बनती थी उसकी खपत के लिए पर्याप्त बाजार नही था। उस व्यक्ति ने किसानो से प्रस्ताव किया कि वे अपना सहकारी सगठन बना ले। बडी-बडी लाभकारी कम्पनियो के ठीक विपरीत मिस्टर ग्रोअर ने किसानो से कहा कि मेरा अपना विश्वास तो यह है कि आप लोग बिजली के दाम दे सकते है, और उन्होने यह भी कहा कि मै आपको ऐसी दरो पर थोक बिजली दे सकता हूँ जो आपके और मेरे दोनो के ही लाभ की होगी। तेतालीस किसानो ने सहकारी मे सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। चार आदमियो के एक कर्मी दल ने छ महीने लगा कर उन तैतालिसो किसानो के फारमो तक १८ मील लम्बी लाइन बना दी। १९३५ और १९३६ की जिन घटनाओ का ऊपर वर्णन किया जा चुका है उस समय भी यह सहकारी सस्था विद्यमान थी।

बाद के वर्षो मे सहकारी ढग पर बिजली पहुँचाने के कई सफल प्रयत्न यहाँ, वहाँ और सर्वत्र किये गए। उत्तर-पूर्वी मिसिसिपी मे अलकार्न काउण्ट इलेक्ट्रिक पावर एसोसिएशन ने, जिसकी अधिकाश कारोबारी पूँजी 'टी वी ए से प्राप्त कर्ज पर आधारित थी, अपने पहले ही वर्ष के कार्यकाल मे बिजली की लागत घटा कर आधी कर दी। और १९३५ मे जब ग्रामीण विद्युत् प्रशासन अस्तित्व मे आया तो यह एक बडा ही सुस्थापित कारबार था।

और इस प्रकार १९३५ और १९३६ मे हमारे देश के इतिहास के सबसे महत्त्वपूर्ण सगठन अभियान आरम्भ हुए। उन दिनो जिन नर-नारियो ने अभियान किये थे आज भी सैकडो ग्रामीण समुदायो मे उनका सम्मान किया जाता है। सैकडो देहाती कस्बो मे उनके नाम पत्थर और ईट की छोटी सुन्दर इमारतो के कोनिया अथवा नीव के पत्थरो पर खुदे हुए है। सबसे बडी बात तो यह कि जिन लोगो ने खेतो और फारमो पर मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी देख रखी है वे इन संगठनकर्ता पुरोगामियो का सयुक्त राज्य अमरीका मे आधुनिक कृषि और आधुनिक फारम जीवन के सस्थापको के रूप में आदर करते है। मुझे एक ऐसी ही घटना याद आ रही है। मै विसकोनसिन-

के ओकोण्टो फाल्स मे एक सभा मे सम्मिलित हुआ था। वह सभा वहाँ के आस-पास के क्षेत्र को विद्युत् प्रदाय करने वाले विद्युत् सहकारी का तेईसवाँ वार्षिक स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित की गई थी। उत्सव के लिए जो बडा तम्बू लगाया गया था वह खचाखच भरा हुआ था, कही तिल धरने को भी जगह नही थी। उत्सव के मुख्य सम्माननीय अतिथि दो व्यक्ति थे—एक पद-निवृत्त मत्री और दूसरे सहकारी के अध्यक्ष। स्त्री और पुरुष वक्ताओ ने कितनी श्रद्धा से विगलित होकर स्नेहाश्रु पूरित लोचनो एव गद्गद् कण्ठो से उन्हे सम्मानाजली समर्पित की थी। क्योकि यही दोनो व्यक्ति थे जिन्होने १९३५–१९३६ के हडकम्पो जाडो के वर्फ और वदन गलाते पालो मे प्राय लम्बी दुर्गम यात्राएँ करके फारम-फारम मे सहकारी ढग पर गाँवो मे विजली देने का आशा भरा सन्देश पहुँचाया था। फिर अत्यन्त सरलता से लेकिन साथ ही प्रभावोत्पादक शैली मे ९ दिसम्वर १९३५ की उस वैठक का वर्णन किया गया, जिसमे वारह व्यक्तियो ने ओकोण्टो विद्युत् सहकारी सघ के निगमन पत्रो पर अपने हस्ताक्षर किये थे ओर ग्रामोण विद्युत प्रशासन से कर्ज पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र वाशिगटन भेजा था। ओकोण्टो फाल्स मे विद्युत् सहकारी का प्रधान कार्यालय ही वहाँ को सवसे सुन्दर इमारत है। और होना भी चाहिए। क्योकि दूसरे सहकारियो के साथ-साथ यह भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसे वहाँ को स्थानोय जनता आने वाले वर्षो मे भी एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय-स्वामीत्व वाले एक उद्योग के रूप मे अपना वनाये रखना और चलाते रहना चाहेगी—यदि उसे ऐसा करने दिया गया।

वोसवी शताव्दी के मध्यकाल के इन पथप्रदर्शको ने किसका सगठन किया ? सगठन तो उन्होने निस्सन्देह एक सहकारी व्यवसाय सघ का ही किया। आगे यह भी पूछा जा सकता है कि उस सगठन मे आखिर था क्या ? यही कहा जाएगा कि अधिक कुछ भी नही। सदस्यो का एक अपेक्षाकृत छोटा-सा समुदाय था, जिनमे से प्रत्येक ने पाँच डालर सदस्यता शुल्क दिया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युत् सघ से कर्ज पा जाने की आशा भी अवश्य थी। लेकिन यदि इन सहकारियो मे दो अत्यन्त मूल्यवान और सशक्त वस्तुओ—भावनाओ को भी सगठित न कर लिया जाता तो वाकी सव का कुछ भी मूल्य

नही था। इनमे से पहली वस्तु भी पडोसियो के एक समूह की एक-जैसी, सामान्य आवश्यकता। पहली चीज यही थी जिसका सगठन किया जाना था। वास्तव मे इन विद्युत सहकारियो मे, और इन्ही मे क्यो किसी भी प्रकार के सुविचारित सहकारी मे, सगठन का मूल तत्त्व ही होता है किसी भी जन-समूह की सर्वनिष्ठ आवश्यकता, सबसे पहले इसी का सगठन किया जाना चाहिए। और, हाँ, इसके साथ यह दृढ विश्वास भी कि उस आवश्यकता को सहकारिता के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

और जब किसानो ने लालटेन की रोशनी मे निगमन पत्रो पर अपने हस्ताक्षर किये तो जो दूसरा तत्त्व सगठित किया गया वह था सदस्यों की साख—उनकी यह प्रतीक्षा कि जिस रुपए के कर्ज मिलने की आशा है उसे वे नियत समय पर चुकाएँगे। उनमे से बहुत से किसान उस समय दिवालिया होने की स्थिति मे थे। लेकिन वे ईमानदार थे। उनका वचनबद्ध होना उनकी सम्पत्ति को बन्धक किये जाने से ज्यादा अच्छी जमानत समझी गई—लेकिन तभी जब कि वे एक सगठित समूह के रूप मे सम्मिलित होकर वचनबद्ध हुए।

अकेला एक तो कोई भी किसान अपनी बिजली-सम्बन्धी आवश्यकता पर विद्युत् प्रदाय की पूरी प्रणाली का निर्माण नही कर सकता। लेकिन किसानो के समूह, अपनी बिजली-सम्बन्धी आवश्यकता को सहकारी ढग से सगठित करके इस काम को कर सकते है। अकेला कोई भी किसान अकेले अपने नाम की साख को रुपया नही बना सकता, लेकिन किसानो के समूह सम्मिलित रूप से ऐसा कर सकते हैं। तो, इस प्रकार अमरीकी गाँवो मे बिजली पहुँचाना जीवन के इस मौलिक तथ्य का जीता-जागता दिग्दर्शन है कि जिस काम को हम अकेले नही कर सकते उसे बहुत से लोग सहकारिता के आधार पर मिल-जुल कर प्राय कर डालते हैं।

पारस्परिक सहायता समस्याओ को सुलझाने का एक बहुत ही अच्छा ढग है।

इस ढग ने कोई ४५ लाख किसानो और ग्रामीण जनता को आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी उद्योग-विद्युत् व्यवसाय—के एक अंश का स्वामी बनाने की दिशा मे बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

यहा उस कहानी के विस्तार मे जाना आवश्यक नही। १९३५ अभी नया ह

भी नही हुआ था कि ग्रामीण विद्युत् सहकारी सगठित हो गए और इडियाना, ओहियो, टेक्सास, विसकोन्सिन ओर मिसिसिपी मे उन्हे कर्ज भी मिल गया। उसके बाद तो जैसे-जैसे समय बीतता गया विद्युत् सहकारियो का देशव्यापी जाल-सा बिछता चला गया। ये ही थे जिन्होने आवश्यकता को सगठित रूप देने और अपना कर्ज चुकाने की ईमानदार लोगो की वचन बद्धता की सरल प्रणाली को अपना कर उस समस्त कार्य के बहुत बडे अश को पूरा किया जिस पर आग चल कर अमरीका का भविष्य ही निर्भर करने जा रहा था। लाभार्जन करने वाले सम्पन्न ओर शक्तिशाली व्यावसायिक अधिष्ठानो ने इस कार्य को नही किया। वे तो इस ओर तब तक नही आये जब तक कि सहकारियो ने यह सिद्ध करके नही दिखा दिया कि किसान भी बिजली का पैसा दे सकता है ओर अच्छी दरे दे सकता है, वे तो तब तक नही आये जब तक कि सहकारियो ने यह नही दिखा दिया कि गॉवो मे विद्युत्-साधनो की खपत की अनन्त सम्भावनाएँ भरी पडी है, वे तब तक नही आये जब तक कि सहकारियो ने अपना कर्ज चुकाने का (९९ ९९८७ प्रतिशत) रिकार्ड कायम नही कर दिया, वे तब तक नही आये जब तक कि सहकारियो ने प्रतिस्पर्द्धा करके बिजली की दरे ४० प्रतिशत ओर ५० प्रतिशत ओर कही-कही तो इस से भी अधिक नही घटा दी। जब तक इतना सब नही हो गया लाभार्जन करने वाले व्यावसायिक अधिष्ठानो ने अमरीकी देहातो को बिजली देने की दिशा में वास्तविक प्रयत्न भी आरम्भ नही किये। उन्होने जो कुछ किया इतना सब हो जाने के बाद ही किया।

वे आरम्भ से ही ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के कार्यक्रम और विशेष रूप से सहकारियो के विरुद्ध सघर्ष करते रहे। सहकारी, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो को प्रभावित करने के लिए वाशिगटन मे उनका जो प्रमुख व्यक्ति रहता है उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् सहकारी सघ (National Rural Electric Cooperation Association) के मुख्य व्यवस्थापक से कई गुना अधिक वेतन दिया जाता है। यह स्थिति आज ही नही, १९५९ मे भी थी, जब कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् सहकारी सघ की गाँवो के विद्युत् उपभोक्ताओ मे सदस्य-सख्या ४५ लाख से भी अधिक थी और वह

देश के वहुत ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सगठनो मे गिना जाता था। लेकिन जव सहकारियों ने यह दिखा दिया कि देहाती क्षेत्रो मे विद्युत् प्रदाय एक 'अच्छा व्यवसाय' हो सकता है तो लाभार्जन करनेवाले सारे-के-सारे व्यावसायिक अधिष्ठान इस नव विकसित व्यापार को हडपने के लिए दौड पडे। इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकण्डे अपनाये। विद्युत् सहकारी के रूप मे 'समाजवादी खतरों' से सचेत करने वाले खर्चीले राष्ट्रव्यापी विज्ञापन कार्यक्रम शुरू किये गए। सहकारियों के कार्य क्षेत्र को सबसे सघन वस्तियो को अपनी ओर करने के लिए भेद नीति-स्वरूप नई विद्युत् प्रदाय लाइने वनाई गई, जो कालान्तर मे 'विद्वेष लाइनों' के नाम से प्रख्यात हो गई। सहकारियो के स्वामियो को फुसलाने के लिए, जिससे वे अपना कारवार उस क्षेत्र की प्रमुख व्यावसायिक विद्युत् कम्पनी के हाथ बेच दे, सुनियोजित अभियान बडे कुशल ढग से आरम्भ किये गए।

ज्यों-ज्यो समय वीतता गया इन सारे हथकण्डो को उतने ही अधिक जोर-शोर से आजमाया गया और उधर कॉंग्रेस पर ज्यादा-से-ज्यादा दवाव डालने के प्रयत्न तो बराबर होते ही रहे।

उन्हे इक्की-दुक्की जगहो मे सफलता भी मिली।

अधिकाश विद्युत् सहकारी परम निष्ठावान् सदस्यो वाले सुदृढ सगठन है, जिनकी वार्षिक सभाओ मे सैकडो और कभी-कभी तो हजारो की सख्या मे सदस्य उपस्थित होते है और उन सगठनो को अपने सदस्यों पर अभिमान भी कम नही है। इओवा के विद्युत् सहकारी को इस बात का उचित गर्व है कि उसकी वार्षिक सभा मे प्रतिवर्ष १० हजार सदस्य बराबर भाग लेते है। वहाँ की ये वार्षिक सभाएँ उस जिले का 'वर्ष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन' वन गई है।

लेकिन कुछ सहकारी संगठन की दृष्टि से काफी कमजोर है। कुछ ऐसे है जिनके व्यवस्थापक तानाशाह वन बैठे है, मजाल है कि उनके वगैर पत्ता भी हिल जाए। जो जी मे आता है करते है, न किसी की सुनते है न मानते है। कुछ ऐसे भी है जिनके सदस्यो मे जब किसानो की सख्या कम और बहुमत ऐसे उपनगरवासियो का है जो जन्म से ही विद्युत् का सुखोपभोग कर रहे है।

वास्तव मे ऐसे सदस्यो की सख्या निरन्तर कम होती जा रही है जिन्हे अपनी सहकारी सस्था द्वारा फारम पर पहले-पहल बिजली पहुँचाने की बात अच्छी तरह याद हो। उनके स्थान पर ऐसे लोगो की सख्या बराबर बढ रही है जो बिजली को सदा से चली आती साधारण बात समझते हैं, जिन्हे बिजली पाने के लिए कोई सघर्ष, कोई प्रयत्न नही करना पडता। इसलिए जहाँ सदस्यो की शिक्षा का कोई कार्यक्रम नही है, जहाँ सदस्यो को सही और पूरी जानकारी देने वाले सवाद पत्र नही भेजे जाते और जहाँ सदस्यो के मन मे स्वामीत्व के प्रति गर्व और गौरव की भावना को जगाने का कोई प्रयत्न नही किया जाता वही विद्युत् सहकारियो को 'बेचने' के लिए की जानेवाली व्यावसायिक बिजली कम्पनियो की चिकनी-चुपडी बातो और फुसलावो के सफल होने की अधिक सम्भावना है।

विद्युत् सहकारियो को अपने क्षेत्र मे जो भी लोग माँग करे उन सब को विद्यत्-सेवा प्रदान करनी होती है। अक्सर इस तरह की सेवा बडी महँगी पडती है। सहकारियो के ग्राहको की औसत सख्या बिजली लाइन के प्रति मील पर उनके प्रबल प्रतिस्पर्द्धियो की औसत सख्या २५ की तुलना मे केवल ३ है। कुल आय से सयत्र और साधन मे पूँजी निवेश का उनका अनुपात लाभार्जन वाली व्यावसायिक कम्पनियो की तुलना मे तिगुना है। इसीलिए सहकारियो को अत्यन्त कडी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए काम करना पडता है। इसके अतिरिक्त १९५० के बाद के वर्षो मे तो उनपर राजनैतिक प्रहारो मे भी खूब वृद्धि हुई है। इन राजनैतिक प्रहारो का मुख्य लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण विद्युत् सहकारियो को ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज प्राप्त करने की सुविधा से वचित कर दिया जाए और व्यापारिक पूँजी बाजार मे कर्ज लेने को विवश किया जाए। इस आशय की माँगो और प्रस्तावो को बार-बार दुहराया गया।

विद्युत् सहकारियो पर राजनैतिक प्रहार की एक दूसरी दिशा भी है, वह है काग्रेस को उन कर्जो पर रोक लगाने के लिए राजी करने का प्रयत्न जो ग्रामीण विद्युत् प्रशासन द्वारा सहकारी आधार पर विद्युत् उत्पादन और पारेषण साधनो के वित्तीय प्रबन्ध के लिए दिये जाते हैं।

यह बात समझ मे तो आती है, लेकिन साथ ही सहकारियो के लिए

इस सम्बन्ध मे डेरीलैण्ड पावर कोआपरेटिव की कहानी आदर्श कहानी है। १९३७ मे दस विद्युत् वितरण सहकारी सस्थाओ के प्रतिनिधियो की एक बैठक मे इसका जन्म हुआ। वह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि विसकोन्सिन की व्यापारी बिजली कम्पनियो ने उन्हे थोक मे प्रति किलोवाट-घटा ढाई सेंट की दर से कम पर बिजली देना अस्वीकार कर दिया था और य दरे अत्यधिक महँगी थी। तब उन्होने सोचा कि थोक बिजली के अपने ही साधन का निर्माण कर लेना सबसे बढिया बात होगी। और अन्त मे उन्होने विसकोन्सिन पावर कोआपरेटिव की स्थापना की।

ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से साढे छ लाख डालर का कर्ज प्राप्त किया गया और एक वर्ष के बाद उत्तरी विसकोन्सिन की सात सहकारी सस्थाएँ किसानो को अपनी बिजली लाइनो से जो विद्युत् प्रदान कर रही थी उसका जनित्रण चिप्पे वा फाल्स के उन्ही के डिज़ल जनित्रा ने किया था।

जो कठिनाई उत्तरी विसकोन्सिन के वितरण सहकारियो को अनुभव करनी पडी ठीक वही इओवा, मिन्नेसोटा और दक्षिणी विसकोन्सिन के वितरण सहकारियो के सामने भी आई। उचित दरो पर थोक बिजली इनमे से किसी को कही से भी प्राप्त न हो सकी। तब इन सबने मिल कर त्रि-राज्यीय विद्युत-शक्ति सहकारी (Tri-Stated Power Cooperative) सगठित की और विसकोन्सिन के जेनोआ नामक स्थान मे एक वाष्प सयत्र का निर्माण किया, जो १९४१ मे बन कर पूरा हो गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस सयत्र का निर्माण-कार्य पूरा होने से कुछ ही समय पहले उस क्षेत्र की तीन व्यापारी कम्पनियो ने एक नया निवेद किया। वे विद्युत् सहकारियो को पहले माँगी गई दरो से बहुत कम पर थोक बिजली देने को तैयार हो गई । जिस तरह पेन्सिले एकदम नुकीली हो जाती है उसी तरह वे एक दम सचेष्ट हो गए थे और उनकी वणिक् बुद्धि जाग पडी थी। पर क्यो ?

केवल इसलिए कि किसान अब यह प्रमाणित करने जा ही रहे थे कि वे अपने लिए बिजली का उत्पादन स्वय कर सकते है—और व्यावहारिक अनुभव से उन्हे यह भी मालूम हो ही जाता कि उत्पादन की वास्तविक लागत कितनी होती है।

१९४१ के अक्तूबर महीने मे विसकोन्सिन विद्युत्-शक्ति सहकारी और त्रि-राज्योय-विद्युत्-शक्ति सहकारी का विलयन कर डेरालैण्ड वना दी गई। उसके वाद तो वहुत-सेनये सयत्र निर्मित हुए, नई-नई बिजली लाइने बनाई गई, कारबार की नई आर्थिक पद्धतियाँ प्रयोग मे लाई गई।अधिकाश सयत्र वाष्प-सयत्र है, जो कोयले से चलते है और वह कोयला इलिनोइस और केण्टुकी की खानो से मिसिसिपी की राह भारवाही डोंगो से लाया जाता है। लेकिन एक पन-विद्युत् सयत्र भी है जो फलावष्यू नदी पर साठ लाख डालर से भी अधिक की लागत से वनाया गया है। इस सयत्र के निर्माण मे इतना अधिक पैसा केवल इसलिए लग गया कि कुछ लोगो ने इसका घोर विरोध किया जिससे देर-पर-देर होती गई और लागत खर्च वढता चला गया। विरोधी शक्तियाँ शायद यह कहना और कर दिखाना भी चाहती थी कि विद्युत् सयत्र के निर्माण का कार्य किसानो की भीड के उपयुक्त नही है; बडे नगरो मे बडे दफ्तरो वाली वडी कम्पनियाँ को ही ऐसे कार्य करने का एकमात्र अधिकार है।

लेकिन फिर भी किसानों ने इस काम को कर ही डाला। फार्मो और देहाती क्षेत्रो मे जैसे-जैसे विद्युत्-शक्ति की माँग वढ़ती गई डेरीलैण्ड भी अपनी क्षमता को वढाती चली गई—पहले दुगुना किया और फिर तिगुना। विरोधियो ने हर बार शोर मचाया कि डेरीलैण्ड के वढे हुए सारे उत्पादन की खपत उसके सदस्यो मे हो नही हो सकती। लेकिन सत्य तो यही है कि हर वार क्षमता के विस्तार के वावजूद सदस्यो को विद्युत्-शक्ति-सम्बन्धी माँग को पूरा नही किया जा सका।

अकेले १९५० मे ही डेरीलैण्ड के सदस्यो को २० लाख डालर की वचत हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी कम्पनियो ने जो कम-से-कम दरे वताई या उनपर थोक बिजली खरीदने से जितना मूल्य देना पडता उसकी अपेक्षा अपनी ही प्रणाली से लेने पर २० लाख डालर कम देना पडा।

पडोसियो के साथ मिलकर स्वय काम किया जाए तो अवश्य सस्ता पडता है और लाभ भी होता है।

१९५८ मे जव डेरीलैण्ड के किसान और दूसरे ग्रामीण ग्राहक-स्वामियों की सख्या एक लाख से भी अधिक हो गई तो उसने एक दूसरा चमत्कार

कर दिखाया। वह चमत्कार यह था कि पिछले दस वर्षों पर जीवन-निर्वाह-सूचकाक जहाँ ३० प्रतिशत वढता जा रहा था वही डेरीलैण्ड की विजली का लागत मूल्य ३५ प्रतिशत कम कर दिया गया। और १९५९ मे तो थोक विजली प्रति किलोवाट-घटा एक सेंट से भी कुछ कम पर ही दी जा रही थी।

स्वावलम्वन ने वडा काम किया। इसका शुभ परिणाम केवल विसकोन्सिन मे ही नही मध्य इओवा मे, केण्टुकी मे, मिसौरी मे और जहाँ-जहाँ भी वितरण सहकारियो ने मिलकर अपने निजी विद्युत् जनित्र सहकारियो की स्थापना की थी वहाँ सभी जगह हुआ।

व्यापारी कम्पनियो के गोष्ठी कक्ष (लॉवी) ने काग्रेस के आगे वहुत चिल्ल-पो मचाई। उसने ऐसा कानून वनाने पर वहुत अधिक जोर दिया जिससे ग्रामीण विद्युत् प्रशासन विद्युत् शक्ति के जनित्रण और पारेषण के लिए किसी भी प्रकार का कर्ज दे ही न सके। उनका गोष्ठी कक्ष तो यही चाहता था कि विद्युत् सहकारी अपनी आवश्यकता की हर किलोवाट विद्युत् शक्ति के लिए अपने प्रतिद्वन्द्वियो के मुहताज हो जाएँ—उन्ही प्रतिद्वन्द्वियो के जो प्रारम्भ से ही उनसे युद्ध ठाने हुए थे और घृणा करते थे।

लेकिन काग्रेस ने उनकी एक न सुनी।

स्वावलम्वन ने और दिशाओ मे भी कुछ काम किये। विसकोन्सिन विद्युत् सहकारी ने वडे साहस से एक दूरदर्शिता पूर्ण कदम उठाया। इस सहकारी ने एक स्वतन्त्र एल्यूमिनियम कम्पनी से युद्धोत्तर काल मे सरजाम-सामग्री और केवल की जो घोर कमी थी उसे दूर करने और गाँवो मे विद्युत् विस्तार के लिए अत्यन्त आवश्यक इन वस्तुओ के एकाधिकारियो द्वारा निर्धारित मूल्यो को घटाने के सम्वन्ध मे सविदा किया। इस कदम मे जोखिम तो वहुत था, परन्तु फिर भी वात वन गई। दो तरह से लाभ हुआ विद्युत् सहकारियो के विकास और विस्तार को ही नही एल्यूमिनियम के खपत वाजार को भी एकाधिकारी पूँजी के कुछ वहुत ही अनिष्टकारी प्रभावो से मुक्त किया जा सका।

१९५० के वाद की पूरी दशाब्दी मे ग्रामीण विद्युत् सहकारियो तथा अन्य पारस्परिक एव सहकारी उद्यमो पर प्रहार का वेग निरन्तर वढता ही गया। सहकारियो के प्रतिद्वन्द्वियो द्वारा समाचार पत्रो मे वडे-वडे, पूरे पृष्ठो के विज्ञापन

प्रकाशित करवाये जाते थे और उनमे यह दिखाया जाता था कि विद्युत् सहकारियों को सरकार से काफी मोटी आर्थिक सहायताएँ मिलती है, ये सहकारी करदाता पर भीषण आर्थिक बोझ बने हुए है; सहकारी अनुचित होड़ करते है, सहकारी का 'अमरीकी जीवन-पद्धति' से जरा भी मेल नही; आदि-आदि। ऊँचा वेतन फटकारने वाले लाबीबाज बार-बार इन मागो को दुहराने लगे कि जनित्रण और पारेषण के लिए दिये जाने वाले कर्जों मे एकदम कमी कर दी जाए, ग्रामीण विद्युत प्रशासन सहकारियों को जिन दरो पर व्याज देता है उनमे तत्काल वृद्धि की जाए, और अधिक अच्छा तो यही होगा कि ग्रामीण विद्युत् प्रशासन को ही भग कर दिया जाए; और देश के उस समय के प्रशासकीय अधिकारी इन माँगों का समर्थन करते थे! इस बात पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया कि विद्युत् सहकारियों को अपने वित्तीय प्रबन्ध के लिए नियमित साधनो का ही आश्रय लेना चाहिए, अर्थात् बैंको, बीमा कम्पनियों और साहूकार पेढियों के दरवाजे खटखटाना चाहिए। निजी व्यापारी कम्पनियों के समस्त कर्मचारियो ने इस बात के लिए अपना सारा जोर लगा दिया कि किसी तरह विद्युत् सहकारियों के सदस्यों की निष्ठा को डिगाया और उन्हे अपने कारबार को व्यापारी गुटो के हाथ बेचने के पक्ष मे मत देने के लिए फुसलाया जा सके। यह जाना-माना तथ्य होते हुए भी कि बहुत से जिलो मे विद्युत् सहकारी बडे करदाताओ मे गिने जाते है, उन पर 'कर-मुक्त' होने का आरोप गला फाड-फाड कर लगाया गया।

पडती जा रही थी और जब विद्युत् सहकारियो द्वारा लगाये हुए चार लाख मीटर(मापक यन्त्र) सुन्न पडे थे, क्योकि उन फारमो पर एक भी आदमी नहीं था।

ऐसे समय सहकारियो के खिलाफ इतनी कटु आलोचना का कारण समझ मे नही आता। दो मे से एक हो बात हो सकती है, या तो लोगो को आमतोर पर तथ्यो की जानकारी नही होती, या वे उनके बारे मे कुछ सोचते हो नही।

सच्चाई यही है, कि सयुक्त राज्य अमरीका ने ग्राम्य विद्युतन कार्यक्रम से काफी पैसा कमाया है। सहकारियो ने अपना कर्ज हमेशा निर्धारित समय से पहले ही चुकता किया है। ब्याज का २ प्रतिशत दर भी इस कार्यक्रम के समस्त प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए काफी है।

सहकारी अपने प्रतिस्पर्द्धियो द्वारा चुकाये जाने वाले सभी कर चुकाते है, और जैसा कि कहा जा चुका है, कुछ मामलो मे तो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कर चुकाने वालो मे वे ही सबसे बडे और प्रमुख करदाता होते है। यह सच है कि विद्युत् सहकारियो को सघीय आयकरो से छूट मिली हुई है, जो किसी भी तरह के दूसरे सहकारियो को नही दी गई है। इस छूट का प्रावधान इसलिए किया गया कि विद्युत् सहकारी किसी भी उपभोक्ता की सेवा तब तक नही कर सकते जब तक कि वह उस सहकारी का सदस्य नही बन जाता। इस तरह की छूट देने का उद्देश्य यह है कि सहकारियो का सगठन लाभार्जन विहीन ऐसे व्यवसायो के रूप मे ही किया जाना चाहिए, जिनकी सारी कमाई उनके सदस्यो की सम्पत्ति होती है, न कि सहकारियो की। इसलिए आयकर चुकाने की पूरी जिम्मेवारी उन सदस्यो की है, सहकारियो की नही। अपनी सहकारी सस्थाओ से प्राप्त सरक्षण धन वापसियो के कारण उनकी आय मे जितनी भी वृद्धि हो अथवा व्यवसाय करने की उनकी लागत जितनी भी कम हो उसी अनुपात मे उन सदस्यो से आयकर लिया जाना चाहिए। कभी-कभी सरक्षण धन वापसी की अदायगी नकद रुपयो मे की जाती है, लेकिन अधिकतर वह 'पूंजी गत जमा पत्र' के रूप मे होती है, जो सहकारी विद्युत्-शक्ति व्यवसायो के स्वामीत्व के सम्बन्ध मे इस आशय के प्रमाण पत्र है कि उन व्यवसायो पर साम्या (न्यायत समान अधिकार) उस व्यवसाय के सदस्यो का ही है। १९५९ तक देश के विद्युत् सहकारी व्यव-

साय पर इन-सदस्यो का औसत साम्या स्वामीत्व १७ प्रतिशत तक हो चुका था, लेकिन वहुत तेजी से विकसित हो रहे इन सहकारी व्यवसायो की पूँजी की बढती हुई माँग को पूरा करने के लिए ५० प्रतिशत साम्या स्वामीत्व की जो शर्त वहुत से ऋणदाता लगाते है, उससे अभी यह वहुत कम है। तात्पर्य यह कि 'प्रचलित' दरों पर कर्ज मिलने की कोई सम्भावना दिखाई नही देती।

ग्रामोण विद्युत् प्रशासन द्वारा विद्युत् सहकारियो को इतने न्यून व्याज पर ऋण दिया जाना उनके साथ किये गए सविदा करार का ही एक भाग है। ऋण को इन न्यूनतर दरो का दूसरा पहलू यह है कि विद्युत् सहकारियो को लागत की चिन्ता किये विना अपने क्षेत्र के सभी इच्छुको उपभोक्ताओ को सेवा अनिवार्यत करनो होती है, प्रचुर खपत वाले सघन उपभोक्ता क्षेत्र उन्हे सुलभ नही होते, वस्तुत उन पर यह प्रतिवन्ध होता है कि वे पन्द्रह सौ से अधिक जनसख्या वाले समुदाय की सेवा नही करेगे।

ये विद्युत् सहकारी अमरीका की एक नये प्रकार की व्यापारी सस्था है। इनके साथ किसी तरह का अन्याय नही होना चाहिए, वस्तुत ये वहुत अच्छे व्यवहार के अधिकारो हैं। जहाँ पहले न विजली की रोशनी थी और न विद्युत् शक्ति। उन फारमो और गाँवों के घरों और पाठशालाओं और गिरजाघरो मे इन्ही ने विजली की रोशनी और विद्युत् शक्ति को पहुँचाया। हमारे उद्योग का ग्रामोण क्षेत्रो मे विकेन्द्रोकरण इन्ही की कृपा से सम्भव हो सका। सभी प्रकार के विद्युत् उपकरणो और सेवाओ की खपत का इन्होंने कितना विशाल और नया वाजार खोल दिया है।

इन्होने और भो महान कार्य किया, क्योंकि विद्युत शक्ति आधुनिक अर्थ व्यवस्था और सामाजिक जीवन का प्राण है। इसके विना न तो कोई उद्योग चल सकता है और न कोई व्यापार, न कोई नगर और न कोई कस्वा—इसके अभाव मे सभो ठप्प हो जाते है। आज विद्युत् प्रदाय जिनकी मुट्ठी मे है राष्ट्र भी उनो की मुट्ठी मे है।

इसोलिए विद्युत् शक्ति पर किसी का एकाधिकार नही होना चाहिए—निजी व्यापारी-सम्राटो का तो कदापि नही।

बडी-बडी व्यापारी कम्पनियों के हाथ मे हमारे विद्युत्-शक्ति व्यवसाय

का ८५ प्रतिशत केन्द्रित है। इनकी तुलना मे विद्युत् सहकारियों का कुल राष्ट्रीय व्यवसाय वास्तव मे वहुत ही थोडा है। फिर इन वडो-वडी व्यापारी कम्पनियों को इन सहकारियों के विरुद्ध इतना विष-वमन और इन पर इतनी चतुराई और इतने अस्त्र-शस्त्रो से आक्रमण क्यों करना चाहिए ?

क्या यह प्रत्येक विचारवान अमरीकी के लिए महान गर्व की वात नही है कि हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ दिवालिया होने जा रहे किसानो के समूह अपने अच्छे-भले नामो और अच्छी-भली साख पर और सहकारिता तथा पारस्परिक सहायता की पद्धति को अपना कर वडी मन्दी के दौर से वच कर निकल आये और अपने लिए विजली कम्पनियाँ वना सके ? क्या हमें इस तथ्य से प्रसन्न नही होना चाहिए कि एकाधिकार से समस्त जर्जर उद्योग मे स्वस्थ प्रतियोगिता के प्राण पूरित किये गए ? क्या यह सच नही है कि समूची अर्थ-व्यवस्था और वाणिज्य के लिए जिस पर आवश्यक नीति का समर्थन किया जा सकता है वह वगैर घाटे की, न्यूनतम लागत पर उत्पादन और वितरण की ही नीति हो सकती है ? यदि हाँ, तव तो विद्युत् सहकारी सारे अमरीकावासियो के धन्यवाद और समर्थन के अधिकारी है।

और यह भी क्या कम उल्लेखनीय है कि विद्युत् सहकारयो का—और दूसरे सहकारियों का भी विरोध प्राय उनके क्षेत्र से वाहर और दूर के ही लोग करते है। जिन क्षेत्रों मे सहकारी बनाये जाते और काम तथा सेवा करते है वहाँ के लोग कभी इनका विरोध नही करते—यहाँ तक कि घोर अनुदार और कट्टर पुराणपन्थी व्यापारी भी नही।

क्योंकि उन्होने परिवर्तन और रूपान्तर के आधुनिक चमत्कार को घटित होते देखा और अनुभव किया है, और उनका जीवन उससे पूर्णत प्रभावित हुआ है, वल्कि आमूल बदल ही गया है, जैसा कि जार्जिया के एक देहाती डाकिये का कहना है "जो प्रदेश पहले अत्यन्त पिछडा हुआ, आदिम ढग से खेती करने वाला, मलेरिया ग्रस्त घोर जगल था वही अब आधुनिक कृषि का उन्नत क्षेत्र हो गया, जहाँ के लोग दैनिक पत्र मँगवाते है, अपने बच्चो को कालेज भेजते है, रात मे बिजली की रोशनी मे पढते है और जहाँ की माँ के पास माँ वनने का समय है।"

जिन बाधा-बन्धनों और सीमाओं के अन्तर्गत विद्युत् सहकारियों को अपना काम करना पडता है उसे देखते हुए उनसे लिये जाने वाले ब्याज की दरें और उनकी कराधान स्थिति सर्वथा उचित ही है। यहाँ इस बात का उल्लेख किये बिना नही रहा जा सकता कि इतनी बाधा-बन्धनों और मर्यादाओं के रहते हुए भी विद्युत सहकारियों ने उस उद्योग मे, जिसकी गति बहुत कुछ अशों मे अवरुद्ध हो गई थी, एक नये प्रकार की सक्रियता प्रवर्तित की। उन्होंने एकाधिकार को उस उद्योग मे औद्योगिकीय बेकारी बढाने से रोका। प्रतिस्पर्द्धियो की ओर से उन पर जो प्रबल प्रहार किये जा रहे हैं वे ग्रामीण अमरीका की अर्थ व्यवस्था मे उनकी सफलता, महत्त्व और स्थायित्व के ही उत्कृष्ट प्रमाण है।

१९६१ मे जब (स्वर्गीय) जान एफ० केनेडी ने राष्ट्रपति-पद संभाला तो विद्युत् और दूसरे सभी सहकारियो के भावी विकास की सम्भावनाएं बहुत उज्ज्वल हो गई। क्योंकि निगमी प्रशासन के प्रतिकूल मिस्टर केनेडी और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी देश के विद्युत् सहकारियों की आवश्यक समस्याओ और उपयोगिता को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे।

६ | एकाधिकारी शक्ति और स्वतन्त्रता की आशा

युद्धोतर कालीन अमरीका मे रहन-सहन के स्तर मे निरन्तर उन्नति, वर्ग-भेदो के अस्पष्ट होते जाने और सम्पत्ति, स्वामीत्व एव आय के अधिक व्यापक वितरण के सम्बन्ध मे काफी बढा-चढा कर बाते कही जाती रही है। युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों मे इन तीनो प्रवृत्तियो के सबल होने के ठोस प्रमाण भी उपलब्ध हुए। कारखानो के आगे उनमे काम करने वाले मजदूरो की मोटरो की कतारे तो अब भी विदेशी पर्यटको के लिए अमरीका की भव्य दर्शनीयताओ मे से है। दूसरे देशो मे मजदूरो के पास मोटरो की जगह अधिक-से-अधिक बाइसिकले होगी, या कुछ भी न होगा।

रहन-सहन का स्तर बराबर उन्नत होता रहा और वर्गभेद इस सीमा तक तो अस्पष्ट रहे ही कि वेशभूषा और वस्त्राभूषणो से अब भी यह नही पहचाना जा सकता कि कौन स्टेनोग्राफर है और कौन सम्पन्न महिला, लेकिन सम्पत्ति आदि के व्यापक वितरण की बात तथ्यो से जरा भी मेल नही खाती—वह निरी डीग ही बनी रही। उलटे, आर्थिक शक्ति थोडे से और भी थोडे हाथो मे सिमटती चली गई। उद्योग-धन्धे अधिकाधिक मात्रा मे 'तीन बडो' या 'चार बडो' के प्रभुत्व मे आते जा रहे है। जन सख्या का बहुत ही छोटा-सा भाग उद्योगो के साम्या स्वामीत्व को पूरी सार्थकता से अपने अधिकार मे किये हुए है। और औद्योगिक दानवो से सही अर्थों में स्वतन्त्र छोटे व्यवसाय के लिए तो टिके रहना भी अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है।

१९५२ मे सयुक्त राज्य अमरीका मे साढे सैतीस लाख परिवारो के एक या एकाधिक सदस्य निगम पूंजी के एक या एकाधिक हिस्सो के स्वामी थे। उसके बाद चार वर्षो तक स्वामीत्व को विस्तारित करने और 'जनता के पूंजीवाद' को आशिक सत्य का रूप देने के लिए घोर अभियान किया गया तो १९५६ मे निगम पूंजी के स्टाकधारियो की सख्या ३५ लाख परिवारो के सदस्यो तक

विस्तारित की जा सकी। लेकिन चार करोड परिवार फिर भी ऐसे रहे जिनमे से किसी के पास निगम पूँजी का एक भी हिस्सा नही था।

सयुक्त राज्य अमरीका के निगमो मे दस मे केवल एक ही परिवार एक हिस्से तक का स्वामी होगा। इसके विपरीत चार मे से एक परिवार के पास एक या एक से अधिक सहकारियो के एक या एकाधिक हिस्से है। सहकारी व्यवसायो के हाथ मे कुल राष्ट्रीय व्यापार का केवल २ प्रतिशत है और देश के सारे पजीकृत निगमो के पास ८५ प्रतिशत, फिर भी उनकी अपेक्षा ढाई गुना परिवारो को सहकारियो ने व्यापार के स्वामीत्व का अवसर प्रदान किया है।

यह बात विचारणीय है, और यदि हम 'जनता के पूँजीवाद' को लाने के लिए वास्तव मे उत्सुक है तब तो हमे इस तथ्य पर और भी अधिक विचार करना चाहिए।

विक्टर पर्लो ने 'अमरीकन इकानामिक रिव्यू' मे हाल ही मे प्रकाशित अपने एक लेख मे इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि निगमो के चार अरब डालर मूल्य के हिस्से (स्टाक) डुपाण्ट परिवार के पास है और राकफेलर एव मेलन परिवारो मे से प्रत्येक के पास तीन-तीन अरब डालर के, लेकिन सयुक्त राज्य अमरीका के सभी मजदूरो के पास कुल मिलाकर इस तरह के हिस्से ७५ करोड डालर से भी कम के ही होंगे।

१९२९ की बडी मन्दी से लेकर १९४७ तक झुकाव धन और सम्पत्ति के स्वामीत्व को ज्यादा-से-ज्यादा लोगो तक फैलाने की ओर था। उसके बाद प्रवाह की दिशा पलट गई और १९५३ मे २ प्रतिशत से भी कम लोग राष्ट्र की वैयक्तिक सम्पत्ति के ३० प्रतिशत के स्वामी थे। निगम पूँजी के कुल हिस्सो का ८० प्रतिशत और राज्य सरकारो तथा स्थानीय प्रशासनो के सारे-के-सारे ऋण पत्र (बाण्ड) भी वस्तुत इन्ही लोगो के पास थे। ये तथ्य हमे नेशनल ब्यूरो आफ इकानामिक रिसर्च से प्राप्त हुए है।

लघु व्यवसायो की समस्याओ पर सयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि सदन (United States House of Representatives) की विशेष समिति ने यह जानकारी प्राप्त की कि देश की साढ़े इक्यावन प्रतिशत विनिर्माण आस्तियो पर १९५२ मे सबसे बडे ५०० निगमो का स्वामीत्व था, जो केवल तीन साल

बाद १९५५ मे बढकर ५७ प्रतिशत हो गया। समिति ने थोडा हिसाब लगाकर यह चिन्तनीय भविष्यवाणी की कि यदि यही गति रही तो १९७८ तक देश के सारे कारखानो पर इन ५०० निगमो का स्वामीत्व हो जाएगा।

स्वामीत्व के सकेन्द्रण के साथ-ही-साथ नियन्त्रण और निर्णय का सकेन्द्रण भी होता ही है। १९५९ के मार्च महीने में 'वालस्ट्रीट जरनल' ने क्रिस्लर कारपोरेशन के अध्यक्ष के इस कथन का उल्लेख किया था कि थोडी जगह मे खडी रखी जानेवाली छोटी मोटर बनाने का क्रिस्लर का निर्णय जनरल मोटर्स और फोर्ड के इस प्रकरण से सम्बन्धित निर्णय पर निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय ने यह तो अवश्य नही कहा था, लेकिन सचाई यही है कि ऐसी छोटी मोटर का विक्री मूल्य भी पूर्णत जनरल मोटर्स द्वारा निर्धारित कीमत पर ही निर्भर करता है।

कई बार तो छोटे व्यवसायी को समझ मे ही नही आ पाता कि इस नई व्यवस्था मे अमरीकी व्यवसाय को चलाया किस तरह जाए।

१९५७ मे लघु व्यवसाय प्रशासन (Small Business Administration) से कर्ज पानेवाले एक छोटे नानबाई ने एक बडे सैनिक रसद विभाग का रोटियो की आपूर्ति का ठेका लेने का निश्चय किया। उस समय तक चार बहुत बडी-बडी नानबाइयो को ही वहाँ का ठेका मिलता रहा था। केवल राई की रोटी को छोड कर वे चारो हमेशा बाकी रोटियो के लिए एक ही दर भरा करते थे। सफेद रोटी के लिए उन सबकी दरे हमेशा साढे सत्रह सेट होती और दूसरे प्रकार की रोटियो के लिए इससे मिलती-जुलती। राई की रोटी की दरो के लिए वे पर्ची डाल कर पहले तय कर लेते थे कि जिसका नाम खुले वही दूसरो से एक सेर कम भर दे। इस तरह जो एक सेर कम भरता उसी को ठेका मिल जाया करता था।

इस बार छोटे नानबाई ने १२ ७० सेट की दरे भरी जो अभी तक सेना द्वारा दी जाती रही दरो से बहुत न्यून थी। लेकिन यह बात मालूम होते ही उन चार बडी नानबाइयो मे से एक ने तत्काल अपनी दरे साढे दस सेट कर दी, जो उनकी सदा की दरो से जो लगभग ४० प्रतिशत कम थी। और वह ठेका उस बडी नानबाई को मिल गया।

आज सयुक्त राज्य मे अनुसन्धान और उन्नयन-सम्बन्धी सारे कार्यो का लगभग ८५ प्रतिशत केवल ३७५ बडी-बडी कम्पनियो द्वारा किया जाता है।

प्रतिरक्षा-सम्बन्धी सारे ठेको का ९४ प्रतिशत हर वार वहुत वडी-वडी व्यापारी-सस्थाओ का वही-का-वही समूह मार ले जाता है।

सिर्फ निर्माण मे ही नही दूसरे व्यापारो मे भी एकाधिकार का प्रवेश वढता जा रहा है।

१९३९ मे देश मे फुटकर खाद्यान्न भडारो की सख्या ३,८७,००० थी, जो १९५४ मे २, ७९,००० हो गई, यानी ३९ प्रतिशत कमी हुई। इतना ही नहीं, १९५४ मे इन २,७९,००० भडारो मे से ६००० भडार कुल विक्री की एक तिहाई विक्री कर रहे थे।

सहकारी लीग के जन सम्पर्क सम्मेलन को १९५८ मे सघीय सचार आयोग (Federal Communication Commission) के एक सदस्य ने यह वताया कि ९० प्रतिशत दर्शक केवल दो टेलीविजन कम्पनियो के पास है और न्यूयार्क सिटी की सिर्फ १८ कम्पनियाँ कुल रेडियो टेलीविजन विज्ञापन का ८० प्रतिशत काम सँभाले हुए है।

समाचार पत्रो की प्रतिद्वन्द्विता तो अव बीते जमाने की कहानी हो गई है। देश के कोई चौदह सौ नगरो मे दैनिक पत्र है ।

लेकिन समाचार पत्रों को चलाने वाले अलग और उनके स्वामी अलग ऐसे अधिक नही केवल दो भिन्न व्यक्ति अथवा भिन्न सस्थाएँ तो तीन सौ से भी कम नगरो मे ही होगो। वाकी स्थानो मे तो जहाँ तक समाचार पत्रो का प्रश्न है, सवाद, सूचना और समाचारो पर एकाधिकार का पूर्णछत्र साम्राज्य है। आज तो समाचार पत्र की स्वतन्त्रता का अर्थ ही हो गया है जो जी मे आये कहने के लिए अपने पैसो के वल पर समाचारपत्र के स्वामी वनने की मुट्ठी-भर लोगो की स्वतन्त्रता। सयुक्त राज्य की सीनेट के एक वडे विशिष्ट और सर्वसम्माननीय सदस्य १९६० मे तीसरी वार चुनाव के लिए खडे हुए तो उन्हे यह आशा थी कि राज्य के सैकडो समाचार पत्रो मे से अधिक नही तव भी एक या दो तो उनका अवश्य समर्थन करेगे। वे जिस पार्टी से सम्बद्ध है वह देश के 'शक्ति-श्रेष्ठियो' को फूटी आँखो नही सुहाती। ये सीनेटर महोदय जिस राज्य के है वहाँ के सबसे वडे नगर मे डेमोक्रेटो का २ . १ या ३ १ के अनुपात मे वहुमत है। लेकिन नगर के चारो समाचार पत्र कट्टर रिपब्लिकन है, सिर्फ इसलिए कि

उनके मालिक रिपब्लिकन है। समाचारपत्र पक्षपात नही करता उसे करना भी नही चाहिए। वह तो सम्पत्ति है—अपने पूरे रूप मे—उन लोगो की जिनका एक तरह का दृष्टिकोण है। और भिन्न विचारो एव दृष्टिकोणो की प्रतिस्पर्द्धा तो कभी से भूत काल की वात हो गई है। समाचार पत्र हामी है समनुरूपता का और दूसरो को भी इसी तरह के आचरण के लिए उद्वोधित करता है।

आर्थिक शक्ति के इस अत्यधिक केन्द्रीकरण के कुछ परिणाम तो विलकुल सामने ही है। 'फार्च्यून' नामक पत्र ने सवसे वडे ५०० निगमो का जो वार्षिक सर्वेक्षण किया उससे पता चलता है कि उनके लाभ की वार्षिक औसत दर १० और १२ प्रतिशत के वीच मे है। १९५९ की पहली छहमाही मे युनाइटेड स्टेट्स् स्टील ने विक्री पर १० प्रतिशत और निवेशित पूंजी पर १७ प्रतिशत लाभ कमाया।

मुनाफा कमाने मे कोई बुराई नही है, लेकिन इन विशाल व्यवसायी दानवो के मुकावले छोटे व्यवसायो का औसत मुनाफा पचमाश और दशमाश भी मुश्किल से ही होगा।

इसका कारण यह है कि वडी कम्पनियाँ अपने उत्पादनो और सेवाओ की कीमते अपनी इच्छानुसार—व्यवस्थापित ढग से—निश्चित करने की स्थिति मे होती है १९५८ की गोष्म मे इन्टरनेशनल मिनरल्स एण्ड केमिकल कारपोरेशन के उपाध्यक्ष नेल्सन सी० वाईट ने इसी वात को यो कहा है "उद्योग की मूल्य-निर्धारण की पद्धति के सम्बन्ध मे जितनी गलत फहमी है उतनी उसके काम करने के और किसी भी ढग के बारे मे नही है। इसके लिए अकसर हमारी आलोचना की जाती है। हमारी ओर से अपना बचाव करने की तो इतनी जरूरत नही है, परन्तु स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है। अपने निगमित उद्देश्यो को सम्पादित करने के लिए हर एक कम्पनी के पास मूल्य-निर्धारण साधन-स्वरूप है। इसीलिए तो मूल्य-निर्धारण एक निश्चित नीति के अनुसार, एक निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है, अटकल पच्चू ढग पर नही।" और जैसा कि पिछले अध्याय मे वताया जा चुका है सयुक्त राज्य इस्पात कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित 'इस्पात और मुद्रास्फिति से सम्बन्धित तथ्य एव कपोल कल्पनाएँ' नामक पत्रिका मे पढा जा सकता है कि वर्तमान अमरीका मे प्रचलित ८८ प्रति-

शत कीमते बनावटी तरीके से बढाई हुई व्यवस्थापित ढग की कीमते है।

इस तरह की बनावटी कीमतो को 'व्यवस्थापित कीमतें' या व्यवस्थापित मूल्य' कहा जाता है, क्योंकि कम्पनियो का व्यवस्थामण्डल प्रशासनीय निर्णयों से उन्हें तय करता है। यह पद्धति उसी कम्पनी मे लागू की जा सकती है जहाँ किसी उद्योग पर अपने ही जैसी तीन या चार विशाल कम्पनियों के साथ एकाधिकारी नियन्त्रण हो। व्यवस्थापित मूल्यो का साधारणत. आर्थिक परिस्थितियो से अथवा माँग और पूर्ति के नियम से कोई भी सम्बन्ध नही होता। फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुसन्धान निदेशक राल्फ ए० यग ने इस्पात और मोटरो की मूल्य वृद्धि पर १९५९ के आरम्भ मे टिप्पणी करते हुए अत्यन्त संक्षेप मे कहा था . "अर्थशास्त्र की दृष्टि से ` बोध गम्य नही है।"

वास्तव मे ही बोधगम्य नही है।

इस्पात और मोटरो की कीमते १९५९ मे उस समय बढ़ाई गई जब माँग की अपेक्षा माल कही ज्यादा था। उस समय इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का केवल ५० प्रतिशत के लगभग उत्पादन कर रहा था। मोटरों की बिक्री अपेक्षा से बहुत कम हो रही थी, फिर भी कीमते बढा दी गई, घटाई नही गईं।

१९५० के बाद की पूरी दशाब्दी मे मुद्रास्फीति और डालर की क्रय-शक्ति पर सकट को लेकर काफी चिल्ल-पो मची रही। लेकिन गुहार मचाने वालों में से किसी ने स्फीति के मूल कारणों को खोलकर दिखाने का साहस नही किया।

एकाधिकारी औद्योगिक शक्ति ही उस मुद्रास्फीति का मूल कारण थी। १९५० के बाद की दशाब्दी मे यदि हमारे सारे उद्योग प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगों की ही तरह चलाये जाते तो स्फीति और मूल्य वृद्धि की नौबत ही न आने पाती। इस सम्बन्ध मे प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगों से दो उदाहरण देना काफी होगा : १९५३ से १९५८ तक के बीच कृषि उपजों के मूल्य ५ प्रतिशत गिर गये और यही हाल कपड़े के मूल्यों का भी रहा। लेकिन इसी बीच इस्पात की कीमतें ३७ प्रतिशत, मोटर गाड़ियाँ और मशीनो की कीमतें २२ प्रतिशत और तम्बाकू की कीमतें १५ प्रतिशत बढ़ा दी गईं; और यही स्थिति आम-तौर पर उन सारे उद्योगों मे हुई जहाँ एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण व्यवस्थापित कीमते सम्भव थी।

नतीजा यह हुआ कि कृषि-उपजों और कुछ अन्य कीमतो मे काफी गिरावट होने के बावजूद उन पॉच वर्षो मे थोक कीमतो के सूचकाक मे ८ प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

एकाधिकार ने अपना कर वसूल कर ही लिया।

और एकाधिकार जो दूसरा कर वसूल करता है वह तो और भी खतरनाक है। एकाधिकारी पद्धति पर चलाये जाने वाले उद्योग अपने अधिकाश विकास के लिए आजकल हिस्से बेचकर वित्तीय प्रवन्ध नही करते, वे इस कार्य के लिए 'आन्तरिक वित्तीय प्रवन्ध' की प्रणाली को अपनाते है, अर्थात् लाभाश का उपयोग नये सयत्रो का मूल्य चुकाने अथवा प्रतिस्पर्द्धी व्यवसायो को खरीदने मे किया जाता है।

इसका सही अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थ व्यवस्था के एकाधिकारी टुकडे मे फँसी पूंजी और मजूरी का निरन्तर बढ़ती जाती औद्योगिकीय दक्षता स सारे राष्ट्र को लाभान्वित करने मे कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि हो रहा होता तो या तो उन्हे कीमते घटानी पडती या उन्ही कीमतों पर ज्यादा अच्छा माल देना पडता। और बिना नये हिस्से वेचे नये सयत्रों का निर्माण करने अथवा पूरे व्यवसायो को ही खरीद लेने लायक अनाप-शनाप मुनाफे तो वे कभी भी नही कर सकते थे। और नये उपभोक्ताओ से उत्पादित वस्तुओ के मूल्य मे नये सिरे से बनाये जाने वाले कारखानो का मूल्य जोड कर अत्यधिक महँगी कीमते वसूल कर रहे होते।

जब तक यह चलता रहेगा औद्योगिकीय वेकारी बढती ही जाएगी, कृषि--- जसे प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगो को हानि होती रहेगी और अमरीकी अर्थव्यवस्था के विकास की गति पिछडती चली जाएगी।

इस सम्बन्ध मे कुछ तो करना ही होगा। क्योंकि जैसा यूनियन आयल कम्पनी ने अपने सम्यागत उद्देश्य-सम्बन्धी विज्ञापनो मे कहा है "थोडे से लोगों के हाथो मे, चाहे वे व्यवयाय हो, चाहे रुपया लगाने वाले साहूकार, चाहे उद्योगपति हों, सरकारी अधिकारी हो अथवा मजदूर नेता, शक्ति का किसी भी तरह का केन्द्रीकरण बहुसख्यक जनता को अनिवार्यत हानि पहुँचाने वाला ही होता है।"

इस सम्बन्ध मे कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा, नही तो सयुक्त राज्य मे आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक महोद्यम और आर्थिक विकास का उत्पादन पर लगे प्रतिबन्धो के हाथो, जो व्यवस्थापित मूल्य निर्धारण का अवश्यम्भावी परिणाम है, गला ही घुँट जाएगा।

लेकिन क्या, आखिर क्या किया जा सकता है?

एक उपाय जिस पर कम-से-कम विचार तो किया ही जाना चाहिए, यह है कि जब तक हमारी समूची अर्थ व्यवस्था पर मुट्ठी-भर निगमो का एकाधिकारी नियन्त्रण पूरी तरह स्थापित नही हो जाता, जब तक मूल्यो की होड़ पूरी तरह लुप्त नही हो जाती, और जब तक किसी भी उद्योग मे नई कम्पनियो का प्रवेश आज मोटर, इस्पात, कृषि-यन्त्र या रसायन उद्योग की ही तरह असम्भव नही हो जाता, इस ढर्रे को जैसा यह चल रहा है चलता रहने देना चाहिए। लेकिन यह जरा अविश्वसनीय लगता है कि जिस देश के आदि निर्माताओ ने स्वतन्त्रता की खोज मे तूफानी समुद्रो को पार किया था उसी देश की जनता स्वतन्त्रता का यों अन्त हो जाने देगी। परन्तु यदि जनता की निष्क्रियता शीघ्रातिशीघ्र रोषावेश मे परिणत नही हुई तो ठीक यही परिणाम होकर रहेगा।

दूसरा उपाय है न्यास-विरोधी कानूनो को सचमुच ही लागू कर देना। शरमन कानून बन जाने के बाद भी यह काम अभी तक हो नही पाया है। प्रभावशाली होने के लिए इन कानूनों मे इतना सशोधन करना पडेगा कि किसी भी उद्योग मे एकाधिकारी शक्ति का, फिर वह शक्ति कैसे ही क्यो न प्राप्त की गई हो, विद्यमान होना ही उसके खिलाफ प्रतीकारात्मक कारवाई करने का पर्याप्त कारण समझा जाना चाहिए।

लेकिन यह प्रश्न बडा टेढा है कि प्रतीकारात्मक कारवाई किस प्रकार की हो? क्या जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड या दूसरे किसी भी 'जनरल' निगम को जोर-जबर्दस्ती तोडा जा सकता है? और यदि तोड़ भी दिया जाए तो क्या वे टूटे हुए रहेगे? और उनके तोडे जाने के परिणामस्वरूप जो छोटी कम्पनियाँ बनेगी वे प्रतियोगिता और खास तौर पर मूल्य-निर्धारण की प्रतियोगिता कर सकेगी?

ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाना वास्तव मे बडा मुश्किल है।

काग्रेस के जिन सदस्यो ने हमारी अर्थ व्यवस्था मे एकाधिकार के प्रसार का तथ्यात्मक अनुशीलन किया है उनकी ओर से कई तरह के सुझाव पेश हुए है। एक सुझाव तो यह है कि मूल उद्योगो मे मूल्य वृद्धि की घोषणा पहले से की जानी चाहिए, इससे उन लोगो के मन पर, जो मनमाने तरीके पर मूल्य-वृद्धि को व्यवस्थापित कर देते है, आगा पीछा सोचने की कुछ तो रोक लग ही सकती है। दूसरा प्रस्ताव काफी पुराना है, जिसे सबसे पहले व्योमिंग के सीनेटर ओ माहोनी ने पेश किया था, वह यह कि अन्तर्राज्यीय व्यवसाय करने वाले सभी निगमो को सघीय सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया जाना चाहिए, इससे तथ्य-सम्बन्धी जानकारी देने मे अधिक तत्परता बरती जा सकेगी। लेकिन इससे इस बात का जवाब तो नही मिलता कि उन तथ्यो के आधार पर क्या कारवाई की जाएगी और कैसे की जाएगी।

उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति को सगठित करना ही एकाधिकार के खतरो के खिलाफ सबसे पक्का और प्रभावशाली प्रतीकारात्मक कदम है। स्वीडन—जैसे देशो मे इस तरह के कदम काफी हद तक उठाये जा चुके है और जहाँ भी उठाये जायेगे वहाँ न्यास-विरोधी कानूनो की आवश्यकता नही होगी। उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी व्यवसाय आर्थिक मूल्य-निर्धारण, श्रेष्ठता और, सबसे अधिक, पूरे उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा करते है। इस तरह के उपभोक्ता स्वामीत्व वाले व्यवसाय सुसगठित उत्पादको से बराबरी के स्तर पर मोल-भाव ही नही कर सकते, अपने सहकारी भडारों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए स्वय उत्पादन भी आरम्भ कर सकते है और इस प्रकार प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा के पुनरारम्भ की सही पद्धति के द्वारा एकाधिकार की पकड को तोड सकते है। लेकिन इस सम्बन्ध मे आगे किसी अध्याय मे विचार किया जाएगा।

लेकिन एक कदम है जिसे लघु व्यवसाय तत्काल और स्वय उठा सकता है। वह कदम क्या है, यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। ।

थोडा समय हुआ एक गम्भीर विचारवान व्यक्ति, जो बचपन पार कर चुके थे, सहकारी लीग के दफ्तर मे आये। उन्होंने यह कह कर अपनी बात

शुरू की . "छोटे स्वतन्त्र स्वामीत्व वाले व्यवसायो के दिन अब आ लगे हैं। मैं स्वय नही जानता कि कितने दिन टिक पाऊँगा। वह समय दूर नही है जब हमारे छोटे कस्बो की मैन स्ट्रीट की सब दुकाने और सारा कारोबार बडी राष्ट्रीय कम्पनियो के हाथ मे चला जाएगा और हम सब छोटे व्यापारियो को घर मे बैठना पडेगा।"

सहकारी लीग के दफ्तर मे जिन सज्जन ने मुझसे यह बात कही वे कोई उग्र सुधारवादी नही थे वे पक्के प्रौढे व्यापारी और इलिनोइस के एक देहाती कस्बे मे किराना माल की बडी दुकान के सफल स्वामी थे। उनका कारबार, जैसा कि उन्होने बताया, अब भी अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन भविष्य उन्हे दिखाई दे गया था। और जो भविष्य दिखाई दिया वह उन्हे जरा भी पसन्द नही आया। वे इसमे विश्वास करते थे कि स्थानीय व्यवसाय स्थानीय लोगो के ही हाथ मे रहना चाहिए। वे स्वस्थ प्रतियोगिता मे विश्वास करते थे। यह उन्हे स्वीकार नही था कि देश व्यापी दुकान-शृखलाओं वाला कोई विशाल कारबार उनके छोटे कामकाज को लील जाए; अपनी शक्ति-भर वे इसे रोकना चाहते थे।

इसे रोकने का एक उपाय उन्होंने सोच भी निकाला था। और उनका खयाल था कि यह उपाय केवल काम चलाऊ नही स्थायी है।

यही कारण था कि वे अपने कस्बे से चल कर सहकारी लीग के दफ्तर मे हम लोगो से मिलने के लिए आये थे और उससे पहले दक्षिणी विसकोन्सिन के सहकारियों से मिल लिये थे और उत्तरी इलिनोइस के एक क्षेत्रीय थोक सहकारी से भी बात कर चुके थे।

वे अपने निजी कारबार को सहकारी रूप देना चाहते थे। उनका कहना था कि सहकारी बना देने पर जहाँ कारबार है उसी कस्बे के स्थानीय लोगो के स्थानीय स्वामीत्व का ही वह हमेशा-हमेशा बना रहेगा। यह बात उनकी समझ मे आ गई थी और बातचीत के दौरान उन्होने कहा भी कि एकाधिकारी आर्थिक शक्ति के लिए जो धकमपेल मची हुई है उसमे एकमात्र सहकारी व्यवसाय ही टिके रह सकते है, सामना कर सकते है और अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रख सकते है।

इन सज्जन ने अपने कस्वे के कुछ प्रभावशाली नागरिको की वैठक वुला कर उनसे इस वारे मे थोडी-वहुत चर्चा भी कर ली थी, और उन्होने वताया कि उन लोगो की भी इसमे दिलचस्पी थी।

हमने उन्हे आश्वासन दिया कि आप जव भी वुलाएँगे हम सहायतार्थ हाजिर हो जाएँगे। अपना कुछ साहित्य भी दे दिया जो उनके काम आ सकता था। वे लौट गये यह कह कर कि घर जाकर अपने कस्वे वालो से इस सम्वन्ध मे और चर्चा करेगे ओर इस वात की थाह लेगे कि उनके व्यवसाय को सहकारी का रूप देने और गाँव की ही मिल्कियत वनाये रखने के लिए उसे खरीद लेने मे उन लोगो की कितनी-क्या दिलचस्पी है। यदि वे अपने इस अनुष्ठान मे सफल हुए तो वह उनके कस्वे के हित मे अच्छा ही होगा।

वहुत से उदाहरणो मे से अव एक और उदाहरण लीजिए। एक दिन इहोवा से एक लघु निर्माता सहकारी सेवा व्यवसायो के सगठन के सम्वन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आये।

कारण वताते हुए उन्होने कहा कि जिस माल का वे विनिर्माण कर रहे है उसमे माल तैयार करने की दक्षता का जहाँ तक प्रश्न है छोटी और वडी कम्पनी मे कोई अन्तर नही पडता। छोटी कम्पनी भी उतना ही श्रेष्ठ माल वना लेती है जितना कि वडी कम्पनी। प्रतियोगिता की समस्या माल के विनिर्माण को लेकर नही थी।

लेकिन देशव्यापी विज्ञापन के इस युग मे ('और इस कम्वख्त देश व्यापी विज्ञापन को भी तो अपना विज्ञापन करना पडता है।'—यही उन सज्जन ने कहा था।) छोटी कम्पनियो के लिए वडी कम्पनियो के मुकावले अपना माल वेचना असम्भव हो गया है। छोटी कम्पनियो के लिए देशव्यापी पैमाने पर विज्ञापन कर पाना या वडी-सी विक्रेता पलटन रखना भी असम्भव ही है। इसलिए आज की व्यापारी दुनिया मे न तो अपने नाम और ट्रेडमार्क की साख वन पाती है ओर न माल की खपत के सन्तोषजनक जरिए ही निकल पाते है।

इसलिए उनके मन मे एक ऐसी सहकारी बिक्री और प्रचार सस्था वनाने का विचार उदित हुआ, जो उन्ही की तरह का माल वनाने वाले कई विनिर्माताओ की साझी सस्था होगी। कई छोटे विनिर्माताओ के सयुक्त साधनो

के बल पर ऐसी सस्था बडे प्रतिस्पर्द्धियो के बिक्री और प्रचार विभाग का मुकावला कर सकती है। माल तो सभी लोग अलग-अलग ही बनाते रहेंगे, परन्तु, सब के माल के लिए आपस मे मिल कर कोई एक नाम और छाप तय की जा सकती है और बाजार में उसकी साख और चलन को बढ़ाया जा सकता है।

सहकारिता बहुत-सी छोटी इकाइयो को अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखकर स्वेच्छा से साथ मिल कर काम करने का ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे आर्थिक जगत् मे अपनी सम्मिलित हैसियत के बल पर वे बडी-बडी कम्पनियों से होड बद सके। असल मे सहकारिता बड़ेपन की दुनिया में 'छोटों' का एकमात्र आसरा है।

वास्तव मे कई हजार 'छोटे लोगों' ने इस आसरे को अपनाया भी है। स्वतन्त्र किराना भण्डार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

राष्ट्रव्यापी दुकान-शृखलाओ को प्रतिस्पर्द्धा से जो जबर्दस्ती लाभ है उन्हे देखते हुए यह सोच कर आश्चर्य होता है कि इक्के-दुक्के स्वतन्त्र किराना भडार जिन्दा कैसे रह सकते हैं।

लेकिन अभी तक तो एक-दो या तीन-चार नही हजारों जिन्दा हैं।

यह कैसे हुआ ?

साल्टलेक सिटी की एशोसिएटेड फुड स्टोर्स इन कारपोरेशन नामक फुटकर विक्रेताओ के स्वामीत्व की सहकारी थोक कम्पनी के मैनेजर डोनाल्ड पी० लायड ने १९५९ के जून महीने मे कांग्रेस की एक समिति को इस सम्बन्ध मे जो कुछ बतलाया था उसका एक अश इस प्रकार है .

"अमरीका का सहकारी खाद्य वितरक (Co-operative Food Distributors of America) जनता को सीधा माल बेचने वाले लगभग २७ हजार छोटे फुटकर भण्डारों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापार सघ है। ये फुटकर विक्रेता ही उन सौ के करीब थोक भडारों या इकाइयों के एकमात्र स्वामी हैं जिन्हे लोग-बाग फुटकर विक्रेताओं की मिल्कियत वाली थोक किराना कम्पनियों के नाम से जानते हैं। सूखे किराने की हमारी वार्षिक बिक्री सात अरब डालर से भी अधिक की है, फिर भी हम लघु व्यवसाय ही हैं २७ हजार छोटे व्यावसायिक संगठन हैं। अपने १०० थोक भंडारों से

वही काम करते है जो कोई भी थोक किराना व्यापारी कर सकता है। लेकिन उसमे और हममे केवल एक फर्क है। थोक काम से लाभ कमाने के लिए हम इस व्यापार मे नही आये है। हम इस व्यापार मे है अपने एक-एक फुटकर सदस्य और उपभोक्ता-जनता को थोक खरीद शक्ति का लाभ पहुँचाने के लिए।

"खाद्य और किराना के फुटकर भडार हमारे देश मे प्रति वर्ष लगभग पचास अरब डालर का काम करते है। करीब दो-तिहाई काम एकल भडारो (एक-एक दुकान या छोटी शृखलाओ) के द्वारा किया जाता है, बाकी एक तिहाई (सही-सही ३७ प्रतिशत) बडी दुकान-शृखलाओ (ग्यारह या उससे अधिक दुकानोवाली) के द्वारा। हम इसको सामान्यत एक मानी हुई बात समझते है कि हमारे व्यवसाय मे एकल व्यापारी अधिकाश मे इसीलिए टिके हुए है कि हमारे सगठन की तरह के सगठनो की बदौलत अपेक्षाकृत छोटे भडार भी खरीदी और बिक्री मे बराबर की होड कर सकते है।"

मिस्टर लायड ने वस्तु स्थिति की बहुत ही ठीक निरूपण किया है। यदि आर्थिक सगठन की सहकारी पद्धति को अपनाया जाए तो आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा और 'छोटे आदमी' के लिए अवसर अब भी हो सकता है। बहुत-सी छोटी दुकानो की आवश्यकता-पूर्ति का यदि सम्मिलित स्वामीत्व वाला एक सहकारी स्रोत हो तो वे बाजार मे अपने बडे-से-बडे और ताकतवर प्रतिस्पर्द्धी का सचमुच ही मुकाबला कर सकती है।

१९५४ मे सयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग ने यह विवरण दिया कि फुटकर विक्रेताओ के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक खाद्य भडारो ने कुल १ अरब ३० करोड डालर की बिक्री की, जो सभी तरह के किराना माल की कुल थोक बिक्री का १७ ७ प्रतिशत है।

'प्रोग्रेसिव ग्रासर' (प्रगतिशील किराना-विक्रेता) नामक व्यावसायिक पत्र का अनुमान है कि १९४८ से १९५७ के बीच स्वतन्त्र फुटकर विक्रेताओ के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक किराना भडारो ने अपनी बिक्री २०० प्रतिशत से भी अधिक बढा ली।

उपभोक्ताओ के स्वामीत्व वाले बहुत से सहकारी खाद्य भडार केवल अपने
 थोक सगठनो के ही नही अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओ के स्वामीत्व

वाले सहकारी थोक सगठनो के भी सदस्य है ।

पारस्परिक सहायता एकल व्यक्तियो के लिए ही नही छोटे व्यापारी अधिष्ठानों के लिए भी उपयोगी सिद्धान्त है।

जहाँ तक हम पता लगा सके है अमरीका मे इस तरह की सहकारिता पहले-पहले १८०४ मे दिखाई दी थी, जब कौनेक्टिकट के दूध उत्पादकों ने अपना एक सहकारी बिक्री सघ बनाया था।

दूसरे छोटे व्यापारियों का एक ऐसा ही पहला तुलनीय काम १८८७ मे न्यूयार्क मे हुआ जब वहाँ के औषध विक्रेताओ ने किसी दुकान के पीछे वाले कमरे मे बैठक करके एक पीपा एप्सम लवण के अपने आदेशो का निकाय बनाने का निश्चय किया था। उनसे भी पहले शिकागो मुद्रक सहकारी सघ अपने सदस्यो के लिए पुस्तक और जाव प्रिंटिग व्यवसाय लेने और वितरित करने का कार्य कर रहा था।

आज से सैकडो वर्ष पहले मध्य युग मे कारीगरो के जो शिल्पी सघ थे उनकी बहुत-सी बाते आधुनिक सहकारी से मिलती-जुलती थी। पारस्परिक सहायता के सिद्धान्त मे ही दोनो की जडे निहित है।

आज एक लाख से भी अधिक स्वतन्त्र किराना विक्रेता सहकारी थोक-भडारो के सदस्य और स्वामी है। और ८० हजार से ज्यादा औषध विक्रेता अपने-अपने क्षेत्रिय थोक भडारो से सहकारिता के आधार पर अपनी-अपनी दुकानो के लिए औषधियाँ खरीदते है। लौह खड के व्यापारी भी पीछे नही है, यद्यपि उनका थोक सेवा सस्थाओ के नाम के साथ 'सहकारी' शब्द शायद हो कभो दिखाई देता है, वैसे वे थोक सेवा सस्थाएँ सभी अर्थो मे पूरी-पूरी सहकारो है।

देश के अधिकाश समाचार पत्र एशोसिएटेड प्रेस के सदस्य और स्वामी है। यह सस्था शुद्ध सहकारी ढग से लाभार्जन विहीन आधार पर चलाई जाती है और 'लाभो' पर किसी भी प्रकार का कर नही दिया जाता।

लेकिन समाचार पत्र है कि स्वय तो अपने एशोसिएटेड प्रेस सहकारी से लाभान्वित होते है और जब दूसरे लोग, उदाहरणार्थ किसान या उपभोक्ता, अपनी आवश्यकताओ और समस्याओ के समाधान के लिए उन्ही सिद्धान्तों

अपनाना और आचरण मे लाना चाहते है तो उन्हे बुरा-भला कहते हैं, उनके खिलाफ विष-वमन करते हैं।

लौह खड और औषधि विक्रेताओं की सहकारी थोक सस्थाओ के कतिपय सदस्य भी उपभोक्ताओ और किसानो की सहकारी सस्थाओ पर प्रचड प्रहार करते नही चूकते।

लेकिन इतना सब होते हुए भी किसी को यह आपत्ति नही हो सकती कि वे स्वय सहकारी पद्धतियो को क्यो अपनाये हुए है और कोई भी यह नही कहता कि वे सहकारी तरीके छोड दे या इन थोक सस्थाओ की सदा से चली आती औचित्यपूर्ण कराधान स्थिति मे परिववर्तन किया जाए।

सरक्षण वन वापसी जो सहकारी व्यवसायो को अपने ग्राहकों को लौटानी होती है उन व्यवसायो की आस्तियाँ अथवा आय नही देयताएँ है। वे ग्राहक-स्वामियो की सम्पत्ति है और उनकी कर योग्य आय के अनुसार उन्ही से उनका कर लिया जाना चाहिए। और यह सिद्धान्त सभी प्रकार की सहकारी सस्था पर लागू होता है फिर चाहे वह उपभोक्ताओ की, किसानो की, समाचार पत्रों की, किराना-विक्रेताओ की, औषध विक्रेताओं की अथवा लोह खड के व्यापारियो की ही क्यो न हो।

सयुक्त राज्य अमरीका मे 'बडेपन' की बेतहाशा बाढ के बावजूद जो-कुछ आर्थिक स्वतन्त्रता और स्वस्थ प्रतियोगिता अब भी दिखाई देती है वह अधिकाश उन सहकारी व्यवसायो की आभारी है जिन्हे छोटे-छोटे उद्यमो ने अपनी रक्षा के लिए सगठित किया है। यह हमारी आज की अमरीकी अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध मे बहुत ही कम ज्ञात पर निस्सन्देह उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

हमारी अर्थ व्यवस्था मे एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण जिन छोटे व्यवसायियों को कष्ट उठाना पडता है उनमे सबसे बडा, सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे हानि मे रहने वाला समूह किसानो का है। जनता के किसी भी समूह की अपेक्षा किसानो मे सहकारी व्यवसायो की जडे इतनी गहरी, इतनी व्यापक और इतनी परिपुष्ट होने का यही कारण है। किसान को सहकारी सस्थाओ ने ही उसे आर्थिक दृष्टि से मोल-भाव करने की आशिक सामर्थ्य दे रखी है।

बद्ध व्यवसायो के सहकारी स्वामीत्व के बिना केवल छोटे एकल उत्पादको

के रूप मे किसानों मे वह शक्ति ही नही होती कि आर्थिक मोलभाव कर सके। सहकारी सस्थाएँ यदि काफी बडी और शक्तिशाली हो तो किसान की स्थिति को कुछ तो आर्थिक दृढता दे ही सकता है।

अगले अध्याय मे इस सम्बन्ध मे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

लेकिन यहाँ एक मामूली-सी सच बात बता देना बहुत जरूरी है। महानगरो के अखबार किसानो को दी जानेवाली 'आर्थिक सहायता'—उपदान की शिकायते करते जरा भी नही चूकते। और अधिकाश नगर निवासी सम्भवतः यही मानने लगे है कि हमारी अर्थ व्यवस्था के दूसरे अग देश के किसानों की 'आर्थिक सहायता' कर रहे है। लेकिन वास्तव मे सचाई इसके ठीक विपरीत है। असल मे देखा जाए तो किसान ही बहुत बडा उपदान सारे राष्ट्र को दे रहे है। यदि एक परिवार भोजन और कपडा, जितना उनका वास्तव में मूल्य होना चाहिए उससे कम पर खरीदता है तभी वह मोटर और बिजली पर जितना उनका मूल्य होना चाहिए उससे अधिक दे सकता है। इस प्रकार किसान शेष सारी अर्थ व्यवस्था को जो उपदान दे रहा है वह उससे कही बडा है जो उसे कीमतों के सहारे के लिए यानी कीमतों की गिरावट को रोकने के लिए या गिर जाने पर आशिक क्षति पूर्ति के रूप मे मिलता है। यदि किसानों के सारे लागत खर्च जोडे जाएँ, जैसे निवेश पर प्रति लाभ, मजदूरी, वेतन, मूल्य-ह्रास आदि तो यह पाया जाता है कि उन्हे आम तौर पर लागत से कम पर अपनी फसले बेचनी पडती है। और चूँकि कृषि एव कुछ अन्य उद्योगो को, जिनमे प्रतिस्पर्द्धा अब भी विद्यमान है, लागत से कम पर या बहुत थोड़े मुनाफे पर बेचने के लिए विवश होना पडता है इसीलिए तो 'व्यवस्थापित मूल्य' वाले उद्योग अपने उत्पादनो को इतनी बेहद बढी-चढी कीमते वसूल कर पाते है। यदि कृषि—जैसे प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवसायो को अपने माल के लिए उपभोक्ताओ के इतने थोडे-से डालर भी न मिले तो धातु के बने सामान, रसायन, तम्बाकू आदि की इतनी ऊँची कीमते चुकाने के लिए डालर कहाँ से आएँगे। फिर तो बहुत बडे पैमाने पर मुद्रास्फीति ही एकमात्र उपाय रह जाएगा।

जनरल मोटर्स और उसके—जैसे अन्य निगमो को उपदान देने के लिए किसान जो ऊँची कीमते चुकाते है और किसानो ने अपनी रक्षा के लिए जो कदम उठाए है उस सब का वर्णन अगले अध्याय मे किया गया है।

---

७ | आधुनिक अमरीका की सबसे बड़ी कमजोरी

मानव-इतिहास के अधिकतर भाग मे मूल उत्पादकों का शोषण बहुत-कुछ तो इसलिए होता रहा है कि मूल उपजो का सारा क्रय-विक्रय, विनिर्माण और उन्हें पण्योपयोगी बनाने का काम दूसरे ही लोगो ने किया है।

इस तरह के शोषण के अन्त का अपेक्षाकृत एक सुगम मार्ग तो यही है कि मूल उत्पादक अपना क्रय-विक्रय और अपनी पैदावार के थोडे-से अश का विनिर्माण ओर उन्हें पण्योपयोगी बनाने का काम स्वय करने के लिए अपनी निजी सस्थाएँ बनाएँ।

किसानो के सहकारी सगठन ठीक इसी प्रकार की सस्थाएँ हैं।

अब्राहम लिंकन का एक ऐतिहासिक वाक्य है "कोई जाति आधी गुलाम और आधी स्वतन्त्र जीवित नही रह सकती।"

इस शती की तीसरी दशाब्दी से हमे यह सबक सीखना चाहिए था कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था आधी सम्पन्न और समृद्ध एव आधी विपन्न और अवनत दशा मे जीवित नही रह सकती।

लेकिन हमने यह सबक नही सीखा।

दूसरे महायुद्ध के बाद हमने बाकी जन सख्या को सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया, जब कि हमारी कृषि और उसमे काम करने वाले मन्दी, अवनति और विपन्नता मे छटपटाते रहे।

यह कभी चला नही।

यह कभी चलेगा नही।

यह कभी चल ही नही सकता।

जिस किसी भी जाति अथवा राष्ट्र ने इस अन्यायपूर्ण असन्तुलन को चलाने का प्रयत्न किया उसे दारुण दु ख ही भोगने पडे हैं।

इतिहास मे एक भी उदाहरण ऐसा नही मिलता कि कोई महान जाति अपनी कृषि-व्यवस्था को अवनत और अपने कृषको की स्वतन्त्रता का अपहरण

करके महान बनी रही हो।

हम अपवाद नही होगे।

तथा कथित 'कृषि समस्या' की जड यह है कि अपने परिवार के पालन-पोषण के प्रयत्न मे प्रत्येक किसान विवश होकर वही काम करने लगता है, जिसे सभी किसान करते है और जिससे सामान्यत कृषि का विनाश होने लगता है। वह काम है पैदावार को, जितना भी बढ सके, बढाते चले जाना।

प्रति इकाई कीमत जितनी ही घटती जाती है किसान पर उतनी ही अधिक इकाइयो का उत्पादन करने का भार बढ जाता है। जब सभी किसान ऐसा करते है तो कीमतो मे और भी अधिक गिरावट आ जाती है। इसको सँभालने के लिए अधिक उत्पादन का भार और बढ जाता है। यो कभी समाप्त न होने वाला यह दुश्चक्र बराबर चलता रहता है।

(इतना सब होते हुए भी हमारी कृषि शायद ही दुर्दशाग्रस्त होती यदि) हमारे अन्य आर्थिक उद्योग भी ठीक इसी तरह की हालत मे चल रहे होते। जिन व्यवसायो के हाथ किसान अपना माल बेचते है उनमे यदि सच्ची प्रतिस्पर्द्धा होती और वे किसानो की फसल की बोली लगाने के लिए वास्तव में स्वतन्त्र होते तो कीमते कभी-न-कभी तो अवश्य तेज होती। और यदि किसानों के हाथ अपना माल बेचने वाले व्यापारी अधिष्ठानो मे प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा होती तो किसानो द्वारा खरीदे जाने वाले माल की कीमतो मे नरमी की आशा की जा सकती थी। यदि किसान और उपभोक्ता के बीच एकाधिकार की सँकरी गली और 'आर्थिक चुँगी दरवाजा' न होते तो किसानो को प्राप्त होने वाले न्यून मूल्यो का प्रभाव उपभोक्ताओ के भोजन के न्यूनतर मूल्यो और बाजार के विस्तार के रूप मे होता। लेकिन इन दोनो मे से कुछ भी नही हो रहा है। असल मे हो यह रहा है कि मुट्ठो-भर बिचौलियो—माल को पण्य योग्य करने वालो अपनी छाप चलाने वालो, पैकिंग कम्पनियाँ आदि के मुनाफे दिनदूने और रात चौगुने बढते जाते है।

सयुक्त राज्य अमरीका की आज की अर्थ व्यवस्था मे एकल-अकेला एक-किसान तो बिलकुल ही निरूपाय है। यदि किसान मिल-जुल कर काम करें तभी आर्थिक मोल-भाव की शक्ति प्राप्त करने और अन्तिम विनाश से

बचने की उनके लिए कुछ आशा हो सकती है।

इसीलिए किसानो ने अपने सहकारी सगठन बनाये है। इन्हे आरम्भ हुए काफी समय हुआ। किसानो की जिस पहली सहकारी बिक्री सस्था का उल्लेख हमे मिलता है वह कोनेक्टिकर रीवर वैली के दूध उत्पादको ने १८०४ मे बनाई थी।

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे ग्रैगरों का हरावल में वृक्षहीन मैदानों और अन्य स्थानो के सकट ग्रस्त किसानो मे विक्रय और उपभोक्ता दोनो ही तरह की सहकारी सस्थाएँ गठित की गई। उनमे से कम-से-कम एक तो अभी भी कन्सास के कैडमुस नामक स्थान मे काम कर रही है।

लेकिन कृषि-उपजो की बिक्री के लिए सहकारियो का बडे पैमाने पर विकास तो इस शताब्दी के साथ ही आरम्भ होता है। और फारम एव घर की आवश्यकताओ की पूर्ति करनेवाली सहकारी सस्थाओ की ठीक-ठीक उन्नति तो इसके पच्चीस वर्ष के बाद ही शुरू होती है।

विक्रय सहकारियो का निर्माण किसानो को सट्टा बाजार के अनिष्टकारी प्रभावो से बचाने के लिए किया गया। इन सहकारियो का निर्माण होने से पहले किसानो को अपनी फसल जो भी इक्का-दुक्का खरीदार मिल जाता उसी के हाथों, उसी की शर्तों पर और जो भी कीमत वह दे देता उतनी ही कीमत पर बेच देना पडता था। फसल जितनी ही ज्यादा होती लाभ उतना ही कम होता था। माल को रोकने, रखने और भरने का उनके पास कोई साधन नही था। बाजार मे माल की आवक बहुत अधिक हो जाने पर निवारण का कोई उपाय भी वे नही जानते थे। बिचौलिये सारा माल खरीद कर प्राय कीमते बढा दिया करते थे, लेकिन उस मूल्य-वृद्धि से किसानो को कोई लाभ नही होता था। किसानो को माल रोकने-भरने के अपने साधनो और अपनी ही विक्रय सस्थाओं की आवश्यकता थी। विक्रय सहकारी सस्थाएँ उसी का परिणाम है।

विक्रय सहकारी सस्थाएँ बन जाने से किसानो को अपने माल की ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थिर कीमते मिलने लगी। लेकिन यह कहना कि इससे उपभोक्ताओ की जेब पर असर पडा और उन्हे ऊँची कीमतों पर खाद्य आदि खरीदना पडता है, सही नही है। उलटे हुआ यह है कि उपभोक्ताओं का पैसा

अधिकाधिक मात्रा मे किसानो और ग्रामीण समुदायों मे जाने लगा है जो पहले नही होता था। इसके अतिरिक्त विक्रय सहकारियो नेउपभोक्ता को बेचे जाने वाले खाद्यो की किस्म को सुधारने मे भी काफी सहायता की। उन्होंने स्तरीकरण, श्रेणीकरण और समूहीकरण पर काफी जोर दिया और इस प्रकार समूचे व्यवसाय मे खाद्य-वितरण की प्रणाली के स्तरो को काफी उन्नत कर दिया। सहकारी ढग से बेची जानेवाली खाद्य-वस्तुओ-जैसे सन्तरे, दूध, किशमिश, आलू, अण्डे, मुर्गियाँ, मक्खन, पनीर आदि के सौ व्यवसाय-नाम माल की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के सम्बन्ध मे इतने निर्भरता योग्य हो चुके है कि कोई भी अमरीकी उन्हे कही भी आंख मूंद कर ले लेता है।

विक्रय सहकारियो और उपभोक्ता सहकारियों के दृष्टिकोण मे स्वाभाविक अन्तर है। इस पुस्तक मे जितने भी सहकारियो पर विचार किया गया प्राय. वे सभी उपभोक्ता सहकारी हैं। किसानों के विक्रय सहकारी और छोटे व्यापारियों के सहकारी ये दो मुख्य अपवाद हैं। उपभोक्ता सहकारी सदस्यों द्वारा माल अथवा सेवाओं-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओ की जितनी हो सके उतनी प्रचुरता से पूर्ति के लिए गठित किये जाते हैं। उत्पादन और वितरण जितना ज्यादा होगा और संरक्षकों की संख्या भी जितनी अधिक होगी उपभोक्ता सहकारी के लिए यह उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके विपरीत विक्रय सहकारी अपने सदस्यों का उत्पादन दूसरे लोगोंको बेचने के लिए होते हैं। उनके दृष्टिकोण से एक माल के बहुत से उत्पादक हो सकते हैं और व्यवस्थित ढग से तत्काल लेने जा सकने की अपेक्षा माल का उत्पादन भी अधिक हो सकता है।

सयुक्त राज्य अमेरिका मे सात हजार के लगभग विक्रय सहकारी सस्थाएँ है। ये प्रति वर्ष अपने कृषक सदस्यो को द्विरावृत्ति की गुँजाइश सहित कुल नो-दस अरव डालर तक के मूल्य को चोदह प्रकार की प्रमुख पैदावारे वेचती है। अमरीका को समस्त कृषि-उपजो का चतुर्थांश खेत से उपभोक्ता को मेज तक पहुँचने के पहले एक या अधिक अवस्थाओ मे इन विक्रय सहकारियो के खर्चो से गुजरता है।

मुर्गी खाने और दूध के कुछ उत्पादन, कुछ प्रकार के ताजे फल और उनके उपोत्पाद उपभोक्ता के लिए तैयार होकर सहकारी से निकलते है। लेकिन अल्पातिअल्प मात्रा मे ये पदार्थ भी किसानो की सहकारी विक्री सस्थाओ द्वारा सीधे उपभोक्ताओ को वेचे जाते है।

क्षेत्र-विशेष के अपने सदस्यो के उत्पादनो को इकट्ठा करके उन्हे व्यवस्थित ढग से, लेकिन वगैर तैयार किये हुए अर्थात् कच्ची हालत मे वेचना ही बिक्री सहकारियो का ऐतिहासिक कार्य रहा है। लेकिन जव से इस मूल कार्य मे सवेष्टन और पण्योपयोगी वनाने को क्रियाएँ जुड गई है और जव से विक्रय सहकारी सस्थाएँ क्षेत्रिय अथवा देशव्यापी विक्री के लिए सघ वद्ध हो गई है किसानो को प्राप्त होने और उपभोक्ताओ द्वारा दिये जाने वाली कीमतों के बोच की 'खाई' वहुत कम हो गई है, और किसानो को उपभोक्ताओ का पैसा भो अधिक अनुपात मे मिलने लगा है।

दुग्धशाला के उत्पादन कुल सहकारी विक्री का लगभग तृतीयाश है। १९५८–५९ के एक साल मे कोई २००० विक्रेता सहकारियो के द्वारा करीव तीन अरव डालर के दुग्धशाला उत्पादन वेचे गए। कुछ अशो मे तो ये उत्पादन उपभोक्ताओ या अधिक हुआ तो फुटकर विक्री भडारो को सीधे ही बेच दिये जाते है। लेकिन अधिक मात्रा मे ये वस्तुएँ विक्री सहकारियो द्वारा बडे व्यापारियो और पण्योपयोगी वनाने वालो के ही हाथ बेची जाती है। दूध उत्पादक और विक्रय सहकारियो का राष्ट्रीय दूध उत्पादक महासघ (National Milk Producres Federation) नाम का एक राष्ट्रीय सगठन भी है। इधर के वर्षो मे दुग्धशाला के उत्पादनो को राष्ट्रव्यापी सहकारी विक्री के सम्वन्ध मे काफी चर्चाएँ होती रही है।

सहकारिता के आधार पर बेची जानेवाली उपजो मे दूसरे नम्बर पर अनाज और सोयाबोन है, ये दोनो मिल कर प्रति वर्ष दो अरब डालर मूल्य को बेची जाती है। कुछ सोयाबोन कृषि-आपूर्ति सहकारियों को बेच दिया जाता है; और अधिकाश अनाज क्षेत्रीय सहकारियों सार्वधिक अन्नागारों द्वारा बेचा जाता है; २७०० स्थानीय सहकारी अन्नागारो मे से अधिकाश इनसे सम्बद्ध है। अनाज सहकारी माल को पण्योपयोगी बनाने का काम अभी भी अपेक्षाकृत कम ही करते हैं। अधिकाश अनाज विक्रय सहकारो गल्ला सहकारियों के राष्ट्रीय महासघ (National Federation of Grain Co-operatives) से सम्बद्ध हैं; इसका प्रमुख कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० मे है।

सहकारी अपने किसान सदस्यो के लगभग १ अरब और ६० करोड डालर वार्षिक मूल्य के पशुधन और पशुधनो के उत्पादन बेचते हैं; फल और सब्जियाँ प्रति वर्ष लगभग १ अरब डालर को बेची जाती हैं, कपास और उसके उत्पादन ४० करोड डालर से भो अधिक के और मुर्गियाँ एव मुर्गी खाने के उत्पादन ३५ करोड डालर के बेचे जाते हैं। सहकारियों के द्वारा अच्छी किस्म और और अच्छे दामो के लिए माल का बिलकुल सही और उचित श्रेणीकरण किया जाता है, इस पर किसानो को पूरा-पूरा विश्वास है। फल और सब्जियाँ की बिक्री करने वाले कुछ सहकारियो को तो अपने बाजार मे माल को उत्कृष्टता के सम्बन्ध मे बडी धाक और ऊँची साख है और क्षेत्रीय एव राष्ट्रीय बाजारों मे उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है।

व्यापार की कूत डालरो मे की जाए तब तो कृषि उपज विक्रेता सहकारी संयुक्त राज्य अमरीका के अपने ढग के सबसे बडे सहकारी व्यवसाय है। लेकिन किसानो की बुनियादी समस्याएँ तो फिर भी बिन सुलझी ही रह जाती है। यदि किसानों के स्वामीत्व वाले सहकारी व्यवसाय माल को पण्योपयोगी बनाने का काम, सवेष्टन, विज्ञापन और बिक्री राष्ट्र व्यापी बिक्री सगठनों के द्वारा करने लगे तो जो कुछ होगा उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। निश्चय ही हालत एकदम बदल जाएगी—बहुत अधिक लाभ होगा और किसानों के हितों की बहुत अधिक रक्षा होगी।

और यदि किसानों के स्वामीत्व वाले व्यापारी सगठन से खेती

को काफी बडी मात्रा मे उपभोक्ताओ के स्वामीत्व वाले उद्यमो को सीधे वेच सके तो किसानो के पाने और उपभोक्ताओ द्वारा दी की 'खाई' काफी पट जाएगी और अन्तर केवल माल को पण्योपयोगी वनाने, उसकी ढुलाई और विक्री की लागत भर रह जाएगा।

सकल्प और पूँजी का उचित सम्मिश्रण और सयोजन अव भी, सहकारिता के माध्यम से, अमरीकी किसान की हालत को आमूल वदल सकता है।

फसलो के वेचे जाने पर किसानो को उचित मूल्य दिलाने मे तो सहकारी विक्री पूरी तरह प्रभावोत्पादक नही हो पाई, परन्तु कृषि और किसानो की आवश्यकताओ की पूर्ति करने वाले सहकारियो ने किसानो की पैदावार की लागत को घटाने मे और फारमो एव घर-गिरस्ती के माल की खरीद मे उन्हे मोल-भाव की सार्थक शक्ति से सम्पन्न करने मे अवश्य उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया है।

अमरीकी सहकारी आन्दोलन के विकास का मुख्य आधार वे ४३०० सहमध्य पश्चिमी (मिडवेस्टर्न) वस्वो मे और देश के दूसरे वहुत से भागो मे अव- स्थित है।

१९५९ मे इनके ३५ लाख से भी अधिक सदस्य थे और इन्होने लगभग २ अरव ४० करोड डालर का व्यापार किया। ये सहकारी अमरीकी ग्राम्य जनता की फारम और घर गिरस्ती कीप्रमुख बडी आवश्यकताओ का २० से ३५ प्रति-शत तक पूरा करते है। ये किसानो को उत्पादन की लागत को नियन्त्रण मे रखने और उसे कम करने की सक्षमता प्रदान करते है।

इस तरह का कोई भी सहकारी अपने पूरे जिले (काउटी) मे या जिले के काफी बडे हिस्से मे व्यापार करता है। वह एक किराना दुकान, चारे, बीज और उर्वरक का भडार, पेट्रोल की वडी टकी और पम्प, आमतौर पर कृषि यन्त्रो का प्रदर्शन कक्ष और कोयले की टाल चलाता है। साधारणत वह जिले के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मे अवस्थित होता है इसलिए दूर-दराज की कुछ छोटी वस्तियो मे इसकी शाखाएँ भी हो सकती है। काफी सख्या मे ये भडार अपने इलाके की गैर-किसान आवादी की जरूरते भी पूरी करते है।

राज्य अथवा अपने क्षेत्र के शक्तिशाली सहकारियो से सम्वद्ध होने के

कारण इन चार हजार देहाती सहकारियो मे से अधिकांश पर किसान वढ़िया किस्म के और भरोसे लायक उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक, उच्च कोटि के वीज और चारा, लौह खड का सामान, कृषि के यान्त्रिक उपकरण, इमारती सामान और रग-रोगन विजली का सामान पेट्रोल और उसके विविध उत्पादन, ईधन, कोटाणु नाशक और पोधो पर छिडकने के घोल, किराना माल, कपड़े और दूसरे वहुत से सामान के लिए पूरी तरह निर्भर कर सकता है। फारमो द्वारा उपयोग किये जाने वाले मिश्रित चारे के चतुर्थांश उर्वरको के पचमाश और पेट्रोल के २० प्रतिशत को आपूर्ति इन्ही सहकारियो के द्वारा की जाती है।

इनमे से अविकाश वस्तुएँ 'ज्यादा मुनाफे वाला' माल है, इसलिए ये सहकारी अपने सदस्यो को सरक्षण धन वापसी की नियमित अदायगियाँ करते रहते है और किसानो के हित मे कीमतो को तेजी नही पकडने देते, नरमी पर ही वनाये रहते है। १९२५ के वाद काम और विस्तार शुरू होने के कारण इन ग्रामीण आपूर्ति सहकारियो ने थोक और फुटकर विक्री का काफी अच्छा कामकाज जमा लिया है। महत्व की वात तो यह है कि इनका कारवार खास तौर पर 'मन्दी के वुरे दिनो' मे ही तेजी से वढा है।

देश के प्रत्येक भाग मे इन फुटकर कृषि आपूर्ति और कृषि उपभोक्ता सहकारियो के या तो अपने क्षेत्रीय थोक और उत्पादक सहकारी है या ये इस तर के किसी क्षेत्रीय सहकारी से सम्वद्ध हैं।

इस तरह के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सगठनो मे से कुछ इस प्रकार है · कोआपरेटोव ग्रेग लोग फेडरेशन, इथाका, न्यूयार्क, सदर्न स्टेट्स् कोआपरेटिव, रिचमाड, विरजीनिया, ईस्टर्न स्टेट्स् फारमर्स एक्सचेंज, वेस्ट स्प्रिग फील्ड, मैं मेस चुसेट्स्, मिडलैण्ड कोआपरेटिव्ज इन कारपोरेशन मिनोपोलिस, मिन्नेसोटा कन्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन, कनसास सिटो, मिसौरी, इलिनोइस फार्म सप्लाई कम्पनी, व्लूमिंग्टन, इलिनोइस, इडियन फार्म व्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन, इडियाना पोलिस, इडियाना; फार्मर्स यूनियन सेंट्रल एक्सचेंज. सेंटपाल, मिन्नेसोटा, फार्म व्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन कोलम्बस, ओहियो, फार्मर्स कोआपरेटिव एक्सचेंज, रैले, नार्थ कैरोलिना, मिसौरी फार्मर्स एसोसिएशन; वाशिंगटन कोआपरेटिव फार्मर्स एसोसिएशन, पेन्सिलवानिया फार्म व्यूरो कोआप-

रेटिव एसोसिएशन, सेंट्रल कोआपरेटिव्स, इनकारपोरेशन, सुपीरियर, विसकोन्सिन, पैसफिक सप्लाई कोआपरेटिव, वल्ला वल्ला, वाशिंगटन, फ्रुट ग्रोअर्स सप्लाई कम्पनी, लासएंजिल्स, कैलीफोर्निया, फार्म ब्यूरो सर्विसेज, लार्नसिंग, मिचिगन, टेनेसी फार्मर्स कोआपरेटिव, फार्मर्स यूनियन स्टेट एक्सचेंज, ओमाहा, नेवास्की, और उटाह कोआपरेटिव एसोसिएशन।

ये क्षेत्रीय थोक सहकारी अपने सदस्य फुटकर बिक्री सहकारियों की उर्वरकों, पशुखाद्यों, बीज, मोटर के सामान, लौहखड की चीजे, पेट्रोल उत्पादनो और कीटाणुनाशकों सम्बन्धी अधिकाश आवश्यकताओं को पूरा करते है। समय को देखते जितनी माँग है उतनी तो नही परन्तु फिर भी काफी मात्रा मे ये सब वस्तुएँ इन क्षेत्रीय सहकारियो द्वारा या तो अपने निजी कारखानो मे या कई क्षेत्रीय सहकारियों के सम्मिलित स्वामीत्व वाले कारखानो मे ही बनाई और तैयार की जाती है। उदाहरणार्थ इन क्षेत्रीय सहकारियो द्वारा एक सौ से भी ज्यादा उर्वरक कारखाने चलाये जा रहे है। सहकारी स्वामीत्व वाले दो हजार से अधिक तो तेल के कुएँ ही है और दस सहकारी तेल परिष्करण शालाएँ।

स्वय उत्पादन आरम्भ कर देने से ये सहकारी अपने सरक्षको को वे सब वस्तुएँ जो प्राय वडी कठिनाई से मिल पाती है या मिलती ही नही, पूरी-पूरी तादाद मे दे सकते है। स्वय उत्पादन करने का दूसरा लाभ यह है कि इसमे थोक और फुटकर बिक्री की अपेक्षा सहकारी सरक्षकों के लिए लागत और मूल्यो मे कही अधिक बचत की जा सकती है। जो सहकारी उत्पादन करते है वे अपने सदस्यों को दूसरी जगह निर्मित माल की केवल बिक्री करके सरक्षण धन वापसी की जितनी अदायगी और सम्पत्ति पर जितना साम्या स्वामीत्व दे पाते उससे कही अधिक देते है। क्षेत्रीय थोक आपूर्ति सहकारियो मे सबसे बडे कन्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन के सस्थापक और अध्यक्ष हावर्ड ए० फाउडेन का कहना है कि हमारी सस्था ने थोक का काम करके अपने सदस्यो के लिए जहाँ एक डालर की बचत की वही अपने कारखानो मे माल का उत्पादन करके उस एक डालर के मुकाबले उन्नीस डालरो की बचत की।

देश के दो सबसे बडे राष्ट्रीय थोक आपूर्ति सहकारी सयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के कुछ क्षेत्रीय सहकारियो के स्वामीत्व वाली सस्थाएँ है।

इनमे से एक ओहियो राज्य के अलायन्स नगर मे है और दूसरा मिन्नेसोटा के अल्वर्ट ली मे। पहले का नाम है युनाइटेड कोआपरेटिव्स और दूसरे का नेशनल कोआपरेटिव्स। नेशनल कोआपरेटिव्स दूध दुहने और पानी गरम करने की मशीने बनाता है और उनकी अधिप्राप्ति और वितरण भी करता है।

अधिकाश कृषि-आपूर्ति क्षेत्रीय सहकारी अमरीकन इस्टीटयूट आफ कोआपरेशन और नेशनल कौन्सिल आफ फारमर्स कोआपरेटिव के सदस्य हैं। वहुत से सयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी लीग और अपने राज्य के सहकारी सघो और कौन्सिलो के सदस्य हैं।

फुटकर और क्षेत्रीय दोनो ही प्रकार के कृषि-आपूर्ति सहकारियो की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ १९५० के वाद के वर्षो मे सामने आई वे इस प्रकार हैं :

१—सेवाओ और व्यापार के परिमाण मे विस्तार एव उनका और भी आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए गैर-किसानो या आंशिक किसानो या उपनगर की जनता मे से सरक्षकों की वृद्धि,

२—अधिकाधिक सदस्यो को सक्रिय करने के लिए सदस्यो की शिक्षा, क्योकि सहकारी उद्यम की यही सबसे वडी कारोवारी पूँजी होती है,

३—उत्पादन की और भी वृद्धि और विकास, मूल कच्चे माल का अधिकाधिक उत्पादन और प्रवन्ध;

४—अधिकाधिक निपुणता और आर्थिक क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्य विधियो और कारवारो का एकीकरण और कुछ मामलो मे विलयन तथा किसानों के लिए आवश्यक नई सेवाओ का प्रारम्भ;

जिन समस्याओ और अन्यायो से जूझने के लिए किसानो ने पचहत्तर वर्ष पूर्व सहकारियो का सगठन किया था, १९५१ से आरम्भ होनेवाली दशाब्दो मे वे और भी उग्र रूप से सामने आयी।

किसानो की उपज के खरीदारो की सख्या बहुत ही तेजी से गिर गई। १९६० तक हालत यह हो गई कि न्यूयार्क के बाजार मे किराने और मास की जितनी खरीद होती थी उसका ८० प्रतिशत बहुत बडे-बडे १७ खरीदारो के हाथो मे सिमट आया था। सीटल का बाजार १० खरीदारो के कब्जे मे था, पोर्टलैण्ड मे ८ खरीदार छाए हुए थे और ओमाहा मे तो और भी कम। १९४८ मे स्वतन्त्र किराना विक्रेता देश के ५० प्रतिशत खाद्य का क्रय-विक्रय करते थे और दुकान शृखलाएँ २९ प्रतिशत का। दस वर्ष बाद दुकान शृखलाओ का काम बढ कर ३८ प्रतिशत हो गया और स्वतन्त्र किराना विक्रेताओ का गिरते-गिरते ३० प्रतिशत ही रह गया। १९६० मे देश के बडे सवेष्टक (पैकर्स) स्विफ्ट, आरमर और कुडाही ने सघीय न्यायालय से इस बात की अनुमति माँगी कि उन्हे फुटकर खाद्य भडार खोलने और चलाने की अनुमति दी जाए।

एकाधिकारी नियन्त्रण जितनी व्यापकता से फैलते और जितने अधिक उद्योगो मे प्रविष्ट होते गए अर्थ व्यवस्था के प्रतिस्पर्द्धात्मक अगो की स्थिति उतनी ही अधिक शोचनीय होती गई ।

लघु व्यवसाय के साथ यही मूसीबत थी।

और कृषि के साथ भी यही मुसीबत थी।

सक्षेप मे यह कि सयुक्त राज्य अमरीका का अधिकाश और जिससे किसानो का सीधा सम्बन्ध है वह तो सारे का सारा उद्योग एकाधिकारी हो गया। कीमतो की होड पुराने जमाने की बात रह गई, जो औद्योगिक माल किसानो को खरीदना पडता है उसकी कीमते हमेशा तेजी की ओर व्यवस्थापित होती है और उनका निर्धारण करते समय आर्थिक स्थितियो का, यहाँ तक कि माँग और आपूर्ति के सम्बन्धो का भी कोई विचार नही किया जाता। कीमतो की गिरावट को रोकने के लिए उत्पादन को गिराया जाता है, नियन्त्रित किया जाता है।

इसके विपरीत कृषि अब भी प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवसाय है। देश के ४० लाख किसानो मे अकेला एक तो कोई भी ऐसा नही है जो समग्र सम्भरण को

किसी भी हद तक प्रभावित कर सके। और इस बात को सभी किसान जानते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे लोगों की भाँति किसान को भी अपनी आजीविका कमानी होती है। किसान की आजीविका का सीधा सम्बन्ध उसकी उपज की बिक्री से जुड़ा हुआ है, अर्थात् कितनी इकाइयों की बिक्री मूल्य की पूर्ति कर पाती है। इकाई का मूल्य जितना ही न्यून होगा किसान उतनी ही अधिक इकाइयों के उत्पादन का जोतोड़ प्रयत्न करेगा। कृषि उपज का न्यून मूल्य तथा-कथित 'अधिशेषों' को कम नहीं करता उल्टे और बढ़ा देता है। फिर किसानों को फसल आने से बहुत पहले बोना और उसकी योजना बनानी पड़ती है। कीमतों को एक ही स्तर पर बनाये रखने के लिए वे उत्पादन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते और मान लिया जाए कि कर ही लेते तो भी शायद ही करते।

इसलिए किसान जो कीमतें पाते हैं वे हमेशा निम्नगामी यानी गिरावट की ओर जानेवाली होती हैं और जो कीमतें किसानों को देना पड़ती हैं वे ऊर्ध्व-गामी यानी तेजी की ओर जानेवाली होती हैं। किसानों को मिलनेवाली कीमतें बाजार में जो भी भाव हो उसपर बिके पूरे उत्पादन की कीमतें होती हैं। किसानों को जो कीमतें देनी पड़ती हैं वे अधिकांश में निश्चित—और प्रायः व्यव-स्थापित ढंग से निश्चित की हुई कीमतें होती हैं।

यही कारण है कि तुल्यांक ८० के आसपास घूमता रहता है; जिसका अर्थ हुआ कि कृषि को राष्ट्रीय आय के उसके अधिकृत भाग के लगभग २० प्रतिशत से काफी समय से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है। और यही कारण है कि १९४७ से १९५७ के बीच जहाँ औद्योगिक उत्पादनों की कीमतें २१ प्रतिशत बढ़ी कृषि उपजों की कीमतों में ५ प्रतिशत गिरावट हुई। और यह उस समय जब कि कृषि में उत्पादन प्रति व्यक्ति-घंटा ९० प्रतिशत अधिक होता जा रहा था पर सारे कृषि-इतर उद्योगों में केवल २४ प्रतिशत। कृषि ने औद्योगिक दक्षता के लाभ खरीदारों को हस्तान्तरित कर दिये। जिन उद्योगों से किसानों का सीधा सम्बन्ध है उन समेत दूसरे उद्योगों में भी यदि यही किया जाता तुल्यांक १०० या उसके आस-पास होता और तब किसानों की शिकायत कोई अवसर न्यायतः नहीं रह जाता। लेकिन उल्टे हुआ यह कि ... में किसानों को अपनी फसलों के लिए जो कीमतें मिलीं और ... [illegible]

के लिए उन्हे जो कीमते चुकानी पडी उनका अनुपात ७७ तक गिर गया, जो १९४० के वाद निम्नतम विन्दु है।

तो इस तरह सयुक्त राज्य अमरीका मे कृपिकार्य का सामान्यत आधार है पूर्ण-उत्पादन और वाजार-निर्धारित-मूल्य। जहाँ मूल्य-सहायता-कार्यक्रम आ जाते है उन्हे छोड कर किसानो को अपनी पूरी फसलो के लिए जितना वाजार दे दे वह ले लेना पडता है। इसलिए यह पूर्ण-उत्पादन ही, जिसका मूल्य उपभोक्ताओ के लिए बिना किसी वाधा-वन्धन के निश्चित किया जाता है, मुक्त अर्थ व्यवस्था मे ऐसा आधार-वल्कि एकमात्र ऐसा आधार प्रस्तुत करता जिसके सहारे हम पूरे रोजगार, पर्याप्त विकास और मूल्यो को स्थिर करने की आशा कर सकते है। हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी अधिक एकाधिकारी हो गई है कि उसमे किसानो को सिर्फ इसीलिए आर्थिक हानि उठानी पडती है, क्योकि वे राष्ट्र के दीर्घकालीन हितो की सवर्धना के विचार से काम करते है।

औद्योगिकीय प्रगति तो निरन्तर होती ही जा रही है, इसलिए उससे होने वाले लाभ जव तक उपभोक्ताओके रूप मे सारे राष्ट्र मे वितरित नही किये जाएँगे न तो खपत वढेगी और न व्यापक औद्योगिकीय वेकारी को उग्र रूप धारण करने से रोकने के लिए उत्पादन की पर्याप्त वृद्धि ही की जा सकेगी।

अमरीका के अधिकाश उद्योगो मे आज यही नही हो पा रहा है। और सबसे वडा दु ख तो इस वात का है कि कृषि उत्पादनो के जो अन्तिम उपभोक्ता है, उनका हित भी नही हो रहा है। किसानो को दिये जाने वाले न्यून मूल्यो से कृषि उत्पादनो को जो पण्योपयोगी बनाते और वेचते है ऐसे बिचौलिये ही माला माल हो रहे है। न्यून मूल्य लेकर किसान अपनी बिक्री नही वढाता, हाँ बिचौलियो की जेवे जरूर भर देता है, और उधर उपभोक्ताओ के भोजन की कीमत वढ जाती है। १९५० और १९५८ के वीच औसत परिवार के भोजन का मूल्य वढ कर १२२ डालर हो गया, लेकिन किसानो को १९५० की अपेक्षा १९५८ मे १२ डालर कम मिले, उधर पण्योपयोगी बनानेवाले और दूसरे बिचौलियो को १३४ डालर अधिक मिले। १९५९ मे उपभोक्ता ने अपने भोजन पर जो डालर खर्च किया उसमे किसान का हिस्सा सिर्फ ३८ सेंट था, वाकी ६२ सेंट विचौलिये मार ले गए। और आगे हालत इससे भी बिगडती दिखाई देती है।

संयुक्त राज्य कृषि सांख्यिकी विभाग (United States Department of Agriculture Statistics) के अनुसार असल उपभोक्ताओं के बेचे गए कृषि उत्पादनों का फुटकर बाजार मूल्य १९५१ में ४२ अरब ६० करोड डालर था, जो १९५९ में ५१ अरब डालर हो गया। लेकिन किसानों को फिर भी १९५९ में १९५१ की अपेक्षा २० करोड़ डालर कम मिले। लेकिन फारम और फुटकर बिक्री भंडार के बीच 'विक्रय खर्च' १९५१ में २२ अरब ८० करोड डालर से बढ़कर १९५९ में ३१ अरब २० करोड डालर हो गया।

इसलिए यदि १९५० की अपेक्षा १९५९ में फारमों पर ३९ लाख लोग ही रह गए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अमरीकी कृषि की दशा को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक राज्य का उदाहरण लेकर थोड़े विवरण में जाना ज्यादा उचित होगा।

मिनेसोटा की खेती की जमीन दुनिया में सबसे उपजाऊ है। जो समतल मैदान दक्षिणी मिनिसोटा, उत्तरी इओवा, उत्तरी डकोटा में रेड दीवर की घाटी और उत्तरी-पश्चिमी मिनेसोता तक फैला हुआ है वैसी श्रेष्ठ कृषि-योग्य भूमि कहीं पर भी नहीं है।

मिनेसोटा की कृषि-स्थिति की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां के गवर्नर, आरविले एल० फ्रीमैन ने जो बाद में केनेडी प्रशासन में कृषि-सचिव (Secretary of Agriculture) हो गए, एक विशेष आयोग नियुक्त किया था।

१९५५ मे मिन्नेसोटा के ६३ प्रतिशत फारम-किसानो की आय दो हजार डालर से भी कम थी। मिन्नेसोटा मे कृषि की औसत प्रति व्यक्ति आय नागरिको की औसत प्रति व्यक्ति आय की केवल ४३ प्रतिशत है।

सरल भाषा मे इसका अर्थ यह हुआ कि अपने व्यवसाय मे निवेश को तीन-गुना और उत्पादन की वृद्धि-दरो को अविश्वसनीय सीमा तक बढा कर भी अमरीका के सबसे सम्पन्न कृषि राज्य के किसान परिवारो को नागरिक परिवारो की तुलना मे आधे से भी कम आय हो रही थी। इसका कारण क्या है ?

इसका बुनियादी कारण,, जो अब तक साफ हो जाना चाहिए, यह है कि अलग-अलग एक-एक किसान मे खरीदते अथवा बेचते समय आर्थिक मोल-भाव की पर्याप्त शक्ति नही होती। और इस तरह की आर्थिक मोल-भाव करने की शक्ति प्राप्त करने का जो एकमात्र निर्भरता योग्य उपाय अभी तक समझ मे आया है, वह है सहकारियो का सगठन।

लेकिन सहकारी अभी न तो इतने बडे हो पाये हैं और न इतने सशक्त कि समस्या का पूरी तरह सामना कर सके।

इतना तो मानना ही होगा कि किसानो के सहकारियो ने काफी बडा काम कर दिखाया है। उर्वरक व्यवसाय का केवल २० प्रतिशत इन सहकारियो के हाथ मे है फिर भी इन्होंने दिखा दिया है कि ये विशाल रासायनिक कम्पनियो से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते है। उस प्रतियोगिता का परिणाम क्या हुआ ? १९५३ से १९५८ के बीच रासायनिक पदार्थों की कीमतो मे आमतौर पर ४ प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन उर्वरकों के मूल्य मे मुख्य रूप से सहकारियो की प्रतियोगिता के कारण ढाई प्रतिशत का ह्रास हुआ। और कृषि (ग्रामीण) विद्युत्, साख, पेट्रोल, बीमा आदि कई प्रकार के सहकारी व्यवसायो से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सहकारी प्रतियोगिता ने सार्थक ढग से कृषि-उत्पादनो की लागत को कम किया और सम्बद्ध व्यवसायो के अर्जित लाभाशो से किसानो की आय मे अभिवृद्धि की।

काफी बडी मात्रा मे अपनी उन्नति और विकास करके ये सहकारी अमरीकी कृषि के लिए कितना-कुछ कर सकते है यह निम्न तथ्यों और आँकडो से स्पष्ट हो जाएगा।

को जो एक नई दिशा मे विस्तारित किया वह उस समय अमरीकी प्रजा मे हो रहे आर्थिक और समाज शास्त्रीय परिवर्तनो मे से ही उद्भूत हुआ था। समझदार व्यवस्थापक और सचालक मण्डल उपनगर वासियो और आशिक किसानो को अपना सरक्षक और सदस्य बनाने लगे थे। उनके लिए यह आवश्यक भी हो गया था। मिलवाडकी के समीपस्थ एक 'फारम-आपूर्ति' सहकारी का उदाहरण इस सम्बन्ध मे काफी दिलचस्प रहेगा। कुछ ही वर्ष पहले यह सहकारी एक महत्वपूर्ण कृपि-क्षेत्र से घिरा हुआ था। शहर बढते गए और फारमो को निगलते गए। लेकिन उन्होंने ऐसे परिवार भी पैदा किये जिनकी तेल-ईधन, मोटर के सामान, लौह खड, ओजार, यहाँ तक की बीज और उर्वरको की माँग किसानो से कुछ ही कम थी। सहकारियो ने इस नये व्यवसाय को छोडा नही। वे इसे पाने मे लगे रहे ओर अन्त मे पा ही लिया। और सहकारी का कारबार दिन- दूना और रात चौगुना बढने लगा, जो यदि वह अपने आप को पूरे-पक्के किसानो का सदस्यता-सक्षकता तक ही सीमित रखता तो कदापि न हो पाता। लेकिन इसके लिए सहकारी के एक के उस सुविधा का परित्याग करना पडा जो उसे हिस्सो पर लाभाश वितरण किये जाने वाले रुपयो पर कर से छूट पाने के सम्बन्ध मे विशेष रूप से मिली हुई थी और जो कुछ विशुद्ध फारम सहकारियो को अब भी मिली हुई है। दूसरे, सहकारियो के बैंक (Bank of Co-operatives) से कर्ज पाने की, जैसा कि दसवे अध्याय मे बताया गया है, सुविधा से भी हाथ धोना पडा, यह बैंक अभी केवल उन्ही सहकारियो का कर्ज दे सकती है जिनका काफी अधिक कारबार पक्के-पूरे किसानो के साथ ही हो। लेकिन व्यापार मे बने रहने और निरन्तर ठोस उन्नति करने के लिए ये त्याग आवश्यक थे।

भोजन के उत्पादन, उसे पण्योपयोगी बनाने, उसके सवेष्टन और उपभोक्ता तक उसे पहुँचाने का सारा व्यवसाय बडा ही लाभकारी है। खेत म उत्पादन को छोड कर इस व्यवसाय के बाकी सारे कामो मे लाभ-ही-ला है। आवश्यकता इस बात की है कि किसान भी खाद्य-व्यवसाय के इन अन्य लाभदायी कार्यो मे हाथ डाले। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि खाद्य-व्यवसाय के लाभदायी कार्य किसानो के स्वामीत्व युक्त हो। जैसा कि हम देख

आये हैं, इसे करने का एक तरीका है। अब हम यह देखेंगे कि सहकारिता का वह तरीका किसानों की बुनियादी समस्याओं को कैसे हल कर सकता है।

अमरीकी कृषि की वर्तमान दुरवस्था के तीन बुनियादी कारण हैं। पहला कारण तो हमारी कृषि के तरीके से यानी जिस तरह वह की जाती है, या अधिक सही यह कि जिस तरह की जानी चाहिए पर की नही जाती, उससे सम्बन्धित है। शेष दोनो कारण कृषि-उपजों की बिक्री से सम्बन्धित हैं।

सबसे पहली बात तो यह कि अमरीकी कृषि के सारे अवयवो का ऊपर से नीचे तक जैसा चाहिए वैसा एकीकृत सघटन नही है। और जो कुछ है भी वह एकदम अपर्याप्त है।

इस्पात कम्पनियाँ काफी लोहा इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वे कोयले की खानें खरीद कर उनकी मालिक बन जाती हैं और स्वय ही कोयला निकालती हैं। मोटर कम्पनियाँ काफी इस्पात इस्तेमाल करती हैं एसलिए वे इस्पात मिले और लोहा मिले खरीद कर उनकी मालिक बन जाती है। किसानो को दूसरी बहुत-सी चीजो के साथ-साथ चारे की और बीज की, बिजली की और उधार रुपए की जरूरत होती है। जिस तर्क से इस्पात कम्पनियाँ कोयला खानों की मालिक बन सकती हैं उसी तर्क से किसान तेल के कुओं, उर्वरक सयत्रों, बिजली कम्पनियों और बैंको के मालिक क्यो नही बन सकते; वे अवश्य बन सकते हैं। लेकिन वे ऐसा सिर्फ सहकारिता के द्वारा ही कर सकते हैं। अब यदि हम उद्योग के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवयवो के एकीकृत सघटन के पक्ष मे हैं और इसकी अनुमति देते हैं, जो कि स्पष्ट ही हम दे रहे हैं तो कृषि की समस्या को वास्तव मे सुलझाने के लिए, यदि हम उसे वास्तव मे सुलझाने के लिए उत्सुक हैं तो हमे कृषि के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवयवों का कारगर ढग से एकीकृत सघटन शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए।

थोडा-बहुत एकीकृत सघटन तो हो भी चुका है। कृषि के बाहर एक विशिष्ट प्रकार की सस्थाओ ने अपने कारबार मे किसान का समावेश करके इस काम को किया है। पशु-खाद्य बनाने वाली कम्पनियाँ ही अभी तक इसका उल्लेखनीय उदाहरण हैं; लेकिन शीघ्र ही पण्योपयोगी बनाने वाले निगम और भंडार-शृंखलाएँ भी इसको अपना सकती हैं। इस तरह के एकीकरण का

सम्बद्ध कृषि-उपजो के अत्यधिक न्यून मूल्यो के रूप मे उदाहरणार्थ ब्रायलर (Broilers)—काफी घातक परिणाम हुआ है, और वहाँ किसान की हैसियत गिर कर सिर्फ एक मजदूर की रह गयी है जिसकी आय का रोजमर्रा के बँधे काम की बँधी मजदूरी के अतिरिक्त और कोई भी साधन नही है।

इसके अतिरिक्त एक दूसरी प्रकार का एकीकृत सघटन भी है जिससे कृषि को पुन सम्पन्नता की ओर ले जाने, कृषको की आय मे अभिवृद्धि करने और अमरीकी ढग के ग्राम्य जीवन की अस्तित्व-रक्षा की काफी आशाएँ बँधती है। यह दूसरी प्रकार को एकीकरण किसानो द्वारा ऐसे सहकारी व्यवसायो के सगठन से कार्यान्वित होता है जिनमे किसान कृषि-उपजो से सम्बद्ध व्यापारो के, आंशिक सम्भरण कर्ता अथवा पण्योपयोगी बनाने और बिक्री व्यवस्था करने वाले के रूप मे, स्वय स्वामी होते है। इसमे सहकारिता का सिद्धान्त आर्थिक मोल-भाव करने वाली बहुत-सी कमजोर इकाइयो पर इस तरह लागू किया जाता है कि वे पारस्परिक सहायतार्थ सम्मिलित हो कर शक्तिशाली बने। इस प्रकार जो व्यवसाय किसानो को पेट्रोल-निर्मित वस्तुएँ बेचते है उनमे से कुछेक के स्वामी बन कर अत्यधिक समृद्ध पेट्रोल उद्योग की कमाई का कुछ अश अपनी आय मे समाविष्ट करना किसानो के लिए सम्भव हो जाता है। इसी प्रकार उर्वरक व्यवसाय के कुछेक भाग के स्वामी बनना और उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए बिना घाटे की न्यूनतम लागत पर उस उद्योग को अपने ही हित मे चलाना भी किसानों के लिए सम्भव हो जाता है। जब से किसान उर्वरक उद्योग के कुछ भाग को स्वय चलाने लगे है, परिणाम यह हुआ है कि १९५३ से १९५८ के बीच के वर्षो मे जहाँ कृषि के लिए आवश्यक अन्य सारी वस्तुओ के मूल्यो मे ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई वही उर्वरक के मूल्य ढाई प्रतिशत कम हुए। इसका कारण यह है कि उर्वरको का उपयोग करने वाले लोग ही उर्वरक उद्योग के चतुर्थांश के स्वामी है।

जो उद्योग कृषि मे लगने वाली वस्तुओ का सम्भरण करते है, सहकारिता के आधार पर, उनमे से कुछेक के स्वामी बन कर किसानो मे अपने कारबार की लागतो का आंशिक नियन्त्रण करने की क्षमता तो अवश्य ही आ जाती है। इस तरह के सहकारी कृत्यो से किसान कुछ अशो तक आर्थिक मोल-भाव करने

मे भी समर्थ हो जाते है, जिसके अभाव मे आज की अर्थ व्यवस्था मे नितान्त निस्सहाय वे कुछ भी नही कर सकते।

लेकिन यह एकीकृत सघटन तभी कारगर हो सकता है जब इसमे सम्भरण के मूल स्रोतो का, जैसे कि मूल उर्वरक तत्त्वो, विद्युत्-शक्ति-जनित्रण और कच्चे पेट्रोल आदि सभी आवश्यक अवयवो का समावेश किया जाए।

इन उपायो का अवलम्बन करके जो भी सहकारी सगठन अमरीकी कृषि को आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाने का प्रयत्न कर रहा हो उसे जितना भी हो सके कम-से-कम व्याज पर कर्ज दिया जाना चाहिए।

सहकारियो के इस ढग के विस्तार से जिनमे किसान अपने कृषि-कार्य मे आवश्यक वस्तुओ और सेवाओ का स्वय क्रय और उत्पादन कर सके कृषि उत्पादन की लागत ही नही घटेगी इन सम्बद्ध उद्योगो की कुछ कमाई से कृषि की आय मे वृद्धि भी होगी।

कृषि की लागत कम करने और आय बढाने का दूसरा उपाय यह है कि मूल उत्पादको को ही कृषि उपजो को पण्योपयोगी बनाने, सवेष्टन, प्रसार, प्रचार, विज्ञापन, वितरण और उपभोक्ताओ को सीधे माल बेचने के काम करने दिये जाएँ और इन कामो पर स्वामित्व भी उन्ही का (किसानो का) हो। यही कृषि की दूसरी बडी समस्या सामने उपस्थित होती है। वह समस्या यह है कि जब किसानो को मिलनेवाली कीमते गिरती है, तो उन्ही वस्तुओ के लिए उपभोक्ता जो कीमते देते है वे नही गिरती, उल्टे बढ जाती है।

प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप या तो किसानो को अपनी पैदावार के अच्छे दाम मिलेगे या उपभोक्ताओ को अपने भोजन पर कम पैसा खर्च करना पडेगा या दोनो ही बाते होने लगेगी। यदि कृषि-उपजो को खेत से उपभोक्ता की मेज तक पहुँचाने वाली समस्त प्रक्रियाओ पर किसानो अथवा उपभोक्ताओ का सहकारी स्वामित्व रहे तो उससे किसानो और उपभोक्ताओ मे सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। इस सीधे सम्पर्क का परिणाम यह होगा कि जब उपभोक्ता ऊँची कीमते चुकाएँगे तो कृषि की आय बढ जाएगी और जब किसानो के माल की कीमते गिरेगी तो उपभोक्ता कम पैसा खर्च करके ज्यादा माल खरीद सकेंगे और यो किसानो की बिक्री बढ जाएगी। इसके साथ ही, दोनो ही स्थितियो मे, कृषि पर निर्भर और उससे सम्बन्ध उद्योगो की कमाई के कुछ अश से ग्रामीण अमरीका की आय मे वृद्धि होगी और यो आर्थिक सन्तुलन पुन स्थापित हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को लगा रोग दूर हो सकेगा।

कृषि-समस्या के व्यावहारिक हल के रूप मे प्राय हर आदमी यह कहता सुना जाता है कि हमे उद्योगो का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए, देहातो मे ज्यादा-से ज्यादा छोटे उद्योग शुरु करना चाहिए। लेकिन वह बात कोई नही बताता जिससे इस तरह का विकेन्द्रीकरण स्थायी हल बन सकता है।

और वह बात है इन उद्योगो पर वही के लोगो का—किसानों और ग्राम्य जनता का स्वामीत्व। इसका अर्थ हुआ सहकारी स्वामीत्व। और यह स्वामीत्व उर्वरको, पेट्रोल, विद्युत-उत्पादन और विक्रय-सस्थाओ तक ही सीमित नही रहना चाहिए, इसे पण्योपयोगी बनाने वाले और सवेष्टन के सयत्रो पर भी लागू किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ताओ द्वारा चुकाई जानेवाली और किसानो को मिलनेवाली कीमतों मे पायी जानेवाली चौडी खाई का एकमात्र कारण माल को पण्योपयोगी बनाने और सवेष्टित करने की लागत है तो उस खाई को पाटने का एक मात्र उपाय पण्योपयोगी बनाने और सवेष्टित करने के साधनो और व्यवसायो पर किसानो या उपभोक्ताओ या दोनो का सहकारी स्वामीत्व स्थापित कर देना है।

यदि इस तरह कृषि से सम्बन्धित उद्योगो का किसानो के सहकारी स्वामीत्व मे विकेन्द्रीकरण हो जाए तो कृषि समस्या के दूसरे कारण का हल भी

निकल आता है।

लेकिन 'कृषि-समस्या' को यदि केवल कृषि से सम्बन्धित समस्या के ही रूप मे देखा-परखा जाएगा तो उसे कभी भी हल नही किया जा सकेगा। और यह समस्या तब तो और भी हल नही हो सकती यदि किसानो से कृषि मे 'स्वतन्त्र बाजार' की नीति पर चलने के लिए कहा जाए, क्योंकि दूसरे तो किसी भी उद्योग मे 'स्वतन्त्र बाजार' है ही नही। वास्तव मे कृषि की समस्या समूचे ग्रामीण अमरीका की समस्या है। और इसका एक ही मौलिक समाधान है और वह यह कि जिन उद्योगो का कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उन पर सहकारी पद्धति से ग्रामीणो का, स्थानिको का स्वामीत्व स्थापित किया जाए और उनकी कमाई से होने वाली आय को कृषि से होनेवाली आयमे जोड़ दिया जाए।

समस्या के इस तरह के समाधान मे न तो सरकार का मुंह ताकने की बात है, न छोटे किसानो को जमीन से बेदखल करने की जरूरत है और न उत्पादन को बनावटी ढग पर गिराते जाने की तरकीब है।

हमारी खेती की बर्बादी का तीसरा बुनियादी कारण यह है कि हम प्रचुर उत्पादन और प्रचुर उपभोग की बात ही नही जानते और न इस दिशा मे सोचने को ही तैयार है।

हम तो १९६० की दुनिया मे भी १८९० के ढग से सोचने-विचारने के अभ्यस्त है और उसी विचार-पद्धति पर बराबर जोर देते जा रहे है।

लेकिन वह विचार-पद्धति आज काम नही आ सकती।

अमरीकी किसान औद्योगिकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से प्रचुर उत्पादन के लिए सन्नद्ध हो चुके है, दुनिया की कोई शक्ति अब इसे सम्भवतः बदल नही सकती।

असल मे जरूरत विचार-पद्धति को ही बदलने की है। कुछ लोगों को—लेकिन सच तो यह है कि बहुत ही ज्यादा लोगो को—अभी तक भी यह मान्यता है कि कभी-कभी भूखा रहना लोगों के चरित्र-निर्माण के लिए अच्छी बात है।

इसमे तो कोई सन्देह नही कि जब आवश्यक हो जाए तब अभाव, कष्ट और त्याग से चरित्र का विकास और निर्माण होता है। जब किसी वस्तु की कमी या अभाव होता है तो हम भले लोग उन्हीं को कहते है जो अपना हिस्सा दूसरों

के लिए छोड देते हैं।

लेकिन जब सबके लिए काफी है या हो सकता है उस समय भी लोगो के अभावग्रस्त रहने पर जोर देने मे भला क्या तुक है।

२२ मई १९६० को न्यूयार्क 'टाइम्स' के अन्दर के पृष्ठो मे, दूसरे लेखो के घटाटोप मे छिपा, किसी कोने मे एक लेख प्रकाशित हुआ था जो इस अभाव-समर्थन की विचारधारा का खण्डन करनेवाला था। उस लेख का शीर्षक था 'गेहूँ का बाहुल्य शुभाशा का सकेत'। इतनी दक्षता से गेहूँ की इतनी प्रचुर फसल के लिए इस लेख मे किसानो के भारी अपराध और दुराचरण का, अन्य लेखको की भाति, रोना नही रोया गया था, न किसानो को 'इतनी भयकर समस्या' खडी कर देने के लिए कोसा ही गया था। 'टाइम्स' पत्र के उस विशेष लेखक जे० एच० कारमाईकेल ने कुछ और ही बात कही थी। उनके लेख का कुछ अश इस प्रकार है·

सयुक्त राज्य मे गेहूँ की दूसरी प्रचुर फसल अब आने ही वाली है। ऐसे समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमे आसन्न सकट के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यह फसल स्वतन्त्र विश्व के लिए वरदान हो सकती है।

१ जुलाई से शुरू होनेवाली सयुक्त राज्य की नई मौसम मे पिछली फसलों की बचत जोडकर गेहूँ की कुल आमद ढाई अरब बुशल (१ बुशल=२९ सेर) से भी अधिक होने की आशा की जाती है। गेहूँ की इतनी अधिक पैदावार न तो कभी हमारे यहाँ हुई और न किसी दूसरे देश मे। १९६१ की नई फसल आने तक हमे घरेलू उपयोग के लिए इस बार की पैदावार के सिर्फ चतुर्थांश की आवश्यकता होगी। तो इस चौगुनी फसल से स्वतन्त्र विश्व की भोजन-सम्बन्धी आपत्कालीन आवश्यकता को बडे मजे से पूरा किया जा सकता है।

इसके साथ ही ये अधिशेष स्वतन्त्र विश्व के विरुद्ध युद्ध छेडने का मनसूबा करनेवाले किसी भी समूह के लिए अवरोधक का काम भी कर सकते हैं। क्योकि परमाणु अस्त्रो के कारण यद्यपि युद्ध का स्वरूप बदल गया है, फिर भी जिस राष्ट्र के पास कई बरसो के भोजन का प्रबन्ध हो उसके खिलाफ कोई एक देश या राष्ट्रों का समूह सहसा युद्ध छेडने की बात नही सोच सकता—उसे काफी आगा-पीछा सोचना होगा।

लेकिन हमारे देश ने तो कभी चाहा भी नहीं था कि गेहूँ की इतनी प्रचुर फसल हो। सरकार ने वर्षों से गेहूँ का क्षेत्रफल सीमाबद्ध कर रखा है। लेकिन अनुसंधान और औद्योगिकीय विकासों के कारण गेहूँ की प्रति एकड़ पैदावार लगातार बढ़ायी ही जाती है। यही कारण है कि इस वर्ष की फसल जो लगभग १ अरब २२ करोड़ ५० लाख बुशल के लगभग कूती गई है लगभग सवा छः लाख एकड़ भूमि में बोई गई थी। १९३९ में, जब यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो अमरीकी किसानों ने ठीक इतनी ही भूमि में केवल ७४ करोड़ बुशल गेहूं पैदा किया था।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित की दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्यूनिस्ट संसार को गेहूं के उत्पादन में इतनी सफलता नहीं मिल पायी है। उत्पादन बढ़ाने की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी इधर की खबरों से पता चलता है कि सोवियत संघ, पोलैण्ड और दो-एक दूसरे आश्रित राष्ट्रों में इस वर्ष भी गेहूँ की फसल कम ही हुई है। कुछ ही वर्ष पहले रूस को घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए निजी उत्पादन के अतिरिक्त बाहर से गेहूँ आयात करना पड़ा था। व्यावसायिक पर्यवेक्षकों की ऐसी निश्चित धारणा है कि सोवियत संघ को इस वर्ष भी विदेशों से गेहूँ खरीदना पड़ेगा।

इस प्रचुर पैदावार के कारण संयुक्त राज्य स्वतन्त्र विश्व के दूसरे देशों के साथ गेहूँ की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। अभी हाल में संयुक्त राज्य की सरकार ने भारत के साथ एक करार किया है जिसके अनुसार ५८ करोड़ ८० लाख बुशल गेहूँ चार वर्ष की अवधि में भारत को दिया जाएगा। प्रतिवर्ष १४ करोड़ ७० लाख बुशल गेहूँ भारत भेजा जाएगा और उसका मूल्य भारतीय मुद्रा में ही ग्रहण किया जाएगा।

पता चला है कि इसी तरह के करार कुछ अन्य देशों के साथ भी किये जाने वाले हैं जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। बहुत-से देशों के पास, जो इस गेहूँ का अतिरिक्त संचय के रूप में उपयोग करेंगे, मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। अपनी ही मुद्रा में मूल्य चुका कर वे देश अपनी अर्थ व्यवस्था की इस अर्थ में सहायता करेंगे की संयुक्त राज्य की सरकार को इस तरह जो पैसा मिलेगा वह वापिस गेहूं खरीदने वाले देशों को ही विभिन्न निर्माण-योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज दे दिया जाएगा।

क्या हम यह अनुभव करने लगे हैं कि जब तक एक भी मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं होती कोई भी चीज 'अधिशेष' नहीं है और मानव जाति का मुख्य भोजन तो कदापि नहीं? केनेडी प्रशासन ने आते ही जो कदम उठाये हैं वे तो यही इंगित करते हैं।

प्रचुर अन्न और वस्त्र के वितरण और उपभोग-उपयोग की समस्याओं से कैसे निपटें यह हमें सोचना है। बैंटन-होमस्टेड द्वारा संचालित विज्ञानों के एक

जनमत-सग्रह ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसान तो इस दिशा मे सोचने भी लगे है। इस जनमत-सग्रह मे किसानो से पूछा गया था कि छ तथाकथित कृषि-कार्यक्रमो मे वे सबसे अधिक समर्थन किसका करते है। ५३ प्रतिशत किसानो ने अपनी सूची के सबसे ऊपर यह लिखा: "स्कूल मे दुपहर के भोजन का कार्यक्रम वर्तमान की अपेक्षा दुगुने बच्चो के लिए कर दिया जाए।" ४१ प्रतिशत ने स्कूलो मे दिये जाने वाले दूध के विशेष कार्यक्रम को दुगुने बच्चो के लिए कर देने की बात कही। ३८ प्रतिशत ने खाद्य-टिकट योजना (Food-Stamp Plan) शुरू करने का सुझाव दिया, जिससे अधिशेष भोजन अभावग्रस्तो को सुलभ हो सके। इन तीन सुझावो को ही सबसे अधिक मत मिले। बाकी किसी भी प्रस्ताव को जनमत-सग्रह मे भाग लेने वाले किसानो के २९ प्रतिशत से अधिक मत नही मिले।

सचाई तो यह है कि सयुक्त राज्य अमरीका के उन सभी ८० लाख परिवारो को, जिनका वार्षिक आय २००० डालर से कम है यदि पर्याप्त भोजन मिलता तो उनका अतिरिक्त उपभोग १९५७ से १९५९ तक पूरे तीन वर्षो के तथाकथित खाद्य 'अधिशेषो' के बराबर हो जाता।

और शेष दुनिया के उन १ अरब लोगो का क्या हो जो रोज बिलकुल भूखे रहते है? सयुक्त राज्य निश्चय ही अपने कृषि अधिशेषो को पिण्ड छुडाने के लिए दूसरे देशो मे बिखेर नही सकता। लोगो को भोजन बाँटना भी सीधी-सी बात नही है—और न हमेशा समझदारी की ही बात होती है। लेकिन चिरकालिक भूख और चिरकालिक अधिशेषो को एक दूसरे के समीप लाने और कम करने की कोई विश्व खाद्य योजना सोची ही न जा सके यह बात तो किसी भी तरह मानी नही जा सकती।

लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम बनावटी अभाव और विरलता का स्थिति को श्रेयस्कर समझने के बदले प्रचुर उत्पादन और प्रचुर उपभोग को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर समझे और उनके अभ्यस्त होते जाएँ। प्रचुरता को श्रेष्ठ समझना और उसका अभ्यस्त होते जाना इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि अमरीकी कृषि पर लादी गई बनावटी कमी कभी सफल नही हुई और न आगे कभी हो पाएगी।

यदि हमारी कृषि-समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो उसपर बनावटी कमी लादने के प्रयत्नों की कभी आवश्यकता ही न हो। लेकिन शर्त यही है कि हम सहकारिता को उसके व्यापकतम अर्थों मे अपनाये और उसका उपयोग करे, अर्थात् मानवी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया के लोगों के साथ मिल कर काम करे।

किसानों की समस्याओ को सुलझाने के लिए सहकारी पद्धति के उपयोग का नैतिक और समाज शास्त्रीय पक्ष इतना परिपुष्ट है कि हमारे देश के गिरजाघरो ने भी १९५१ से इस पद्धति का खुले रूप से समर्थन करना आरम्भ कर दिया है। ४ जून १९५८ को सयुक्त राज्य के गिरजाघरों की राष्ट्रीय कोन्सिल के जनरल बोर्ड ने (General Board of the National Council of Churches of Christ in the United States) 'कृषि-नीति के नैतिक लक्ष्य' नामक एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। इस वक्तव्य मे एक जगह यह अनुच्छेद आता है.

किसानों में स्वेच्छिक संगठन, सहकारिता और पारस्परिक सहायता को प्रोत्सहना। प्रभु और पडोसी को प्यार करने के ईश्वरीय आदेश की व्यावहारिक अभिव्यक्तियों के रूप-में पारस्परिक सहायता और सहकारिता पर ईसाई परम्परा ने सदेव जोर दिया है। पारस्परिक सहायता ओर सहकारिता के लिए अपने आपको स्वेच्छिक संगठनों में संघ बद्ध करके कृषको ने बडा ही उत्तम कार्य किया है। स्वतन्त्र विवेचन निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व का वहन आदि गुणों के द्वारा चरित्र-निर्माण का अवसर प्रदान करनेवाली ऐसी इस संगठना को उत्साहित करना चाहिए। गिरजा घरों को चाहिए कि वह पारस्परिक सहायता और सहकारिता के ऐसे संगठनों में सदस्यों की पूरी सक्रियता को, समाज के लिए ईसाई और जनवादी आदर्शों के सच्चे योगदान के रूप में, बढावा दे।

१९६० मे राष्ट्रीय कैथोलिक ग्राम्य जोवन सम्मेलन (National Catholic Rural life Conference) ने अक्तूवर महीने मे अपने मुख-पत्र "कैथोलिक रूरल लाइफ" का सहकारी सस्थाओ तथा किसानो और ग्राम्य जीवन मे उनके मूल्य एव महत्व पर एक पूरा विशेषाक ही प्रकाशित किया। इस विशेषाक के मुख्य लेख मे फोर्ट वेईन-साउथ वेण्ड के विशप परम आदरणीय लियो ए० पर्सली क एक अनुच्छेद इस प्रकार था

सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सर्व सामान्य हित की संवर्द्धना के लिए अपना योगदान करना चाहिए, मानव जाति की एकता और समाज की अन्तरवर्ती रचना से आविर्भूत होता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्बाध और अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता से एक दूसरे को वंचित करना रोका जा सकता है। इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम अपने नियन्ता द्वारा अभिप्रेत जीवन प्रणाली पर आचरण कर सकते हैं। सहकारी आन्दोलन इस धारणा से उद्भूत होता है कि सभी वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं और एक वर्ग का हित सभी का हित है और सबकी समृद्धि के बिना एक वर्ग कभी समृद्ध नहीं हो सकता। सहकारी संस्थाएं वस्तुओं के स्वामीत्व को अधिकाधिक लोगों में प्रसारित करने में सहायक हैं। स्वामीत्व उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार सहकारी संस्थाएं मानव-जाति की एकता और व्यक्ति की गौरव-गरिमा को परिपुष्ट करनेवाले सधान और ईसाइयत तथा जनतन्त्र के शक्तिशाली आधार हैं।

---

८ | तेल के व्यापार में जनता

एक जमाना था जब तेल व्यापार मे उत्पादन, समन्वेषण और कच्चे तेल के अधिकार पर जोर दिया जाता था। लेकिन आज, कच्चे तेल के ज्ञात संचय-स्रोतों का लगभग ८५ प्रतिशत बड़ी कम्पनियों के हाथों मे चले जाने और विश्व-उत्पादन माँग से कही अधिक हो जाने के कारण सारा प्रयत्न विक्री-निकासों के अधिकार पर केन्द्रित हो गया है। लेकिन इस तरह के निकासों के विना स्वतन्त्र उत्पादक और परिष्करण कर्ता। अपने व्यापार से हाथ धोते जा रहे है।

१९५७ मे चौदह छोटी तेल विक्रेता कम्पनियाँ विशाल एकीकृत कम्पनियों मे या तो विलीन हो गई या उनका अधिग्रहण कर लिया गया। १९५८ मे आठ और कम्पनियों का यह हाल हुआ। और १९५९ मे न कम न ज्यादा पूरी छत्तीस छोटी कम्पनियाँ इस रास्ते गायब हो गई।

१९६० का आरम्भ होते ही तेल-व्यवसाय के गुर को समझने और अन्दरूनी बातों को जानने वाले लोग यह भविष्यवाणी करते सुनाई देने लगे कि स्वतन्त्र विक्रेताओं के ही नही स्वतन्त्र उत्पादकों और स्वतन्त्र परिष्करण कर्ताओं के दिन भी अब आ लगे है। सुस्थापित विक्रेता अधिष्ठानों की सम्पत्ति और नाम के लिए बडी कम्पनियाँ खुले हाथो मुँह माँगी कीमते देने लगी, बल्कि कहना चाहिए कि लुटाने लगी। नाम तो शायद ही कभी बदले जाते है। उपभोक्ता यही समझता है कि वह एक स्वतन्त्र व्यापारी से तेल खरीद रहा है, लेकिन हर महीने हालते कुछ ऐसी होती जा रही है कि वह वास्तव मे किसी बड़ी कम्पनी के अनुपगी निकास का प्रतिपोषण कर रहा होता है। तेल-व्यापार मे केन्द्रीकरण बढता जाता है।

'पेट्रोलियम वीक' (६ नवम्बर १९५९) ने टेक्सास के एक प्रमुख तेल महाजन (बैंकर) का निम्न अवतरण उद्धृत किया था :

> उस समय स्वतन्त्र कारबार करने वाले बहुत से लोगों ने इस बात को नही समझा और आज भी कई ऐसे है जो इसे नही समझते कि प्रोरेशन

(Proration) लागू कर दिये जाने से कच्चे तेल का सारा बाजार एकदम बडी कम्पनियो के हाथ में चला गया है। तेल-उत्पादको की आज गैस-उत्पादको से तुलना कीजिए। गैस-उत्पादक के पास करारनामा होता है, ज्यादातर करारनामो मे माल की न्यूनतम लेवाली और स्थिर मूल्यो का स्पष्ट उल्लेख रहता है और आमतौर पर उनकी अवधि वीस वर्ष की होती है। तेल-उत्पादक के पास ऐसा कोई करारनामा नही होता। वह अपनी विक्री किसी वडी तेल कम्पनी के मार्फत ही कर सकता है। और वह वडी कम्पनी जव चाहे कीमतो मे अदला-वदली कर सकती है, और चाहे तो कल से उसका तेल लेना भी वन्द कर दे। आज तेल का सम्भार इतना अधिक है कि वडी कम्पनी को सयोजन (कनेक्शन) वदलने के लिए विज्ञापित मूल्यो पर दिये जाने वाले कुछ अधिशुल्क के वाहर प्राय. उत्पादक को और कोई अभिप्रेरण नही देना पडता।

तेल के स्वतन्त्र व्यापारी शायद इस वात को सचमुच ही भूल चुके है कि सहकारी विक्री व्यवस्था भी हो सकती है। कोई भी ऐसी वैधानिक या नैतिक बाधा नही है जिसके कारण स्वतन्त्र व्यापारी अपना सहकारी विक्रय सघ नही बना सकते।

अव जो बची रह गई है वे स्वतन्त्र तेल कम्पनियाँ व्यापार मे टिके रहने के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाती है या नही यह तो अभी देखने की बात है, लेकिन पेट्रोल-उत्पादनो के कई लाख उपभोक्ताओ ने इस काम को काफी सफलता के साथ कर दिखाया है और अपने-आप को तथा सभी तेल उपभोक्ताओ को जितना लाभ पहुँचाया है उसका सही-सही अनुमान लगा पाना कठिन ही है।

कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि रोमन कैथोलिक चर्च, स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी और फ्रान्सिसी सेना—ये दुनिया के तीन सबसे शक्तिशाली सगठन है।

द्वितीय महायुद्ध ने फ्रान्सिसी सेना का नाम तो इस सूची से खारिज कर दिया। कैथोलिक चर्च अवश्य अपने लाखो-करोडो भक्तो पर अव भी वैसा ही शक्तिशाली प्रभुत्व रखता है।

और स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी का भी उससे भिन्न प्रकार का अधिकार लगभग अपने ही लोगो की जेबो पर है। बहुत-सी बडी तेल कम्पनियो के अभ्युदय के

वाद भी 'स्टैण्डर्ड की विज्ञापित कीमते' आज भी सयुक्त राज्य अमरीका और अधिकाश विश्व के पेट्रोल व्यवसाय के लिए निर्देशात्मक और अन्तिम रूप से निर्णयात्मक होती है।

प्रायः एक आध शहर के पेट्रोल के फुटकर विक्री पम्पों पर कीमतो की लाग-डॉट हो जाया करती है और होड़ा-होडी मच जाती है, लेकिन यह ज्य दा समय तक चल नही पाता। कच्चे और परिष्कृत दोनो ही तरह के माल की कीमत वड़ी कम्पनियों का 'भाई चारा' अपने अच्छे-खासे नियन्त्रण मे रखता है। इस वात के सकेत भी मिलने लगे है कि पचास वरस पहले न्यास-विरोधी कारस्वाइयों के जो परिणाम हुए थे उनका शीघ्र परावर्तन कर दिया जाएगा स्टैण्डर्ड आयल कम्पनियों मे की कुछ कम्पनियाँ जो उस अकेले न्यास की उत्तराधिकारी है आज अपने विलय की चर्चा करने लगी है। और उस जमाने से भिन्न आज की उग्र मन स्थिति मे उनका यह कृत्य किसी उल्लेखनीय जन-विरोध के विना सम्भवत. स्वीकार भी कर लिया जाएगा।

यह तो एक दस्तावेजी हकीकत है कि सयुक्त राज्य अमरीका और कम्यूनिस्ट गुट के वाहर शेप सारी दुनिया का पेट्रोल उत्पादन सात कम्पनियों के कब्जे मे है। लेकिन न्याय विभाग (Department of Justice) ने इस समूह की अमरीकी कम्पनियों के विरूद्ध अपने न्यास-विरोधी वाद को समाप्त कर दिया। ऐसा करने का कोई भी कारण आज तक नहीं वताया गया, लेकिन इसका उत्तर तो इसी वात से मिल जाता है कि जहाँ अमरीकी जीवन का कोई कोना-अतरा और कोई छेड-दरार काग्रेस स्तरीय खोज-वीन से वच नहीं पाई वहाँ तीस वर्षों से भी अधिक समय होने आया तेल-व्यापार को किसी भी जाँच-पड़ताल के द्वारा छेड़ा नहीं गया। तेल की आवाज ऊँची नहीं है, लेकिन वह वोलता है एकछत्र अधिकार के दर्प से।

(Proration) लागू कर दिये जाने से कच्चे तेल का सारा बाजार एकदम बड़ी कम्पनियों के हाथ में चला गया है। तेल-उत्पादकों की आज गैस-उत्पादकों से तुलना कीजिए। गैस-उत्पादक के पास करारनामा होता है; ज्यादातर करारनामों मे माल की न्यूनतम लेवाली और स्थिर मूल्यो का स्पष्ट उल्लेख रहता है और आमतौर पर उनकी अवधि बीस वर्ष की होती है। तेल-उत्पादक के पास ऐसा कोई करारनामा नही होता। वह अपनी बिक्री किसी बडी तेल कम्पनी के मार्फत ही कर सकता है। और वह बडी कम्पनी जब चाहे कीमतो मे अदला-बदली कर सकती है, और चाहे तो कल से उसका तेल लेना भी बन्द कर दे। आज तेल का सम्भार इतना अधिक है कि बडी कम्पनी को सयोजन (कनेक्शन) बदलने के लिए विज्ञापित मूल्यो पर दिये जाने वाले कुछ अधिशुल्क के बाहर प्राय उत्पादक को और कोई अभिप्रेरण नही देना पडता।

तेल के स्वतन्त्र व्यापारी शायद इस बात को सचमुच ही भूल चुके है कि सहकारी बिक्री व्यवस्था भी हो सकती है। कोई भी ऐसी वैधानिक या नैतिक बाधा नही है जिसके कारण स्वतन्त्र व्यापारी अपना सहकारी विक्रय सघ नही बना सकते।

अब जो बची रह गई है वे स्वतन्त्र तेल कम्पनियाँ व्यापार मे टिके रहने के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाती है या नही यह तो अभी देखने की बात है, लेकिन पेट्रोल-उत्पादनो के कई लाख उपभोक्ताओं ने इस काम को काफी सफलता के साथ कर दिखाया है और अपने-आप को तथा सभी तेल उपभोक्ताओं को जितना लाभ पहुँचाया है उसका सही-सही अनुमान लगा पाना कठिन ही है।

कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि रोमन कैथोलिक चर्च, स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी और फ्रान्सिसी सेना—ये दुनिया के तीन सबसे शक्तिशाली सगठन है।

द्वितीय महायुद्ध ने फ्रान्सिसी सेना का नाम तो इस सूची से खारिज कर दिया। कैथोलिक चर्च अवश्य अपने लाखो-करोडो भक्तो पर अब भी वैसा ही शक्तिशाली प्रभुत्व रखता है।

और स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी का भी उससे भिन्न प्रकार का अधिकार लगभग अपने ही लोगों की जेबो पर है। बहुत-सी बडी तेल कम्पनियो के अभ्युदय के

बाद भी 'स्टैण्डर्ड की विज्ञापित कीमते' आज भी सयुक्त राज्य अमरीका और अधिकाश विश्व के पेट्रोल व्यवसाय के लिए निर्देशात्मक और अन्तिम रूप से निर्णयात्मक होती है।

प्रायः एक आध शहर के पेट्रोल के फुटकर बिक्री पम्पों पर कीमतों की लाग-डॉट हो जाया करती है और होड़ा-होड़ी मच जाती है, लेकिन यह ज्यादा समय तक चल नही पाता। कच्चे और परिष्कृत दोनो ही तरह के माल की कीमते बड़ी कम्पनियों का 'भाई चारा' अपने अच्छे-खासे नियन्त्रण मे रखता है। इस बात के सकेत भी मिलने लगे है कि पचास बरस पहले न्यास-विरोधी काररवाइयो के जो परिणाम हुए थे उनका शीघ्र परावर्तन कर दिया जाएगा स्टैण्डर्ड आयल कम्पनियो मे की कुछ कम्पनियाँ जो उस अकेले न्यास की उत्तराधिकारी ह आज अपने विलय की चर्चा करने लगी है। और उस जमाने से भिन्न आज की उग्र मन.स्थिति मे उनका यह कृत्य किसी उल्लेखनीय जन-विरोध के बिना सम्भवतः स्वीकार भी कर लिया जाएगा।

यह तो एक दस्तावेजी हकीकत है कि सयुक्त राज्य अमरीका और कम्यूनिस्ट गुट के बाहर शेष सारी दुनिया का पेट्रोल उत्पादन सात कम्पनियो के कब्जे मे है। लेकिन न्याय विभाग (Department of Justice) ने इस समूह की अमरीकी कम्पनियो के विरूद्ध अपने न्यास-विरोधी वाद को समाप्त कर दिया। ऐसा करने का कोई भी कारण आज तक नही बताया गया; लेकिन इसका उत्तर तो इसी बात से मिल जाता है कि जहाँ अमरीकी जीवन का कोई कोना-अतरा और कोई छेड़-दरार काग्रेस स्तरीय खोज-बीन से बच नही पाई वहाँ तीस वर्षों से भी अधिक समय होने आया तेल-व्यापार को किसी भी जॉच-पडताल के द्वारा छेडा नही गया। तेल की आवाज ऊँची नही है, लेकिन वह बोलता है एकछत्र अधिकार के दर्प से।

अकेले इसी उद्योग मे शास्ता शासितो के अधिकार मे देखे जाते है। सयुक्त राज्य मे उपलब्ध पेट्रोल के परिमाण के प्राक्कलन के लिए खनि विभाग (Bureau of Mines) बडी तेल कम्पनियो द्वारा प्रस्तुत ऑकडों का ही उपयोग करता है। और इस विभाग ने तेल उद्योग को अप्रसन्न करने वाली कोई बात कही या की हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय या कम-से-कम प्रकाशन ही किया था

उसका समर्थन किया हो ऐसा तो आज तक कभी हुआ नही।

यह भविष्यवाणी तो अब आम होती जा रही है कि निकट भविष्य मे ही पेट्रोल व्यवसाय के समस्त स्वतन्त्र व्यापारी खत्म हो जाएँगे और बडी कम्पनियो से प्रतियोगिता करने के लिए केवल सहकारी सस्थाएँ ही रह जाएँगी। स्वतन्त्र तेल परिष्कर्ता सघ (Independent Oil Refiners Association) के अध्यक्ष ने सहकारी स्वामीत्व की किसी परिष्करण-शाला की एक नई इकाई का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि सहकारियो के इस व्यवसाय मे आने के लिए बडी कम्पनियो को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय की राय मे, इस व्यवसाय मे सहकारियो की विद्यमानता ही वह बडा कारण थी जो सरकार को एकाधिकारी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कडा कदम उठाने से रोके रही। उन अध्यक्ष महोदय के इस तरह की बात कहने का कारण भी था। जिस शहर मे (कुशिंग, ओक्लाहामा) उन्होंने यह बात कही वहाँ कुछ समय पहले चौदह परिष्करण शालाएँ थी, जिनमे से अधिकाश स्वतन्त्र थी, लेकिन जिस समय उन्होंने उद्घाटन किया वहाँ केवल दो परिष्करण-शालाएँ थी—एक तो किसी बडी कम्पनी की और दूसरी सहकारी सस्था की। इसीलिए ऐसी टिप्पणी करने का यह काफी उचित कारण था।

सहकारी सस्थाओं द्वारा की जानेवाली प्रतिस्पर्धा निराले प्रकार की है। यह प्रतिस्पर्द्धा व्यापार मे पिट कर बिक जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा नही है। सबसे पहली बात तो यह कि सहकारी सस्थाएँ 'पैसा कमाने के लिए' नही, बल्कि अधिमूल्यन के भार मे बुरी तरह दबे किसानो के लिए पैसा बचाने को उद्देश्य मे ही तेल व्यवसाय मे आई है। जैसे-जैसे सहकारी सस्थाओ की वृद्धि होती गई और वे अपने कार्य-व्यापारो का एकीकरण करती गई उनका उद्देश्य भी व्यापक रूप धारण करता चला गया। अब इस उद्देश्य मे अपने सदस्यो को एक बडे उद्योग के कुछ अश का स्वामी बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को दृढ करने की बात और जुड गई। मुँह माँगा दाम पाकर बडी कम्पनियो के हाथ अपने को बेच देने से तो इन दोनो ही उद्देश्यो की उपलब्धि नही हो सकती।

जनता द्वारा तेल-व्यापार की जोखिम उठाने का आरम्भ किसी नाटकीय घटना से कम नही है। १९२० के बाद के वर्षो मे ट्रैक्टर के आगमन से भी इसका

घनिष्ठ सम्बन्ध है। ट्रैक्टर के ईंधन के लिए काफी पैसा चाहिए। और खेती की तो रीढ वैसे ही टूटी जा रही थी, इतने महँगे ईंधन के लिए ढेर सारा पैसा आये कहाँ से! मिन्नेसोटा मे किसानो का एक समूह अँगीठी के आगे बैठा आपस मे सलाह-मशविरा करने लगा कि क्यो न अपनी गाढी कमाई के कुछ पैसे को लगाकर अपने लिए पेट्रोल का एक पम्प और बडी टकी बना ली जाए। इस कार बार को सहकारी ढग से स्वय करके एक तो वे पेट्रोल-उत्पादन सम्बन्धी अपनी और अपने पड़ोसियो की आवश्यकताओ को पूरा कर सकते थे और दूसरे उन्हे यह भी मालूम हो जाता कि पेट्रोल की लागत और कीमत क्या बैठती है। यह मिन्नेसोटा के काटन वुड कस्बे की १९२१ की बात है। तेल के व्यापार मे जनता का यह पहला कदम था। और पहले ही दिन से यह कदम काफी सफल रहा।

लेकिन काटन वुड के लोगो को शीघ्र ही यह पता चल गया कि खाली फुटकर बिक्री का कारबार तो खतरे से खाली नही होता और बाज वक्त उसे चलाना ही मुश्किल हो जाता है। राज्य की दूसरी बस्तियो मे जो पेट्रोल सहकारी सस्थाएँ काम कर रही थी उनका भी यही अनुभव था। प्राय तेल पाना ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए अन्त मे १९२६ के एक दिन, अपने क्षेत्र के सभी सहकारियो को पेट्रोल उत्पादन का सम्भरण करने के लिए, शुभ मुहूर्त देखकर, प्रार्थना और शुभाकाक्षा और बडी-बडी सद्भावनाओं के साथ मिडलैण्ड सहकारी थोक सस्था (Midland Cooperative wholesale) की स्थापना की गई।

आरम्भ के वर्षो मे तेल सहकारी सस्थाओ ने अपने सदस्यो को औसत १६ प्रतिशत के आस पास सरक्षण धन वापसियाँ की।

उधर ओहियो, इडियाना ओर इलिनोइस के किसानो को भी समझ मे यह बात नही आ रही थी कि कस्बे की टकी से सिर्फ फारम तक लाकर देने मे ट्रैक्टर के द्रव-ईंधन की कीमत सात सेंट प्रति गैलन कैसे हो जाती है! और शीघ्र ही उन्होने मालूम कर लिया कि यह कीमत तो आधी भी नही होनी चाहिए। यह भेद उन्होने जाना मिन्नेसोटा के किसानो की तरह अपनी निजी तेल-वितरण सहकारी सस्थाओ की स्थापना करके। लेकिन इनके सामने भी वही समस्या

आई और इन्हे भी सम्भरण के लिए थोक सहकारी सस्था की आवश्यकता महसूस हुई। और तीनो ही राज्यो मे फारम व्यूरो ने जिला सहकारियों की माँग का निकाय कर आपूर्ति प्रयत्नो के लिए राज्य व्यापी सहकारी थोक सस्थाए प्रायोजित की।

लेकिन इन थोक सहकारी सस्थाओ के सामने भी ठीक वही कठिनाई आई। अपने सम्भरण कर्ताओ से, जो इनके एकीकृत प्रतिस्पर्द्धी भी थे, इन्हे वडे विचित्र ढग से और सहसा ही माल मिलना वन्द हो जाता था।

अक्सर ऐसे अवसर आ जाते थे जव कुछ कच्ची हिम्मत वाले यह सलाह देने लगते कि इस खटराग को वेच-वाचकर छुट्टी की जाए। लेकिन उनकी वात चल नही पाती थी।

इसके विपरीत उधर कन्सास के मैदानो मे १९२५ के वाद के वर्षो मे अमरीकी इतिहास मे पहली सहकारी तेल परिष्करण-शाला का अभ्युदय हुआ। उसके वाद देश के विभिन्न भागो मे इस तरह की और कई परिष्करण-शालाए वनी, जिन्हे विभिन्न सहकारी सस्थाओ ने या तो स्वय निर्मित किया या किसानो से खरीद लिया। कन्सास की परिष्करण शाला को उचित मात्रा मे कच्चा तेल किसी भी तरह मिलना सम्भव न हो सका तो मामले को जाँच-पडताल के लिए न्याय विभाग को सौपने की धमकी देनी पडी और तभी आवश्यक मात्रा मे और ठीक समय पर तेल मिलना शुरू हुआ और तभी वह परिष्करणशाला ठीक ढग से चलने लगी।

लेकिन जनता का तेल-व्यापार अभी तक एकीकृत नही हो पाया था, जो उसके जीवित रहने के लिए नितान्त आवश्यक था, और न वह स्वतन्त्र ही हो पाया था, जो केवल सम्पूर्ण एकीकरण के वाद ही सम्भव था।

जनता को यह सिद्ध कर के दिखा देना था कि वह कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर परिष्करण, थोक वितरण और फुटकर विक्री तक सारे काम स्वय कर सकती है।

और लोगो ने यह करके दिखा भी दिया।

१९३९ की सर्दियो मे फिर कन्सास के मैदानो मे एक अलाव के चारो ओर उपभोक्ता सघ (Consumers Cooperative Association) के

लोगों का एक छोटा-सा समूह आग ताप रहा था। वे लोग सारी रात इसी तरह बैठे प्रतीक्षा करते रहे थे। अन्त मे जैसे ही सवेरा हुआ उनकी चिन्ता मिटी और लम्बी प्रतीक्षा का फल मिला। पहली बार जमीन के अन्दर से वह तेल निकला जिसके स्वामी वही लोग थे जिन्हें उस तेल के परिष्कृत उत्पादनो की स्वय अपने लिए आवश्यकता थी। पहली बार, सब लोगों के लाभ के लिए भगवान् की कृपा से प्रकृति की प्रक्रियाओं द्वारा पेट्रोल मे सग्रहीत ऊर्जा का वह महत् सचय कुएँ से पाईप लाइन द्वारा सीधे उन साधनों मे पहुँचाया गया जो इन लोगों की आवश्यकताओं को सीधे-सीधे पूरा करने के लिए बनाये गए थे।

१९४३ मे मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स ने कुशिग, ओक्ला होमा मे एक परिष्करणशाला खरीदा जिसकी पूरी कीमत उसी की तीन साल की बचतो से निकल आई।

इस कहानी का अधिक विस्तार अनावश्यक ही है। आज सयुक्त राज्य के किसानों द्वारा जितना पेट्रोल खर्च किया जाता है उसका १८ से २२ प्रतिशत सहकारी सस्थाएँ अपने कुओ से थोक टकियो और फुटकर पम्पों तक पहुँचाती हैं। मध्य पश्चिम (middle west) के ऊपरी हिस्से के राज्यों मे तो यह अनुपात और भी अधिक है। कुछ जिलों मे ४० से ५० प्रतिशत पेट्रोल का पूरा व्यवसाय सहकारी सस्थाओं के हाथ मे है।

बडी टकियो और २००० पम्पो को चलाने वाली कोई २७०० स्थानीय पेट्रोल सहकारी सस्थाओ के मार्फत उपभोक्ताओं को वेची जाती है।

सहकारी सस्थाओ का लगभग २००० तेल कुओ पर स्वामीत्व है। वे १० परिष्करण शालाएँ चलाते हैं, जो पहले से सख्या मे अवश्य आधी हैं, लेकिन उनकी कुल क्षमता पहले से काफी ज्यादा है। देश के कुल पेट्रोल उत्पादन के लगभग २ २ प्रतिशत का सहकारी सस्थाओ द्वारा अपनी पाईप लाइनो, ट्रको, थोक और फुटकर निकासो के द्वारा वितरण किया जाता है। १.६ प्रतिशत का वे परिष्करण करती हैं। उनकी सवसे वडी कमी यह है कि अपनी परिष्करण-शालाओ के लिए जितना कच्चा तेल चाहिए उससे उन्हे अपने कुओ से १५ प्रतिशत कम मिल पाता है। परिष्करणशालाओ के सन्तुलित और निश्चिन्त सचलन के लिए उन्हे कोई ५० प्रतिशत की आवश्यकता है।

एक महान उद्योग के इतने छोटे-से कारवार से भी सहकारी सस्थाओ ने काफी-कुछ कर दिखाया है। वे सरक्षण धन वापसी के रूप मे किसानों को, फारम को आय को, देहाती कस्बो और उनकी आय को लाखों-करोडो डालर लौटा चुकी है। ये वापसियाँ वह वचत है जो थोक और फुटकर विक्री के अन्तर के कारण हुई है, अर्थात् वह बचत जो वास्तविक लागत और बाजार मे चालू कीमतो के अन्तर के कारण हुई है। इस वचत मे उत्पादन और परिष्करण का अन्तर भी समाविष्ट है। यह मुनाफे को वह भलाई है जो किसानो और ग्राम्य जनता से वसूली जाती, परन्तु घूम-फिर कर उन्ही के पास उनके सहकारी स्वामीत्वकृत तेल कुओ और परिष्करणशालाओ के माध्यम से लौट आई।

ये सब तो प्रत्यक्ष लाभ हुए, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष और अप्रकट लाभ भी कई है। यदि १९१०–१९१४ को आधार अवधि मानकर मूल्यो का सूचकाक १०० स्थिर किया जाए तो १९५९ मे किसानों को आवश्यक सम्भरणों और यन्त्रादि के लिए जो कीमते देनी पडी उसका सूचकाक २७५ हो गया। लेकिन सहकारियो के दो सबसे तगडे बारबार पेट्रोल और उर्वरक मे मूल्यो का सूचकाक क्रमश १७५ और १५२ ही रहा।

मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और दूसरे कुछ राज्यो मे १९३४ के मुकाबले १९५९ मे जिन्सो को कीमतो मे आमतौर पर जो बढती हुई उसकी तुलना मे

गैसोलीन (पेट्रोल) के मूल्य मे केवल दो-तिहाई वृद्धि हुई। यह किस हद तक उस क्षेत्र की शक्तिशाली सहकारी सस्थाओ की प्रतियोगिता का परिणाम है इसका ठीक-ठीक निश्चय कर पाना तो असम्भव ही है। लेकिन इस बात को तो मानना ही होगा कि सहकारियो की प्रतियोगिता का इसमे काफी वडा हाथ है।

सहकारियो के आर्थिक प्रयोजन वहुत सीधे और साफ है। उनका हेतु है अपने ग्राहको को, जो उनके स्वामी भी होते हैं, उत्कृष्ट कोटि का माल, बिना घाटे की न्यूनतम असली कीमत पर प्रदान करना है। अपने-आप से मुनाफा कमाने मे कोई तुक नही है। इसलिए पेट्रोल उद्योग की सहकारी सस्थाओ का अपने संरक्षक-स्वामियो के लाभ के लिए उत्पादन की किस्म को निरन्तर सुधारते रहने का प्रयत्न समूचे उद्योगो पर एक ऐसा प्रभाव है. जिसे नापना वडा मुश्किल है, लेकिन जिसने उन अनगिनत लोगो को गौण रूप से लाभान्वित किया है, जो इन तेल सहकारियो के अस्तित्व तक से अनभिज्ञ हैं।

काफी विले (कन्सास) की सीसीए की, कुशिग (ओक्लाहामा) की मिडलैण्ड की, या मेक्फरसन (कन्सास) की राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण सघ (National Cooperative Refining Association) द्वारा सचालित सहकारी परिष्करण शालाओ से अधिक दक्ष और श्रेष्ठ क्या कोई दूसरी भी है-यह प्रश्न सम्भवत अनुत्तरित ही रहा। राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण सघ वाली परिष्करणशाला तो सात क्षेत्रीय पेट्रोल सहकारी संस्थाओ के सयुक्त स्वामीत्व और संचालन मे एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान है। इसकी दैनिक क्षमता २६ हजार पीपे है।

सहकारियो के कार्य सचालन के इस नियम को कि उनकी प्रवृत्ति मुनाफों को, जिसका मजा उनके सदस्यो को केवल एक ही वार मिलता है, आम जनता मे वितरित करने की है, अभी तक भी वहुत कम समझा गया है। और आज तो यह वात शायद ही किसी को याद होगी कि तीस वरस पहले शहर से फारम तक ईंधन (पेट्रोल) पहुँचाने मे उसका दाम सात सेंट प्रति गैलन होता था। सहकारियों ने यह अनुभव किया कि इन दरो को ढाई या तीन सेंट प्रति गैलन तक घटाया जा सकता है और जव घटा दिया तो सारे पेट्रोल उद्योग को भी ऐसा करना पडा।

अमरीकी अर्थ व्यवस्था मे तेल का व्यापार कुल मिला कर सबसे अधिक लाभ का व्यवसाय है। यद्यपि बीस लाख सहकारी सदस्यों का इस उद्योग के बहुत ही छोटे हिस्से पर स्वामीत्व है, फिर भी उन्हे जो लाभ होता है वह बिलकुल उजागर ही है।

उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम मध्यम दर्जे के मिडिल वेस्टर्न कस्बे के एक चौराहे को ले सकते हैं। चौराहे के तीन कोनो पर तीन पेट्रोल पम्प हैं। एक पम्प तो किसी बड़ी तेल कम्पनी का है, दूसरा किसी स्वतन्त्र ठेकेदार का है और तीसरा सहकारी सस्था का है।

प्रकट ही है कि दूसरे और तीसरे क्रम के पम्प तो स्थानीय स्वामीत्व कृत उद्यम हैं, लेकिन पहला अन्यत्रवासी अनुपस्थित स्वामी का है। बड़ी तेल कम्पनी के पम्प पर लाभदायी फुटकर बिक्री, माल की भराई-ढुलाई, थोक-बिक्री, परिष्करण या उत्पादन से जो कमाई होती है उसमे से उस बस्ती मे कुछ भी रहता नही। केवल वही है जो तनख्वाह और मजदूरी के रूप मे उस पम्प पर काम करने वालों को दिया जाता है। दूसरा पम्प जिसका मालिक स्थानीय आदमी है और जिसने अपने सम्भरण के लिए एक तेल कम्पनी से सविदा किया है उसकी स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ काम करनेवाले का पारिश्रमिक ही नही फुटकर बिक्री का मुनाफा भी बस्ती मे ही रहता है। लेकिन सम्भरणकर्ता तेल कम्पनी की कमाई मे से इस पम्प के स्वामी को भी कुछ नही मिलता।

सहकारी इन दोनो से ही भिन्न प्रकार का व्यवसाय है। जो लोग इसकी सेवाओ का प्रयोग करते और इसके उत्पादन खरीदते है यह उन्ही की सम्पत्ति है ओर सदैव रहेगा। वे स्थानीय लोग है—उसी कस्बे के किसान और दूसरे लोग। फिर उनके स्थानीय सहकारी के क्षेत्रीय थोक और उत्पादन सहकारियों मे हिस्से भी है। इस तरह कस्बे का पम्प चलाने वाले लोगो की तनख्वाह और मजदूरी ही बस्ती के घर-की-घर मे नही रहती, फुटकर बिक्री, थोक के काम, परिष्करण, परिवहन ओर उत्पादन की कमाई (इसे सहकारी शब्दावली मे बचत कहते हैं) के सारे सीमान्तों का उचित सानुपातिक अश बस्ती मे ही रहता है। क्योकि थोक और उत्पादन सहकारी द्वारा ये उपार्जन सरक्षणधन वापसियों के रूप मे प्रति वर्ष अपने स्थानीय सहकारी सदस्यों को लौटा दिए जाते हैं। और वह

रकम पेट्रोल पम्प मे उनके सरक्षण के अनुपात से पुन वस्ती वालो की जेब मे लौट आती है क्योंकि वे ही तो उस पम्प के ग्राहक और मालिक भी है।

एक जमाना था जब पेट्रोल पम्प के ग्राहको की और मालिको की सख्या बहुत ही सीमित हुआ करती थी, क्योकि सहकारी पेट्रोल पम्प न तो इतने आकर्षक, न इतने व्यवस्थित, न इतने साफ-सुथरे और न इतने रगे-चुंगे ही होते थे जितने कि प्रतिस्पर्द्धियों के हुआ करते थे। कुछ बस्तियों मे आज भी यही हाल है। एक स्थानीय सहकारी पेट्रोल पम्प के व्यवस्थापक का वह किस्सा तो सभी को मालूम है जिसने यह कहकर नये साइनबोर्ड का विरोध किया था : "नया साइनबोर्ड क्यो लगाते हो ? सदस्य तो सभी जानते है और दूसरा कोई फटकता नही।"

सच है, दूसरे शायद ही फटकते होगे।

लेकिन अब समय बदल गया है। १९५१ के आरम्भ से ही पेट्रोल सहकारियों का काया पलट होने लगा, चमक-दमक वाली कार्यकुशल परिष्करण-शालाओ का रग-रोगन और चेहरा-मुहरा ही नही स्थानीय पेट्रोल पम्पो और बडी टकियों की शकल-सूरत भी एकदम बदल गई। पेशे से सम्बन्धित कार्यो के विकास और साधन-सामग्रियों की एकरूपता के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय थोक सहकारियों ने पैसा दिया। गन्दे, बुरी जगहो मे बने हुए अनाकर्षक सहकारी पेट्रोल पम्पो के स्थान पर चमक-दमक वाले, अच्छी तरह सजे-सँवारे, साफ-सुथरे और आकर्षक सेवा-साधन-केन्द्र दिखाई पडने लगे, और जिन्हे अपने सदस्यो के अतिरिक्त दूसरे लोगों से भी व्यवसाय मिलने लगा। देश का सर्वोत्कृष्ट पेट्रोल पम्प और सेवा-केन्द्र मिन्नियापोलिस की महानगरी मे मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स इन कारपोरेशन का है जिसे वह स्वय चलाती है और जो इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि सहकारी सेवा कितना बढिया-से-बढिया काम कर सकती है।

तेल के व्यापार मे जनता १९२० के बाद के वर्षो मे, मुख्य रूप से किसानो और कृषि पर बढ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, आई थी। आज भी तेल-उत्पादनों के अधिकाश सहकारी व्यापार पर किसानों का स्वामीत्व है और वे मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण बस्तियों की ही सेवा करते है। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद से देश का शहरातीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है और नगर ग्रामीण क्षेत्रो मे फैल गए है और पूरे-पक्के किसानो की सख्या कम हो गई है।

तेल सहकारियों ने समय के इस [संकेत को देखा और समझा। उन्होंने अपने व्यापार को और खासतौर पर वाष्पीय तेलों और मोटर के ईंधन एवं तेल के कामकाज को शहरों मे फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उपनगरीय बस्तियों मे पेट्रोल पम्पों का अधिग्रहण किया और इक्के-दुक्के पेट्रोल पम्प शहर के ठीक मध्य मे भी प्राप्त कर लिये। इसी बीच नागरिक आधार वाले उपभोक्ता सहकारियों ने बाजार के रुख को परख कर पेट्रोल पम्प और मोटर सम्बन्धी-सेवाओं का सारा काम अपने यहाँ और बढा लिया, ये सहकारी अपना पेट्रोल और तेल क्षेत्रीय सहकारियों से लेने लगे, जो कभी एकमात्र किसानों को ही माल दिया करते थे।

इन नये रुझानों का दिलचस्प उदाहरण ओहियो राज्य की कुया होगा काउटी मे देखने को मिलता है।

१९३४ मे जब जिला (काउटी) फारम ब्यूरो कोआपरेटिव बनाया गया तो कुया होगा काउटी मे १२३० फारम थे। १९५९ मे पचास एकड या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले मुश्किल से सौ फारम रहे होंगे। लेकिन पाँच और दस एकड के बगीचे और छोटे खेतो की सख्या काफी बढ गई और ये सब नगर का काम करने वाले लोगों के पास थे। पक्के-पूरे किसान परिवार क्लीवलैण्ड नगर सहित पूरे जिले की आबादी के १ प्रतिशत के पचमांश से भी कम ही होंगे।

ऐसी स्थिति मे फारम ब्यूरो कोआपरेटिव का कारबार बडी आसानी से बन्द हो जाता अगर वह पुराने ढर्रे पर ही काम करता रहता। लेकिन इसका सचालक-मण्डल और व्यवस्थापक दूरदर्शी थे। कृषि-योग्य उर्वरकों की बिक्री कम होने लगी तो उन्होंने वाटिकाओ मे बोये जानेवाले बीज और उद्यानोपयोगी उर्वरक की बिक्री शुरू कर दी। खेती के उपकरणो की बिक्री गिरी तो उद्यानोपयोगी औजारों और घर-गिरस्ती के साधन-साधित्रों की बिक्री शुरू कर दी और ये चीजे बिकने भी तेजी से लगी। लेकिन सबसे अधिक और महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई शहर और कस्बे के ग्राहको मे गैसोलीन, द्रव ईंधन आदि पेट्रोल निर्मित वस्तुओं की बिक्री की। यह व्यापार काफी बढा। १९३६ मे पेट्रोल निर्मित वस्तुओ की बिक्री २६,८०० डालर की हुई थी, १९५८ मे वही ५,०२,२०० डालर तक पहुँच गई। १९५३ मे मोटरों के द्रव ईंधन की बिक्री शुरू की गई थी और यह वृद्धि उसी का परिणाम थी।

सहकारी की समग्र बिक्री मे भी काफी वढोत्तरी हुई। १९३४ मे जहाँ समग्र बिक्री मुश्किल से सत्रह हजार डालर थी वहाँ १९५८ मे दस लाख डालर के आसपास पहुँच गई।

किसान अब भी अधिकार से चिपटे हुए है। नगरवासी वैसे तो सरक्षण धन वापसी का अपना पूरा हिस्सा पा रहे है, परन्तु उनकी हैसियत बिना मताधिकार के केवल 'सहायक' सदस्यो की है। लेकिन समय इस स्थिति को भी शीघ्र ही वदलेगा। क्योकि इस सहकारी ने वडे ही व्यावहारिक ढग से आवश्यक वस्तुओ के उपभोक्ताओ के रूप मे फारम और नगरवासियो के सामान्य हितो को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है और मान भी लिया है।

जनता तेल व्यवसाय मे स्थायी रूप से रहेगी। इस उद्योग मे जनता के सहकारी उतने ही कार्यक्षम और सुसचालित है जितने कि उद्योग को चलाने वाले अन्य घटक। और इस उद्योग की समृद्धि इस वात की सूचक है कि व्यापारी कम्पनियाँ काफी मुनाफा करती है, इसलिए उद्योग के सहकारी अग के स्वामी-ग्राहको को काफी सरक्षण-धन वापसियाँ की जा सकती है। इन सहकारियो का अभी और भी एकीकरण करना आवश्यक है। कच्चे तेल के आवश्यक सम्भारों पर और अधिक अनुपात मे इनका स्वामीत्व होना भी उतना ही आवश्यक है।

जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है वडी कम्पनियाँ 'स्वतन्त्र' व्यवसायियो की सारी प्रतियोगिता का अधिग्रहण कर उसे समाप्त करके ही रहेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए सहकारी, अर्थात् तेल के व्यापार मे आई हुई जनता, अपने कारवार को उनके हाथो कभी नही वेचेगी, क्योकि वेचने का अर्थ है उस उद्देश्य और प्रयोजन से ही पराड्मुख होना जो उन्हे इस व्यापार मे ले आया है। और वेचने का अर्थ होगा अमरीकी जनवादी परम्परा के ओज की सवल अभिव्यक्ति को, उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण को नष्ट कर देना।

सयुक्त राज्य अमरीका के अत्यधिक एकीकृत उद्योग के काफी अच्छे अश पर वीस लाख औसत अमरीकी परिवारो का स्वामीत्व और विश्व के कतिपय सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थ (आर्थिक) दानवो से उनकी सफल प्रतियोगिता—यह वास्तव मे कितना महान दृश्य है। और यह सब उनके इस निर्णय की वदौलत कि ऐसा करना समझदारी का काम है; और वह निर्णय सम्भव हुआ व्यापार को चलाने की सहकारी पद्धति के अस्तित्व की वदौलत।

६ | जनता का पैसा

यह जनता का पैसा है।

सारा पैस जनता का है—या एक समय था।

जितना भी पैसा और साख है वह सब या तो जनता की बचतों का फल है, या बैंकों, बीमा कम्पनियों और अन्य महाजनी (वित्तीय) संस्थाओं द्वारा उन बचतों का उपयोग है, या बैंकों अथवा सरकार द्वारा जनता की साख का मुद्रीकरण है, या सरकार अथवा निजी संस्थाओं द्वारा जनता की साख का उपयोग है।

एक बीमा कम्पनी, न इससे कम और न इससे ज्यादा, सिर्फ यही तो है कि लोगों का एक समूह मिलकर जीवन की एक समान आपत्तियों-विपत्तियों में साझी बनने को तैयार हो जाता है, और जब भी वे विपत्तियाँ आयें उनका सामना करने के लिए अपनी बचतों का निकाय करता है। जनता की इन्हीं बचतों पर तो बीमा-व्यवसाय का सारा साम्राज्य टिका हुआ है।

बैंक किसानों, मकान मालिकों और व्यापारियों को कर्ज देते हैं और जमानत में उनके खेत, मकान या व्यापारी सम्पत्ति को बन्धक रखते हैं। लेकिन क्या बैंक ने इन्हें अपना रुपया या अपनी साख उधार दी है? नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में बैंक ने किसानों, या मकान मालिकों या व्यापारियों की उस साख का मुद्रीकरण कर दिया है जो पहले से उन लोगों के पास है, लेकिन जिसे मुद्रा में परिवर्तित करने का उनके पास कोई साधन नहीं है।

जब ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाएँ सरकार से रुपया उधार लेती हैं तो वे किसी दूसरे की साख उधार नहीं ले रही होती हैं। वास्तव में वे अपनी ही साख पर उधार लेती हैं। क्योंकि ४५ लाख ग्रामवासियों और किसानों ने निश्चय ही सारी जनता की साख में अपने सानुपातिक हिस्से से अधिक कर्ज नहीं लिया होता है, इसलिए कि सारी जनता की उस साख के निर्माण में अपनी उत्पादनशीलता से उन्होंने भी सहायता की है।

इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्दर की प्रक्रिया मे सारी पूंजी, सारा रुपया और सारी साख कभी-न-कभी सीधे-सादे, सामान्य नागरिको के हाथ मे रही है, जिनमे से कुछ धनी है, बहुत से मध्य वित्त श्रेणी के है और अधिकाश गरीब है।

थोडा ध्यान से सोचा जाए तो ये सारी बाते विस्मयकारी तो जरा भी नही है। आश्चर्य की बात केवल इतनी ही है कि लोग इनके बारे मे सोचते ही नही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अवश्य है जो सोचते है, और कुछ लोग सोचकर उनपर आचरण भी करते है। ऐसे लोग क्या करते है और क्यों करते है, यही इस अध्याय का विषय है।

यह अध्याय लोगो के पैसे, साख और बचतों के बारे मे है। यह बैंको, बीमा कम्पनियों और साख सस्थाओ के बारे मे है। इसमे जनता की बचत सस्थाओ, जनता की बीमा कम्पनियों और जनता की साख सस्थाओ का वर्णन भी है।

इस अध्याय मे यह भी बताया गया है कि जनता की साख का उपयोग—और दुरुपयोग भी—कैसे किया जाता है, उस साख को कैसे आधुनिक जीवन का शक्तिशाली उपकरण बनाया जाता है, और जिनकी वह साख है उन्ही लोगो के जीवन को नियन्त्रित करने वाला हथियार भी। और सक्षेप मे हम कर्ज के उस भयकर अभिशाप का भी उल्लेख करेगे जो जीवन भर नही चुकाया जा सकता और बहुत से तथाकथित 'कम विकसित' देश के निवासियो की प्रगति को अवरुद्ध करने वाला गले का पत्थर बना हुआ है।

ये ऐसी बाते है जिनके बारे मे सामान्य जन से बार-बार कहा जाता है, बल्कि उसे विश्वास दिलाया जाता है कि वह इन्हे पूरी तरह नही समझ सकता। अज्ञान को असाध्य समझ लेने की यह गलत धारणा ही तो हमारी अधिकाश गम्भीर आर्थिक समस्याओ का मूल कारण है।

राष्ट्रपति जान एडम्स ने, जो उग्र सुधारवादी तो कदापि नही थे एक जगह लिखा है :

"अमरीका की सारी परेशानियां गडबडी और तकलीफों का कारण हमारे विधान या सघ मे खामियों का होना अथवा हम लोगों मे सद्गुण

या सम्मान की कमी नही, उनका असली कारण है सिक्के, साख और चलन के बारे मे हमारा घोर अज्ञान।"

राष्ट्रपति एडम्स का यह कथन आज भी सच है। इसलिए हम बचत से शुरू करेगे, क्योकि सारी आर्थिक प्रगति की कुञ्जी यही है।

परिवारो, जन-समुदायो और राष्ट्रो की सारी आर्थिक प्रगति का राजमार्ग बचत के सिहद्वार से होकर ही जाता है। आर्थिक प्रगति के लिए पहले से बचत किये बिना उस दिशा मे मनुष्य कोई कदम उठा नही सका है।

आदि मानव अपनी तात्कालिक आवश्यकता से कुछ अधिक भोजन यदि अपनी कन्दरा मे एकत्रित न कर लेता तो वह कभी प्रगति कर ही नही सकता था। लेकिन जब उसके पास कम-से-कम एक ही दिन का भोजन जमा हो गया तभी वह उस दिन का उपयोग अपक्षेपी[1] बनाने मे कर सका, जिससे कम श्रम मे अधिक वन्य पशुओ का आखेट कर सके, या वह उस दिन का उपयोग जगली बीजो को बोने मे कर सका जिससे अनाज की फसल प्राप्त कर सके।

सगृहीत भोजन बचत का पहला ढग था।

कन्दरा मे सगृहीत भोजन रहने पर आदि मानव पत्थर के अनगढ औजार बनाने के लिए अथवा अपने और अपनी जाति के दूसरे लोगो के लिए आश्रय स्थान बनाने को समय निकाल सका।

अब बचत ने पत्थर के औजारो, आश्रय स्थलो और भोजन का रूप ले लिया।

आगे चलकर धातु के औजारो के रूप मे बचत की जाने लगी, या हो सकता है कि धातु के ही रूप मे, जिससे बहुत-सी चीजे बनाई जा सकती थी, बचत की जाने लगी हो।

ये बचते सही अर्थो मे धन की, जीवन को टिकाये रखने और उसकी रक्षा करने वाली वस्तुओ की बचते होती थी। इन बचतो का अर्थ होता था तात्कालिक आवश्यकताओ से मुक्ति। इनका अर्थ होता था नये काम करने की, आगे बढने और प्रगति की स्वतन्त्रता।

---

१. पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर फेकने का पहला यन्त्र, जो बहुत ही भद्दा और आदिम ढग का था। —अनु०

बचत के बिना मनुष्य या तो उन लोगों का दास है जिनके पास बचतें हैं या फिर वह दास है जीवन को टिकाये रखने के लिए भोजन उपलब्ध करने की अपनी ही मौलिक आवश्यकता का।

स्वतन्त्र केवल वे ही लोग हो सकते हैं जिनके पास बचत है।

और इस प्रकार बचतों पर अधिकार और नियन्त्रण स्वतन्त्रता का प्रवेश-द्वार है, ठीक जिस प्रकार बचतें आर्थिक प्रगति का प्रवेश द्वार है।

सभी युगों और सभी समाजों मे लोग कुछ-न-कुछ बचतें करते ही आये हैं। सभी युगों और सभी समाजों मे जो तेज-तर्रार और चतुर लोग होते हैं वे शेष सब की बचतों पर यदि नही तो उन बचतों के सार्थक नियन्त्रण पर तो अपना अधिकार अवश्य स्थापित कर लिया करते हैं।

निरकुश सत्ताधिकारी राजाओं, सम्राटों या अधिनायकों द्वारा शासित समाजों मे शासकों को निरकुश सत्ता जनता की बचतों पर उनके अधिकार और मन की मौज पर उन बचतों के अपहरण के रूप मे अभिव्यक्त होती रही है।

हमारे युग मे भी ठीक यही सिद्धान्त लागू होता है। केवल ढग बदल गए हैं। हम मुख्यतः मुद्रा की शकल मे बचत करते हैं। इस तरह की कुछ बचतों के उपयोग के बिना परिवारों, समुदायों अथवा राष्ट्रों की हैसियत से हम कोई भी आर्थिक प्रगति नही कर सकते। हम अपने परिवार की कल की आवश्यकताओं का प्रबन्ध भी नही कर सकते यदि हमारे पास उसके लिए बचत उपलब्ध न हो। यदि हमारे पास अपनी निज की बचतें नही हैं तो हम दूसरे लोगों से उनकी बचतें उधार लेने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तब हम सही अर्थों मे स्वतन्त्र नहीं रह जाते, क्योंकि इसके लिए हमें मुँह माँगी कीमत, कर्ज के रूप म, देनी पड़ती है और प्रायः अपनी कुछ सम्पत्ति को भी जोखिम मे डालना पडता है।

पुराने समाजों की ही तरह हमारे अपने समाज मे भी अधिकाश लोग समय-समय पर बचत करते हैं। और पुराने समाजों की ही तरह आज भी अधिकांश लोग अपनी बचतों पर अधिकार नही रख पाते—जिन्हे अपनी बचतों का अधिकार सौपते हैं उन्ही के आश्रित हो जाते हैं।

इसे बदला जा सकता है। ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों के समूह—चाहे वे बहुत थोड़ी ही बचत करते हों—अपनी बचतों को अपने अधिकार मे रख

सकते हैं और अपने लिए स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा का दृढ आधार निर्मित कर सकते हैं।

लेकिन अकेले तो इस काम को कोई कर नही सकता। केवल लोगों के समूह पारस्परिक सहायता के लिए सम्मिलित हो कर और उस पारस्परिक सहायता को प्रभावी बनाने के लिए सही ढग का साधन अपना कर ही इस काम को कर सकते हैं।

इस तरह के साधनो मे हैं साख सघ (क्रेडिट यूनियन्स), सहकारी ढग की पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ, सहकारी कृषि-साख सस्थाएँ, पारस्परिक बचत बैंके, बचत और ऋण सघ, पारस्परिक निवेश निधियाँ और इसी प्रकार की अन्य पारस्परिक सहायता सस्थाएँ।

बचत के ठीक विपरीत है उधार लेना। यदि लोग साथ मिल कर बचाएँ—अपनी बचतो और अपनी साख का निकाय करे—तो वे साथ मिल कर उधार ले सकते हैं और साथ मिल कर निवेश कर सकते हैं। यही है वित्त मे प्रयुक्त सहकारी सिद्धान्त।

•

जब घर का कमाने वाला मर जाता है, या बच्चा कालेज जाने लगता है, या कपडा धोने की मशीन टूट जाती है, या सहसा कोई बीमारी आ धमकती है तो औसत परिवार को इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए उधार लेने की जरूरत पड जाती है और वह साख का ऐसा स्रोत ढूंढता है जहाँ से उधार मिल सके। साख-सघ का आविर्भाव इसी आवश्यकता मे से हुआ है। साख-सघो के पहले भी औसत परिवारो को उधार मिल जाया करता था। लेकिन वैध बैंके तो उन लोगो को रुक्को पर छोटे कर्ज देती नही, जिनके पास कोई जमानत न हो, क्योंकि उनकी साख नही होती, जब कि साख की ऐसे ही लोगो को सबसे अधिक आवश्यकता है। तो दूसरा उपाय होता था किसी महाजनी पीढी के आगे हाथ फैलाना, जो कस कर ब्याज लेती थी, या फिर निरूपाय होकर किसी सूदखोर की शरण जाना, जिसका पठानी ब्याज आँते ही निकाल लेता था।

इस स्थिति को सुधारने वाली साख-सघ की परिकल्पना सरलता का प्रत्यक्ष

उदाहरण और सहकारिता का सार ही है। अकेला एक परिवार न तो महाजन पेढी के ऊँचे व्याज की दरों को कम करवा सकता है और न बैंकों को बगैर जमानती छोटे उधारों का प्रावधान करने के ही लिए राजी कर सकता है। लेकिन ऐसे परिवारों का काफी बडा समूह-चाहे वे परिवार गरीब ही क्यों न हों—यदि काम करने के लिए संयुक्त हो जाए तो इस समस्या के समाधान का साधन सुलभ कर सकता है। उधार के लिए साख की आवश्यकता को नियमित बचत के आचरण से संयुक्त करके इस काम को किया गया। एकल सदस्यों को जब भी उधार लेने की आवश्यकता हो पूरे समूह द्वारा लोगों की अपनी ही बचतों का उपयोग करके उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यदि एक समूह के काफी लोग किसी साख-संघ मे पांच डालर वाले हिस्से खरीद ले तो जब भी किसी को कर्ज लेने की आवश्यकता पटे वह अपने ही समूह से उचित दरों पर उधार ले सकता है, अपने ही समूह को कर्ज चुका सकता है और उपार्जन का अपना अंश भी प्राप्त कर सकता है।

मे कही दबा पडा है, ये सस्थाएँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी लोगो मे पारस्परिक सहायता। और चूंकि पारस्परिक सहायता मानवी सभ्यता का मूलाधार है इसलिए साख-सस्थाएँ अवश्य ही बहुत-बहुत पुरातन होनी चाहिए।

साख-सघो से मिलती जुलती सस्थाएँ भारत मे और दूसरे देशो मे भी पिछली कई शताब्दियो से चली आ रही हैं। लेकिन आधुनिक ढग के साख-सघो का जन्म स्थान जर्मनी है। १८वी शताब्दी के मध्यकाल मे प्राय एक ही साथ हरमन शुल्ज-देलित्ख नगर मे और फ्रेडरिक राईफी सेन देहात मे दरिद्रता, ऋण और ब्याज की जिन जबर्दस्त दरो के मारे ऋण चुकाये नही चुकता, उस युगो पुरानी समस्या के बारे मे कुछ करने की सोच रहे थे। राईफी सेन फ्लेम्रर्सफेल्ड नामक छोटे से जर्मन कस्बे के मेयर थे। लोगो की दुरवस्था के बारे मे सोचते-सोचते जब वे लगभग निराश ही हो गए तो सहसा एक विचार उनके मस्तिष्क मे कौध गया, जो हमारे युग का सबसे ओजस्वी विचार है। वह विचार था सहकारी उधार पद्धति का। उन्होने सोचा कि ऋण ग्रस्त किसानो मे से अकेला एक तो वर्तमान दरो से अधिक सुविधाजनक शर्तो पर उधार पा नही सकता, लेकिन यदि किसानो का एक समूह आपसी ऋण चुकाने की असीमित देयता के लिए सम्मिलित रूप से वचन बद्ध हो जाए तो कुछ किया जा सकता है। उन्होने इस दिशा मे प्रयत्न किये। उन्होने लोगो को समझाया। अन्त मे उन्होने एक सघ बनाया, जिसमे अधिकतर किसान थे और जो सम्मिलित रूप से अर्थात् सहकारिता के आधार पर वचनबद्ध होने और उधार के लिए अपनी-अपनी साख का निक्षेप करने के लिए तैयार थे। इसके बाद राईफी सेन ने छोटी-सी निधि एकत्रित की, जो उस पहले साख-सघ का बीजाकुर बनी। वह प्रयोग काफी सफल रहा। उसके द्वारा ब्याज की उचित दरो पर उधार दिया गया, पुराने कर्ज बेबाक किये गए, और उस समय पर उधार चुकाया गया। आज हजारो राईफीसेन समितियाँ देहाती बैंको, एव बचत तथा उधार सभाओ के रूप मे जर्मन-भाषी ग्रामीणो की सेवाएँ कर रही है।

शुल्ज-देलित्ख ने ठीक इसी तरह का जो काम जर्मन नगरो के श्रमिको के लिए किया उसका सम्मान जर्मन फेडरल रिपब्लिक ने १९५८ मे उनकी स्मृति मे एक डाक टिकट निकाल कर किया।

उन्नीसवी शताब्दी के मध्य काल के बाद के वर्षो मे जर्मनी के आदर्श पर ही इटली मे भी काम हुआ। वहाँ कैथोलिक चर्च ने इसका समर्थन किया। आज इस चर्च के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यो मे से एक है दुनिया के सभी देशो मे साख-सघो को बढावा देना।

कई वर्षो तक असीमित देयता की प्रथा का पालन किया गया। इटली के कई भागो मे यह प्रथा आज भी है। लेकिन अनुभव से इसकी अनावश्यकता सिद्ध होती गई और क्रमश इसका परित्याग किया जाता रहा। इसका स्थान साथी सदस्य के अनुमोदन ने ले लिया। इस आन्दोलन के इतालवी प्रवर्तक लुजाती ने इसे 'ईमानदारी का पूँजीकरण,' कहा है।

जैसा कि हम आगे चल कर देखेगे, सयुक्त राज्य के साख-सघो पर भारत को साख समितियो का अमित ऋण है। लेकिन अमरीकी साख-सघो का जो रूप हमे आज दिखाई देता है वह हमारे यहाँ कनाडा होता हुआ यूरोप से ही आया है—जर्मनी और इटली के आरम्भिक प्रयत्नो की प्रति छाया के रूप मे। क्यूबाई पत्रकार अलफोज डेस जार्डिन्स कनाडा के साख-सघो के पिता और महान नेता थे। १९०९ मे न्यू हैम्पशायर के मैचेस्टर नगर के सेंट मेरी नामक मुहल्ले मे सयुक्त राज्य अमरीका का पहला साख-सघ भी उन्ही ने स्थापित किया था।

अमरीका का साख-सघ सम्बन्धी पहला विधान मेसाचुसेट्स् मे राज्य के बैंक-व्यापार के आयुक्त पीर जय की जाँच-पडताल के बाद पारित हुआ था। इस जाँच-पडताल से न केवल यही बात सामने आई कि सूदखोरो से लडने के लिए एक शस्त्र की आवश्यकता है बल्कि यह भी पता चल गया कि वह उत्कृष्ट आयुध कौन-सा है। डेस जार्डिन्स इस पडताल मे अभि साक्ष्य के लिए कनाडा से आये थे।

बोस्टन के करोडपति व्यापारी एडवर्ड ए० फिलेन ने भी गवाही दी थी। उन्होने बताया कि अपनी भारत यात्रा मे मै डब्ल्यू० आर० गौरले से मिला था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के गाँवों मे साख समितियाँ बनाने के लिए सेवा-नियुक्त किया था। फिलेन ने गौरले के साथ गाँवो का दौरा भी किया और भारत की अत्यधिक गरीब ग्रामीण जनता की ये समितियाँ जो ठोस सेवा कर रही थी उससे और इस कार्य के पूरे विचार से वे बहुत ही अधिक प्रभावित

हुए थे। उन्होंने ये सब बाते मेसाचुसेट्स् के विधायको को बताई और अपने अत्यधिक उत्साह से सभी को अभिप्रेरित कर दिया। साख-सघो के कानून को पारित कराने मे फिलेन के उत्साह का भी कुछ कम हाथ नही था।

उस दिन से लेकर १९३७ मे अपनी मृत्यु तक फिलेन की सारी सम्पत्ति, लगन और उत्साह सयुक्त राज्य मे साख सघो की उन्नति और विकास मे लगे रहे। हमारे यहाँ इस कार्य की वृद्धि का अधिकाश श्रेय उन्ही के प्रयत्नो को है। १९२१ मे उन्होने पूरे जी-जान से यह कार्य शुरू किया। उसी वर्ष उन्होने राय एफ० वरगेन ग्रेन की सहायता से साख सघ राष्ट्रीय विस्तार कार्यालय (क्रेडिट यूनियन नेशनल एक्सटेन्शन ब्यूरो) की स्थापना की और वरगेनग्रेन को उसका मन्त्री नियुक्त किया। इसी बीच साख-सघो को कार्यान्वित करनेवाले तीन राज्य कानून और पारित हो गए और १९९ साख-सघो की स्थापना हो गई।

फिलेन के ब्यूरो के उद्देश्य थे साख-सघो के कार्यान्वितपन के लिए आवश्यक कानून बनवाना; नमूनो के रूप मे साख-सघो की स्थापना करना, साख-सघो की सख्या मे इतनी वृद्धि करना कि उनकी प्रत्येक राज्य मे आत्म निर्भर प्रादेशिक सस्थाएँ और ऐसी सब प्रादेशिक सस्थाओ का एक अखिल देशीय सघ स्थापित किया जा सके। १९३४ मे जब क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन का विधान बनकर उस पर दस्तखत हो गए तो ये चारो उद्देश्य भी पूरे हुए।

राय एफ० वरगेनग्रेन १९३४ मे क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन के स्थापना काल से १९४५ तक इसके प्रवन्ध निर्देशक रहे। १९४५ मे उन्होने त्याग पत्र दे दिया। १९४६ मे उन्हे सेवायुक्त प्रवन्ध निदेशक का सम्मान प्रदान किया गया। उनके बाद साख-सघो के प्रवर्तक नेता और सगठन कर्ता टामस डब्ल्यू० डोहग १९५५ तक इस पद पर काम करते रहे, फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वे अलग हो गए। जब तक १९५७ मे प्रवन्ध-निदेशक के पद पर एच० वान्स आस्टिन का चुनाव नही हो गया तब तक की अन्तरिम अवधि मे टेक्सास के साख-सघो के नेता और क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष एच० वी० येट्स् इस पद पर कार्य करते रहे।

१९३४ से ही साख-सघ के मूल उद्देश्यो की प्रगति की दिशा मे भी बराबर कार्य होता रहा काग्रेस और प्राय सभी राज्य के विधान मण्डलो ने और कनाडा

की प्रादेशिक सरकारों ने साख-संघो के उपयुक्त और समर्थकारी कानून बनाये। राज्य की सभाएँ और राष्ट्रीय सघ (National Association) साख सघो के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने और उनकी कार्य विधियो को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने मे सतत सहायता करते हैं। कनाडा और वाशिंगटन के कार्यालय राष्ट्रीय सघ के मैडोसन (विसकोन्सिन) स्थित प्रधान कार्यालय की हर तरह से सहायता करते हैं। १९३४ मे सयुक्त राज्य मे साख सघों की सख्या १०,४५६ थी, जो फेडरल क्रेडिट यूनियन्स के कार्यालय के प्रयत्नो के फलस्वरूप दूसरे महायुद्ध के आरम्भ काल तक दुगुनी हो गई। जब दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ तो सदस्यों की सख्या ३५,३२,००६ तक पहुँच चुकी थी और समग पूँजी ३२,२५,१५,००० डालर थी।

लेकिन सही अर्थों मे व्यापक विस्तार तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद ही हुआ। १९५८ तक सारे विश्व मे साख सघों की सख्या २५,०००, उनके सदस्यों की सख्या लगभग १,२०,००,००० और कुल आस्तिया ४,७०,००,००,००० डालर तक पहुंच चुकी थी।

इनमे से अधिकाश सयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा मे थे। १९५९ की समाप्ति तक केवल अमरीका मे ही साख-सघो की सख्या १९,८००, उनके सदस्यों की सख्या १,१३,००,००० और आस्तियाँ ४,३८,२०,००,००० डालर (मुख्यत. सदस्यों की हिस्सा पूँजी) एव सदस्यों को दिया हुआ कर्ज ३,७०,००,००,००० डालर था। लेकिन साख-सघों मे सारे ही पश्चिमी गोलार्द्ध और विश्व के दूसरे भी अनेक देशों के लोगों की अभिरुचि बराबर बढ़ती जा रही थी। साख सघों से लाभान्वित होने की इस विश्व व्यापी प्रवृत्ति की संवर्द्धना और सन्तुष्टि के लिए १९५४ में क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन ने अपना एक नया विभाग विश्व विस्तार विभाग (World Extension Division) के नाम से खोला।

जिसे साख-सघो का 'मूल मन्त्र' कहा जा सके वह कुछ इस प्रकार होगा। 'किसी स्त्री अथवा पुरुष का आदर-मान इसलिए नही किया जाना चाहिए कि **उसके पास क्या है**, वल्कि इसलिए किया जाना चाहिए कि **वह क्या है**। इसीलिए साख-सघ के सदस्यो को उधार देते समय यह कभी नही देखना चाहिए कि उनके पास जमानत कितनी है, क्योकि तव तो सच मे उन्हे उधार लेने की जरूरत ही नही हे वल्कि देखना यही चाहिए कि उन्हे सचमुच उधार लेने की आवश्यकता है, क्योकि उनके पास सिर्फ अपना अच्छा भला नाम है और उनके साथी सदस्य उस अच्छे-भले नाम का आदर करते है। इस सिद्धान्त और इस मूल-मन्त्र ने अनेक स्थानो मे अनेक वार चमत्कारिक काम किया है। और ये आगे अभी ओर भी चमत्कार करेगे।

नोवा स्कोटिया मे मन्दी के घनघोर दिनो मे सन्त फ्रान्सिस जेवियर विश्वविद्यालय के कुछ स्कॉटिश कैथोलिक पादरियो ने मछुओ को यह सुझाया कि पहले अपना साख-सघ वनाकर उसके वाद वे अपनी निजी विक्रय सहकारी सस्था, लावस्टर 'कारखाने' और अपनी मछलियो के उचित मूल्यार्जन के अन्य साधन कैसे सुलभ कर सकते है। नया और सरल तरीका यह था कि मछुओं ने अपनी मछलियाँ विचौलियो के हाथ रुलाने वाली कीमतो के वदले वोस्टन और न्यूयार्क के वाजारो मे उचित मूल्यो पर स्वय सीधे वेचना शुरू कर दिया। उनके साख सघो ने उनके लिए अपने ही भडार और अपने ही पण्योपयोगी सयत्रो की सुविधा कर दी जहॉ वे अपनी मछलियो को उचित कीमत के आने तक रोके रख सकते थे।

भारत मे आज सहकारी साख समितियो ने किसानो को सूदखोर महाजनों के चगुल से अपने-आप को छुडाने और उसके कर्ज की नाग फास से अपने गले को मुक्त करने की सामर्थ्य प्रदान की है। जिस देश के लोग सदियो से कर्ज के भी भीषण वोझ तले पिसते रहे हो और जहॉ वाप के वाप का कर्ज वेटे का वेटा भी न चुका सकता हो वहॉ के लिए यह कितनी वडी वात है।

फिजी द्वीप के निवासी यह सीखते जा रहे है कि मुद्रा क्या है, इसका मतलब क्या होता है और यह किस काम आती है। साख-समितियो के निर्माण के लिए उनके यहॉ काफी वडा आन्दोलन है। वे मिल-जुलकर अपना-अपना पैसा वचा रहे है। अपने और अपने पडोसियो के रुपए के निकाय से कर्ज के लिए आवेदन

बडा काम केवल इसीलिए सम्भव हो सका कि पहले लोगो ने साख-सघ के पाँच डालर के हिस्से खरीदे और उसके बाद अपनी बचतों का स्वय नियन्त्रण करने की कला सीखी।

न्यूयर्क के इस चमत्कार के प्रणेता का नाम है मिस्टर विलियम रीड, जिन्हे १९५९ मे न्यूयार्क सिटी हाउसिग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

कोलो रेडो के एक मुहल्ले के कैथोलिक साख सघ को जब यह पता चला कि मेक्सिकोई वशानुक्रम के उनके ६४ सदस्य परिवारो को किराये के झोपडो से बेदखल किया ही जाने वाला है तो उसने उस जमीन के अधिकार-त्याग का पट्टा (दाखिल खारिज) प्राप्त कर लिया और तब स्वय कर्ज देकर उन परिवारो को उसी जमीन के अलग-अलग टुकडे खरीदवा दिये। उसके बाद उसी जमीन पर अपने छोटे-छोटे आरामदेह मकान बनाने के लिए उन्हे कर्ज भी दे दिया। इस प्रकार जिस जमीन पर पहले सताये हुए किरायेदार अस्त-व्यस्त दशा मे पडे हुए थे वही मकान मालिको को एक अच्छी-खासी बस्ती बन गई।

सीटल मे जब परिवारो को पुगेट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य योजना (Group Health Cooperative of Puget Sound) मे सम्मिलित होने की आवश्यकता पडती है तो सामूहिक स्वास्थ्य साख सघ (Group Health Credit Union) उन्हे सदस्यता शुल्क के सौ डालर चुकाने के लिए कर्ज देता है। इस सहकारी स्वास्थ्य योजना के चार चिकित्सा केन्द्रो और एक अस्पताल से लगभग साठ हजार लोगो को सभी आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या और साधारण कीमतों से आधे दाम पर दवाएँ भी मिलती है। यहाँ स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा सेवा पर प्रति व्यक्ति जितना खर्च आता है वह औसत व्यक्ति द्वारा आकस्मिक, आ पाती और कभी-कभी जरूरत पडने वाली महँगी चिकित्सा से कही कम होता है।

इडियाना, कनसास और दूसरे बहुत से राज्यो के किसानो ने भी अपने कृषि आपूर्ति सहकारियो के सदस्यो मे साख-सघो के सगठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसका कारण यह था कि किसानो के पास साल के कुछ खास मौको पर जरूरत पडने वाले महँगे कृषि यन्त्रो या प्रचुर मात्रा मे लिये

ज ने वाले कृषि-सम्भरणों के लिए काफी नकद पैसा नही रहता। सहकारियों द्वारा लेन-देन का काम शुरू करना काफी खर्चीला पड जाता है और फिर उसमे सदस्यता-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ भी है। लेकिन साख-सघ तो कारबार ही रुपये के लेन-देन का करते है और इस तरह को खरीदियों के लिए तुरत पैसा दे सकते है। फारम-आपूर्ति सहकारियो वाला हिसाब-किताब की बारीकियो ओर सदस्यता-सम्बन्धो झमेला भी यहाँ नही है। सहकारी मे लेन-देन का नया खाता खोलने की समस्या को सहकारी काम-काज को एक नये क्षेत्र मे निजी लेन-देन मे विकसित करके आसानी से हल कर लिया गया।

जो कुछ थोडे-से कार्य ऊपर बताये जा चुके है वैसे चमत्कारपूर्ण कार्यो को पूरा कर दिखाने का बहुत से लोगो ने साख-सघो को काफी उपयोगी साधन पाया है। ऐसे लोग साख-सघो को काफी महत्त्व की सहकारी सस्थाएँ मानते है और विश्वास करते है कि वे सामाजिक और आर्थिक उन्नति की तीव्र आवश्यकता को पूरा करने मे वडी हद तक सहायक हो सकते है।

सयुक्त राज्य अमरीका मे अधिकाश साख-सघ प्राय मालिक कम्पनियों द्वारा उदारता से प्रायोजित औद्योगिक और वाणिज्य सस्थाओ के कर्मचारियों के सगठन है। सामान्यत. साख-सघो के सदस्य अपनी इन सस्थाओं को बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली, कर्ज चुकाने मे सदस्यो की आर्थिक सहायता करने वाली और जरूरत पडने पर छोटी रकमे उधार देने वाली सस्थाएँ ही समझते है---इससे अधिक कुछ भी नही। इनमे ओर सहकारिता के दूसरे रूपों मे जरा भी सम्बन्ध नही समझा जाता। इन कर्मचारी साख-सघो के बहुत से नेता तो इनके काम-काज को छोटी रकमे उधार देने आदि की मामूली सुविधाओ से जरा-सा भी आगे ले जाने के पक्ष मे नही है, बल्कि ऐसे प्रयत्नो का वडी सक्रियता से विरोध करते है। फिर मालिक कम्पनियो द्वारा उदारता से प्रायोजित होने के कारण इनके सदस्य प्राय स्वामीभक्त होते है और सामाजिक तथा आर्थिक मामलो एव मतान्तरो मे अधिकतर मालिको का ही पक्ष ग्रहण करते पाये जाते है।

साख-सघ के कार्य क्षेत्र के बारे मे बडे गहरे मतभेद है। एक ओर तो ऐसे साख-सघ और उनके सदस्य है जो अपने काम के अनुभव को दूरगामी महत्त्व का समझते है। वे साख-सघ को लोगो का सर्वाधिक मौलिक ढग का सहकारी

अथवा पारस्परिक उद्यम मानते है। उनकी ऐसी मान्यता कि साख-सघ और उसकी आर्थिक शक्ति को आधार बना कर दूसरे ऐसे काम भी अवश्य आरम्भ किये जाने चाहिए जो न केवल सदस्यो अपितु अपने क्षेत्र के पूरे जन-समुदाय को लाभ पहुँचाएँ। साख-सघो को सहकारी लीग आदि व्यापक केन्द्रीय सगठनों से सम्बद्ध किये जाने का वे बडे उत्साह से समर्थन करते है, और अपने अनुभव तथा साधनो से दूसरे प्रकार की सहकारी सस्थाओ के उन्नयन और विकास मे सहायता पहुँचाने को सदैव तत्पर रहते है।

दूसरी ओर कम्पनी कर्मचारियो के साख सघ है। इनका दृष्टिकोण बडा ही सकुचित और अनुदार है। ये चाहते है कि साख सघ केवल साख सघो का हो और जैसी कि उनकी अपनी समझ है सिर्फ लेन-देन का ही काम करे—उससे अधिक कुछ भी न करे। वे यह कदापि नही चाहते कि साख-सघ बैको और अन्य महाजनी सस्थाओ के काम से होड करे और न यही चाहते है कि ये सस्थाएँ साख सघ के कार्य क्षेत्र मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। और इनका यह विश्वास भी है कि यदि साख-सघो का आन्दोलन उनकी नीति पर चले तो बडे-बडे आर्थिक हितो की ओर से साख-सघो पर किये जाने वाले प्रहार कभी होगे ही नहीं।

लेकिन उनकी यह धारणा भ्रान्त है। साख सघो पर जो प्रहार—और ये सर्वथा अनुचित है—किये जाते है उनका सिर्फ एक ही कारण है।

और वह कारण है साख-सघो का बडी तेजी से बढते जाना।

साख सघो के आन्दोलन मे जितने भी गुट है वे सभी और समस्त विचारशील अमरीकी भी इस बात से पूर्णत सहमत है कि हमारी अमरीकी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति मे साख सघो का तेजी से बढते जाना सभी प्रकार से वाछनीय है।

१९५० मे उपभोक्ता ऋण का परिमाण १८,००,००,००,००० डालर था। १९५९ के आरम्भ मे वह ४७,९०,००,००,००० डालर हुआ और उसी वर्ष के अन्त तक ५२,००,००,००,००० डालर हो गया। समस्त उपभोक्ता आय का १५ प्रतिशत अशाश ऋण की अदायगी मे अधिवद्ध था, और यो निम्न वित्त परिवारो की आय का ३० से ४० प्रतिशत 'बन्धक' हो गया था। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि उपभोक्ता ऋण मे वृद्धि न होती चली

गई तो स्वचलित उद्योग माल-असबाब का जो ढेर लगाने जा रहे थे उसकी खपत का प्रभावी बाजार नहीं रह जाएगा।

ऋण का फैलाव किसी जगह पर पहुँच कर खतरा बन जाता है। वह खतरे का बिन्दु ठीक किस जगह पर है यह कुछ तो ब्याज की दर पर और कुछ अर्थ-व्यवस्था की कुल मिलाकर जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। ब्याज की दरे जितनी ही तेज होंगी हम खतरे के बिन्दु के निकट ऐसी जगह पहुँच जाएँगे जहाँ लोगों के लिए एक साथ दोनों काम—अपना कर्ज चुकाना और माल तथा सेवाओं की सामान्य माँग का निर्वाह करते जाना असम्भव हो जाएगा। और ऋण का परिमाण जितना ही अधिक होगा आर्थिक क्रियाशीलता मे जरा-सी भी मन्दी, बेकारी मे थोडी-सी भी वृद्धि और इन दोनों के परिणाम स्वरूप परिवारों की कर्ज चुकाने की क्षमता मे जरा-सी भी कमी बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेगी।

आज के उपभोक्ता ऋण का इतना अधिक परिमाण बैंकों या अन्य महाजनी संस्थाओं द्वारा मुद्रा या उधार की निर्मित का ही कुपरिणाम है। जनता को उधार के जितने अधिक 'अवसर' या 'सुविधाएँ' दी जाती हैं वे सभी ब्याज की भारी-भरकम दरों या 'व्यवस्था' खर्चों के अत्यधिक बोझ से लदी हुई होती हैं। १९६० मे 'वाल स्ट्रीट जनरल' ने बिलकुल ठीक ही बताया था कि मोटर विक्रेताओं ने नई मोटरों की बिक्री से जो औसत ७० डालर मुनाफा कमाया उसमे मोटर की असली बिक्री का मुनाफा तो सिर्फ २७.०० डालर है और शेष ४३.०० डालर व्यवस्था और वित्तीय खर्चों के नाम पर वसूला गया है। उसी समाचार पत्र ने आगे यह भी बताया कि फरनीचर भण्डारों के कुल मुनाफों का ५७ प्रतिशत उधार माल देने के खर्चों की अर्थात् 'उधारी की' कमाई है।

यदि हमारी अर्थ व्यवस्था मे उपभोक्ता ऋण का बहुत बडे परिमाण में रहना आवश्यक ही हो तो उसके लिए दो बाते अवश्य की जानी चाहिए : एक तो यह ऋण फूलने-फैलाने वाला अर्थात् स्फीतीकारी ऋण न हो और दूसरे ब्याज की दरे बिलकुल उचित हों। साख संघ ठीक यही काम करते हैं और इसीलिए वे हमारी आज की अर्थ व्यवस्थाये इतने महत्त्व के सृजनशील घटक हैं। व्यापारी बैंकों या अधिकांश महाजनी संस्थाओं की तरह साख-संघ उधार

देने के लिए न तो नये रुपये का निर्माण करते हैं और न प्रत्यय जमाओं का ही। वे तो सिर्फ उस रुपये को उधार देते हैं जिसकी उनके सदस्य पहले से बचत कर के रख लेते हैं। और अदत्त अवशेष पर साख सघो द्वारा लिया जाने वाला एक प्रतिशत मासिक व्याज उन दरो से निश्चय ही बहुत कम है जो अकसर उपभोक्ता-ऋणदाताओ से वसूला जाता है।

इसके अतिरिक्त साख सघ आर्थिक परिस्थितियो की विषमता और'चलन की तगी' के कारण भी कभी अपने व्याज की दरो मे बढोतरी नही करते। १९५९ मे जब सारे पूंजी बाजार मे व्याज की दरें आसमान छू रही थी तब अकेले साख-सघ ही थे जिन्होने अपने व्याज की दरो मे कोई वृद्धि नही की। क्यो नही की ?

केवल इसलिए कि उन्हे जरूरत नही थी और वे चाहते भी नही थे। साख-सघ **व्याज देने वाले** लोगो को सस्थाएँ हैं **व्याज वसूलने वालो** की नही। उनका उद्देश्य सदस्यो की पारस्परिक सहायता है, व्याज वसूल कर मुनाफा कमाना नही। साख सघो की सारी कमाई उनके सदस्यो की सम्पत्ति है जो उन्हे उनके हिस्सो के लाभाश के रूप मे अथवा उनके द्वारा चुकाये व्याज के एक अश की सरक्षण-धनवापसी के रूप मे वापिस कर दी जाती है।

सारा अन्तर पारस्परिक सहायता के उद्देश्य के ही कारण है।

१९५९ मे मिचिगन राज्य के साख सघो ने अपने उधार लेने वालो को ३०,००,००० डालर सरक्षण-धन वापसी की। और सारे देश के १९,००० साख-सघो मे से २,७३७ ने भी ऐसी ही सरक्षण-धनवापसियाँ की। ऐसा करने वालो की यह सख्या १९५७ से दुगुनी है।

साख-सघ किसी भी समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी और निर्माणकारी गतिविधि है। लेकिन इनके पूरी तरह क्रियाशील और प्रभावशाली होने के मार्ग मे कुछ स्वाभाविक और अनिवार्य बाधाएँ भी हैं। एक तो यह स्वभाव सिद्ध बात है कि लोग अपनी सारी या अधिकाश बचते कभी भी साख-सघो मे जमा नही कराएँगे। दूसरे आधुनिक उद्योगो को, जिनमे सहकारी उद्योग भी सम्मिलित हैं, आज जिस बडे पैमाने के वित्तीय प्रबन्ध की आवश्यकता है, वह साख सघो के बूते की बात नही।

संयुक्त राज्य अमरीका के समस्त साख-सघो की कुल आस्तियाँ न्यूयार्क या कैलीफोर्निया की किसी भी एक विशालतम बैंक की कुल आस्तियो का आधा भी मुश्किल से हो पाएँगी। और जहाँ तक निजी बचतो का प्रश्न है उनका तो ३ प्रतिशत से भी कम साख मघो मे जमा होगा। हाँ, बचतो का यह अनुपात स्थिर नही है, निरन्तर बढता जा रहा है।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वित्तीय क्षेत्र मे जनता अकेला साख सघो का ही आयुध चलाना नही जानती, उसने कुछ और भी सीख रखा है।

कृषि मे लम्बी मन्दी का एक कारण यह भी था कि किसानों को ब्याज की बहुत ऊँची दरे, अनचाहे भी, चुकानी पड़ती थी। वह मन्दी १९२० मे, फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा जान बूझकर की गई अवस्फिती के कारण, शुरू हुई थी और दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने तक बनी रही। १९२० के बाद की दशाब्दी मे किसानो को १०, १२, १६ और इससे भी अधिक प्रतिशत ब्याज की दरो पर कर्ज देना आम बात थी। कर्ज बैंके देती थी और वे अपने स्टाकधारियो के लाभ के लिए व्यवसाय कर रही थी इसलिए इतनी ऊँची दरों के समर्थन मे उनके पास दलीले भी थी।

उनकी दलीले यो तो बड़ी सीधी-सादी पर वास्तव मे बड़ी भयकर थी।

सक्षेप मे उनका तर्क इस प्रकार था . किसान की हालत जितनी ही गिरी हुई और खेती की आर्थिक हालत जितनी ही बिगड़ी हुई होगी किसानों को रुपया उधार देने मे उतनी ही अधिक जोखिम होगी, इसलिए ब्याज की दरे जोखिम के हिसाब से तय की जानी चाहिए।

लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि ब्याज की ऊँची दरे उनके सारे उद्देश्य को ही चौपट कर देती थी। क्योकि ब्याज की दरें जितनी ही ऊँची होगी कर्ज को चुका पाना उतना ही कठिन हो जाएगा और खासकर उस समय तो और भी कठिन जब रुपए का मूल्य गिर रहा हो। अवस्फिती के उन दस वर्षों मे किसानों की पैदावार के दाम बुरी तरह गिरते चले गए। यदि किसी किसान ने जब गेहूँ के भाव एक डालर प्रति बुशल थे, उस समय एक हजार डालर कर्ज लिये और बाद मे गेहूँ का दाम प्रति बुशल पचास सेंट गिर गया तो

उसपर कर्ज का बोझ एकदम दुगुना हो गया। अब उस किसान को दो हजार बुशल गेहूँ पैदा करके हजार डालर का कर्ज चुकाना होगा, जो रकम उधार लेते समय केवल हजार बुशल के बराबर थी।

१९३० के बाद की दशाब्दी मे प्राय ऐसा होता था कि जब ऋणदाता व्याज न चुका पानेवाले असामी के खेत की कुर्की-निलामी करवाता तो किसान अपनी सगठित काररवाई मे उसे विफल कर देते थे। निलामी की जगह पर बहुत बडी सख्या मे किसान जमा हो जाते और नाम-मात्र की बोली से किसी को भी आगे नही बढने दिया जाता था। बिक्री खतम हो जाने पर खेत उसके असली मालिक को उसी समय फिर नाममात्र के डालरो मे बेच दिया जाता था।

इस तरह करते-करते किसानों को एक विचार सूझा। यह ठीक वैसा ही विचार था जिसने ग्रामीण विद्युत सहकारियों, आवास सहकारियों और पारस्परिक सहायता के दूसरे सभी प्रकार के उद्यमों को जन्म दिया था, जिनके बारे मे यह पुस्तक है।

विचार यह था कि लाभ के लिए उधार का उपाय कई स्थितियो मे चल नही पाता। वास्तव मे तो यह उलटा चलता था। व्याज की दरों के जितना ही कम होने की जरूरत होती लाभ के लिए उधार पद्धति से वे और भी ऊँची चढ़ जाती थीं। ऐसे मे किसानों को उधार की आवश्यकता के लिए साख सस्थाओं की जरूरत थी। उन्हे जरूरत किसी ऐसे तरीके की थी जिससे कर्ज के और सो भी कम-से-कम दरों पर—सख्त जरूरतमन्द किसान उधार की अपनी आवश्यकता और अपने अच्छे-भले नामों का (साख) निकाय करके ऐसी शर्तों पर कर्ज पा सके कि फिर उसे आसानी से चुकाया भी जा सके।

परिणाम स्वरूप कृषि साख प्रणाली (Farm Credit System) अस्तित्व मे आई। इसने न्यू डील (New Deal)[1] के १९३२ मे जन्म लेने की प्रतीक्षा भी नही की और शुरू कर दी गई, यद्यपि उसके बाद भी कई आवश्यक उदार सशोधन पारित किये गए। कृषि साख प्रणाली के तीनों कार्य सरकारी

---

१. सयुक्त राज्य का किसान सहायक कानून, जो उन्हे मन्दी और ऊँचे मूल्यों से राहत देने के लिए बनाया गया था।—अनु०।

पूंजी के साधन से ही आरम्भ किये गए। अब तो सरकार की अधिकांश पूंजी लौटा दी गई है और उसका स्थान किसानो की पूंजी ने ले लिया है; लेकिन उस समय भी सरकारी पूंजी ही वह एकमात्र बुनियाद नही थी जिस पर इस प्रणाली के तीनो भागो की तीन इमारतें—भूमि बैंक संस्थाएँ, उत्पादन साख संस्थाएँ और सहकारियो की बैंके (Banks for Cooperatives) निर्मित की जा सकी।

मूल तत्त्व था पारस्परिक सहायता का विचार। जिस काम को अकेला एक आदमी अपने लिए नही कर सकता उसे लोगो का एक समूह अपनी-अपनी आवश्यकताओ, अपनी-अपनी जोखिमो और उधार के लिए अपनी-अपनी साख का निकाय करके बखूबी कर सकता था। समाज मे सभी की—यहाँ तक कि मन्दी की मार से अर्द्ध मृत किसान की भी थोड़ी-बहुत साख तो होती ही है। वह साख बनती है या तो उसकी सम्पत्ति से, या उसकी योग्यता से, या काम और उत्पादन करने की उसकी तत्परता से या अपने वायदों और अपनी जिम्मेवारियो को पूरा करने की उसकी ईमानदारी और उसके अच्छे-भले नाम से।

लेकिन अकेला कोई भी आदमी—यदि उसकी अपनी बैंक नही है तो अपने नाम के चेक छाप कर उनसे अपने देयको की अदायगियाँ नही कर सकता। इस तरह की वैयक्तिक मुद्रीकृत साख को न तो बाजार मे कोई मानता है और न वह चलन हो पा सकती है। लेकिन जब लोगो का एक समूह अपनी साख को संगठित करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह ठीक इसी काम को कर सकता है।

उदाहरण के लिए मेसन सिटी (इओवा) की उत्पादन-साख संस्था (Mason City Production Credit Association) की १९३४ मे जब उन्तीस किसानो ने स्थापना की तो ठीक यही बात हुई। यह सच है कि उनके पास काम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय साख का उनका अपना हिस्सा था। यह भी सच है कि कुछ सरकारी पूंजी भी उन्हे काम चलाने के लिए मिल गई थी। लेकिन इन दोनो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है यहाँ और देश के दूसरे हिस्सो मे भी कुछ किसानो की ऋण की अपनी आवश्यकताओ को संगठित करने, उधार पाने के अपने स्रोतो का निकाय करने और आपस मे उधार

देने एव सरकारी पूंजी को लौटाने की जोखिमो में सहभागी वनने की तत्परता। पारस्परिक सहायता अथवा सहकारी साख सस्था की, या जैसा कि हम इसके लिए ऊपर कह आये है उधार पाने की आवश्यकता के लिए साख सस्था की सफलता के आवश्यक मूल तत्त्व यही है।

इस बात को अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि यदि इस सस्था का प्रवन्ध कुशलता से न किया जाता तो किसान १,४५,००० डालर की सरकारी पूंजी कभी न लौटा पाते और न २,००,००० डालर की अधिशेष पूंजी हो वना पाते। सस्था के कृषक सचालक मण्डल ने इस काम के लिए कुशल प्रवन्धको की सेवा प्राप्त करने की समझदारी अवश्य दिखाई।

और यदि उत्पादन-साख सस्था के सदस्यो ने अपने स्वामीत्व को ठीक-ठीक न समझा होता और सस्था की सेवाओ का ठीक-ठीक उपयोग न किया होता तब भी सफलता नही मिल पाती। जहाँ तक किसान सदस्यो के उत्पादन-साख सहकारी सस्था के स्वामीत्व को ठीक से समझने की वात है वह तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि उन्होने इसके हिस्सो (स्टाक) मे अपनी लगभग १,७५,००० डालर पूंजी का निवेश कर दिया। बिना समझे भला कौन कही पूंजी लगाता है। फिर स्वामीत्व का अर्थ समझने की बात इससे भी सिद्ध हो जाती है कि सस्था के जीवन के प्रारम्भिक वर्षो मे सस्था के किसानो ने सस्था के ही किसानो को ३,००,००,००० डालर उधार दिये और कर्ज का आखरी सेंट तक व्याज सहित चुका दिया गया। लेकिन वह व्याज स्वय उन्ही को लौटा दिया गया। ऋणदाता महाजन को व्याज दिया जाता है मुनाफे के लिए, यहाँ जो व्याज दिया गया उससे जमा प्रत्ययो और बचतो के तथा पहले से जिन लोगो की साख थी, अर्थात् उधार लेने वालो के, जो इस सस्था के स्वामी भी है, साधन-स्रोतो के निकाय मे वृद्धि हुई।

इस प्रकार अपने ही कर्ज से लोगो के जमा प्रत्यय और उधार पाने की साख निर्मित होती है, किसी भी महाजनी सस्था के सघटन मे जव सहकारिता के सिद्धान्त को और पारस्परिक सहायता को लागू किया जाता है तो बिलकुल यही होता है। इसी सिद्धान्त और इसी विचार पर सारी कृषि साख प्रणाली का निर्माण और प्रचलन हुआ है।

आज कृषि साख प्रशासन (Farm Credit Association) के निरीक्षण मे सहकारी कृषि साख प्रणाली किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं को सन्तुलित उधार-सेवा प्रदान कर रही है। इस प्रणाली की संस्थाओं से किसान खेत के स्वामीत्व के लिए, फसलो और पशुधन की पैदावार के लिए, फारम उपयोगी वस्तुओ की खरीद के लिए और अपनी पैदावार की बिक्री-व्यवस्था के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रणाली की निम्नलिखित विभिन्न सहकारी संस्थाएँ हैं : लगभग १००० सघीय (केन्द्रीय) भूमि बैंक समितियाँ और १२ सघीय भूमि बैंक, जो किसानों के खेतों को बन्धक रख कर लम्बी अवधि का कर्ज देती हैं; ४७९ उत्पादन साख समितियाँ और १२ संघीय मध्यवर्ती साख बैंके (Federal Intermediate Credit Banks) जो खेती के काम-काज के लिए छोटी और मध्यम अवधि के कर्ज देता है, और १३ सहकारी सस्थाओं की बैंके (Banks for Cooperatives) जिनसे किसानों की विक्रय और क्रय एव उपभोक्ता सेवा सहकारी सस्थाएँ लम्बी और छोटी अवधि के कर्जे प्राप्त कर सकती हैं।

इनमे से कोई भी बैंक जमा रुपये से कारबार करने वाली बैंक नही है। लेकिन सहकारी कृषि साख प्रणाली के माध्यम से किसान बडे पूंजी केन्द्रों के निवेश बाजारों से निगमो द्वारा दिये जाने वाले व्याज की दरों पर ही आवश्यक धन राशि प्राप्त कर सकते हैं।

सघीय भूमि बैंके फारमों के मूल बन्धकों वाले बाड बेचती है, जिनके भुगतान का बारहों बैंकों का सम्मिलित दायित्व रहता है। सघीय मध्यवर्ती साख बैंके और सहकारी सस्थाओं की बैंके बाण्ड और डिबेंचर दोनों ही बेचती हैं। इनके भुगतान का भी अपने-अपने समूह की समस्त बैंकों का सम्मिलित दायित्व है। लेकिन इन बाडों और डिबेंचरों की सरकार की ओर से कोई गारंटी नही की जाती।

३० जून १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में कृषि साख प्रणाली की बैंकों और सभा-समितियों ने ४ अरब डालर की रकम उधार दी। उस समय भूमि बैंकों के ३ ७६,००० और उत्पादन साख संस्था के २,९२,००० उधार खातों के और २,७५४ कृषि सहकारी संस्थाओं के साथ प्रणाली का ४ अरब ८० करोड़

डालर का खडा ऋण था। उसी तिथि को कृषि साख त्रको और सभा-समितियों मे किसानों एव कृषि सहकारी सस्थाओं के ३६ करोड ९० लाख डालर के पूंजीगत हिस्से थे।

सुविधा को दृष्टि से सारे सयुक्त राज्य को बारह क्षेत्रो मे बाँट दिया गया है ओर हर क्षेत्र मे एक भूमि वैक, एक मध्यवर्ती साख वैक और एक सहकारी सस्थाओ को बैंक है। सहकारो सस्थाओं की तेरहवी वैंक सहकारी सस्थाओं की केन्द्रीय बैंक है ओर उसका कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० मे है।

स्थानीय साख सहकारा समितियाँ, सघीय भूमि बैंक समितियाँ और उत्पादन साख समितियाँ हरएक क्षेत्र मे स्थान-स्थान पर इस तरह सगठित की गई हैं कि सारे किसान उनको सेवाओ से लाभ उठा सके। कहना नही होगा कि हर उधार लेने वाला इन सहकारी सस्थाओ का स्वामी होता है।

स्थानीय समितियों के सदस्य अपने मे से एक सचालक मण्डल का चुनाव करते हैं। सचालक मण्डल समिति की नीतियाँ निर्धारित करता है और दैनन्दिन काम चलाने के लिए एक वैतनिक सचिव जो कोषाध्यक्ष भी होता है की नियुक्ति करता है।

सघोय भूमि बैंक से किसान को उस सघीय भूमि समिति के मार्फत जिसमे उसने अपने कर्ज के ५ प्रतिशत के बराबर पूंजीगत हिस्से खरीदे होते है, सीधे हो कर्ज दिया जाता है।

उत्पादन साख समितियाँ अपने सदस्यो को कर्ज देती है और सदस्यो के तमस्सुकों का सघोय मध्यवर्ती साख वैक मे हुण्डावन करके इसके लिए निधि प्राप्त करता है। उत्पादन साख समिति के सदस्यो का भी उसमे अपने कर्ज के ५ प्रतिशत के बराबर पूंजोगत हिस्सा होना चाहिए।

सघीय भूमि बैंको और उत्पादन साख समितियो से मिलने वाला कर्ज किसी भी प्रकार के कृषि-कार्य मे खर्च किया जा सकता है।

सघीय भूमि बैंको से उधार लेने वाले अपने कर्ज की अदायगी वार्षिक या अर्द्ध वार्षिक ब्याज सहित ऐसी किश्तो मे करते है कि सारा कर्ज कम-से-कम पाँच और ज्यादा-से-ज्यादा चालीस वर्षो मे बेबाक किया जा सके।

उत्पादक साख समितियाँ का अधिकाश कर्ज, जो खेती के चालू कामो को

की है उसी मूल रूप मे इसे पारित करना अमरीकी कृषि को आत्म निर्भरता की ओर वढाने वाला वडा ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा।"

१९५५ के अधिनियम के वडे शुभ परिणाम रहे। उधार लेने वाली सहकारी सस्थाओ के पूंजीगत हिस्से अव वैंको मे वने रहते है और वैंके सरकारी पूंजी की इतनी ही रकम लौटा देती है। उधार लेने वाली सहकारी सस्थाओ की सरक्षण धन वापसियाँ भी अव वैंको मे जमा रहती है और उनका उपयोग भी सरकारी पूंजी को चुकाने मे किया जाता है। इतना ही नहीं, व्याज की अदायगियो की भी १५ से २० प्रतिशत रकम से सहकारी पूंजी चुकाई जाती है।

१९५५ मे उक्त विधेयक पारित होते समय यह परिकल्पना की गई थी कि सारी सरकारी पूंजी चुकाने और सहकारी सस्थाओ की वैंकों को पूरी तरह सहकारी स्वामीत्व कृत सगठन वनाने मे कोई तेरह वर्ष का समय लग जाएगा। १९६० के आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक ३,२०,००,००० डालर सरकारी पूंजी चुका दी गई है और इतनी ही रकम का सहकारी सस्थाओ का पूंजी निवेश हो चुका है। लेकिन उस समय तक भी ११,८०,००,००० डालर के हिस्से सरकार के पास थे। जिस गति से सरकारी पूंजी लौटाई जा रही है उसे देखते हुए आशा की जा सकती है कि सारी सरकारी पूंजी तेरह वर्ष की अवधि से वहुत पहले ही चुका दी जाएगी।

सघीय भूमि वैंकों और उत्पादन साख सभाओ का मामला पहले से ही इसलिए अच्छा था कि उनके विधान मे आरम्भ से ही सदस्यो के पूंजी निवेश को अपने यहाँ रोक रखने और सरकार की पूंजी को लौटाने का प्रावधान था। वारहो सघीय भूमि वैंकों मे तो १९४७ से ही कोई सरकारी पूंजी नही रही, सव-की-सव उसके पहले ही लौटा दी गई। अव तो उनकी सारी पूंजी सदस्यों की पूंजी है। स्थानीय सघीय भूमि वैंक समितियो की तो सारी पूंजी आरम्भ से ही किसान-सदस्यो के हिस्सो की पूंजी रही है।

जून १९५९ तक ४९५ उत्पादन साख समितियो मे से ४५४ पर पूरी तरह सदस्यो का स्वामीत्व स्थापित हो चुका था। उधार लेने वाले किसानों की पूंजी इन ४५४ उत्पादन साख समितियो की सारी सरकारी पूंजीका स्थान ले चुकी थी इसके अतिरिक्त शेष ४१ समितियों मे सदस्यो की १४,५६,००,०००

डालर पूंजी के मूकाबले केवल ३९,००,००० डालर सरकारी पूंजी शेष थी।

अब तो थोडे ही समय की बात है जब कि कृषि साख प्रणाली का सारा पूंजीगत निवेश उसके सदस्यों और केवल सदस्यो का ही होगा। और इस चमत्कार के चरितार्थ होने की सरलतम प्रक्रिया होगी किसानो का अपनी साख पर अधिकार, किसानो द्वारा अपनी साख का मुद्रीकरण, किसानों का अपनी ही साख को उधार लेना और स्वय अपने को ब्याज चुकाना। यह सभी कुछ सहकारी साख की सकल्पना मे अन्तर्निहित है। वास्तव मे सहकारी साख है भी इसी का नाम : अपने ही पैसे और अपनी ही साख का अपनी ही आवश्यकताओं के लिए जनता द्वारा उपयोग।

यहाँ सहकारी सस्थाओ की बैंको के भविष्य के सम्बन्ध मे दो शब्द कह देना अप्रासगिक नही होगा। अभी ये बैंके ऐसी ही सहकारी सस्थाओं को उधार दे सकती है जिनमे मतदान का ९० प्रतिशत अधिकार खेती करने वालो यानी पक्के-पूरे किसानो के हाथ मे हो। लेकिन पूरी आबादी के मुकाबले किसानों की सख्या निरन्तर कम होती जा रही है और कुछ समय खेती और बाकी समय दूसरा काम करने वाले आशिक किसानो की सख्या मे वृद्धि होती जाती है। ग्रामीण और उपनगरीय परिवार एक-दूसरे के समीप और समीपतर आते जा रहे है। कृषि-सम्भरण-सहकारी सस्थाओ के व्यापार के लिए ऐसे परिवारों के जो पक्के-पूरे किसान नही है, अधिकाधिक सरक्षण को प्राप्त करते जाना अपरिहार्य होता जा रहा है। इसलिए जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा सहकारी सस्थाओं की बैंको के कार्य विधि-सम्बन्धी वर्तमान नियमों को अधिकाधिक उदार करते जाना होगा। १९६१ मे कृषि-साख-मण्डल ने एक सुझाव का समर्थन किया था जिसके अनुसार सहकारी सस्थाओ के लिए सहकारी सस्थाओ की बैंकों से कर्ज पाने की शर्त मे 'पक्के-पूरे किसानो के ९० प्रतिशत नियन्त्रण' के स्थान पर ७५ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक सहकारी व्यवसाय अपनी मूल पूंजी के लिए अपने सदस्यो के पूंजी-निवेश पर निर्भर करता है। यह भी एक ढग है जिसके द्वारा लोग अपने पैसे पर स्वय अधिकार रख सकते है और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकते है।

सदस्यो के पूंजी-निवेश के मुख्य तीन ढग हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक सदस्य को सस्था के सादे पूंजीगत हिस्सो मे से अपनी सदस्यता का कम-से-कम एक हिस्सा अवश्य ही खरीदना चाहिए। कई सदस्य ज्यादा हिस्से भी ले सकते है, लेकिन ज्यादा हिस्से लेने से मतदान की क्षमता मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होती, क्योकि सहकारी सस्थाओ मे एक व्यक्ति केवल एक ही मत दे सकता है, हिस्से उसके पास कितने हो क्यो न हो। सहकारी सस्था के सादे हिस्सो मे कोई भी व्यक्ति तेजी-मन्दी के विचार से पूंजी नही लगाता, क्योकि शेयर बाजार मे इन हिस्सो का सट्टा नही होता और हिस्सो की कीमते कभी बढती नही, सदा एक-सी बनी रहती है। इसलिए सिवाय उस व्यक्ति के जिसे सहकारी सस्था की सेवाओ या माल की जरूरत है दूसरा कोई भी व्यक्ति सस्था के सादे हिस्से क्यो लेगा और क्यो उसे लेना चाहिए। सहकारी सस्थाओ के हिस्सो का 'बाजार मूल्य' निर्धारित कर पाना जो इतना कठिन है उसका कारण भी यही है कि 'बाजार' सहकारी की परिभाषा के अनुसार, उसके ग्राहको और सरक्षको तक ही सीमित रहता है।

सदस्यो द्वारा सहकारी सस्था मे पूंजी लगाने का दूसरा ढग है सामान्य हिस्सो के अतिरिक्त दूसरी प्रतिभूतियाँ जैसे कि डिबेन्चर, अधिमानित (प्रिफर्ड) हिस्से या प्रमाणित ऋणपत्र आदि खरीदना। ये सभी सव्याज प्रतिभूतियाँ है और सहकारी सस्था के सदस्यो के अतिरिक्त दूसरे निवेश कर्ताओ, व्यक्ति और सस्थाएँ दोनो—के लिए भी इनमे पूंजी रोकना लाभदाई होता है। जब सदस्य इन प्रतिभूतियो मे पैसा लगाते है तो वे अपनी पूंजी का सीधे अपने लाभ के लिए उपयोग करते है। और सस्था के ग्राहक एव सरक्षक के रूप मे अपने पूंजी निवेश पर अपने लाभार्जन को भी स्वय ही सुनिश्चित करते है।

सदस्यो द्वारा सहकारी सस्थाओ मे पूंजी लगाने का तीसरा ढग सहकारी व्यवसायो का अपना ही विशिष्ट ढग है। यह ढग है सरक्षण-धन वापसियो के निवेश का यह तो पहले भी बतलाया जा चुका है कि सहकारी सस्थाओ का सारा शुद्ध उपार्जन उनके सरक्षको और सदस्यो की सम्पत्ति है, सस्थाओ की नही। ये उपार्जन सहकारी सस्थाओ की देयताएँ है, आस्तियाँ नही, और किसी समुचित रूप मे अपने वास्तविक स्वामियो को, उनके सरक्षण के अनुपात मे, लौटाई जानी

रहे हैं कि सहकारी सस्थाओ से सदस्यो द्वारा निदेशित सारी धनवापसियो पर एक विशेष दण्ड कर वसूल किया जाना चाहिए। उनके अभियोग का मुख्य मुद्दा यह है कि सहकारी सस्थाएँ 'कर मुक्त पूंजी पर अपना विकास कर रही हैं। लेकिन इसमे इतनी ही सचाई है जितनी यह बात कहने मे कि निगम अपनी जिस कमाई को हिस्सो मे लगाता है उस पर कर लगना चाहिए, यद्यपि सभी निगम अपनी कमाई को हिस्सो मे लगाते हैं और उनसे उस निवेश पर कोई कर नहीं लिया जाता।

यह सच है कि सहकारी सस्थाओ के लिए यह उचित नही कि वे सरक्षण-धन वापसी की अदायगी ऐसे निर्दिष्ट तिथिहीन और बिना ब्याज के कागज में करे, जो वर्षों तक बिना मोचन के पडा रहता है। यह भी सच है कि सहकारी सस्था के सदस्यो पर किसी भी रूप मे प्राप्त होनेवाली सरक्षण-धन वापसी की आय पर, यदि वह कराधान के योग्य हुई तो कर लगना चाहिए और उन्हे वह कर हर हालत मे चुकाना ही चाहिए। यह भी सच है कि सदस्य अपना कर चुका सके इसलिए सभी सहकारी सस्थाओ को काफी सरक्षण-धन वापसियाँ नक़द देनी चाहिए और अधिकाश देती भी हैं। और यह भी सच है कि कुछ अदालतो ने, अधिकाश सहकारी नेताओ को राय मे गलती से, सरक्षको-सदस्यों को इस आधार पर कि सहकारी सस्थाओ के हिस्सो और अन्य प्रतिभूतियो का 'बाजारमूल्य' निर्धारित नही किया जा सकता, इस प्रकार के करो की अदायगी से मुक्त कर दिया है। बाजार मूल्य का निर्धारण क्यो नही किया जा सकता यह बात पीछे बताई जा चुकी है। लेकिन इन सबसे सरक्षण-धनवापसी के स्वामीत्व की मूल स्थिति मे कोई अन्तर नही होता। वह न तो सहकारी सस्थाओ की मिल्कियत है और न उनका उस पर कोई अधिकार ही है, हर सूरत मे वह उसकी देयता है जो उसे अपने सरक्षको को देनी ही होगी। और सहकारी सस्था के किसी पूंजी-निवेश पर यह मानकर कि वह उसका लाभ है कर लगाना अनुचित और अन्याय ही नही पक्षपात भी होगा।

सहकारी सस्थाएँ पूंजी के लिए आज की अपेक्षा आरम्भिक वर्षो मे अपने सदस्यो द्वारा सरक्षण-धन वापसियो के निवेश पर ज्यादा निर्भर करती थी। ग सहकारी सस्थाएँ, अपने सदस्यो अथवा बाहरी निवेश कर्ताओ को अधिका-

धिक मात्रा मे प्रतिभूतियो की सीधी बिक्री करके पूँजी प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। पूँजी उगाहने के वित्तीय कार्यक्रम अपनाये जाते है और कइयो मे तो आशातीत सफलताएँ मिलती है। ओहियो फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन, मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स, इनकारपोरेशन, कन्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन और इंडियाना फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन-जैसे क्षेत्रीय कृषि-सम्भरण-सहकारी-सगठन अधिमानित हिस्सो और अन्य प्रतिभूतियो की सीधी बिक्री करके हमेशा काफी पूँजी इकट्ठी कर लेते है। इन पर काफी अच्छा ब्याज बड़े नियमित रूप से दिया जाता है और इसलिए इस प्रकार की प्रतिभूतियो की खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के पूँजी-निवेशो मे, विशेष रूप से सदस्यो को, आकर्षित करने के लिए ओहियो फार्म ब्यूरोकोआपरेटिव एसोसिएशन ने एक बाड निकाला है, जो निवेशकर्ता को स्फीती से रक्षा करता है। इन बाडो की ब्याज की दरे जीवन-निर्वाह के सूचकाक से बँधी होती है। जीवन-निर्वाह के सूचकाक मे श्रमिक साख्यिकी मडल (Bureau of Labor Statistics) जितनी वृद्धि की घोषणा करता है उसी अनुपात से इन बाडो के ब्याज की दरे बढ जाती है।

इधर के वर्षो मे नगर की कुछ उपभोक्ता सहकारी सस्थाओ ने भी पूँजी प्राप्त करने के लिए, मुख्य रूप से अपने ही सदस्यो मे, कई वित्तीय कार्यक्रम आरम्भ किये और उनमे पूरी सफलता प्राप्त की। सफलता का एक कारण तो यह है कि वे काफी समय से और नियमपूर्वक अपने हिस्सो पर पाँच प्रतिशत लाभाश देती आ रही है। दूसरा कारण अपने कारबार मे उनकी सफलता है। लेकिन तीसरा कारण निस्सन्देह बस्ती की एक महत्त्वपूर्ण सस्था के स्वामीत्व का गौरव है जो सहकारी-सदस्यता से स्वय ही प्राप्त हो जाता है। प्रमाण-स्वरूप शिकागो के दक्षिणी विभाग (South Side) की हाईडपार्क उपभोक्ता सहकारी समिति (Hyde Park Consumer Cooperative Society) का उदाहरण लिया जा सकता है जिसके हिस्सो की अक्सर बहुत अधिक माँग रहती है और सस्था को यह सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं अतिशय पूँजी- करण न हो जाए।

लेकिन फिर भी सहकारी सस्थाओ के सदस्यो को अपनी सहकारी सस्थाओं

मे जितनी अधिक पूँजी लगानी चाहिए उतनी उन्होंने अभी तक भी लगाई नही है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि किसानों ने अपनी सहकारी सस्थाओं में अपने कुल निवेशों की सिर्फ दो से तीन प्रतिशत के ही लगभग पूँजी लगाई होगी। और यह स्थिति है इस वास्तविकता के वाद कि दूसरी जगह पूँजी लगाकर प्रति डालर जितना लाभ होता है सहकारी सस्था मे पूँजी लगाने पर उससे कही अधिक होता है।

इसलिए सहकारियों का यह भी एक आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि ज्यादा मात्रा मे पूँजी लगाने के लिए वे अपने सदस्यों की उचित शिक्षा पर ध्यान दे। सदस्यों की शिक्षा की दिशा मे दो कार्य किये जाने चाहिए। एक तो सहकारी सस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों को उच्चकोटि की आर्थिक और सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। और दूसरे शिक्षा और सूचना का अबाध कार्यक्रम, जिससे यह बात साफ-साफ उनकी समझ मे आ सके कि अपनी सहकारी सस्था मे ज्यादा पूँजी लगाना क्यों आवश्यक है।

जहाँ ये दोनों काम किये गए हैं वहाँ हमे कुछ वडे ही उत्साह वर्द्धक परिणाम देखने को मिलते हैं। १९५९ मे पुगेट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी सस्था ने २५,००,००० डालर उगाहने के लिए अपने पचपन हजार सदस्यो में वाड वेचने का निश्चय किया। जितने वाड वेचने के लिए निकाले गए थे वे कुछ ही महीनों मे अति-दत्त हो गए। सहकारी स्वास्थ्य योजना के सदस्य स्वयं अपने को एक-एक करके समष्टिगत रूप से व्याज देते रहेगे। वाहरी कर्ज लेने की जरूरत नही होगी। इस तरह जनता का पैसा ही जनता के अस्पताल को बना रहा है।

न्यूयार्क सिटी की उसी पुरानी अमलगामेटेड हाउसिग कोआपरेटिव (समा-मेलित आवास सहकारी सस्था Amalgamated Dwellings Housing Cooperative) ने १९६० मे अपनी वन्धक पूँजी के अन्तिम ढाई लाख डालर जमा करने के लिए ४ प्रतिशत व्याज पर पाँच सौ डालर मूल्य के वन्धक वाण्ड अपने ही सदस्य-आवासी-स्वामियों और पास-पडोस की सहकारी-गृह-निर्माण-योजनाओं मे रहने वाले लोगो को वेचने का काम हाथ मे लिया। कुछ ही महीनों मे ढाई लाख डालर की अपेक्षित पूँजी इकट्ठी हो गई। कुछ खरीदारों

की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक थी। उनका कहना था : "अपने रुपए को किसी बचत बैंक मे जमा करने या कही और लगाने के बदले अपने ही मकानो मे क्यो न लगाया जाए ? दूसरी जगह जमा करने या लगाने पर अपने मकान मे लगाने के लिए अपना ही रुपया उनसे उधार लेकर उनका ऋणी बनना होगा !"

इस प्रकार सहकारी संस्थाओ के वित्त प्रबन्ध मे प्रगति होती जा रही है।

लेकिन यदि ऊपर बताये उपायो का ही अवलम्बन किया जाता रहा तो यह प्रगति धन की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त और गति की दृष्टि से बहुत शिथिल होगी। कई प्रकार की सहकारी सस्थाएँ इस बात को प्रदर्शित कर चुकी है कि उनमे विकास और विस्तार की महान क्षमताएँ है और हमारे समाज की वर्तमान आवश्यकताएँ उनके इस विकास और विस्तार का पूरा-पूरा समर्थन करती है। यदि पूंजी का प्रबन्ध हो जाए तो सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ, सहकारी समूह स्वास्थ्य योजनाएँ, सहकारी विद्युत् सेवाएँ, नगरो मे सहकारी वृहद् भण्डार (सुपर मार्केट), सहकारी तेल कम्पनियाँ आदि सहकारी ढग के कई उद्यम है जो बहुत तेजी से उन्नति कर सकते है और करेगे और सारे समाज को लाभ पहुँचाएँगे।

सौभाग्य से और सम्भवत इसी भविष्य को दृष्टि मे रख कर पिछले तीस वर्षो मे सहकारी ढग की बहुत-सी पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ स्थापित की गई है। क्योकि इस समय अमरीकी जनता की बचतो की मुख्य धारा बीमा करवाने की ओर ही प्रवाहित हो रही है। किसी जमाने मे अमरीकी उद्योग के वित्तीय भविष्य की निर्णायक 'वाल स्ट्रीट' हुआ करती थी। अब नही। अब वह शक्ति देश की जबर्दस्त बीमा कम्पनियों के हाथ मे आ गई है। जनता की बचतों और पूंजी का बहुत बड़ा अंश आज उन्ही को सौपा जा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी बाण्डो के ब्याज की दर भी उन्ही के खरीदने या न खरीदने से प्रभावित होती है। उन्ही की निवेश-नीतियाँ सारे देश की निवेश निधियों का दिशा-निदेशन करती है।

'वालस्ट्रीट' के उत्कर्ष काल मे फिर भी सच्ची प्रतियोगिता प्रचुर परिमा मे विद्यमान थी। आज हमारे अधिकांश शक्तिशाली उद्योगो मे उस . .. .।

का निरा ओपचारिक रूप ही वचा रह गया है। इसलिए थोडे-से हाथो मे औद्योगिक एकाधिकार के साथ वित्तीय एकाधिकार भी यदि सिमट आया तो उन हाथो आर्थिक स्वतन्त्रता का गला घुटने की आशका एक वास्तविकता वन जाएगी।

लेकिन यदि ऐसे उपाय खोजे जा सके जिनके द्वारा जनता, जिसकी वचते ही पूंजो के महान निकायो का निर्माण करती है, उस पूंजी का सफल और सार्थक निदेशन ओर निर्देशन कर सके तो हमारी जनवादी और स्वतन्त्र सस्थाओ मे ओज और प्राणवत्ता की आशा की जा सकती है।

हमारे युग को आर्थिक समस्या का एकमात्र समाधान है ऐसे उपायो का अवलम्बन जिनके द्वारा महत्तम दक्षता वाले विशालतम उद्योग-व्यवसायो पर वहुत से लोगो का जनवादी स्वामीत्व और वहुत-से लोगो का जनवादी नियन्त्रण तो हो हो, साथ ही वे जनता के साधन-स्रोतो अर्थात् जनता की पूंजी के सच्चे और निष्ठावान न्यासधारी भी हो।

सहकारी बीमा कम्पनियो के इतने अधिक महत्त्वपूर्ण होने का यही कारण है।

जन-समुदायो द्वारा 'अपनी सुरक्षा का भार स्वय वहन करने, के विचार से से ही सहकारी पारस्परिक बीमा का जन्म हुआ। जैसा कि पहले वताया जा चुका है, वीमा कम्पनी वास्तव मे एक समान दु ख-तकलीफो वाले, उन दु ख-तकलीफो को मिल-बॉटने के लिए सम्मिलित होने वाले और उनका सामना करने के लिए अपनी कुछ बचतो का निकाय करनेवाले लोगो का समूह है। इसलिए लोगो का कोई भी समूह यदि सचमुच चाहे तो अपने से और सुरक्षा-सम्वन्धी अपनी आवश्यकताओ से एक बीमा कम्पनी बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह समझदारी से और कुशल प्रवन्ध के अन्तर्गत काम करे।

वेजामिन फ्रैंकलिन इस विचार को अमरीकी जीवन मे लाये। उन्होने फिलाडेलफिया के निवासियों मे १७५२ मे एक पारस्परिक अग्नि-बीमा कम्पनी सगठित की।

इधर-इधर तो पारस्परिक वीमा के विचार को कई जन समूहो ने अपनाया और उसका उपयोग किया है। उन्होने इस विचार का उपयोग किया अपने-आप को प्रीमियम देने और अपनी बचतों का स्वय नियन्त्रण करने वाले

माध्यम के रूप में। अधिकाश सहकारी उद्यमों की भाँति इस तरह के सहकारी-बीमा का बिल्कुल आरम्भ का रूप, आवश्यकता के कारण ही अस्तित्व मे आया। व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ किसानो का अग्नि-सुरक्षा बीमा नही करती थी, और जैसा कि नियम है आज भी नही करती। अग्नि सुरक्षा विभागो से खेतो को यथोचित सहायता और प्रभावी सेवा नही प्राप्त होती थी। इसलिए उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम वर्षो मे किसानो की पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ—फारमर्स म्युचूअल्स-बनने लगी। आरम्भ से ही वे एकदम शुद्ध सहकारी उद्यम रही है। उनकी कार्य विधि भी बहुत ही सरल होती है। वे आग की जोखिम का निकाय कर लेती है और यह समझौता कि यदि उनमे से किसी की भी आग से हानि हुई तो सब मिल कर क्षतिपूर्ति कर देगे, अर्थात् हानि के मूल्य को आपस मे बाँट लेगे। बहुत-सी फारमर्स म्युचूअल्स बगैर प्रीमियम के काम करती है; आग की हानि का दावा होने पर हानि के कुल मूल्य मे अपने सदस्यों (पालिसी धारियों) का हिस्सा निर्धारित कर देती है। इस समय दस हजार से भी अधिक फारमर्स म्युचूअल्स या जैसा कि कभी-कभी उन्हे कहा जाता है टाउन शिप म्युचूअल्स लाखो किसानो को और ग्रामवासियों को आग, बवण्डर और ओला वृष्टि से सुरक्षा प्रदान कर रही है।

इन छोटो सहकारी बीमा कम्पनियो ने काफी उपयोगी कार्य किया और आज भी कर रही है। उन्होंने एक ऐसी आवश्यकता की पूर्ति की है जो अन्यथा कभी न हो पाती। और उन्होने उस आवश्यकता की पूर्ति विशुद्धतम सहकारी ढग से की है।

लेकिन इतना ही काफी नही था। १९२५ के आसपास सहकारी विचार वाले लोगो ने अपनी ही बीमा-सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए अपनी ही बीमा कम्पनियाँ बनाना शुरू किया। इस बार भी नेतृत्व किसानों का ही रहा। ओहियो फार्म ब्यूरो के मरे डी० लिंकन—जैसे कृषक सदस्यता संगठन के नेताओं को सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपने सदस्यो के लिए धन बचाने और अपनी बचतो पर अधिकार रखने एव उनका उपयोग करने के साधन के साथ ही दूसरे प्रकार के सहकारी उद्यमों मे लगाने के लिए सुरक्षित ऋण-पूंजी के सबल स्रोत भी दिखाई दी। इसी अन्तर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप नेशन वाइड

इन्श्यूरेन्स कम्पनीज-अस्तित्व मे आई, जो पहले-पहल १९३६ में ओहियो की फारम ब्यूरो इन्श्यूरेन्स कम्पनीज आफ ओहियो के रूप मे सगठित की गई थी और आज देश के सारे बीमा व्यवसाय मे वडा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। म्युचूअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनीज, जो मिन्नेसोटा और विसकान्सिन के किसानों द्वारा १९२० के वाद की दशाब्दी मे इसी उद्देश्य से गठित पाँच बीमा कम्पनियों के पारस्परिक विलयन से वनी है, आज एफ० एफ० रोण्डयू की अध्यक्षता मे मिडवेस्ट के ऊपरी भाग की सबसे महत्त्वपूर्ण सस्थाओं मे है। फारमर्स यूनियन कम्पनीज और दूसरी भी वहुत-सी कम्पनियों ने यही मार्ग अपनाया है।

साख सघ के नेताओ को भी ऋणो की अन-अदायगियो के लिए साख सघों का बीमा करवाने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। वे इस मानवतावादी विचार के कायल होते जा रहे थे कि ऋणी की मृत्यु के साथ ही उसका ऋण भी समाप्त हो जाना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर और ऋण की सुरक्षा एव आजीवन-वचत बीमा सुलभ करने के लिए उन्होंने क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन म्युचूअल इन्श्यूरेन्स सोसाइटी (साख सघ राष्ट्रीय सभा पारस्परिक बीमा समिति) (Cuna Mutual Insurance Society) के नाम से एक बीमा कम्पनी स्थापित की।

परिणाम इसके वहुत ही अच्छे और अक्सर चकित कर देने वाले रहे। ये बीमा कम्पनियाँ पालिसी धारियो की थी—और आज भी है—इसलिए जितना अधिक-से-अधिक घटा सकती थी प्रीमियम की दरे आसानी से घटा देती। कई बार तो व्यापारी बीमा कम्पनियाँ से इनके प्रीमियम की दरे ४० प्रतिशत तक कम होती थी। लेकिन यह सहकारी बीमा व्यवसाय के आरम्भिक दिनो की वात है। अव तो दूसरी भी कई व्यापारी कम्पनियो ने सहकारी बीमा कम्पनियों की प्रतियोगिता मे प्रीमियम की अपनी दरे कम कर दी है।

लेकिन सवसे महत्त्वपूर्ण वात, जिसे सहकारी बीमा कम्पनियो ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया यह है कि बीमा कम्पनियो को सौपा गया सारा पैसा वास्तव मे पालिसी धारियो का ही है।

और यह पैसा थोडा नहीं है, वहुत ही ज्यादा है। १९४५ से १९४९ के बीच बीमा कम्पनियो की समग्र पूंजी औसतन ३ अरब ६० लाख डालर प्रति

वर्ष के हिसाब से बढ़ती रही है। जीवन-बीमा कम्पनियों की समग्र पूंजी हर दस बरस मे दूनी हो जाती है और इस समय उनकी पूंजी सयुक्त राज्य के समस्त राष्ट्रीय धन के दशमाश से कुछ अधिक ही होगी। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि देश की समस्त जीवन-बीमा कम्पनियों की कुल स्वीकृत आस्तियों का ७० प्रतिशत दस सबसे बड़ी जीवन-बीमा कम्पनियों के अधिकार मे है। ऐसी कम्पनियों के अधिकारियों को प्रति वर्ष आठ-दस अरब डालर के निवेश का अधिकार भी है और अवसर भी। 'वाल स्ट्रीट' के उत्कर्ष काल मे वहाँ के सब निवेश कर्ता बैंकर जितनी पूंजी का नियन्त्रण करते थे उससे यह रकम दूनी है। केवल यही नही कि अधिकांश बड़े उद्योगों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना बीमा कम्पनियों के हाथ मे है, बल्कि इधर-इधर तो जिन उद्योगों में पूंजी लगाना सभी तरह सुरक्षित है उन उद्योगों के हिस्से भी इन्होंने स्वयं खरीदना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही राज्यों मे इसकी अनुमति मिल पाई है। लेकिन इससे बीमा-व्यवसाय के सूत्रधारियो के हाथ मे इतनी शक्ति तो आ ही जाती है कि वे जिस कम्पनी को चाहेगे जिन्दा रखेगे और उन्नति करने देगे और जिसे चाहेंगे खत्म कर देगे।

इस तरह के अधिकार का उपयोग अथवा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है यह बात विद्युत-शक्ति व्यवसाय की ओर देखने से स्पष्ट हो जाती है। बीमा कम्पनियाँ पैसा लगाने का सबसे अच्छा साधन बिजली कम्पनियों के बांडों को समझती है। यही कारण है कि बिजली कम्पनियों को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर कर्ज मिल जाता है। अब यदि किसी दिन ग्रामीण विद्युतीकरण के विरोधियों का बस चल ही जाए और वे कांग्रेस पर जोर डाल कर ग्रामीण विद्युतीकरण प्रशासन (Rural Electrification Administration) को, जो ग्रामीण विद्युत सहकारी सस्थाओं के कर्ज पाने का एकमात्र स्रोत है खत्म करवाने मे सफल हो जाएँ तो क्या होगा ? क्या विद्युत सहकारी सस्थाओं को बीमा कम्पनियों से कर्ज मिल सकेगा ? है कोई सम्भावना ? विसकोन्सिन की विद्युत् सहकारी सस्थाओं की औसत ग्राहक सख्या लाइन के प्रति मील पर सिर्फ एक है, जब कि उनकी प्रतिद्वन्द्वी बिजली कम्पनियों की नौ है। कुछ राज्यों में तो यह अन्तर और भी ज्यादा है। विद्युत् सहकारी संस्थाओं को अपनी

प्रतियोगी कम्पनियो के मुकावले आय के प्रति डालर का चौगुना सयत्र आदि मे निवेश करना पडता है। विद्युत् सहकारी सस्थाएँ पन्द्रह सौ से अधिक जन-सख्या वाली आवादियो को अपनी विजली नही दे सकती। और फिर अपने क्षेत्र का कोई भी देहाती ग्राहक माँगे तो उसे विजली देनी ही होती है—लागत क्या बैठेगी, मुनाफा होगा या नही, घाटा ही रहा है यह कुछ भी सोचने-विचारने की जरूरत नही। अव यदि बीमा व्यवसाय के सूत्रधारो के हाथ मे इस वात के निर्णय का अधिकार है कि सहकारी विद्युत् सस्थाओ और व्यापारी विजली कम्पनियो मे से किसमे पूँजी लगाई जाए तो निश्चय ही वे व्यापारी विजली कम्पनियो के पक्ष मे फैसला करेगे, और विद्युत् सहकारी सस्थाओ को तो वे यो भी पसन्द नही करते और विशेषकर पूँजी लगाये जाने वाले कारवार के रूप मे तो जरा भी नही।

ग्रामीण विद्युत किसानो और ग्राम्यवासियो की महती आवश्यकता है। वह हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिए भी आवश्यक है। लेकिन पूँजी लगाने की दृष्टि से बीमा व्यवसाय के अरबपतियो के लिए ग्रामीण विद्युत् सहकारी सस्थाए एकदम बेकार है, यहाँ से पूँजी पाने की वे आशा भी नही कर सकती। पूँजी के लिए उन्हे जाना होगा किसी सहकारी पारस्परिक बीमा कम्पनी के पास, जो पूँजी-लगाने का निर्णय केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही नही करती उसके कुछ दूसरे हेतु भी होते है।

सगठन की दृष्टि से दो प्रकार की बीमा कम्पनियाँ है।

एक तो हिस्सा पूँजी वाली कम्पनियाँ—स्टाक कम्पनियाँ और दूसरी पार-स्परिक कम्पनियाँ।

हिस्सा पूँजी वाली—स्टाक-कम्पनियो पर स्वामीत्व स्टाकधारियो का ओर उनमे मतदान का अधिकार भी उन्ही का रहता है। वे अपने से परे-दूसरे-जन-समूह का—पालिसी धारियो का बीमा करते है।

पारस्परिक कम्पनी मे पालिसीधारी ही कम्पनी के स्वामी होते है। परा-स्परिक बीमा कम्पनी के स्वामी बनने के लिए पहले उसका पालिसीधारी बनना होता है। हर पालिसीधारी को एक मत देने का अधिकार रहता है। दोनो प्रकार की कम्पनियों मे 'मतदाता' इतने अधिक और फैले-बिखरे रहते है कि कम्पनी

की बैठकों मे शायद ही कोई शरीक होता और वोट दे पाता है। इसलिए आमतौर पर निदेशक-मण्डल और अधिकारी काफी लम्बी अवधियो तक अपने पदो पर बने और अनिश्चित काल तक पालिसी धारियो की बचतो का नियन्त्रण करते रहते हैं। कम्पनी जितनी ही बडी होती जाएगी और जितने ही अधिक लोगो का पैसा उसके पास जमा होता रहेगा, यह स्थिति वहाँ उतनी ही अधिक होगी।

बीमा कम्पनी, जैसा कि हम देख आये है, जनता की सर्व सामान्य सुरक्षा के लिए उनकी बचतो के निकाय पर आधारित महान और बहुत ही आदर्श-वादी संस्था है।

लेकिन आज तो बीमा कम्पनियाँ जनता की बडी-बडी बचतो पर अबोध अधिकार जमाए उस धन से अनाप-शनाप मुनाफा कमा रही हैं। यद्यपि कम्पनी का सारा अस्तित्व पालिसी धारियों के प्रताप से है, लेकिन बहुत-सी बीमा कम्पनियाँ जनता की बचतो पर अपने अधिकार का उपयोग मोटे मुनाफे कमाने मे ही करके अपने कर्त्तव्य की इति श्री मान लेती हैं, पालिसी धारियो के व्यापक हितो का वे कुछ भी विचार नही करती।

आशा तो यही की जानी चाहिए कि पारस्परिक बीमा कम्पनियो के बारे मे यह बात सच नही होगी, क्योंकि वे जनता की बीमा-सम्बन्धी माँग को इस तरह से पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं कि सारे लाभ बीमाधारी जनता को ही प्राप्त हो।

लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ केवल नाम को ही पारस्परिक हैं। उनके उद्देश्य भुलाये जा चुके हैं। उनका नियन्त्रण पालिसी धारियों के हाथ मे नही है। उनकी बचतें, जो आर्थिक प्रगति की कुञ्जी हैं, उनके हाथ से निकल चुकी हैं। उन बचतो के निवेश और नियन्त्रण का काम प्रबन्धकारी समूह करते हैं, जो उन बचतो के वास्तविक स्वामी, पालिसी धारियो के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेवारी नही समझते।

इस तरह का आचरण अमरीका के लिए भयावह हो सकता है। जब जनता अपनी बचतों पर, और विशेषकर जब वे बचतें बडे-बडे निकायों के संकलित रूप मे हों, अपना अधिकार गँवा बैठती है तो उस देश मे जनवाद के लिए

प्रतिनिधियो का चुनाव किया जाता है। क्षेत्रिय सम्मेलन पचास व्यक्तियो को चुनते है, जो प्रति वर्ष नेशनवाइड के अतिथि बनकर दो दिन के लिए कोलम्बस जाते है और कम्पनी के अधिकारियो को नेशनवाइड के 'राष्ट्र व्यापी' पालिसीधारियो के विचारो और आकाक्षाओ से अवगत करते है।

लेकिन अपनी ही बचतो के सचित कोष के निवेश और उपयोग पर पालिसीधारियो के अभीष्ट सार्थक नियन्त्रण का जो उपाय म्यूचूअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनी ने, जिसका प्रधान कार्यालय सेट पाल मे है, कई वर्षो के प्रयत्नो के बाद खोज निकाला है उसे अनेक अर्थो मे अचूक उपाय कहा जा सकता है। इस कम्पनी ने अलग से एक वैधानिक सस्था म्युचूअल सर्विस कोआपरेटिव के नाम से बना दी है। इस सस्था मे हिस्से खरीदकर मतदान का अधिकार केवल कृषि-सम्भरण, विक्रय, उपभोक्ता, विद्युत् या अन्य प्रकार की सहकारी सस्थाओ को, साख-सघो को या किसानो को पारस्परिक कम्पनियो को ही है। इस समय ये मतदायी-हिस्से (वोटिंग शेअर्स) इस तरह के पाँच सौ से भी ज्यादा स्थानीय सहकारी सगठनो के पास है, और उन स्थानीय सहकारी सगठनो मे से अधिकाश के सदस्य म्युचूअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनी के पालिसी धारी है। ये पालिसीधारी बीमा कम्पनियो की वार्षिक बैठको मे अपने मत देने के लिए म्युचूअल सर्विस कोआपरेटिव के निदेशक मण्डल को अपना प्रतिपत्री नियुक्त कर देते है। और जिन स्थानीय सहकारी सस्थाओ के पास मतदायी हिस्से है उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इस निदेशक-मण्डल का चुनाव करते है। इस तरह, जिन लोगो ने रुपया दिया है उनके सीधे नियन्त्रण से इन कम्पनियो का बच पाना मुश्किल ही है। चाहे तो भी वे बच नही सकती, हालाँकि वे कभी चाहती भी नही।

दूसरे यह कि 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ अपने पालिसी धारी सदस्यो को वैधानिक दृष्टि से और सरलता से भी जितना हो सके उतने न्यून मूल्य पर बीमा की सेवा-सुविधा प्रदान करती है। यह दो तरह से किया जाता है एक तो प्रीमियम को जितना सम्भव हो सके घटा कर और दूसरे अपने पालिसी धारियो को जितना अधिक-से-अधिक हो सके लाभाश देकर। पालिसियो के कुछ वर्ग ऐसे है जिनमे मूल प्रीमियम का चालीस प्रतिशत तक लाभाँश दिया जाता है।

तीसरे यह कि 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ इस बात को जानती और मानती हैं कि पालिसी धारियों ने अपना रुपया उनके विश्वास पर छोड़ा है, इसलिए उस रुपए का निवेश उन लोगों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए जिनकी बचतों से ही वह निवेश सम्भव हुआ है। इसलिए सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपनी आस्तियों का जितना बड़ा भाग दूसरे प्रकार के सहकारी व्यवसायों में लगाना चाहें लगा सकती हैं और उन्हें लगाने दिया जाता है। वे कृषि-आपूर्ति और नगर-उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को, गृह निर्माता सहकारी संस्थाओं और सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ऋण देती हैं, जहाँ पैसा बिलकुल सुरक्षित है।

लेकिन जैसा कि हम अन्य सहकारी वित्तीय संगठनों के सम्बन्ध में देख आये हैं, सहकारी बीमा कम्पनियों के मार्ग में कुछ ऐसी वास्तविक रुकावटें हैं जिनके कारण वे इस दिशा में जितना करना चाहिए कर नहीं पातीं। एक बाधा, जो बहुत अच्छी भी है, यह कि बीमा-कम्पनी के अधिकारी पहले खूब ठोक-बजाकर देख लेते हैं कि सहकारी संस्था में लगाई गई पूंजी के प्रति लाभ का स्तर दूसरे किसी भी पूंजी-निवेश के समकक्ष है या नहीं, यदि न्यून पाया जाता है तो वे सहकारी संस्था में पूंजी लगाने से इनकार कर देते हैं। जिन सहकारी संस्थाओं की हालत अच्छी नहीं होती उनके लिए यह बड़ा माकूल इलाज है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में ऐसे बीमा कानून बने हुए हैं जिनके कारण अच्छी जमानतों के रहते हुए भी बीमा कम्पनियाँ अपनी आस्तियों के ५ प्रतिशत से अधिक रकम किसी सहकारी व्यवसाय में न तो लगा सकती हैं और न कर्ज ही दे सकती हैं। दूसरे राज्यों में कानून अवश्य इतने कड़े नहीं हैं, लेकिन सहकारी संस्थाओं में निवेश या उन्हें ऋण देने की सीमाएँ तो वहाँ भी निर्धारित हैं, जो कुल आस्तियों के बहुत छोटे से अंश से आगे नहीं जा पातीं, चाहे बीमा कम्पनी कितनी ही सहकारिता-अभिप्रेरित क्यों न हो।

यह तो सहकारी बीमा कम्पनियों का माना हुआ नियम है कि वे सबसे पहले उत्कृष्ट कोटि की बीमा कम्पनी हैं, क्योंकि उनके बिना दूसरे सहयोगी उद्यमों की उन्नति में सहायता का उनका अभीष्ट कभी पूरा नहीं हो सकता।

इन दोनो उद्देश्यो के समन्वय के उपायो पर विचार और उनके कार्यान्वियन के लिए १९४७ मे सहकारी लीग न सहकारी पद्धति की अधिकाश वडी और महत्त्वपूर्ण वीमा कम्पनियो का एक अनौपचारिक सघ वनाया जो सहकारी लीग का वीमा सघ (The Insurance Conference of the Cooperative League) कहलाता है। इस सघ के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गए, जिनमे इस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक कोई परिवर्तन नही हुआ, और सहकारी बीमा कम्पनियो के दोनो मूल प्रयोजनों का इन उद्देश्यों मे पूर्णत समावेश कर लिया गया है।

१—बीमा-व्यवसाय मे प्रतियोगिता-स्वातन्त्र्य की रक्षा करना और वीमा सेवाओ का उपयोग करने वालो के हितो के अनुरूप वीमा-व्यवसाय मे स्वत प्रेरणा, उपक्रम, उन्नति और विकास को प्रोत्साहित एव सुनिश्चित करना।

२—वीमा-व्यवसाय के बारे मे जनता की समझ को प्रोत्साहित और अभिवर्द्धित करना।

३—सदस्यो की रुचि के विषयो का पता लगा कर सम्वन्धित जानकारी प्रसारित करना।

४—सर्व-सामान्य समस्याओ पर चर्चा एव उनके अध्ययन और निराकरण के लिए विचार-गोष्ठियो का प्रवन्ध करना।

५—सदस्यों मे पारस्परिक लाभ के व्यापारिक सम्वन्धों को सुगम वनाना।

६—सघ और वाकी सभी क्षेत्रो मे सहकारी उद्यम के आपसी सम्वन्धों पर शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित करना।

७—वीमा करवाने वाली जनता और सघ के सदस्यो के हितो का सभी उचित उपायो से रक्षण और सवर्द्धन करना।

८—वे सभी कार्य और कार्यवाहियाँ करना जो उपर्युक्त से सम्वन्धित हो।

सहकारी बीमा कम्पनियाँ और अन्य प्रकार की सहकारी सस्थाएँ पारस्परिक लाभ के लिए साथ मिल कर कैसे काम कर सकती हैं इसका मिडलैण्ड सेण्ट्रल म्युचूअल कारपोरेशन काफी अच्छा उदाहरण है। इस तरह साथ मिल कर काम करना सहकारी वीमा कम्पनियों की ऋण देने को सामर्थ्य को विकसित करने और अपनी सहकारी सस्थाओं मे जनता की निवेशित पूँजी के सार्थक

देश के दूसरे भागो मे भी भूमि-सम्पत्ति के विकास कार्यों मे लगी सहकारी संस्थाएँ कुछ इन्ही से मिलते-जुलते तरीकों पर काम करने लगी है।

आज से तोस वरस पहले जब इनका जन्म हुआ था तभी से 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ वहुत तेजी से वढ़ती और उन्नति करती आई है। क्योंकि ये कम्पनियाँ वीमा करवाने वाले स्त्री-पुरुषो की आवश्यकताओ से निर्देशित और उन आवश्यकताओं का पूरा करने के ज्यादा अच्छे ओर नये उपायो के अन्वेपी दूरदर्शी पुरुषो से निदेशित होती है। अविकाश कम्पनियाँ १९२८-२२९ मे या मन्दी के वर्षो मे वडो अकिंचनता से, मामूली साधनो के सहारे खडी हुई थी वहाँ आज तेरह विशाल सहकारी वोमा कम्पनियाँ है ओर उनका सम्पूर्ण चालू बीमा व्यवसाय ७ अरव डालर से भी अधिक होगा। सहकारी लीग ने इन कम्पनियो के काम-काज के वारे मे १९५० से १९५७ तक के जो तथ्य एकत्रित किये है उनमे से कुछ इस प्रकार है

सहकारी हताहत आर अग्नि वीमा कम्पनियो ने इन सात वर्षो मे प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष प्रीमियम मे ७,६५,००,००० डालर से १८,०१,००,००० डालर की वृद्धि की जवकि १९५७ मे वे इस क्षेत्र मे हमारे देश के कुल वीमा व्यवसाय का केवल १·५ प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त कर रही थी। सहकारी वीमा कम्पनियो को इस १३५ प्रतिशत वृद्धि के मुकावले देश के इस क्षेत्र के कुल वीमा व्यवसाय के प्रीमियमो मे केवल ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई।

जीवन-बीमा का काम करनेवाली सहकारी कम्पनियो की प्रगति के ऑकडे तो और भी प्रभावोत्पादक है। १९५० मे उनके पास १ अरव ७ करोड डालर मूल्य के वीमे थे जो १९५७ मे वढकर ५ अरव १४ करोड डालर के हो गए; यह वृद्धि पॉच गुने के लगभग है। १९५७ मे उनके पास देश के समस्त जीवन-वीमा व्यवसाय का केवल १·१ प्रतिशत था, लेकिन उनकी इस ३८२ प्रतिशत वृद्धि की तुलना मे देश के इस क्षेत्र के कुल व्यवसाय मे केवल ९९ प्रतिशत वृद्धि हुई।

इन कम्पनियों ने वोमा व्यवसाय मे पालिसी धारियो को लाभ पहुँचाने वाली कई नई पद्धतियो क प्रचलन किया और अन्य व्यापारी कम्पनियाँ को भी प्रतियोगिता मे टिके रहने के लिए उन पद्धतियो को अपनाना पड़ा। इधर

क्यो न संगठित की जाए और क्यो न उसे सन्तुलित, वैविध्यमुखी (वहु प्रयोजनीय) और खुली निधि रखा जाए? इसका अर्थ यह हुआ कि उस निधि के अर्द्धांश को तो उन सहकारी व्यापारो की प्रतिभूतियो मे निवेशित किया जा सकेगा जिनकी निरन्तर लाभदायी निवेश के रूप में बहुत ही अच्छी ख्याति है। शेष अर्द्धांश को ऐसे वाणिज्यीय (सहकारी नही) व्यवसायो के सामान्य हिस्सो मे निवेशित किया जायेगा जो केवल उपार्जन की ही नही वृद्धि और पूंजीगत लाभ देने की क्षमता भी रखते हो। इस तरह की निधि, यदि उसका प्रबन्ध अच्छी तरह और कुशलता से किया गया, जो कि करना ही होगा, तो सभी के लिए पूंजी लगाने का सुदृढ़ और आकर्षक साधन होगी। विशेष रूप से अपनी सदस्य सस्थाओं के, जो अभी एक वार मे केवल एक ही सहकारी उद्यम मे पूंजी लगा सकती है, कुल निवेश के काफी वडे अंश को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। सम्मिलित निधि के माध्यम से वे एक साथ कई सहकारी सस्थाओ की अलग-अलग प्रतिभूतियों मे अपनी पूंजी लगा सकेगी। जहाँ अभी सहकारी सदस्य परिवारो का सहकारी व्यापारो के कुल निवेश मे दो या तीन प्रतिशत भी नही है वहाँ इस तरह की सम्मिलित निधि चालीस या पचास प्रतिशत क्यो नही ला सकते ? और सामान्यत यही तर्क सहकारी व्यवसायो के अपने अधिशेषो के निवेश पर भी जिनका काफी-कुछ अंश सहकारियो के प्रतिस्पर्द्धियो की जेवो मे पहुँच गया है, लागू होता है। यदि सम्मिलित निधि सहकारी-निवेश-अभिमुखी होकर सफलता और ख्याति प्राप्त कर सकती है तो जनता की सहकारी सस्थाओं द्वारा नियन्त्रित जनता के धन के अधिशेषो को क्यो वड़े निकायों मे प्रवाहित नही किया जा सकता और जनहित मे उनका इकहरे के स्थान पर द्विगुणित उपयोग भी क्यों नही किया जा सकता?

इसके अतिरिक्त लीग के सलाहकारी और सचालक मण्डल इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस करते है जिसकी उन्होने पहले कभी कल्पना भी नही की थी। निम्न और मध्यवित्त परिवारो की आर्थिक-सहायता-प्राप्त मकानो की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा मे अकेले न्यूयार्क क्षेत्र मे जो प्रयत्न किया गया उसकी इतनी सराहना हुई और माँग इतनी अधिक वढ़ी कि अकेले उसी क्षेत्र के लोगों और समुदायों को लाभान्वित करने के लिए करोड़ो डालरो

की आवश्यकता है। कतिपय सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने चिकित्सा-व्यवस्था के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या को हल करने और उच्च कोटि की व्यापक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं को सामान्य परिवार के लिए सुलभ करने मे काफी प्रशसनीय कार्य किया है, इसलिए इन योजनाओ की—सुस्थापित और नई दोनो ही-साधन-सुविधाओं की वृद्धि के वित्तीय प्रवन्ध के लिए भी काफी धन की आवश्यकता है। पिछली दशाव्दी मे देश के सभी भागो मे सौदा खरीदने के उपभोक्ता सहकारी केन्द्र—सहकारी वाजार—काफी वडी सख्या मे स्थापित हुए है। देश की वितरण-प्रणाली पर उपभोक्ताओं के स्वामीत्व को तेजी से वढाते जाने का समय भी हो चला है, जिससे इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे लाखों नये परिवारो का स्वामीत्व विस्तारित किया जा सके और एकाधिकार के प्रसार को रोका जा सके।

लेकिन इन सब कार्यों के लिए इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता है जिसे सारे वर्तमान सहकारी वित्तीय सगठन मिलकर भी शायद ही पूरा कर सके।

सवसे वड़ी और तात्कालिक आवश्यकता तो अमरीकी किसानों की है। अमरीकी कृपि की उत्पादन शीलता और औद्योगिकीय दक्षता मे विविध प्रकार की क्रान्तिकारी उन्नति के वावजूद उनकी आय निरन्तर गिरती जा रही है—कौन जाने उनकी आय मे यह ह्रास इन नये क्रान्तिकारी परिवर्तनो के ही कारण हो! और इस हालत को सुधारने के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव सुझाया जा सका, उसके अतिरिक्त कहीं से किसी ने भी कोई सुझाव नही दिया। और वह एक मात्र सुझाव है कृपक-स्वामी स्वकृत सहकारी सस्थाओं के कारोवार मे, कार्यक्षेत्र और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से, अधिकाधिक विस्तार करते चले जाना। इसी तरीके से किसानो की आर्थिक मोल-भाव करने की अपहृत शक्ति को पुन प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से किसान उन उद्योगों की कुछ आय को, जो पहले कृषि से पैसा कमाया करते थे, अपनी आय मे जोड सकते हैं। सहकारी कृषक-स्वामीत्व के अन्तर्गत एकीकरण कृषकों के उन एकीकरण से बहुत भिन्न है, जो वाणिज्यीय हित अपने पशु-खाद्य व्यवसाय की उन्नति के लिए करना चाहते है।

इसलिए १९५९ का अन्त होते-होते सहकारी लीग के निदेशक मण्डल ने

एक सम्मिलित निधि स्थापित करने के पक्ष मे निर्णय कर लिया। अभिसविदा मे यह तय किया गया कि निधि खुली होगी अर्थात् जब भी कोई चाहे हिस्से खरीद सकेगा और जिस समय भी चाहे हिस्सो को निधि के तात्कालिक मूल्य पर निधि को ही बेच भी सकेगा। दूसरे यह कि निधि सन्तुलित होगी, अर्द्धांश सहकारी और अन्य प्रकार की निरन्तर लाभदायी प्रतिभूतियों मे निवेशित होगा और शेष अर्द्धांश दूसरे प्रकार के व्यवसायो के हिस्सो मे। तीसरे यह कि निधि वैविध्य मुखी होगी, अर्थात् एक बार मे किसी भी एक कम्पनी मे उसकी कुल आस्तियो के पाँच प्रतिशत से अधिक नही लगा रहेगा।

सम्मिलित निधि की व्यवस्था और सचालन के लिए जो हामीदार और निवेश-प्रबन्धक कम्पनी बनाई जाने को थी उसके स्वामीत्व मे सहभागी बनने के लिए सभी सहकारी व्यवसायो को खुला निमन्त्रण दिया गया। और जो सहकारी लीग के सदस्य नही थे उनमे से भी बहुतो ने इस कम्पनी मे अपनी पूंजी लगाई।

सहकारी वित्त-विनियोजन---जनता की आवश्यकताओ और जनता के व्यापार मे जनता का पैसा---के क्षेत्र मे इस नये उद्यम का भविष्य इतनी जल्दी बता पाना तो असम्भव ही है, लेकिन यह निर्विवाद है कि आज अमरीका के सहकारी व्यवसाय के नेताओ मे एक नये प्रकार की नीति-मर्मज्ञता दिखाई दे रही है, और उससे यह आशा बँधती है कि जनवाद के इस विश्व व्यापी सकट काल मे सहकारिता का सिद्धान्त और आचरण अमरीकी जनता के एक भाग को मानव-इतिहास मे प्रथम बार सम्भवत. यह प्रदर्शित करने की योग्यता प्रदान कर सके कि जनता के पैसे, जनता की साख और जनता की बचतो का कम-से-कम कुछ अश तो जनता के अधिकार मे रखा और जनता के लाभ के लिए उपयोग मे लाया ही जा सकता है।

आरम्भ मे कहा गया था कि इस अध्याय मे यह भी बताया गया है कि "जनता की साख का उपयोग---और दुरुपयोग भी-कैसे किया जाता है, उस साख को कैसे आधुनिक जीवन का शक्तिशाली उपकरण बनाया जाता है, और जिनकी वह साख है उन्ही के जीवन का नियन्त्रित करने वाला हथियार भी।"

अध्याय को समाप्त करने से पहले इस विषय पर भी कुछ कह देना आवश्यक है।

इसमे जितनी भी सहकारी वित्तीय संस्थाओं की चर्चा की गई है उनमें से काई भी हमारे देश की मुद्रा-प्रणाली के प्रभाव क्षेत्र से वाहर नही है। इसलिए इस मुद्रा प्रणाली की कुछ विशिष्टताओ और खतरो का उल्लेख कर देना आवश्यक है, क्योकि ये दोनो विशेषताएँ अपनी वचतों का और अपनी साख के उपयोग का नियन्त्रण करने वाले लोगो को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बना देती है। और जहाँ तक नियन्त्रण का प्रश्न है वह तो सहकारी वित्तीय सस्थाओं के इतने महत्त्वपूर्ण निष्पादन के वाद भी अभी आरम्भिक अवस्थ मे ही है।

हमारी वर्तमान मुद्रा-प्रणाली ने हमारी आर्थिक सम्पन्नता को ऋण की निरन्तर वृद्धि का वशवर्ती वना दिया है। समुचित विकास और अधिकतम रोजगार के लिए आवश्यक रुपया हम ऋण का निरन्तर वढाते रह कर ही पा सकते है। हमारी मुद्रा का निर्माण निजी व्यापारी वैंको के द्वारा उस समय किया जाता है जब वे कर्ज देती है और उस समय भी जब वे वचत-प्रत्ययो के वाहर की रकम का निवेश करती है। मुद्रा का निर्माण मूलतः राजकीय कार्य-व्यापार है, इसे निजी हितो के हाथ मे देना वड़ी विचित्र और करीव-करीव अवैधानिक वात है, लेकिन यह परिणाम है आंशिक आरक्षित कोष की उस पद्धति का जिसपर हमारी व्यापारी वैंकदारी प्रणाली चल रही है। इसका मतलव यह हुआ कि वैंको को इस वात की अनुमति है कि वे जितना रुपया लगाना और कर्ज देना चाहे उसका केवल एक अश सचित कोष के रूप मे अथवा हाजिर रख सकती है। वाकी वे जो भी कर्ज देती और निवेश करती है वह सब उधार है जिसे उन्होंने अपनी खाता वहियो मे आँकडो की लिखा-पढ़ी करके 'वना लिया है', या कहना चाहिए कि 'गढ लिया है' फेडरल रिजर्व वोर्ड ने वैंकों के लिए आरक्षित कोष २० प्रतिशत से भी कम निर्धारित किया है। इससे वैंको को यह सुविधा हो गई है कि वे हुकमी-जमा-उधारियाँ (ऐसा उधार जो माँगे जाने पर तुरत जमा किया जाए) मनचाही मात्रा मे गढ कर व्याज से कर्ज पर चला सकती है। केवल २० प्रतिशत आरक्षित निधि से वैंको नई दर्शनी मुद्रा तुरत-फुरत गढ़कर पाँच गुने डालर तक उधार पर उठा देती है, मानो फेडरल रिजर्व वैंक की वहियों मे नकद या उधार उनका इतने डालरों का संचित कोष दर्ज हो। इसी प्रकार जब वैंके सरकारी वाण्ड खरीदती है तो वे उनको

खरीदने के लिए सरकार और जनता की साख का, उधारी का, अर्थात् मुद्रा का निर्माण करने की शक्ति का उपयोग करती हैं। इसका मतलव यह हुआ कि बैंकों को जो व्याज मिलता है वह उनको राष्ट्र की ओर से दिया गया उपदान हैं। और इसका मतलव यह भी हुआ कि सरकार अपनी ही उधार पर स्वय व्याज चुकाती है।

१९५१ मे राष्ट्रीय ऋण पर लगभग ५$\frac{3}{4}$ अरव डालर व्याज हुआ था। १९५९ मे वह ९ अरव डालर हो गया, जिसका एक प्रमुख कारण व्याज की दरो मे वृद्धि भी थी।

राष्ट्र ने मुद्रा-निर्माण का अपना अधिकार यो हस्तान्तरित कर दिया हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्वय उसे उस अधिकार का उपयोग नही करना चाहिए। वह स्वय तो ऐसा कभी नही करता; लेकिन जब फेडरल रिजर्व बैंके बैंक-प्रदत्त उधार का नया सचित कोष गढती है तो कुछ-कुछ ऐसा आभास होता है मानो राष्ट्र अपने हस्तान्तरित अधिकार का उपयोग कर रहा हो। इसका कारण यह है कि सभी फेडरल रिजर्व बैंके निजी कम्पनियो के स्वामीत्व की होते हुए भी उन पर कुछ अशो मे तो काग्रेस और कार्यपालिका के द्वारा राष्ट्र का सार्वजनिक-नियत्रण रहता ही है। जब तक फेडरल रिजर्व बोर्ड और बैंकें यह स्वीकार करती रहेगी कि वे मुद्रा के निर्माण और नियन्त्रण के मूलतः सार्वजनिक एव राजकीय कार्य को कर रही है तब तक ऋण की निरन्तर वृद्धि वाली चिरकालिक समस्या के अतिरिक्त इस प्रणाली के ठीक-ठाक चलते रहने की सम्भावना है।

लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आरक्षित कोष वाली पद्धति जनता के हित मे काम करे न कि निजी ऋण दाता और महाजनी सस्थाओ के हित मे।

फेडरल रिजर्व बोर्ड ने ऐसा इक्की-दुक्की बार किया है लेकिन उतना ही काफी नही है, उसे ऐसा अधिक बार करना चाहिए।

यह वात किसी भी तरह समझ मे नही आती कि ऋण बढा कर मुद्रा प्राप्त करने वाली पद्धति पर निर्भर करके हम यथोचित विकास, अधिकतम रोजगार और मूल्यो का स्थिरीकरण कैसे कर सकते है ? ऋण की बढती ही वह मूल्य है जिसे चुका कर आवश्यक मुद्रा का निर्माण किया जाए और तब कही जाकर

आर्थिक विकास हो। इस तरह जो कृत्रिम मुद्रा अस्तित्व में आती है वह ऋण के कम होते ही सहसा गायब भी हो जाती है। और इस बीच संयुक्त राज्य की सरकार विवश होकर अपनी ही उधार जमा पर स्वयं व्याज देती रहेगी।

समय का तकाजा है कि इस पद्धति में कुछ परिवर्तन किये जाएँ।

अर्थ व्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और मूल्यों की यथोचित स्थिरता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त नई मुद्रा—लेकिन पर्याप्त से जरा भी ज्यादा नहीं—अपने कार्यों से और कर्ज के परिमाण को बढाये बिना समय-समय पर स्वयं निर्माण करने का उत्तरदायित्व संयुक्त राज्य की सरकार को ग्रहण करना चाहिए।

जिस अनुपात में सरकार मुद्रा-निर्माण के अपने उचित कर्त्तव्य को पूरा करे उसी अनुपात में निजी व्यापारी बैंकों की मुद्रा-निर्माण करने की शक्ति कम कर दी जानी चाहिए।

इस तरह की वैज्ञानिक मुद्रा-प्रणाली से ही हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ऋण के पर्वताकार बोझ को क्रमशः घटाया जा सकेगा। इस प्रणाली का अवलम्बन करके ही मुद्रा की स्फीति अथवा अव स्फीति को सार्थक ढंग से रोका जा सकेगा। आर्थिक समस्याएँ केवल आर्थिक नहीं राजनीतिक भी होती हैं और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करना इस पुस्तक का अभीष्ट नहीं है। परन्तु एक नागरिक के नाते तो वे हमारी चिन्ता और चिन्तन का विषय हैं ही।

---

१० | उपभोक्ताओं की संगठित क्रय-शक्ति

इस पुस्तक मे हमने जितने भी प्रकार के सहकारी उद्यमो की चर्चा की है वे या तो उपभोक्ता सहकारी हैं अथवा 'उपयोक्ता' सहकारी। किसानो की विक्रय सहकारी सस्थाओ के बारे मे भी यही बात कही जा सकती है। किसानो को अपनी फसले सहेज कर रखने की सुविधाओ और उन्हे व्यवस्थित ढग से बेचने का प्रबन्ध करने वाली सस्था की आवश्यकता होती है। विक्रय सहकारी सस्थाएँ ठीक यही सेवाएँ प्रदान करती हैं और किसान उनका उपभोग या उपयोग करते हैं।

यदि इसे शब्दो की खीचा-तानी समझा जाए तो यह खीचा-तानी केवल विक्रय सहकारी सस्था के ही सम्बन्ध मे सच हो सकती है। सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ उन जन-समूहो को स्वास्थ्य-परिचर्या प्रदान करने के लिए सगठित की जाती हैं जिन्हे इस तरह की परिचर्या की आवश्यकता है और जो उसका उपभोग करते हैं। गृह-निर्माता सहकारी सस्थाएँ मकानो के उपभोक्ताओ के द्वारा बनाई जाती है और वे ही उनके स्वामी होते है। विद्युत् सहकारी सस्थाएँ ग्रामीण जनता के उपभोग के लिए बिजली प्रस्तुत करते है, यदि ये विद्युत् सहकारी न होते तो ग्रामीण जनता आज भी बिजली की अपभोक्ता न बन पाती। फारम-आपूर्ति सहकारो तो विशेषत ऐसे उत्पादनो का सम्भरण करने वाली सहकारी सस्थाएँ है जिनका किसानो को अधिकाधिक मात्रा मे उपभोग करना चाहिए ताकि वे अपने कृषि-सम्बन्धी कार्यो को दक्षतापूर्वक कर सके। साख-सघ ऐसी उपभोक्ता सहकारी सस्थाएँ है जो अपने सदस्यो की ऋण और साख-सम्बन्धी माँगो को पूरा करती हैं। सहकारी बीमा कम्पनियो का उद्देश्य बीमा सेवाओ के उपभोक्ताओ को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बचतो का प्रभावशाली नियन्त्रण स्वय कर सके। विभिन्न प्रकार की उधार-सुविधाएँ प्रदान करने वाली फारम उधार प्रणाली के किसान उपभोक्ता हैं। पेट्रोलियम सहकारी

कुछ देशो मे यह हुआ भो है। स्कैण्डिनेविया, स्विट्जरलैण्ड और आस्ट्रिया इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमो जर्मनी और हालैण्ड के नाम भो गिनाये जा सकते हैं। स्वोडन मे कुल विनिर्माण का ४ प्रतिशत और कुल राष्ट्रीय व्यापार का १७ प्रतिशत सहकारी सगठनो द्वारा किया जाता है। वहां का राष्ट्र अपना ३० प्रतिशत से भो अधिक भोजन सहकारी भण्डारो से खरीदता है। आरम्भकालोन उपभोक्ता-स्वामीत्व कृत भण्डार केवल किराने माल का काम करते थे। उसके वाद उपभोक्ताओ द्वारा प्रमुख उपभोक्ता हित का सहकारो स्वामोत्व मे व्यापक सगठन किया गया। इस आधार पर घर-गिरस्ती की आवश्यकताओ, कपडे-लत्तो, साधित्र-सरजामो आदि को आपूर्ति का व्यापक उपभोक्ता सभरण व्यापार खडा हुआ। और अन्त मे विनिर्माण इसका अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम हुआ।

बोसवी शताब्दो के आरम्भ काल मे स्वोडन मे विद्युत् प्रदाय, जूते, आटा आदि कई व्यवसायो मे जवर्दस्त इजारदारियाँ यो। आज वहाँ इस तरह के व्यवसायो मे कोई एकाधिकार नही है। इसका यह कारण नही कि सरकार को 'न्यासविनाशक' कदम उठाने पडे। नही, स्वोडन म न्यास-विरोधी कानून हैं ही नही।

वहाँ उनको जरूरत हो नही हुई। क्योकि वहाँ सहकारो सगठन राष्ट्र का ४ प्रतिशत विनिर्माण करते हैं और आवश्यकता हुई या उचित समझा गया तो वे ४४ प्रतिशत भी कर सकते है।

सहकारिता के आधार पर अधिकाश विनिर्माण कोआपरातिवा फोर बुन्देत नाम का राष्ट्रीय सहकारो थोक सगठन करता है। स्वोडन को फुटकर विक्री को उपभोक्ता सहकारो सस्थाएँ इस सगठन को स्वामो हैं। पुकारने को सुविधा के लिए लोगो ने कोआपरातिवा का 'के' और फोर बुन्देत का 'एफ' लेकर इसका सक्षिप्त नाम बना लिया है 'केएफ या कोफा'। कोफा ने विनिर्माण इसलिए आरम्भ किया क्योकि स्वोडनो जनता के अर्द्धांश से भो अधिक को क्रयशक्ति उनको अपनो सहकारो सस्थाओ मे सगठित कर लो गई थो। उपभोक्ताओ के आर्थिक हित को रक्षा करना अब इन सहकारी सस्थाओ का काम था। इसलिए जब यह वात सामने आई कि उपभोक्ताओ को कुछ वस्तुओ के बडे महँगे दाम देने पडते है, क्योंकि एकाधिकारियो या अर्द्ध एकाधिकारियो ने उनके

मूल्यो को 'व्यवस्थापित' कर रखा है तो कोफा के नेताओं ने इस दिशा मे कुछ करने की ठानी।

वे जो करना चाहते थे उसका नकशा बिलकुल साफ था। इजारेदारियों से प्रतिस्पर्द्धा करो जिससे वे एकाधिकारी बने ही न रह सके और उन्हे अपने उत्पादनो की कीमते मन चाहे 'व्यवस्थापन' से नही, बाजार की प्रतियोगिता से निर्धारित करनी पडे।

इसलिए कोफा ने बिजली के लट्टू बनाने का काम शुरू किया और उनके दाम चालीस प्रतिशत कम हो गए। फिर कोफा ने ऊपरी जूते (ओवर शू) बनाना शुरू किया, जो स्वीडन की प्राथमिक आवश्यकता है। और ऊपरी जूतो की कीमते भी ग्राहको के लिए लाभकारी स्तर तक घट गई। आटे और कुछ दूसरी वस्तुओ के सम्बन्ध मे भी ठीक यही बात हुई।

इस तरह का काम सहकारी ही कर सकते है। जहाँ व्यवसाय के दूसरे प्रकार मजबूती से जमे हुए एकाधिकार को चुनौती नही दे सकते वहाँ सहकारी, यदि उनके सदस्यो की सख्या काफी बडी है तो इस काम को बखूबी कर सकते है। क्योंकि सदस्यो की काफी अधिक सख्या रहने पर उन्हे अपने विनिर्मित माल की खपत की चिन्ता नही रहती—उनका बाजार सुनिश्चित रहता है।

यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि यदि ऐसी बात है तो स्वीडनी सहकारी सगठन ने अपने विनिर्माण कारबार को चार प्रतिशत से आगे क्यो नही बढाया, वही क्यो रुक गए? वे इसलिए रुक गए कि उपभोक्ता के रूप मे सारे राष्ट्र के आर्थिक हितो की सार्थक सुरक्षा के लिए उन्हे उससे आगे जाने की आवश्यकता नही थी, उन्होने जितना किया उतना ही काफी था।

कोआपरातिवा फोरबुन्देत ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि यदि जनता को करना ही पडे तो वह अपने कारखानो मे विनिर्माण और उत्पादन कर है और पूरी सफलता से अत्यन्त शक्तिशाली एकाधिकारो से प्रतियोगिता कर सकती है और मूल्यो मे उचित स्तर तक कमी भी।

इतना कर लेने के बाद, बहुत ऊँची कीमते वसूल करने वाले के मन पर सगठित उपभोक्ताओ का आतंक जमाने के लिए कोफा के

मण्डल का किसी नई वस्तु के विनिर्माण को आरम्भ करने के प्रश्न पर केवल विचार करने के लिए अपनी बैठक आयोजित करना और लोगो को उसकी भनक पड जाना ही काफी है।

लेकिन ऐसा केवल तभी सम्भव हुआ जब आरम्भ मे जनता की वडी उपभोग्य क्रय-वस्तु-भोजन-खरीदने की शक्ति का स्वीडन के गाँवों, कस्बों और नगरो मे सहकारी स्वामीत्वकृत खाद्य भण्डारों मे व्यापक सगठन कर लिया गया।

स्वीडन और इग्लैण्ड के उपभोक्ता सहकारियों का अन्तर पाठको के लिए रुचिकर होगा। १९६० आरम्भ हुआ तब भी स्वीडनी सहकारी सगठन काफी अच्छी प्रगति करते जा रहे थे। सहकारिता से जीवन-मानों को उन्नत करने मे आर्थिक दृष्टि से अविकसित देशो के निवासियों की सहायतार्थ वहाँ ऐच्छिक चन्दे के रूप मे काफी वडी-वडी रकमे इकट्ठी की जा रही है। स्वीडनी जोवन, विचार और नीति पर सहकारी आन्दोलन का प्रभाव भी कम नही है। इन पक्तियो के लेखक ने एक वार एक स्वीडनी सहकारी नेता से पूछा था कि क्या आपका सगठन कोआपरातिवा फोरवुन्देत स्वीडनी आम चुनावों मे हस्ताक्षेप का प्रयत्न करता है ? उन्होने तपाक से उत्तर दिया कि नहीं, विलकुल नही। स्वीडन मे सहकारी आन्दोलन एकदम 'अराजनैतिक' है। लेकिन साथ ही उन्होने यह भी कहा कि जव भी जन-नीति-सम्वन्धी कोई प्रश्न उपस्थित होता है हम अपने अनुसन्धान विभाग को काम पर लगा देते है और उपभोक्ता के रूप मे जनता के हिताहित से उस नीति के सम्वन्धो पर प्रतिवेदन तैयार करवा कर प्रसारित कर दिया जाता है। ऐसे प्रतिवेदनो का हमारी सरकार पर काफी प्रभाव पडता है।

इसके विपरीत इग्लैण्ड का सहकारी आन्दोलन कटु वाद-विवाद और सुस्थापित निर्णयो की खीचातानी मे पडा हुआ है। वहाँ की सहकारी सस्थाएँ कमजोर होती जा रही है। उनका व्यापार निरन्तर घटता जा रहा है। जन-नीति पर उनका प्रभाव कुछ भी नही है।

इस अन्तर का कारण क्या है ? स्वीडनी सहकारी आन्दोलन को विनिर्माण क्यों और कैसे शुरु करना पडा यह हम देख आये है। एकाधिकार द्वारा नियन्त्रित कुछ वस्तुओं के अधिमूल्यन को समाप्त करने के लिए उन्होने विनिर्माण

आरम्भ किया था। यह बात तो साफ है कि इससे केवल सहकारी सदस्यों का ही नही सारी जनता को लाभ हुआ। और यही दृष्टिकोण स्वीडन के सभी उपभोक्ता सहकारियो द्वारा अपनाया गया। वे अपने सदस्यो की सरक्षण-धन वापसियो की बडी रकमे चुकाने की इतनी चिन्ता नही करते जितनी इस बात की कि सदस्यो और सभी स्वीडनासियो को लाभ पहुँचाने के लिए देश के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया जाय, और उनका सारा प्रयत्न इसपर केन्द्रित होता है।

यह प्रयत्न सहकारी क्षेत्रो मे 'सक्रिय मूल्य नीति' के नाम से जाना जाता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि सहकारी सस्थाएँ अपना माल चालू वाजार भाव पर तभी बेचती है जव उन मूल्यो का औचित्य अर्थ नीति-सगत हो। लेकिन ठोस आर्थिक सगतियो से यदि वे कीमते ऊँची पाई गई तो सहकारी सस्थाएँ उन्हे घटा देती है। इस प्रकार, सरक्षण-धन-वापसी की मोटी रकमे देकर केवल सदस्यो को ही लाभान्वित करने के स्थान पर सहकारी सस्थाओ द्वारा सदस्यो और सरक्षको को मुख्य लाभ न्यून मूल्यो के रूप मे विक्री मे दिया जाता है। इसका प्रभाव दूसरे प्रतिस्पर्द्धियो पर भी पडता है और उन्हे भी कीमते घटानी पडती है। और यों समस्त स्वीडनी उपभोक्ताओ को लाभ होता है।

इग्लैण्ड मे ठीक इसकी विरोधी नीति का अवलम्वन किया जाता है। वह है चालू वाजार भाव पर ही बेचने की परम्परागत 'रोशडेल' नीति और संरक्षण-धन वापसी, या जैसा कि इग्लैण्ड मे इसका नाम है, 'दिवी', की राशि पर, जो सहकारी सदस्यो का प्राप्तव्य है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है। वस्तुओं की लागत और वाजार भाव मे अन्तर कितना ही क्यो न रहे ब्रिटिश सहकारी सस्थाएँ हमेशा चालू वाजार भाव पर ही माल वेचती है और उसी अनुपात मे 'दिवी' की राशि वढा देती है। इससे सहकारी सदस्यों की सारी रुचि, और सो भी वहुत जोरो से, लाभाश पर केन्द्रित हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश सहकारी सस्थाएँ अपने देश की अर्थ-व्यवस्था की मूल्य-सरचना को जरा भी प्रभावित नही कर पाती। इसीलिए तो इग्लैण्ड मे स्वीडन की तरह यह नही कहा जा सकता कि सहकारी आन्दोलन द्वारा प्रसारित प्रतिवेदनों का 'वहुत अधिक प्रभाव' पड़ता है। स्कैण्डिनेविया

का भी शायद यही कारण है। यदि वहाँ के सहकारी सगठन और व्यक्ति गहरी निष्ठा ओर सक्रिय अभिरुचि को प्रशसनीय गुण समझते है और चाहते है कि उनके सदस्यो मे ये गुण हो तो पारस्परिक सहायता और सहकारिता के व्यापक आदर्शो को उन्हे सही अर्थो मे व्यावहारिक रूप देना चाहिए।

औसत अमरीकी तो अभी तक भी उपभोक्ता सहकारियो के बारे में कुछ नही जानता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि बढ़ते हुए नगरो में लोगो का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी सहकारी भण्डार और वृहद् भण्डार (सुपर-मार्केट्स्) इतनी अधिक सख्या मे नही है। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ तो कई प्रकार की सहकारी सस्थाएँ है, जो अमरीकी ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अग बन गई है।

जो प्रवृत्तियाँ १९५० के बाद की दशाब्दो मे आरम्भ हुई थी वे यदि चलती रही तो बहुत शीघ्र अमरीका का नगरवासी भी अपने देहाती भाई की तरह उपभोक्ता सहकारियो से अभिज्ञ हो जाएगा।

वास्तव मे आज इनकी बडी आवश्यकता है। आज उपभोक्ता के रूप मे अमरीकावासियो को अपना एक पक्षपोषक चाहिए। न्यास-विरोधी कानूनो का शायद ही कभी उपयोग किया गया है—खास कर बडे अपराधियो के खिलाफ तो कभी भी नही किया गया। उपभोक्ता-हितो की रक्षा के लिए जो तथाकथित 'नियामक' आयोग बनाये गए थे उनमे, १९५० के बाद वाली दशाब्दी मे, उन्ही उद्योगो के प्रतिनिधियो को भर दिया गया जिनके नियमन की उनसे आशा की जाती है।

टेलीविजन के हर पर्दे से चमक कर, रेडियो के हर बक्से से चीत्कार कर और सभी समाचार पत्रो एव पत्र-पत्रिकाओ से बहक.-फुसला कर आज उपभोक्ताओ की जेब, मनोबल और मानसिक शक्ति पर जो चतुर्दिक आक्रमण हो रहे है उनकी तुलना मे किसी पक्षपोषक या समर्थक का न होना तो बहुत ही मामूली समस्या है।

कोई भी विचारशील व्यक्ति अमरीकन उद्योग की उपलब्धियो की प्रशसा किये बिना नही रह सकता। बडे पैमाने पर उत्पादन अपनाकर इस उद्योग ने पारिवारिक बजट की पहुँच मे ऐसे सावित्र और साधन सुलभ कर दिये है जिनसे

जीवन के दैनन्दिन कार्यों और विशेष रूप से गिरस्ती के कमरतोड धन्धो मे समय और शक्ति की काफी बचत हो जाती है।

इससे नारी सार्वजनिक क्षेत्र सहित जीवन के दूसरे सभी क्षेत्रो मे सक्रिय भाग लेने के लिए आज जितनी स्वतन्त्र हो गई है उतनी मानव-इतिहास मे इससे पहले कभी नही हो पाई थी। इसका परिणाम होना चाहिए था ज्यादा अच्छी सभ्यता, ज्यादा ऊँची संस्कृति और भरा-पूरा, आध्यात्मिक जीवन।

लेकिन वास्तविकता यह है कि अति आधुनिक भवन बनाये जाते है और उनमे पुस्तको के लिए कोई व्यवस्था नही होती।

और दूसरी बात यह कि बड़े पैमाने के उत्पादन को कोई खास बढ़ावा भी नही दिया जाता।

फिर सबसे बड़ी बात तो यह कि हमे इन न्यामतो के लिए कर्ज लेना चाहिए। और छोटे कर्ज का इलाज हमे यह बताया जाता है कि बडा कर्ज गले लगा लो-विना यह पूछे कि शर्ते क्या है और बिना यह पता लगाये कि ब्याज की दर क्या है, बस, आँख मूँद कर ले ही लो।

१९६० के आते-आते इस सबने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया और अशाश ऋण पर कुछ छिपे खर्च इतने बढा दिये गए, उदाहरण के लिए मोटर को अशाश उधार कि इलिनोइस के सोनेटर डगलस को इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत करना पडा कि ऐसी सभी भडकीली उधार व्यवस्थाओ मे वार्षिक ब्याज की वास्तविक दरो का ईमानदारी से खुलासा करना आवश्यक होना चाहिए। इस विधेयक के प्रबल समर्थक थे श्रमिक सघ, सहकारी सस्थाएँ, साख-सघ और महिलाओं के सगठन। लेकिन ज्यादातर वाणिज्यीय हितो ने इसका विरोध किया, जो स्वाभाविक भी था, क्योकि अधिकांश वे ही तो थे जो माल की विक्री की अपेक्षा उस विक्री के वित्तीय प्रवन्ध मे से अनाप-शनाप पैसा पीट रहे थे।

१९५० के बाद के वर्षो मे हमसे यह कहा गया कि हमारा देश 'बहुत गरीब' है इसलिए अपने बच्चो की शिक्षा के लिए ययेष्ठ स्कूली इमारते नही बना सकता और न शिक्षको को ठीक ढग का वेतन ही दे सकता है। हमारा राष्ट्र 'बहुत गरीब' है इसलिए हम अपने जल स्रोतों के प्रदूषण और वायु के संदूषण को नही

रोक सकते। हम 'बहुत गरीब' है इसलिए गन्दी बस्तियो के उन्मूलन और अपने नगरो के पुनर्वास के लिए कोई सार्थक कदम नही उठा सकते !

लेकिन हमारी अर्थ व्यवस्था को तेजी को बनाये रखने के लिए उपभोक्ताओ को जितनी ज्यादा हो सके विलास प्रियता को अपनाना और अपने कर्ज के बोझ को बढाते जाना होगा। क्योकि उपभोक्ताओ के क्रमश बढते हुए कर्जो और सैनिक खर्चो के बहुत बडे परिमाण पर ही तो उत्पादक कम्पनियो के उस माल की खपत निर्भर करती है जिसे वे बाजार मे अन्धाधुन्ध फेकते रहना चाहते है। और किन चीजो का उत्पादन किया जाए इसका निश्चय भी बडे उत्पादको के निर्णय से होता है, उपभोक्ताओ की अधिमान्यता, उनकी माँग और आवश्यकता से नही। 'वाल स्ट्रीट जनरल' ने बिक्री-व्यवस्था के एक प्रमुख विशेषज्ञ के मन्तव्य को यो उद्धृत किया था "बिक्री-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओ का यह हल आवश्यक नही कि उपभोक्ता जो चाहे वह उन्हे दे दिया जाए, बल्कि सच्चा हल यह है कि जो हम, बिक्री व्यवस्थापक, चाहे, उपभोक्ता भी उसी को चाहे।"

इधर के वर्षो मे इस सिद्धान्त का परम आस्था से पालन करने वाला एक बिलकुल नया व्यवसाय ही चल पडा है। यह 'अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान' नाम का नया समाज शास्त्र है। इन अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताओ ने स्तम्भित करने वाली एक जबर्दस्त खोज की है। उनकी उस खोज के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अधम, पतित और स्वार्थी जीव है। उसे विलास की ओर प्रवृत्त करना होता है और इसी तरह उसको ईर्ष्या, अहकार, तृष्णा, प्रदर्शनेच्छा, लोभ, लिप्सा, आत्म प्रेम आदि की पुष्टि करके चीजो की खरीदारी की ओर। लोग वायुयान मे समय बचाने और अधिक लोगो से सम्पर्क करने के लिए सवार नही होते, वे सवार होते है न चढ पाने वालो की आत्म ग्लानि से अपने अह को सम्बोधित करने के एकान्त उद्देश्य से। अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धा-[illegible] का तो कम-से-कम यही विचार है। और ऐसे ही धुरन्धरो और उनके [illegible]चपारो को अमरीकी उद्योग प्रति वर्ष बारह अरब डालर की रकम सौप[illegible] है सिर्फ इसलिए कि वे उनको अभीष्ट 'अपीलो' को प्रभावकारी बना सके।

लेकिन मानव स्वभाव के बारे मे उनकी यह खोज कोई नयी बात नही है।

पुरातन धर्म ग्रन्थ (ओल्ड टेस्टामेण्ट) के रचयिताओं ने आज से चार हजार वर्ष पहले ठीक यही बात कही थी। लेकिन उन्होंने इसकी भर्त्सना की थी और, इसे इसलिए बदलने पर जोर दिया था कि कहीं भगवान का कोप सारी मनुष्य जाति पर ही न उतर पड़े।

लेकिन आज हमें एक सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।

अभी कुछ ही समय हुआ शिकागो की एक बचत संस्था ने अपने रेडियो विज्ञापन को बदल कर इस तरह कर दिया है "बचत का खयाल आप का, 'पछियों के लिए' नेक और दुरुस्त है समाज की निगाह में। बचत आप की हमारे पास, आपके अपने मौज-शौक की ज्यादा चीजों का बढ़िया खुदगर्ज तरीका है।"

अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धानाओं की इस स्तम्भित करने वाली खोज' में कि उच्च अभिप्रेरकों की अपेक्षा मनुष्य को निम्नअभिप्रेरकों के माध्यम से अधिक सरलता से अभ्यर्थित किया जा सकता है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन महान जातियों और महान समाजों ने सदैव अपने नागरिकों के उच्च अभिप्रेरकों को ही बढ़ावा देने का प्रयत्न किया और असृजनशील समाज विरोधी अभिप्रेरकों को नियन्त्रण में रखने का। जब अहंकार, मिथ्यादर्प और अहम्मन्यता की हर भावना और स्वार्थपरता के हर आवेग को विकसित करना समाज का स्वीकृत प्रतिमान बन जाता है तो किसी भी उच्च राष्ट्रीय उद्देश्य की ग्राह्यता के लिए उस समाज के लोगों को उद्बुद्ध करना वास्तव में ही कठिन हो जाता है।

मुट्ठी-भर विशाल कम्पनियो के हाथो मे हमारी अर्थ व्यवस्था का अन्तिम नियन्त्रण सुनिश्चित कर देगे।

टलीवीजन उद्योग मे लगे लोग प्राय इस बात की ओर इशारा करते रहते है कि राष्ट्रव्यापो टेलीविजन विज्ञापन का सारा काम सिर्फ वोस कम्पनियाँ वडी खूवी से सँभाल सकती है। तो "राष्ट्रव्यापी स्तर पर विज्ञापित छापा और ठप्पो वाली चीजो" को खरीदने का अर्थ हुआ उन बीस मे से कभी इस या कभी उस कम्पनी को प्रश्रय देना।

लेकिन खाद्य भण्डारो के कारोवार मे अवश्य ही जवर्दस्त प्रतियोगिता दिखाई देती है। कम-से-कम फुटकर विक्री के स्तर पर तो हालत यही मालूम पडती है। पशुधन, फल और सब्जी बाजारो पर अवश्य वडी-वडी दुकान शृखलाओ का एक छत्र साम्राज्य है, वहाँ कीमते वे ही तय करती है और प्राय-विशेष सुविधाएँ भी प्राप्त कर लेती है। परन्तु खाद्य-व्यापार की फुटकर विक्री मे प्रतियोगिता से अभी तो गृहिणियाँ ही लाभान्वित होती दिखाई दे रही है।

जानकारो का ऐसा ख्याल है कि हवा के रुख को देखते तो वे दिन दूर नही लगते जव खाद्य-व्यापार की फुटकर विक्री पर भी मुट्ठी-भर कम्पनियो का नियन्त्रण हो जायगा। और उनमे नियन्त्रण होते ही रोटी और सेम-सब्जी का भी 'व्यवस्थापित मूल्यन' शुरू हो जाएगा।

सुपर मार्केट उद्योग के सुप्रसिद्ध अग्रवर्ती राष्ट्रीय नेता मिस्टर आर० जी० जिफरमैन ने १९५६ के बोस्टन वितरण-सम्मेलन मे सच ही कहा था

> "वर्तमान प्रवृत्तियो के हमारे अध्ययन का यदि कोई अर्थ हो सकता है तो हमे यही भविष्य दिखाई देता है कि दस या बीस वरसो मे खाद्य-पदार्थो की फुटकर विक्री का व्यवसाय वहुत ही थाडे हाथो मे सिमटकर रह जाएगा। १९६५ तक खाद्य-व्यापार के ७५ प्रतिशत पर गिने-चुने विशालतम सुपर मार्केट सगठनो का नियन्त्रण सर्वथा अकल्पनीय बात नही है।"

'व्यवस्थापित मूल्यन' का उपभोक्ताओ की समस्या को विषम करने में कितना वड़ा हाथ होता है यह एक इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाएग कि यदि तथा-कथित 'स्वाभाविक' आर्थिक प्रभावो को अपना काम करते रहने का अवसर

दिया जाता तो १९५० के वाद की दशाब्दी मे मूल्यो का जो स्फीतीकरण हुआ वह कदापि न होता। हमारी अर्थ-व्यवस्था का प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र १९५३ से १९५८ के वीच हुई मूल्य वृद्धि के केवल एक प्रतिशत का उत्तरदायी है। लेकिन उन वर्षो मे उपभोक्ताओ के रूप मे उन उद्योगो और सारे ही राष्ट्र पर थोक विक्री के मूल्य के सूचकाक मे ८ प्रतिशत समग्र वृद्धि का बोझ लाद दिया गया। इस वृद्धि के ८५ प्रतिशत की जिम्मेवारी कीमतों मे 'व्यवस्थापित मूल्यन' से वढोतरी करने वाले एकाधिकारी उद्योगो पर है।

हमारी अर्थप्रणाली मे उपभोक्ताओ के हितो के प्रभावी स्वत्वद्योतन का मार्ग भी अवश्य है। और ऐसा उपाय भी है जिसका अवलम्वन करके न केवल वस्तुओ के मूल्य और विक्रम के सम्बन्ध मे वरिक इस सम्बन्ध मे भी कि कौन सी वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन किया जाए, 'उपभोक्ता अधिमान्यता' को फिर से अर्थपूर्ण वनाया जा सकता है।

वह उपाय है उपभोक्ताओ की क्रय शक्ति को सगठित करना, जिससे वे सम्मिलित रूप से अपना दावा पेश कर सके और जिससे उस दावे का पूरा-पूरा वजन पडे। और वह उपाय है स्वय उपभोक्ताओ को उपभोक्ता की आवश्यकताओ को पूरा करनेवाले कुछ व्यवसायो के स्वामीत्व के योग्य वनाना और इस प्रकार सार्थक प्रतियोगिता के द्वारा उपभोक्ता-हितो को प्रवर्तित करना।

लेकिन यह काम आसान नही है। विशेषकर उपभोक्ता के खर्च के सवसे वडे क्षेत्र, खाद्य-व्यवसाय मे तो वहुत ही कठिन है। क्योकि आज उपभोक्ताओ को यह विश्वास दिला पाना मुश्किल ही है कि उन्हे अधिकाधिक खाद्य-भण्डारो और सुपर मार्केटो की आवश्यकता है। कई वार तो ऐसा लगता है मानो उनकी भरमार हो गई है। हालत उन दूसरे वहुत-से क्षेत्रो की तरह तो नही ही है जहाँ सहकारी सस्थाएँ सफल हुई। जव तक आवश्यकता ग्रस्तो ने अपनी सहकारी सस्थाएँ नही वना डाली ग्रामीण विद्युत् का क्षेत्र करीव-करीव खाली ही पडा था। यही वात खुले मुहवाले उच्च विश्लेपणयुक्त उर्वरक के वारे मे भी है। औसत परिवार जिनका मूल्य आसानी से चुका सके ऐसे अच्छे और सस्ते मकानो की निर्माण योजनाएँ भी तो अभी वहुत ज्यादा नही है। उच्चकोटि की स्वास्थ्य-परिचर्या या सुविधाओ का भी यही हाल है। इस तरह के और भी

कई नाम गिनाये जा सकते है।

लेकिन खाद्य भण्डार ऐसी आवश्यकता नही है जिसका अभाव अमरीकी उपभोक्ता को खलता हो। १९७५ के आस पास सम्भवत. यह स्थिति हो जाए, आज तो नही है।

अमरीकी सहकारी आन्दोलन द्वारा उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना की कहानी काफी हानि उठाने और अनेक मर्माघात सहने की कहानी है।

हमे इस बात की सही-सही जानकारी नही है कि सयुक्त राज्य अमरीका मे किराना माल का पहला उपभोक्ता सहकारी भण्डार कब स्थापित हुआ था।

सहकारिता का जो इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार वह १८४४ मे पहले तो बन नही सकता, क्योकि उसी वर्ष रोशडेल (इँग्लैण्ड) के उन अट्ठाइस गरीब बुनकारो के अपार कष्ट, आँसू और पसीने और वर्षो की बचत मे से पहले सच्चे उपभोक्ता सहकारी का जन्म हुआ था।

पहले अमरीकी उपभोक्ता सहकारी भण्डार का जन्म भी उसके बहुत बाद का नही होना चाहिए, यद्यपि कोई विवरण नही मिलता, हो सकता है कि खो गया हो, पर अनुमान किया जाता है कि पहला अमरीकी उपभोक्ता सहकारी भण्डार १८४४ के दो-चार वर्षो बाद ही कही स्थापित हुआ होगा।

१८७१ से लेकर १८९० तक की दो दशाब्दियो के बारे मे हमारा ज्ञान अधिक निश्चयात्मक है। य वर्ष बडे मैदान के निवासियो के लिए घोर सकट के थे ओर उससे मुक्ति पाने के लिए ग्रैंगर आन्दोलन के तत्त्वावधान मे वहाँ सहकारी सगठनो की एक लहर-सी चल पडी थी। इन सगठनो के बारे मे सबसे ज्ञातक बात यह है कि उनमे से कई कार्य विधि की दृष्टि से वर्तमान शताब्दी के सहकारी 'जनरल स्टोर' की तरह के सहकारी उपभोक्ता भण्डार और फार्म आपूर्ति सहकारी सस्थाएँ थी। उनका उद्देश्य बडे मैदान के किसान परिवारों की कम कीमत पर दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति करना था। उस समय के ग्रैंगर-सस्थापित सहकारियो मे का एक इस समय भी कनसास राज्य के कैडमस मे कारबार कर रहा है।

भौगोलिक विस्तार के वर्षो मे, जबकि बस्ती पश्चिम की ओर बढती जा रही थी और औद्योगिक उन्नति और विकास के वर्षो मे सारी अमरीकी जनता

का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहा। बीसवी शताब्दी के मध्यकाल तक यही स्थिति रही। यह सच है कि कही-कही किसी इक्के-दुक्के आदर्शवादी गुट ने उपभोक्ताओ की सहकारिता की दिशा मे भी अवश्य यत्न किये, लेकिन जनता की विचारधारा का सारा प्रवाह और प्रयत्नों का सारा जोर उत्पादन से अपनी आय मे वृद्धि करने की ही ओर रहा। अपने कमाये हुए डालरो से उपभोक्ता के रूप मे ज्यादा अच्छा काम लेने की ओर लोगो का ध्यान बहुत ही कम गया।

यही कारण है कि दूसरे प्रकार के उपभोक्ता सहकारियों से एकदम भिन्न उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारो का इतिहास ठेठ द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती काल तक निरन्तर असफलताओ और भग्न आशाओ का इतिहास रहा है।

बीसवी शताब्दी के आरम्भिक वर्षो मे कुछ श्रमिक संघो ने, खासतौर पर खनि श्रमिक सघ (Mine Workers) ने अपने सदस्यों के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन वे भण्डार चल नही पाये; क्योंकि हेतु कितना ही उदार और आशय कितना ही उच्च क्यों न हो दूसरी सस्थाओ द्वारा जनता के लिए स्थापित सहकारी सस्थाएँ कभी सफल नही होती। जिन सहकारी सस्थाओं को जनसमूह स्वय अपने उपयोग के लिए स्थापित करते है केवल उन्ही की सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होती है। खनि श्रमिक सघ ने जब अपने सदस्यो से कहा: "यह तुम्हारा भण्डार है इसका पोषण-सवर्द्धन करो," तो सब लोग लगे उस दान की बछिया के मुँह फाड-फाड़कर दाँत गिनने, और खनिको की पत्नियो ने तो थन भी टटोल डाले! और उन्होने हर बार यही पाया कि सारा कारबार बडे ही घटिया किस्म का है और जो आदमी प्रबन्धक बना बैठा है उसकी एकमात्र योग्यता केवल इतनी है कि वह सगठित श्रमिकों से सहानुभूति रखता है!

१९४० के बाद वाली दशाब्दी मे डेट्रोइट मे भी ठीक यही प्रयोग दुहराया गया, जिसका बहुत ही खेदजनक परिणाम हुआ। पुराने खेवे के श्रमिक नेता खाद्य-भण्डार के ढग की उपभोक्ता सहकारी सस्था के इतने प्रतिकूल हो गए कि उन भण्डारो को सयुक्त राज्य अमरीका मे श्रमिकों का वह समर्थन नही मिल पाया जो पश्चिमी यूरोप के श्रमिक संघो से बराबर मिलता आ रहा था।

बडी मन्दी के वर्षों मे सहकारिता के प्रति जो ...

रही थी, लोगो का नये सिरे से रुचि लेना अनिवार्य हो गया। सहकारी लीग के प्रमुख सस्थापक जेम्स पीटर वारवेस की पुस्तके अधिकाधिक पढी जाने लगी। उपभोक्ताओ की सहकारिता का विचार लोगो के मन मे घर करता चला गया। इस विचार के उत्साही समर्थक 'खरीदार क्लव' के सदस्यो को किराना माल देने के लिए अपने गैराज—वेशक मोटरो से खाली—देने लगे। कैलिफोर्निया मे वेकारो को अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्वय उत्पादन करने के योग्य वनाने वाली अप्टनसिंक्लेअर की महाकाव्योचित रम्य, रोचक और भव्य योजना की १९३४ मे पराजय के वाद, पहली वार कई समुदायो के लोग अपनी वर्तमान आर्थिक स्थितियो को सुवारने के आशास्पद उपाय के रूप मे उपभोक्ता सहकारियो के सगठन की ओर उन्मुख होने लगे। लेकिन पूजी इन उद्यमियो के पास प्राय- होती नही थी। साधारणत- किसी वेकार को व्यवस्थापक वनाकर विठा दिया जाता था। इसलिए इनमे से कोई भी ज्यादा दिन चल नही पाया।

लेकिन असफलताओ के इस दौर मे कुछ अपवाद भी अवश्य थे। उत्तरी यूरोप से आकर जो लोग अमरीका मे अपने समुदाय वनाकर वस गए थे वे अपने साथ 'पुराने देश' से सहकारी सफलता की परम्परा भी लते आये थे। विशेप-कर स्कैण्डिनेवियाई और फिन लोगो मे यह परम्परा काफी पुष्ट थी। न्यू इंग्लैण्ड के कुछ समुदायों मे, कैलिफोर्निया के खाडी वाले प्रदेश मे, लेक सुपीरियर के हेड आफ दि लेक्स क्षेत्र मे और कुछ दूसरे स्थानो मे वीसवी शताब्दी के शुरू के वर्षो मे ठोस आवार वाले सुदृढ उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित किये गए जो आज भी धीरे-धीरे उन्नति करते जा रहे हैं। न्यू कोआपरेटिव कम्पनी हमारे देश के सवसे पुराने उपभोक्ता-वस्तु सहकारी भण्डारो मे से है, यह १९०८ मे दक्षिण-पूर्वी ओहियो मे चेक किसानो और चेक खनिको द्वारा स्थापित की गई थी।

१९३९ मे यूरोप मे युद्ध आरम्भ होने के साथ-साथ कहते दुख होता है कि—जो आर्थिक सम्पन्नता आई उस समय देश मे उपभोक्ता खाद्य भण्डारो की सहकारिता का एक अस्त-व्यस्त-सा आधार अवश्य था।

दूसरे महायुद्ध के काल को हम खाद्य-भण्डार आन्दोलन मे आत्म-प्रवचना का युग कह सकते हैं। इस काल मे कई उपभोक्ता सहकारी भण्डार सगठित

किये गए। पहले से स्थापित क्षेत्रीय थोक फारम आपूर्ति सहकारियों मे से भी कइयो ने किराना माल का कामकाज शुरू कर दिया। उनका और नेशनल कोआपरेटिव का, जो वहुतसी चीजो का केन्द्रीय सम्भरण कर्ता है, व्यापार फूलता-फलता दिखाई देने लगा। लेकिन किसी ने भी यह समझने की कोशिश नही की कि लडाई के जमाने मे जब उपभोक्ता-वस्तुओ की तगी हो जाती है; किसी भी प्रकार का व्यापार फलता-फूलता ही दीखता है। और इस तथ्य की ओर तो शायद ही किसी का ध्यान जा पाया कि खाद्य-पदार्थों की बिक्री करने वाला दूसरा वहुत-सी कम्पनियो के मुकाबले सहकारी वहुत-ही कम उन्नति कर पा रहे थे। ओछी पूंजी की जीर्ण बीमारी तो थी ही और प्रवन्ध बिल्कुल कामचलाऊ ढग का। सारी कतर-ब्योंत भण्डारों की साज-सज्जा मे ही की जाती थी। इसलिए असफलताओं का दूसरा दौर वस आरम्भ होने को ही था।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि इस दौर की सबसे बडी असफलता ऊपर वताई गई कमजोरियों को दूर करने के प्रयत्न स्वरूप ही हुई। शिकागो मे, सहकारी भण्डारो मे रुचि रखने वालों से नगर व्यापी पैमाने पर, पूंजी उगाहने और प्रवन्ध की समुचित देखरेख एव कन्द्रीय प्रशासन-व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारों की एक शृखला स्थापित करने की दिशा मे अभियान आरम्भ किया गया। इस प्रयत्न मे तो कोई खरावी नही थी। सच पूछा जाए तो बीमारी का इलाज भी यही था। लेकिन कमजोरी यह रही कि देखरेख की व्यवस्था को ठीक से विकसित नही किया जा सका। भण्डार के व्यवस्थापक इसके लिए बनाई गई योजना को पूरा करने मे असमर्थ रहे। भण्डारो के लिए स्थान के चुनाव और उनकी साज-सज्जा पर जरा भी ध्यान नही दिया गया। ऐसे स्थानों मे भण्डार आरम्भ करने की जल्दवाजी की गई जहाँ पास-पडोस के परिवारों ने हिस्सो मे पूंजी लगा कर भण्डारो मे अपनी रुचि और उत्सुकता अभी दिखाई भी नही थी। इस सव के परिणामस्वरूप कुछ ही महीनों मे सारा प्रयत्न एकदम व्यर्थ हो गया और पूरी योजना भहरा कर गिर पडी।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के तत्काल वाद के वर्ष उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारो की असफलता के दूसरे दौर के वर्ष सिद्ध हुए। मिडिलवेस्ट के कई क्षेत्रीय थोक सहकारी सगठनों ने किराना माल के कारवार को वन्द कर

दिया। और १९५० के लगते-लगते असफलता के महासागर में सफलता के कुछ ही द्वीप डूबते-उतराते बचे रह सके।

१९५१ मे सहकारी लीग ने उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारों के व्यवस्थापकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन के विचार-विनिमय और चर्चा का मुख्य विषय यह था कि जिन सहकारियों का व्यापार निरन्तर गिरता जा रहा है उन्हे बन्द होने से कैसे बचाया जा सकता है। इस बात का बडी बारीकी से पता लगाया गया कि इन पिछले दु खदाई वर्षो मे असफलता किन-किन कारणो से हुई। इस छानबीन मे सफलता के कारणों का भी साथ ही साथ पता चल गया और यह भी मालूम हो गया कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए।

तब से उपभोक्ता सहकारी भण्डारो के व्यवस्थापकों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता आ रहा है। १९५९ मे व्यवस्थापको के एक ऐसे ही सम्मेलन मे उपभोक्ता सहकारी व्यवस्थापक सघ (Consumer Cooperative Managers Association) की स्थापना की गई। इस सघ मे सबसे बडे और सबसे सफल सुपर मार्केटो और बाजार-केन्द्रो के, जिनकी सख्या आजकल तेजी से बढती जा रही है, व्यवस्थापको की प्रधानता है। ऐसे व्यवस्थापको और उनके निदेशक-मण्डलों मे यह आत्म विश्वास स्पष्ट ही परिलक्षित होता है कि वे अपने व्यापार मे राष्ट्र व्यापी शृखलाओ सहित किसी भी व्यापारी सगठन से मुकाबला कर सकते हैं।

इन प्रयत्नो का परिणाम क्या हुआ ?

उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डार और उपभोक्ता बाजार केन्द्रो का आन्दोलन उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। इसने एक नितान्त आवश्यक बुनियादी सबक सीखा। वह सबक है एक अच्छा विचार ही काफी नही होता। यहाँ तक कि मनुष्य को सबसे महान नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं मे आरोपित श्रेष्ठ क्रान्तिकारी आदर्श भी अपने-आप मे अकेला किसी व्यापारी उद्यम की सफलता को सुनिश्चित नही कर सकता। वे विचार और आदर्श किसी भी ।पा।रो उद्यम के लिए अनमोल सम्पदा तो अवश्य है लेकिन स्वत उनमे प्रति-ान की क्षमता नही होती। अकेले तो वे पल्लवित और पुष्पित भी नही हो कते। उन्हे आवश्यकता होती है प्रबन्ध कुशलता, समुचित पूंजी, बडे पैमाने

पर कारबार करते रहने के लिए निवेश के माध्यम से काफी परिवारो की निश्चित सहभागिता और अच्छे स्थानो मे आकर्षक साज-सज्जा वाले ऐसे अधिष्ठान जो प्रतियोगियो से घटिया तो कदापि न हो। इतने सब के सयुक्त हो जाने पर भी ही किसी व्यापारी उद्यम की निरन्तर प्रगति और विकास सुनिश्चित हो पाती है।

उदाहरणार्थ .

१९४८–१९४९ के आसपास जीवन-निर्वाह के मूल्यो मे तेजी से जो वृद्धि होती जा रही थी उसे रोकने के श्रमिक सघो के प्रयत्न भी पराकाष्ठा पर थे। इन प्रयत्नो मे कुछ वैसी ही गलतियाँ दुहराई गई जो पहले महायुद्ध के समय की गई थी। लेकिन सारे विश्व के रबर उद्योग की राजधानी, ओहियो राज्य के अक्रोन नगर के युनाइटेड रबर वर्कर्स आफ अमरीका के सदस्य अपना सबक बहुत अच्छी तरह सीख चुके थे। उन्हे एक उपभोक्ता सहकारी भण्डार की अत्यन्त आवश्यकता थी, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो चलता रहे, चार दिन चल कर बन्द न हो जाए। वे जानते थे कि यदि उनका भण्डार अक्रोन के बढ़िया-से-बढ़िया भण्डार की टक्कर का न हुआ तो चल नही सकेगा। इसके लिए पूँजी की जरूरत थी—दो लाख डालर के आसपास तो होने ही चाहिए। वे यह भी जानते थे कि मूल पूँजी उगाहने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। जो परिवार नये सहकारी भण्डार के सदस्य, स्वामी और ग्राहक बनने वाले थे उन्हे हिस्से बेचकर पूँजी इकट्ठी कर ली जाए। लेकिन डेट्रोइट क्षेत्र के अनुभवो से वे यह सीख चुके थे कि केवल श्रमिक सघ के सदस्यो की आम दिलचस्पी ही काफी नही होती। उनकी पत्नियो को भी उद्घाटन और शुभारम्भ से पहले सहकारी भण्डार का महत्त्व समझाना आवश्यक था। श्रमिक सघ के नेताओं और सदस्यो की आगेवानी मे अक्रोन के निवासियो ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। जब तक वे बस्ती के परिवारो मे सवा लाख डालर के हिस्से नही बेच लेगे भण्डार खोलने का नाम न लेगे। यह साधारण नहीं, बहुत बड़ा काम था, क्योकि उन्हे दस-दस डालर मूल्य के हिस्से एक-एक कर बेचने थे।

लेकिन उन्होंने इस काम को कर डाला।

दस, बीस या कभी-कभी पचास डालर के हिस्से लेकर उसका स्वामी बनने के लिए राजी करते रहे।

जब सवा लाख डालर का सकलन पूरा होने को आया तो उन्होने स्थानीय श्रमिक सघो के हाथ अविनानित हिस्से बेचना शुरू कर दिया। इस तरह एक लाख डालर और जमा हो गया। लेकिन अब ये सवा दो लाख डालर भी काफी नही थे, क्योकि नये सिरे से प्राक्कलन करके आवश्यक पूंजी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा ली गई थी, इसलिए उन्होने नेशन वाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज से काफी मोटी रकम कर्ज लेना का निश्चय किया।

ओर जब कर्ज मजूर हो गया केवल तभी सगठन कर्ताओ ने अपना सुपर मार्केट खोलने की ओर निश्चित कदम उठाये।

आखिर कोआपरेटिव एण्टर प्राइजेज आफ अक्रोन के नाम से उनका भण्डार खुल गया और खुलते ही खूब धडल्ले से व्यापार होने लगा। कारबार उस पहले दिन से आज तक बराबर बढता जा रहा है। मूल भण्डार ही इतना अच्छा था कि हर सदस्य को उस पर नाज हो सकता था। व्यवस्थापक जन्म जात प्रोन्नायक था ओर स्थान के चुनाव एव साज-सज्जा के बारे मे उसे किसी के आगे आँखे झुकाने की जरूरत नही थी। इस कम्पनी की अपनी परेशानियाँ न हो सो बात नही, दूसरे सफल सहकारी भण्डारो-जैसी दक्षता भी नही है, लेकिन बावजूद इस सब के बराबर उन्नति होती जा रही है। अब यह कम्पनी पाँच भण्डार चलाती है, और इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण कि एक नये उपभोक्ता सहकारी भण्डार को शुरू करने का सही तरीका क्या है।

ग्रीन बेल्ट कन्ज़्यूमर्स सर्विसेज सयुक्त राज्य अमरीका का सबसे बडा सहकारी सुपर मार्केट है। १९६० मे इस सहकारी ने वाशिंगटन डी० सी० क्षेत्र मे अपना दसवाँ केन्द्र खोला है। इनका कुल वार्षिक व्यापार दो करोड डालर के आस-पास पहुँच गया है। यो ग्रीनबेल्ट है तो स्थानीय सस्था, परन्तु अखिल देशीय स्तर पर सभी बडी शृखलाओ सहित समस्त फुटकर बिक्री खाद्य भण्डारो मे अपनी सदस्यता वाला यह सबसे बडा चौथा सगठन है। ग्रीनबेल्ट के व्यवस्थापक सैम्युअल एफ० ऐशेलमैन सहकारी व्यवसाय के सबसे बढिया और सदैव असन्तुष्ट रहने वाले व्यक्ति है। उनके नेतृत्व मे ग्रीन बेल्ट के सुयोग्य प्रबन्धक

दल ने कारवार को नये समुदायो मे विस्तारित करने, नये भण्डार खोलने, उन्हे पहले ही दिन से सफल बनाने और सेवा की उत्कृष्टता पर सदस्यता को बढाते जाने के बडे सफल ढग विकसित कर लिये है। ग्रीनवेल्ट ने सुनियोजित, अडिग, ऊर्जस्व गति से निरन्तर प्रगति और विस्तार करते जाने का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। इसने दिखा दिया कि उपभोक्ता सहकारी व्यापार को भी महानगरो के वाजार का काफी वड़ा और महत्त्वपूर्ण अग बनाया जा सकता है। निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए, कुछ अशो मे सहकारी लीग के भी प्रयत्नो के फलस्वरूप, रोशडेल कोआपरेटिव्स का इसके साथ विलयन हो गया। आज ग्रीनवेल्ट क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति थोक सहकारी सस्था, सदर्न स्टेट्स् कोआपरेटिव्स के पेट्रोल-उत्पादनो की सबसे बडी ग्राहक है। इसके सदस्यो की सख्या इतनी अधिक हो गई है कि जनवादी नियन्त्रण के लिए नितान्त आवश्यक सदस्यो की वार्षिक सभा आयोजित की ही नही जा सकती; इसलिए सारे सदस्यो का मण्डलो मे विभाजन कर मण्डल-सगठनो के आधार पर 'काग्रेस' प्रणाली और प्रतिनिधि सरकार का ढग निकाला गया जो काफी सफल रहा। 'काग्रेस' प्रणाली का मूल विचार स्वीडन की कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी आफ स्टाक होम से लिया गया है। ग्रीन वेल्ट केवल विचार ही लेकर रह गया हो सो बात नही, वह आइसलेण्ड के सहकारी सगठनो से मास, डेनमार्क के सहकारियो से फरनीचर और यहाँ तक कि पोलैण्ड से शूकरमास भी आयात करता है।

यदि यह सब वाशिगटन मे किया जा सकता है तो दूसरी जगह क्यो नही किया जा सकता ?

देश के उस पार सैन फासिस्को खाडी के क्षेत्र मे वास्तव मे ऐसी प्रगति हो भी रही है।

वहाँ वर्कले की कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी इन सब कामो को कर रही है। इसके सुयोग्य व्यवस्थापक युगीन मनीला के पास एक अनमोल निधि है, वह है उनका सदस्य-कार्यशीलता-कार्यक्रम, जो सयुक्त राज्य की किसी भी सहकारी सस्था के इस तरह के कार्यक्रमो मे सम्भवत. सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्ट मासिक सभाओ मे नये सदस्यो का स्वागत किया जाता है और उन्हे सदस्यो

के लाभ के लिए सस्था जो बहुत से कार्य करती है उनकी जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम, सुदक्ष प्रगतिशील सेवाओ और ग्राहको-सदस्यो मे अच्छी प्रतिष्ठा के कारण बर्कले ने केवल तीन वर्ष की छोटी-सी अवधि मे अपनी क्षमता को एक से चार भण्डारो तक बढ़ा लिया, और कारोबार एव सदस्य-सख्या तो इससे भी कम समय मे दुगुनी हो गई। अपने काम के विस्तार के सम्बन्ध में बर्कले की नीति प्रादेशिक मर्यादाओ तक ही सीमित नही है। इसके निदेशक-मण्डल की नीति यह है कि जहाँ भी निम्नलिखित शर्तें पूरी की जा सके वही भण्डार खोल देना चाहिए

१—समुदाय कारबार को पाँच हजार परिवारो तक बढा ले जाने की क्षमता वाला हो।

२—कम-से-कम पच सौ परिवार पचास हजार डालर सहकारी सस्था के हिस्सो में लगाने को तैयार हो।

३—ये पाँच सौ परिवार साल-भर मे सदस्यता और पूंजी को दूना करने अर्थात् पाँच सौ नये सदस्य और पचास हजार डालर लाने का वचन दे और उसे पूरा करे।

४—समुदाय सस्था के सबसे पुराने भण्डार से पच्चीस मील के अन्दर-अन्दर हो। यह उल्लेखनीय है कि पच्चीस मील के घेरे मे घनी जन सख्या वाली सैन-फ्रासिस्को खाडी का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है।

यहाँ से कुछ ही मील दक्षिण मे पालो आल्टो की कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी भी अमरीकी सहकारिता आन्दोलन के इतिहास मे ठीक ऐसा ही अध्याय लिख रही है। इसका कार्य क्षेत्र सैन फ्रासिस्को खाडी के दक्षिणी भाग के पश्चिम मे अवस्थित वह प्रायद्वीप है जो इन दिनो बहुत तेजी से अपना विकास और उन्नति कर रही है।

१९६० के जुलाई महीने मे सहकारी लीग के पत्र 'इकानामिक बुलेटिन' (आर्थिक विवरणिका) ने दस लाख डालर या इससे अधिक का कारबार करने वाले सहकारी सुपर मार्केट्स का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। उस सर्वेक्षण का एक अश यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की सहकारिता के इन प्राथमिक सगठनो की राष्ट्र व्यापी उन्नति और विकास की

पूरी तसवीर सामने आ जाती है।

'बुलेटिन' का वह उद्धरण इस प्रकार है

१९५६ के बाद से चार और सहकारी सुपर मार्केटों ने दस लाख डालर की वार्षिक विक्री सीमा को पार कर लिया है। प्रमुख उपभोक्ता सहकारियों से सम्बन्धित हमारे इस वर्ष के प्रतिवेदन में इन चारों का नाम प्रथम बार समाविष्ट किया जा रहा है। चार ऐसे सहकारियों का नाम भी इसमें और जोड लिया गया हैं जिनकी वार्षिक बिक्री दस लाख डालर के आसपास पहुंच रही है; ये चारो अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख सहकारी संगठन हैं। इस प्रकार अब कुल संख्या २२ हो जाती है।

इन सहकारियों की उन्नति काफी प्रभावोत्पादक है। १९५३ में ७४,००० सदस्य थे, जो १९५९ में १,३६,००० हो गए; इस प्रकार सदस्यता में ८४ प्रतिशत वृद्धि हुई। सात वर्षों में (१९५३ से १९५९ जोडकर) ६०,३३,००० डालर संरक्षण धन वापसियाँ अदा की गई। एक १९५४ के अपसर्पण को छोडकर हर वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सदस्यों को अधिक राशि दी गई। आज इस उद्योग में जैसी कडी प्रतियोगिता है उसे देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण है।

विक्री में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई। १९५३ में विक्री ४,१७,७६,००० डालर थी, १९५९ में वह ८,६२,०९,००० डालर हो गई, इस प्रकार १०६ प्रतिशत वृद्धि रही। इन छह वर्षों मे केवल एक सहकारी की सदस्यता में कमी हुई, जो बहुत मामूली है; यह संस्था फारमों के बीच काम करती है और वहां की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है। दो संस्थाओं की विक्री में कमी हुई; ये दोनों भी फारमों के बीच काम करती हैं। इनमें से एक ने नया केन्द्र शुरू किया है, इसलिए इस वर्ष विक्री बढने की आशा है।

यह प्रगति तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि सारे उद्योग से इन सहकारियों के कार्य-चालन की तुलना की जाए तो वह और भी महत्वपूर्ण है। चार को छोडकर बाकी सभी संस्थायें अपने सुपर मार्केट चलाती हैं, और इन सभी की बिक्री का मुख्य साधन सुपर मार्केट ही है। निम्न तालिका में संयुक्त राज्य के सभी सुपर मार्केटों के बिक्री पर शुद्ध लाभ से सहकारियों की बिक्री पर शुद्ध बचत से तुलना की गई हैं। प्रतिशत शुद्ध बचतें बिक्री की हैं और करों से पहले के शुद्ध अन्तर या चलन अनुपात को मूल इकाई माना गया है।

करों से पहले के शुद्ध अन्तर

	सुपर मार्केटों सहित		संयुक्त राज्य के
	सभी २२ सहकारी	२० सहकारी	सभी सुपर मार्केट
वर्ष	(शुद्ध बचतें बिक्री के प्रतिशत रूप में)		(शुद्ध लाभ बिक्री के प्रतिशत रूप में)
१९५३	२.१९	२.१५	—
१९५४	१.९८	१.९८	२ ४६
१९५५	२.१७	२.१६	२.५६
१९५६	२.२८	२.२७	२.१३
१९५७	२.३२	२.४५	२.२६
१९५८	२.२५	२ ३२	२.२०

[सभी सुपर मार्केट :—'सुपर मार्केट न्यूज' ने ६ मई १९६० के अंक से सुपर मार्केट इन्स्टीट्यूट के अनुसन्धान निदेशक कुर्ट कोर्नब्लाऊ द्वारा संकलित। सहकारी तेंतीसों सहकारियों से प्राप्त विवरण।]

१९५५ के बाद सारे सुपर मार्केट उद्योग की तुलना में सहकारियों के कार्य चालन अनुपात में कुछ वृद्धि होती दिखाई देती है। यह इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि अकेले बचतों की दृष्टि से ही देखा जाए तो भी जनता अपने व्यापार को कई विशाल निगमों वाले इस उद्योग की निजी इकाइयों के समान ही दक्षतापूर्वक चला सकते है।

हमारी इन ३३ सहकारी संस्थाओं में से एक दस सुपर मार्केट चलाती है, एक पाँच, दो में से प्रत्येक तीन-तीन, चार में से प्रत्येक दो-दो, और शेष २१ में से प्रत्येक का एक-एक सुपर मार्केट है। इस तरह कुल ५० सुपर मार्केट हुए। जिन चार संस्थाओं के सुपर मार्केट नहीं हैं वे १८ छोटे खाद्यभण्डार चलाती हैं। दो सुपर मार्केट वाली संस्थाओं के भी ४ छोटे खाद्य भण्डार हैं। इस प्रकार कुल २२ छोटे खाद्य-भण्डार हुए।

इसके अतिरिक्त इन ३३ सहकारी सस्थाओं के पास आपस में मिलाकर १० औषध-शालाएँ, २७ सेवा केन्द्र, और ८ बड़े पेट्रोल डीपो हे, ६ घरेलू द्रव ई धन की सेवाएँ चलाते हैं और ६ दूध मार्गों की, जिनमें से ३ के दूध को पथ्योपयोगी करने के अपने सयंत्र हैं। ८ संस्थाओं के पास मिलाकर १३ भोजनालय (लच काउन्टर या स्नैक बार) उनके अपने सुपर मार्केटो में ही हैं, और १० सस्थाएँ घरेलू साधित्र-सरजाम बेचती हे। इसके अतिरिक्त उपहारों की ४ दुकानें (इनमें से ३ उपहार में देने योग्य पुस्तकों और ग्रामोफोन रेकार्डों की हैं), ३ नानबाइयाँ (बेकरिया), ७ कोयला टालें, २ चश्में की दुकानें और एक ड्राई क्लिनिंग का कारखाना है। बहुत-सी सस्थाएँ खासतौर पर फारमों के बीच काम करने वाली लोह-खंड का सामान, कपडे, जूते, खेती की मशीनों और किसानों के काम की दूसरी चीजें बेचती है।

द्रवई धन-जैसी चीजों में मुनाफे की बडी गु जाइश रहती है और बहुत-सी संस्थाएँ इसी मद से अपने सदस्यों के लिए काफी बचत कर लेती है। फारमों के बीच काम करने वाली संस्थाओं के लाभ की मुख्य मद पेट्रोल के बड़े डीपो और फारमों पर पेट्रोल पहुंचने की सेवा-व्यवस्था है।

१० लाख डालर की वार्षिक बिक्री करने वाले जिन तेंतीस उपभोक्ता सह-कारियो का सर्वेक्षण मे समावेश किया गया है वे सभी प्रकार के समुदायो और देश के सभी भागो मे अवस्थित है। मेसाचुसेट्स के फिचबुर्ग, मेनार्ड और नार्टिक; न्यूयार्क सिटी, न्यूजर्सी के रिजवुड ओर लिओनिया, न्यूयार्क के इथाका और शेनेक्टाडी, ओहियो के अक्रोन, विसकोन्सिन के यू क्लैअर, मिन्नेसोटा के क्लोकेट और विरजीनिया, शिकागो, इलिनोइस के वाडकीगन, उटाह के साल्ट लेक सिटी, वाशिंगटन डो० सी० ओर उसके विस्तार मे, विरजीनिया के हैम्पटन और न्यूपोर्ट न्यूज, कैलिफोर्निया की सैनफ्रांसिस्को खाडी आदि कुछ स्थान है जहाँ उपभोक्ताओ की क्रयशक्ति को शक्तिशाली, प्रतिष्ठित, प्रगतिशील और सुदक्ष उपभोक्ता सहकारी सस्थाओ के द्वारा सगठित किया जा रहा है।

इस सस्थाओं मे से कुछ और भी है जिनके बारे मे थोडा विस्तार से बताना आवश्यक है। शिकागो की हाईड पार्क सहकारी समिति शहर का सबसे बडा सुपर मार्केट चलाती है। यह शिकागो के मिश्रित जातियों वाले साउथसाइड के हाईडपार्क-केनवुड पुनर्विकास क्षेत्र के मध्य मे एक बिलकुल नये बाजार के अन्दर है। हाईडपार्क सहकारी समिति के व्यवस्थापक बाकर सैडबेरा व्यावहारिक आदर्शवादी, यदि किसी आदर्शवादी के लिए यह विशेषण प्रयुक्त किया जा सके, व्यक्ति है और यह सस्था सही अर्थो मे सामुदायिक सस्था है। इसने सतत परिश्रम से यह प्रतिष्ठा और मान्यता अर्जित की है। इसकी स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले परिवार-समूहों ने की थी, जिनमे सीनेटर पाल एफ० डगलस भी थे, जो उन दिनो शिकागो विश्वविद्यालय मे प्राध्यापक थे। आज साउथ साइड के कोई छ. हजार परिवार इसके स्वामी है। यह केवल नगर के अभिमान की सुदक्ष व्यापारी सस्था ही नही है, परन्तु साउथ साइड के सभी उल्लेखनीय सामुदायिक उपक्रमो और जनकल्याण-कार्यो की प्रबल समर्थक और परिपोषक भी है। इसके वेतन भोगी कर्मचारियो मे दुनिया के सभी राष्ट्रो और सभी जातियों के लोग है।

हाईडपार्क सहकारी समिति को नये बाजार मे सुपर मार्केट के लिए जगह का पट्टा देने का जबर्दस्त विरोध किया गया। लेकिन सामुदायिक आग्रह उससे कही शक्तिशाली सिद्ध हुआ। क्योकि एक तो अडोस-पडोस के रहने वाले हजारों परिवार पहले से इसके स्वामी थे, दूसरे यह अन्यत्रवासी स्वामियो का व्यवसाय नही था और न आगे कभी हो सकता था और तीसरे उस क्षेत्र मे इसकी जडे इतनी गहरी थी कि वहाँ से हटने या कारबार समेटने की बात भी नही सोची जा सकती थी, फिर इसे पट्टा देने से किस बिरते पर इनकार किया जाता।

कुछ इसी तरह की बाते, लेकिन बिलकुल ही भिन्न प्रकार के समुदाय मे, विसकोन्सिन राज्य मे यू क्लेअर की उपभोक्ता सहकारी समिति की अद्भुत सफलता का कारण हुई। इसके सदस्यो मे आधे तो आसपास के देहाती क्षेत्र के किसान परिवार है और आधे नगरवासी, जिनमे से अधिकतर यूक्लेअर के प्रमुख उद्योग, टायर फैक्टरियों, मे काम करते है। सस्था के व्यवस्थापक रैथीसेन पन्द्रह मिनट का दैनिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करते है। यह सहकारी अपने

सदस्यो के चेक ही नही भुनाती इस सुविधा के लिए उन्हे कुछ शुल्क भी देती है। और इस सस्था का साख-सघ नगर की सबसे शक्तिशाली और उपयोगी महाजनी सस्था है।

जब लोग अपने जीवन की एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ मिल कर पूँजी लगाना और व्यापार करना सीख लेते है तो दूसरी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए इसी ढग को अपनाना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

१९५० तक न्यूयार्क सिटी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की दृष्टि से निरा रेगिस्तान था। उसके बाद एक-एक करके सहकारी गृह निर्माण योजनाएँ गन्दी बस्तियो का उन्मूलन कर वही अच्छे मुहल्लो और आदर्श पास-पडोस का निर्माण कर सम्मिलित स्वामियो को अपने निजी घरो मे पूरी सफलता के साथ बसाती चली गई। सहकारिता ने इन परिवारो की सबसे बडी आर्थिक माँग—मकानो की आवश्यकता को पूरा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सहकारी गृह निर्माण योजनाओ मे उपभोक्ता सहकारी भण्डार सगठित किये जाने लगे। पहले इस तरह के कई प्रयत्न असफल हो चुके थे, लेकिन इस बार के ये पयत्न सफल हुए। और एक समय वह भी आयेगा जब 'सहकारी भण्डारो का रेगिस्तान' न्यूयार्क अमरीका को सहकारी गृह-निर्माण योजनाओ की राजधानी ही नही दूसरे अनेक प्रकार के उपभोक्ता सहकारी उद्यमो की राजधानी भी होगा।

कृषि मे सहकारिता की शक्ति का केन्द्र है क्षेत्रीय थोक और निर्माता सहकारी सस्थाएँ। इन थोक सस्थाओ पर स्थानीय अथवा जिला फुटकर विक्रेता सहकारी सस्थाएँ अनेक प्रकार की सहायता के लिए निर्भर होती है। एक अपवाद के अतिरिक्त, उपभोक्ता सहकारी सुपर मार्केट आन्दोलन की शक्ति निहित होती है फुटकर विक्रेता सहकारी सस्थाओ मे और थोक सहकारी अधिकतर उनके लिए माल खरीदने वाली सस्थाएँ होती है।

उस अपवाद का कोई खास महत्त्व नही है। लेक सुपीरियर के चारो ओर का इलाका—उत्तरी मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और मिचीगन का ऊपरी प्रायद्वीप—सेण्ट्रल कोआपरेटिव इनकारपोरेशन का कार्य क्षेत्र है। इसके मुख्य गोदाम और प्रधान कार्यालय विसकोन्सिन के सुपीरियर नगर मे है। १९१७ मे इसकी

स्थापना मुख्यत. फिन आप्रवासियो ने की थी, तब से इसका इतिहास बडा लम्बा और वैविध्यपूर्ण रहा है। यह अपनी सदस्य सहकारी सस्थाओ को, जो इसकी स्वामी भी हैं, कृषि उपयोगी और उपभोक्ता वस्तुएँ दोनो ही प्रकार के माल का सम्भरण करता है। दो सौ से भी अधिक फुटकर विक्रेता सहकारी सस्थाएँ इसकी सदस्य हैं, ये सब छोटे भण्डार हैं और आर्थिक दृष्टि से विभिन्न धुर उत्तरी देहातों के छोटे-छोटे समुदायो की सेवा करते हैं। लेकिन जे० वाल्डेमर कोस्की के थोक के प्रधान व्यवस्थापक बनाये जाते ही इस क्षेत्र मे उपभोक्ता सहकारिता की भूमिका एक नया रूप ग्रहण करने लगी। वह नया रूप है 'क्षेत्रीय विकास'। पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अध्ययन और पर्यवेक्षण किया गया। उसके बाद खूब अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय किया गया कि पूरी तरह अधुनातन सुपर मार्केट की स्थापना किस जगह करना उचित रहेगा। निर्णय हो चुकने के बाद थोक सगठन स्थानीय सहकारी के साथ मिल कर उन स्थानों मे सुपर मार्केट की स्थापना करता है। सभी सुपर मार्केटो की इमारते, साज-सज्जा और फर्नीचर भी एक-सा ही रखने पर जोर दिया जाता है। विशेष आग्रह इस बात का रहता है कि सहकारी सेवा-सस्थाएँ सज-धज मे भी अपने टक्कर की एक ही हों। व्यवस्था, प्रबन्ध-कौशल और कार्यकर्ताओ की शिक्षा के पाठ्यक्रम होते हैं। कुछ पुराने सहकारी नेताओ को इस सब का महत्त्व समझने मे काफी समय लगा। शुरू मे वे इन सब कामो को बकवास समझते रहे। लेकिन १९६० के आरम्भ मे जब सारे क्षेत्र का सबसे सुन्दर, सबसे चित्ताकर्षक भण्डार मिन्नेसोटा के क्लोकेट नगर मे उस क्षेत्र की सबसे पुरानी सहकारी सस्था ने खोला और पहले ही दिन धडल्ले से कारबार चल निकला और बिक्री निरन्तर बढता ही गई तो अनुदार-से-अनुदार पुराने नेताओं की आँखे खुल गई और नये तौरतरीको का महत्त्व तुरत उनकी समझ मे आ गया।

सेण्ट्रल काआपरेटिव्स इनकारपोरेशन के सहकारी अपने प्रदेश का लगभग ५ प्रतिशत खाद्य-भण्डार सम्बन्धी कारबार करते हैं। आगामी वर्षों मे इसके १० प्रतिशत—१५ प्रतिशत भी हो सकता है—तक हो जाने की आशा है। उस समय उपभोक्ता के हित का—बाजार पर जनता की सगठित क्रय-शक्ति के प्रभाव का आग्रह अधिक सार्थक हो सकेगा।

उपभोक्ता का हित ही एकमात्र सार्वजनीन हित है, अकेला यही हम सब का साझी हित है। इसीलिए उपभोक्ता-हित राष्ट्रीय आर्थिक हित का समरूप होता है। जिससे उपभोक्ताओ को लाभ होता है वह सभी के लिए लाभदायी है। उपभोक्ता के हित का प्रभावशाली आग्रह ही उच्चकोटि के उत्पादन, स्वतन्त्र बाजार मे सस्ती कीमतो, आर्थिक उन्नति और प्रचुर उत्पादन की कुजी है।

यह सब स्पष्ट ही राष्ट्र के हित मे है, या जैसा कि सयुक्त राज्य के विधान मे कहा गया है, 'सर्व साधारण के कल्याण का सवर्द्धक' है।

जनता के उपभोक्ता हित की आग्रहशीलता का अभी तक केवल एक ही उपाय सही अर्थो मे अपने को प्रभावोत्पादक सिद्ध कर सकता है। वह उपाय है उप- भोक्ता सहकारियो की स्थापना और उनका चतुर्दिक विकास।

उपभोक्ताओ की रक्षा के लिए बनाये गए कानून कुछ मामलो मे आवश्यक होते है और सहायक भी। उदाहरण के लिए खाद्य-पदार्थो की विशुद्धता और औषधियो से सम्बन्धित कानून।

लेकिन एक सीमा के आगे कानून और सरकार दोनो के ही लिए कुछ कर पाना सम्भव नही रह जाता। उपभोक्ता के हित का निश्चित और रचनात्मक आग्रह अर्थ-नीति-सगत न्यूनतम मूल्यो पर आवश्यक वस्तुओ और सेवाओ के प्रचुर उत्पादन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे न कानून कर सकता है और न सरकार।

न अधिक लम्बे समय तक उत्पादको की प्रतियोगिता ही जनता के उपभोक्ता-हितो की रक्षा कर सकता है। अर्थ शास्त्र के शास्त्रीय ग्रन्थ कुछ भी कहते रहे, औद्योगिक क्रान्ति के बाद का स्वतन्त्र जातियो का सच्चा आर्थिक इतिहास तो यही बतलाता है कि प्रतियोगिता और विशेष रूप से मूल्यो की प्रतियोगिता धीरे-धीरे कम होती जा रही है और एकाधिकार एव 'व्यवस्थापित मूल्यन' क्रमशः बढता जा रहा है।

यह सच है कि जब तक अन्धाधुन्ध सैनिक खर्चे, जो धन का निरा अपव्यय है, होते रहेगे और जब तक परिवारो को उपभोक्ता ऋण के बदले अपना आर्थिक भविष्य बन्धक रखने को अधिकाधिक मात्रा मे फुसलाया जाता रहेगा

ऊपरी सतह पर यही दिखाई देता रहेगा मानो हम बडे सम्पन्न है और मानो उपभोक्ता के हित का पूरी तरह पोषण हो रहा है।

लेकिन अर्थ व्यवस्था की ये थूनियाँ तो वास्तव मे वह कीमत है जो अपनी अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकारी उत्पादको को प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देने के लिए हम चुकाते जा रहे है। आज अमरीका मे जिन्हे 'शक्तिशाली' उद्योग माना जाता है वे सब इजारेदारियाँ है—मोटर, इस्पात, रसायन, प्रसारण, समाचार पत्रो का प्रकाशन आदि। जिन उद्योगो को हम 'कमजोर' कहते है वे ऐसे उद्योग है जिनमे प्रतियोगिता अब भी है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, कृषि इत्यादि।

यह क्यो ?

यह इसलिए कि जो भी उद्योग अपने मूल्यो को 'व्यवस्थापित' करने की स्थिति मे होता है वह जो उद्योग ऐसा नही कर सकते उनके और उपभोक्ता के रूप मे सारे राष्ट्र के माथे पर, यानी उनका शोषण करके ही मुटाता है। ऐसी स्थिति मे 'दुर्बल' उद्योगो को जीवित रखने के लिए उपभोक्ता-माँग को सैनिक खर्चो और उपभोक्ता-ऋण की वृद्धि के रूप मे आर्थिक उपदान देना आवश्यक हो जाता है, जिससे 'व्यवस्थापित मूल्यो' वाली एकाधिकारी प्रथा द्वारा वस्तुओ और सेवाओ के अधिमूल्यन से उपभोक्ता की क्रय-शक्ति का जो ह्रास होता है उसकी आशिक पूर्ति की जा सके।

इसलिए उपभोक्ता सहकारियो के महत्त्व के प्रतिपादन मे यह कहना कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित तीन विकल्प है, जरा भी अत्युक्ति न होगी। पहला विकल्प तो यह है कि हम वर्तमान प्रवृत्तियो को इसी प्रकार चलने दे, अपनी अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार और अल्प एकाधिकार की वृद्धि को चुप खड़े देखते रहे और आँखे मूँदे हुए प्रतियोगिता के क्रमशः विलुप्त होते जाने तथा आर्थिक विकास की गति के निरन्तर मन्द होते रहने की स्थिति मे पहुँच जाएँ। दूसरा विकल्प यह है कि हम सरकार को एकाधिकार की वृद्धि रोकने, प्रतियोगिता को पुनर्नियोजित करने और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के पूरे अधिकार दे दे। लेकिन सरकार के द्वारा केवल कानून बना देने से तो कुछ भी न होगा। क्योकि सरकारी कानून पुनर्नियोजन तो कर सकते है, निर्माण या सृजन नही; गति को मन्द तो कर सकते है, उसमे तेजी नही ला सकते।

सरकार के सामने स्थिति को सँभालन का सिर्फ यही एक रास्ता है कि वह 'एकाधिकारियों के मुकावले स्वय उत्पादन शुरू कर दे। लकिन केवल विद्युत-शक्ति—जैसे उद्योगो को छोडकर, जहाँ जनता के मूल हित विलकुल स्पष्ट और ऐकाधिकार अवश्यम्भावी हो जाता है, हम उत्पादन के क्षेत्र मे सरकार की क्रिया शीलता और शक्ति का विस्तार न तो चाहेगे न उसकी अनुमति ही देगे।

अव रह जाता है तीसरा विकल्प। यह विकल्प है जनवाद और उद्यम की स्वतन्त्रता के जिन मूल सिद्धान्तो मे हमसे विश्वास की आशा की जाती है उन दोनो का एक साथ विनियोग करना। इसका अर्थ हुआ स्वतन्त्र उद्यम को उपभोक्ता के रूप मे जनता की जनवादी सहभागिता और नियन्त्रण के अनुकूल वनाना। और इसका अर्थ हुआ अपनी अर्थ व्यवस्था मे आर्थिक सन्तुलन के पुनर्नियोजन और सर्वसाधारण जनता तथा राष्ट्र के आर्थिक हितो के आग्रह और रक्षण के लिए स्वतन्त्र जनता की हैसियत से अपने ही निजी प्रयत्नो के द्वारा वडी सस्थाओ मे सहकारी सस्थाओ का सगठन, सवर्द्धन और उन्नयन करना।

इस तीसरे विकल्प का सेवाओ और वस्तुओ के उत्पादन-मूल्य को प्रभावित करने के अतिरिक्त एक लाभ और भी है। वह यह कि उपभोक्ता स्वामीत्वकृत सहकारी व्यवसायों को उन वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन और वितरण भी अवश्य करना होता है जिनकी उनके सदस्य-स्वामियो को सवसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि मकान, स्वास्थ्य-परिचर्या, विद्युत्, उवार पाने के लिए साख, उर्वरक, पेट्रोल के उत्पादन या किराना माल।

यह पुस्तक इन्ही सब बातो के बारे मे है। इसमे यह कहने की धृष्टता तो अवश्य नही की गई है कि सहकारी उद्यमो की आज जो प्रतियोगिता है वह सयुक्त राज्य मे आर्थिक सन्तुलन को पुन स्थापित कर देगी, लेकिन यह दिखलाने का साहस अवश्य किया गया है कि सहकारी उद्यम ने स्कैण्डिनेविया मे ठीक यही कर दिखाया है, और काफी वड़ा और पर्याप्त शक्तिशाली होकर वह यहाँ भी इस काम को कर सकता है।

गृह-निमाण, घरेलू आवश्यकताएँ, ग्रामीण विद्युत्,स्वास्थ्य-परिचर्या, पेट्रोल के उत्पादन, उर्वरक, उधार के लिए साख, और वीमा आदि कई क्षेत्रो मे सहकारी उद्यमों की विद्यमानता और प्रतियोगिता के लाभदायी प्रभावो को दिखाने वाले

कई उदाहरण दिये गए हैं। हम यह देख आये हैं कि सहकारी उद्यमो द्वारा किये गए समझौतो के कारण और सीधे इन व्यवसायो मे भी रोजगार की कितनी अधिक वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता स्वामीत्व कृत होने के कारण इन्हे हमेशा अर्थनीति-सगत न्यूनतम मूल्य पर पूरा-पूरा उत्पादन करना होता है। हमने यह भी देखा कि अर्थ व्यवस्था के जिन क्षेत्रो को लाभ-प्रेरित व्यवसाय छूते तक नही उन नये क्षेत्रो का भी ये सेवा-प्रेरित अथवा पारस्परिक सेवा-प्रेरित उद्यम किस तत्परता से आर्थिक विकास करते हैं। और हमने यह भी लक्ष्य किया कि परस्पर सम्बद्ध व्यवसायो मे किसान के स्वामीत्व के अन्तर्गत सहकारियो का सशक्त एकीकृत विकास हमारी कृषि के उद्धार की अन्तिम और एकमात्र न सही बहुत अच्छी आशा तो अवश्य है।

सयुक्त राज्य मे सहकारी उद्यम के वर्तमान परिमाण का तीन या चार गुना विस्तार, जिससे वह देश का दस से बारह प्रतिशत व्यापार करने लगे, आर्थिक विकास की पर्याप्त गति, अधिकतम रोजगार और मूल्य के स्थिरीकरण के सम्पादन की दिशा मे बडा ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

उसे एक भी मजदूर की जरूरत न रह जाए तब भी उन उत्पादित बिस्कुटों को खरीदने और खाने वाले लोगों की जरूरत तो उसे होगी ही, अन्यथा उसका वह सारा कारखाना ही एकदम बेकार हो जाएगा।

उपभोक्ता के रूप मे जनता की सगठित क्रय-शक्ति ही औद्योगिक एकाधिकार को प्रतितुलित करने वाला अत्यन्त स्वाभाविक और एकमात्र प्रभावी बल है। सहकारिता जनता की उस क्रय-शक्ति को सगठित करने का एकमात्र न सही, पर श्रेष्ठ साधन तो अवश्य ही है। सगठित उपभोक्ता अपने नैसर्गिक, आर्थिक हितों का अनुसरण करते समय सहज भाव से राष्ट्रीय आर्थिक हितो का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। क्योंकि अन्ततोगत्वा राष्ट्र ही जनता है और जो सारे राष्ट्र का सम्मिलित हित है वही तो उपभोक्ताओं का अपना हित भी है।

यह आवश्यक नही कि अमरीका की वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए सहकारी तेल परिष्करण शालाओं और उर्वरक सयन्त्रो के साथ-साथ सहकारी स्वामीत्वकृत मोटर के कारखाने और इस्पात मिले आदि भी खोली जाएँ। आवश्यक यह है कि विभिन्न एकाधिकार-निर्मित उत्पादनो के उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को इस सीमा तक सगठित किया जाए जिससे उनकी आर्थिक मोलभाव करने की शक्ति उत्पादक कम्पनियो की शक्ति को समान हो जाए।

मानना ही होगा कि यह काम बडा कठिन है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखा जाए कि एक क्षेत्र मे सहकारी उद्यम से उद्भूत पारस्परिक लाभ के अनुभव को वहीं सगठित जनसमूह बडी सरलता से दूसरे क्षेत्रो मे भी नियोजित कर सकता है। भोजन जीवन की पहली आवश्यकता है। इसीलिए अधिकाश देशो मे खाद्य-भण्डार को केन्द्र बनाकर उपभोक्ता क्रय-शक्ति के व्यापक सगठनो का निर्माण हुआ। लेकिन एक बार आरम्भ करके सहकारी आन्दोलन वही नही रुक जाता। वह आगे और निरन्तर आगे बढता जाता है। उदाहरण के लिए स्कैण्डिनेविया का नाम लिया जा सकता है, जहाँ गृहोपयोगी आवश्यकताओ को पूरा करने के सफल व्यापार की नीव पर उन्होने अपने देश के अधिकाश बडे एकाधिकारियो के समक्ष सहकारी उत्पादन के रूप मे एक जबर्दस्त चुनौती खडी कर दी है।

जो वे कर सके, कोई कारण नही कि उसे हम अपने यहाँ न कर सके।

११ | कमजोरियाँ और गलतियाँ

पश्चिमी यूरोप के देशो मे, जापान, कनाडा, प्यूर्टोरिको और कई दूसरे स्थानों मे भी लोग 'सहकारी आन्दोलन' की बाते करते है, वे सभी इस आन्दोलन के उत्साही समर्थक नही होते। लेकिन उनमे से अधिकाश इस आन्दोलन को आदर की दृष्टि से देखते है। और जो लोग इस आन्दोलन के अन्दर है वे सामान्यत. एकता की भावना का और उसके कारण कुछ आत्मिक उन्नयन और नैतिक प्रेरणा का भी अनुभव करते है।

महाद्वीपीय विस्तार वाले सयुक्त राज्य मे स्थिति भिन्न है; क्योंकि यहाँ सहकारी और पारस्परिक व्यापारों के विभिन्न प्रकार सारी दुनिया से अधिक संख्या मे है; और निश्चय ही उनके उद्भव और अस्तित्व के यहाँ भिन्न-भिन्न कारण भी है। हमारे यहाँ भी लोग कभी-कभी 'अमरीकी सहकारी आन्दोलन' की बात करते है। लेकिन प्राय. ठीक से नही जानते कि वे इस पद के अन्तर्गत किन सस्थाओं अथवा किन व्यक्तियो का समावेश कर रहे है। बहुत से व्यक्ति और सस्थाएँ, जिनका समावेश कर लिया जाता है, इस बात को बिलकुल पसन्द नही करते। उन्हे 'सहकारी आन्दोलन' पद ही पसन्द नही होता। वे इस बात पर बड़ा जोर देते है कि वे किसी 'आन्दोलन' का अग नही है; वे तो अपने सरक्षक-स्वामियो और समुदायो के लिए सिर्फ व्यापार कर रहे है।

सहकारी सस्थाएँ जैसी बाहर से दिखाई पडती है वैसी अन्दर से नही होती। जनहित की दृष्टि से देखा जाए तो वे बाहर से सफेद, लेकिन केवल अपने हित की दृष्टि से देखा जाए तो काली दिखाई देती है। अन्दर से सहकारी संस्थाएँ और उनके कार्य अनेक आभाओ वाले दिखाई पडते है—श्वेताभ से लेकर गहरे धूसर तक रग के कई क्रम विन्यास वहाँ होते है।

इन पक्तियो के लेखक को लगभग दो दशाब्दियो तक सहकारी सस्थाओ को अन्दर से देखने का अवसर मिला है। मैंने बहुत-सी प्रेरणात्मक बाते देखी है : हजारों लोगों की बड़ी-बडी वार्षिक सभाएँ—अर्थ व्यवस्था में अमरीकी

लोकतन्त्र को राजनीति के ही समान, वल्कि अनेक अशो मे उससे भी अच्छी तरह कार्यान्वित करते हुए और अपने व्यापार के स्वामीत्व एव नियन्त्रण के प्रति पूर्णत: सजग हजारो लोगो की सभाएँ। मैने छोटे स्थानीय सहकारी सगठन भी देखे है—सुसचालित व्यापार का निष्ठा से सम्पोपण-सवर्द्धन करते हुए, उस व्यापार के भविष्य के प्रति पूरी तरह आस्थावान, कुशल नि स्वार्थ नेतृत्व मे साथ जुटे हुए सदस्यो वाले स्थानीय सहकारी सगठन।

लेकिन मैने दूसरी वाते भी देखी है। मैने ऐसे स्थानीय सहकारी सगठन देखे है जिनके सदस्यो को नीति-सम्वन्धी वहस मे अपनी वात सिद्ध करने की जितनी चिन्ता रहती है उसकी शताश भी अपनी सस्था की सफलता के वारे मे नही। मैने सहकारी सस्था के चुनावो मे 'लोकतन्त्र' के नाम पर सभी सदस्यो को 'व्यवस्थापक-पद के लिए' खडे होते देखा है। ऐसे प्रसगो की तह मे पहुँच कर मैने पाया है कि सदस्यो की शिक्षा और गैर-सदस्य सरक्षको को सदस्य वनाने के कार्य की नितान्त अवहेलना ही होती रही है। वहस सहकारिता की स्थानापन्न नही है।

सहकारिता का अर्थ है कि हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, यह नही कि दूसरे के काम को करने का प्रयत्न करता फिरे।

व्यवस्थापक का काम है प्रवन्ध करना। निदेशक का काम है सामान्य नीति निर्धारित करना और उसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्थापक को नौकर रखना और जरूरी हो जाए तो उसे निकाल वाहर भी करना। सदस्यो का काम है सरक्षक वनाना, सदस्यता-सख्या मे वृद्धि करना, शैक्षिक कार्यक्रमो को वनाना और कार्यान्वित करना, निदेशक-मण्डल को निर्वाचित करना और कभी-कभी पुनर्निर्वाचित नही भी करना।

मै सफलता अर्जित करने वाले ऐसे स्थानीय सहकारियो को जानता हूँ जिनके सदस्य आत्म-सन्तोष के घरौदे मे आराम से टाँगे पसारे पडे रहते है और समूचे सहकारी व्यवसाय की उन्नति मे जरा भी उत्साह नही दिखाते। ऐसी स्थानीय सहकारी समितियाँ भी है जो अपने अडोस-पडोस मे सफलता पाकर फूल उठती है और यह भूल जाती है कि थोक सस्थाओ के प्रति भी उनका कोई कर्त्तव्य है, क उनका सपोषण-सवर्द्धन स्थानिको की जिम्मेवारी है, तभी वह दिन समीप

लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय उत्पादन के काफी वडे अश पर जनता का अधिकार हो सकेगा और जनता अपनी संस्थाओं-अपने सहकारियो के माध्यम से काफी वड़ी मात्रा मे स्वय उत्पादन करने लगेगी। स्थानीय समितियों और थोक सस्थाओ के वीच पूरा सहयोग होने पर ही थोक व्यापार को वढाया जा सकता है, नये भाण्डागार खोले जा सकते है, माल का पण्योपयोगन और अन्त मे उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है।

मैंने क्षेत्रीय सहकारियों के काम मे यह कमजोरी पाई है कि कच्चे माल के सोतों के अधिग्रहण के लिए वे साथ मिलकर उतना काम नही करते जितना उन्हे करना चाहिए, न वे सम्मिलित होकर अपनी खरीदो का निकाय ही करते है, ओर सम्मिलित रूप से शक्तिशाली सहकारी वित्तीय सस्थाओ की स्थापना को वात, जिसकी सभी को इतनी अधिक आवश्यकता रहती है, शायद उनको सुहाती नही। मानी हुई वात है कि यदि सभी सहकारी क्षेत्रीय सस्थाएँ सम्मिलित होकर कच्चा माल खरीदे तो उनकी मोल-भाव करने की सामर्थ्य वहुत वढ जाएगी और वे अपने लिए लाभदायी भाव पर सौदा खरीद सकेगी। सयुक्त होकर काम करने से उत्पादन क्षमता मे भी काफी वृद्धि होगी और उत्पादन ही तो ऐसा काम है जिसमे उपभोक्ताओ के लिए काफी अविक वचत की जा सकती है।

सवसे वुरो वात जो मुझे देखने को मिली वह है आपसी ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष, मनोमालिन्य और इतने गहरे पक्षपात जो कई सहकारी सदस्यों को सच्चे सहकारो कार्यो के सर्वथा अयोग्य कर देते है।

जिसे 'सहकारी चुनौती' कहा जाता है उसकी सफलता प्रथम कोटि के व्यवस्थापकों, उत्कृष्ट कोटि के वाणिज्य-व्यापार और सदस्यों की अडिग आस्था एव क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। लेकिन सवसे अधिक वह जिस वात पर निर्भर करती है, वह है सहकारी सस्थाओं का आपसी सहयोग। आखिर सहका-रिता का, यदि कुछ अर्थ हो सकता है तो वह इसके अतिरिक्त और है ही क्या कि सर्व सामान्य अच्छे उद्देश्यों के लिए साथ मिल कर काम किया जाए और हर निजी भावना, हर क्षुद्र विचार और सभी स्वार्थ पूर्ण प्रयोजनों से उन उद्देश्यों को ऊँचा और आगे रखा जाए।

सहकारी संस्थाएँ 'लोग' पहले है, व्यापार और संस्थाएँ बाद मे। वे ऐसी संस्थाएँ है जिनकी स्थापना जन-समूहो द्वारा की जाती है और स्थापना करने वाले जन-समूह ही उनके स्वामी और नियन्त्रण कर्ता होते है और बहुत अंशो में संरक्षण-सम्पोषण करने वाले भी।

लोगो मे कमजोरियाँ होती है और वे गलतियाँ भी करते है और सहकारी संस्था की तरह जो संस्थाएँ पूर्णत जनवादी होती है उनमे ये दोनो दुर्गुण तत्काल सतह पर उभर आते है।

अनुदारता या रूढिवादिता का अतिरेक एक ऐसा ही दुर्गुण है जो अधिकाश सहकारी और पारस्परिक संस्थाओ मे आमतौर पर पाया जाता है।

इसके अपवाद भी अवश्य है—खास तौर पर क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी और नये नगर-उपभोक्ता सहकारी संगठनो मे।

लेकिन सामान्यत सहकारी संस्थाएँ जोखिम लेने से घबराती और नया कुछ करने से कतराती है।

यह सच है कि उन्होंने कुछ नये काम किये है, जो काफी महत्त्वपूर्ण भी है। ऐसे कामो मे

खुले सूत्र वाला उच्च विश्लेषण-युक्त उर्वरक;

प्रत्यक्ष विद्युत् चालक (Direct Power Take-off), उच्च गति परिषण (High Speed Transmission) और ट्रैक्टरो की हेड लाईटे;

उपभोक्ता-वस्तुओ पर उनके बारे मे जानकारी देने वाले लेबल लगाना,

पारस्परिक निधि मे रुपया लगाने की सुविधा सहित सस्ती दरो पर बीमा-व्यवस्था,

किसी भी समय (मुद्दत के बाद) बिना दण्ड के कर्ज बेबाक करने का अधिकार,

ये और इसी तरह के बहुत-से दूसरे काम सहकारी संस्थाओ ने ही सबसे पहले किये है।

लेकिन यह सूची काफी बडी होती, कम-से-कम अपने वर्तमान रूप से ... तो हो ही जाती यदि उत्पादन की जानेवाली वस्तुओ के क्षेत्र मे थोडा ... अनुसन्धान और कुछ ज्यादा उत्पादनो एव सेवाओ का साहस किया जाता।

पुराने जमाने के सहकारी सगठनों की नीति प्राय· यह होती थी कि 'जितना कर चुके हो उसी को निभाते रहो', प्रगति के नये लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को पूरा किये विना पूरे वर्ष को असफल और वेकार समझने की प्रवृत्ति उनमे होती ही नही थी। यह भ्रान्त धारणा अव तो काफी हद तक कम हो गई है—विशेषकर वडे सहकारियों ने अपने को इससे वहुत सीमा तक मुक्त कर लिया है। इस गलत रुझान से मुक्ति दिलाने का एक वडा कारण प्रवन्ध-व्यवस्था को उन्नत और विकसित करने का कार्यक्रम भी है, जिसे प्राय· सभी वडे सहकारी-सगठन अपनाते है, और जिसके वारे मे हम अगले अध्याय मे विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन अत्यधिक सावधानी और फूंक-फूंक कर कदम रखने की पुरानी मनोवृत्ति अव भी वहुतों मे घर किये हुए है।

कुछ गिने-चुने अपवादों के अतिरिक्त सहकारी सगठन यथेष्ट मात्रा मे विज्ञापन भी नही करते और न टेलीविजन का उपयोग करते है। जनता को अपनी गति-विधियों से अवगत रखने के लिए पर्याप्त मात्रा मे और प्रभावी ढग के प्रचार कार्यक्रम भी नही अपनाये जाते। और जव कभी विज्ञापन आदि करते भी है तो वड़े ही घिसे-पिटे परम्परागत ढग से-अपने उत्पादनो के गुण गा दिये और छुट्टी पाई। यह वताने की तो प्राय कोशिश भी नही की जाती कि सहकारी उद्यम क्यों और कैसे एक भिन्न प्रकार के व्यवसाय है; न इसी विशेषता पर जोर दिया जाता है कि ये ऐसे व्यवसाय है जिन्हे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओ और इच्छाओं को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि वे उपभोक्ता ही उनके स्वामी भी होते है।

सहकारी उद्यमों की, कार्य-व्यापार की दृष्टि से, कुछ ऐसी वाधाएँ है जिन्हे उनकी सवसे वडी शक्ति वनाया जा सकता है। इन वाधाओं का मुख्य कारण सहकारी सगठनों का जनवादी नियन्त्रण है, जो इनके अस्तित्व की अपरिहार्य शर्त है, अन्यथा वे सहकारी रह ही नही जाएँगे। लेकिन जनवाद के वास्तविक अर्थ को समझना और ग्रहण करना होगा। सच्चा जनवाद है एक सदस्य और एक मत, जो सर्वोपरि नियन्त्रण के लिए वहुत आवश्यक है और जिसके अभाव मे सहकारी का अपना विशिष्ट स्वरूप ही नही रह जाएगा; क्योंकि इस तरह के जनवाद का होना एक सच्चे सहकारी के लिए नितान्त

आवश्यक होता है। और 'जनवाद' का विकृत रूप है प्रवन्ध एव कार्य सचालन मे उसे जवर्दस्ती घुसेडना, जो सहकारी सहित किसी भी व्यापारी सस्था के लिए घातक होता है। लेकिन इस आवश्यक अन्तर को समझा नही जाता, न इसपर ध्यान दिया जाता है, मुश्किल तो यह है कि इधर के वर्षो मे सयुक्त राज्य के सहकारी सगठनो द्वारा प्रवन्ध कौशल ओर व्यवस्था के विचार और विज्ञान मे इतनी अधिक उन्नति कर लेने के वाद भी जनवाद के इस अन्तर का दुर्लक्ष्य किया जाता हे।

फिर प्रगति की—उन्नति और विकास की समस्या है। यह समस्या अकेले सहकारी सगठनो की ही नही सभी स्वैच्छिक जनवादी सगठनो की समस्या है। यह निश्चय ही एक अच्छी समस्या हे। लेकिन 'कस्वा-सभा' की पद्धति को कैसे चालू रखा जा सकता हे जब 'कस्वे' के 'निवासियो' की सख्या पचीसो हजार या लाखो तक पहुँच जाए ? कुछ सहकारी उद्यमो के सच ही इतने अधिक सदस्य हे। एसी अवस्था मे जनवादी नियत्रण और सदस्यो की सार्थक सहभागित को सही रूप मे वनाये रखने के लिए एक कार्य पटु शासनतत्र की आवश्यकता होती है। फिर इतने अधिक सरक्षक-सदस्यो अथवा पालिसीधारियो मे उत्तर-दायित्व की भावना, निष्ठा तथ्य परक रुचि और हित-चिन्ता को वनाये रखना भी एक समस्या है। और शैक्षिक कार्यो की समस्या भी कुछ कम नही है, इस दिशा मे यथेष्ट तो कुछ भी नही किया जा रहा है, उल्टे, इधर के वर्षो मे, कुछ स्थानो मे, इसकी व्यर्थता पर ही जोर दिया जाने लगा है।

इसके अतिरिक्त जब सस्था की काफी उन्नति हो जाती है तो वह इतनी काम्य वस्तु वन जाती है कि उसपर अधिकार करने के लिए सदस्यो और नेताओ मे लडाई-झगडे शुरू हो जाते हैं।

१९५० के वाद की दशाब्दी मे साख-सघो का वन्दर वॉट करने और उनकी एकता को छिन्न-विच्छिन्न करने के लिए ऐसे ही सघर्ष छिड गए थे।

इस तरह के सघर्ष कुछ अशो मे मत-वैषम्य के कारण भी होते हैं, जिनकी सचाई और ईमानदारी से इनकार नही किया जा सकता।

एक ओर ऐसे लोग हैं जो यह मानते है कि साख-सघो का काम केवल ऐसे छोटे और सुविधा जनक कर्जो के लेन-देन तक ही सीमित रहना चाहिए

जिन्हे आमतौर पर बैंके और दूसरी महाजनी सस्थाएँ करती। इन लोगो का यह आग्रह भी है कि साख-सघो का भावी विकास मालिकों द्वारा प्रायोजित साख-सघो के ही रूप मे हो, और इसीलिए ये नही चाहते कि देश के बडे सेवा-योजक निगमो को किसी भी तरह नाराज किया जाए।

दूसरी ओर वे लोग है जो इस बात को मानते है कि अपने सदस्यों की उचित और अच्छे ढग से जितनी अधिक-से-अधिक सेवा की जा सके साख-सघो को वह सब करनी चाहिए। वे साख-सघो को 'जनता की बैंके' मानते है, जिनका काम केवल छोटे कर्ज देना ही नही, जनता की बचतो को सुविन्यस्त कर उसे इतनी वित्तीय निर्भरता और शक्ति प्रदान करना है जिससे वह अपनी बहुत-सी आर्थिक समस्याओ को हल कर सके। ऐसे लोग साख-सघो को सेवा योजक कम्पनियों के वरदहस्त और प्रायोजन से मुक्त रखना चाहे, यह स्वाभाविक ही है; वे साख-सघो के भावी विकास की रूपरेखा पैरिश और चर्च के साख-सघो. सरकारी कर्मचारियो, शिक्षकों, श्रमिक सघ के सदस्यो एव सहकारी सगठन के सदस्यो के साख-सघो के रूप मे अकित करते है।

लेकिन सारी बात केवल इतनी ही नही है। अधिकार और आधिपत्य की लडाई भी है जो अन्दर-ही-अन्दर बडे खुले रूप से लडी जा रही है। निरन्तर उन्नति कर रहे लगभग एक करोड बीस लाख सदस्य सख्या वाले सगठनो पर कब्जा करने को किसका जी न ललच उठेगा, इस सोने की मुर्गी को हथियाने के लिए कौन खम ठोक कर मैदान मे न उतर आयेगा।

सघर्ष और भी कई स्थानों मे है कुछ क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारियों की पारस्परिक लाग-डॉट ने तो बडा ही गन्दा रूप धारण कर लिया है, कुछ बडी-बडी सहकारी बीमा कम्पनियो मे 'उत्तराधिकार' का सघर्ष है, और कतिपय पुराने और योग्यतम नेताओ की कभी खत्म न होने वाली आपसी उठा-पटक तो चलती ही रहती है।

हॉ, सहकारियो मे त्रुटियॉ भी है, क्योकि सहकारी सबसे पहले लोग है, और लोग कभी त्रुटिहीन नही होते।

जहॉ तक वणिज-व्यापार और कारबार का सम्बन्ध है सहकारी एव अन्य पारस्परिक सगठनो ने उतनी ही गलतियॉ की है जितनी अन्य प्रकार की सस्थाएँ

करती है। लेकिन आम खयाल यह है कि सहकारी संस्था को कभी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए जब भी गलती होती है सहकारियों को अपने प्रति स्पर्द्धी सगठनों की अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ती है और वह अपेक्षाकृत ज्यादा साफ और ज्यादा बड़ी दिखाई भी देती है।

सहकारी व्यवसायों को आरम्भ करना मुश्किल काम है और उन्हे सफलता से चलाना तो और भी टेढी खीर है। बहुत से लोगों से थोडा-थोड़ा पैसा लगवा कर पूंजी खडी करना और तब व्यापार करना सरल नहीं होता। जिस व्यवसाय का हर ग्राहक मालिक हो और इसी नाते निदेशक-मण्डल का प्रभावशाली सदस्य भी, उसका प्रबन्ध करना आसान काम नही होता। जिस व्यवसाय के सरक्षक उसके स्वामी हों और उन्हे हर बात जानने का अधिकार हो उसको चलाना काँच के घर मे बैठना है, जिसकी कोई बात किसी से छिपी नहीं रह सकती— हर भेद पूरी बस्ती को, सारे समुदाय को, यहाँ तक कि प्रति स्पर्द्धियों को भी मालूम हो जाता है।

ओछी पूंजी या कम पूंजी सहकारियों की चिरकालिक समस्या है। होगी ही, क्योंकि इनके हिस्से सदा दाम-के-दाम पर खरीदे-बेचे जाते है और केवल इनकी सेवाओं का उपयोग करनेवालो के ही काम के होते है। इसलिए मूल पूंजी हमेशा सदस्यो से ही आती है और उनमे अमीर तो शायद ही कोई हो। जब सहकारियों के पास कुछ अधिशेष जमा हो जाते है तो वे उनका उपयोग काम को तेजी से बढाने-फैलाने मे नही करते, सहेज कर बैठे रहते है। गाढी कमाई का, सदस्यो का पैसा है, व्यवस्थापको और निदेशकों की उसे जोखिम मे न डालने की सतर्कता समझ मे आती है।

सहकारियो ने अपने वित्तीय साधनो का निकाय करना, वित्त-नियोजन के नये उपायो को विकसित करना और वित्तीय प्रबन्ध के लिए नई संस्थाएँ बनाने का काम शुरु कर दिया है, जिससे इन स्रोतो के द्वारा आवश्यक पूंजी की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन प्रयत्न अभी आरम्भ ही हुए है, आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटे है और मंजिल काफी लम्बी है।

सयुक्त राज्य के सहकारी सगठनो को कई चीजो के व्यापार मे अत्यन्त कुशल व्यापारियो को काफी कडी प्रतियोगिता का सामना करना पडता है।

केवल यह बात कि सहकारिता बहुत अच्छा विचार है सफलता को सुनिश्चित नही कर सकती। सफलता के लिए अधिक न सही, कम-से-कम प्रतिस्पर्द्धियों-जैसा दक्षतापूर्ण कार्य-सचालन तो होना ही चाहिए। पश्चिमी यूरोप मे एक ही व्यवसाय के विभिन्न अवयवो का एकीकृत सघठन सबसे पहले वहाँ के सहकारियों ने ही किया और उन्ही ने वितरण की प्रथा मे पहले-पहल सुधारा भी। लेकिन हमारे यहाँ सहकारी जब तक नगर मे आये, दूसरे व्यवसाय इस काम को उससे पहले कर चुके थे।

सहकारियो के सफल निर्माण का कार्य इतना श्रमसाध्य है कि यदि इस आन्दोलन के आरम्भ काल के नेताओ मे वास्तविक महानता न होती तो हमारी बहुत-सी श्रेष्ठ सहकारी सस्थाओ का निर्माण असम्भव ही था। हर बुजुर्ग नेता ने अपनी-अपनी सस्था का बड़ी खूबी से निर्माण किया। अपनी सस्था से उनका लगाव बड़ा गहरा और सम्बन्ध एकदम व्यक्तिगत होते है। इन सम्बन्धो मे व्यवधान लाने वाले किसी परिवर्तन की बात, जैसे कि सहकारी सस्थाओ मे आपस मे पूरा-पूरा सहयोग—वे कभी सोच भी नही सकते। लेकिन आज तो इस तरह का सहयोग, और कई प्रसगो मे विलयन भी, आर्थिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक हो गया है।

कई नेता है जिन्होने बडी मन्दी के काल मे अपने भगीरथ प्रयत्नो से अमरीका मे सहकारी आन्दोलन को परिपुष्ट किया। यहाँ उनके नाम गिनाने का प्रयत्न कदापि उचित न होगा। बहुत से ऐसे नाम जिनका उल्लेख आवश्यक है छोड देने पडेगे। यदि उन्हे न छोडा जाए तो सूची पुस्तक के कलेवर को देखते बहुत लम्बी हो जाएगी।

वे सब अग्रवर्ती नेता थे—अमरीकी समाज के 'अन्त. प्रेरणा' वाले युग की विभूतियाँ। वे गहरी श्रद्धा और अटूट लगन वाले पुरुष थे—और उनमे से जो जीवित है उनकी श्रद्धा और लगन मे आज भी कोई अन्तर नही आने पाया है। उन सबने अपनी धारणाओ और अपने विचारो के अनुरूप—यदि आदर्श न कहना चाहे—एक ज्यादा अच्छे समाज के निर्माण का भगीरथ प्रयत्न किया है।

लेकिन दो या तीन अपवादो को छोड़ कर वे स्वभाव से ही सारा काम स्वय करनेवाले 'वीर वर' थे, और आज भी है—दल के साथ मिलकर बराबरी के

स्तर पर काम करने के वे अभ्यस्त नही थे, और आज भी नही है। उनके महान गुणो ने उन्हे नेता के पद पर आसीन कर दिया था और प्रत्येक के आसपास भक्तो और श्रद्धालुओ को ला जुटाया था। लेकिन उस महानता का ही यह परिणाम हुआ कि प्रत्येक महा पुरुप को अपन-अपने सहकारी 'साम्राज्य' का बिलकुल एकाकी और अपनी समझ के अनुसार निर्माण करना पडा। उनके दमखम के दूसरे नेता की जहाँ गुजर नही थी और हो भी नही सकती थी।

सयुक्त राज्य मे सहकारी उद्यम के आदर्श रूप के मूल तत्त्वो के निर्माण का सारा श्रेय उन्ही को है। वे न होते तो आज का यह सुदृढ समर्थ सहकारी नमूना भी न होता। सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओ की भावी पीढियाँ उनके महान ऋण से कभी भी उऋण न हो सकेगी।

लेकिन ऐसे पुरुषो के साथ यह बडी कठिनाई होती है कि वे अपने निर्मित मूल तत्त्वो को किसी सबल सुसमन्वित रूप मे ग्रथित नही कर पाते। सही दृष्टि के साथ १९३३ मे नेशनल कोआपरेटिव्स को सगठित किया गया था। विचार यह था कि वह क्षेत्रीय थोक सगठनो का स्वामीत्व कृत, उनकी क्रय-शक्ति का निकाय कर राष्ट्र व्यापी स्तर का क्रेता ओर निर्माता सहकारी सगठन होगा। लेकिन नेशनल को क्षेत्रीय सगठनो के लिए खरीदारी करने की दक्ष सस्था से अधिक कुछ भी नही होने दिया गया। फिर १९४३ मे कोआपरेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन वनाया गया, इसे सहकारियो की केन्द्रीय वित्त-प्रवन्धकारिणी सस्था के रूप मे चलाने का विचार था। लेकिन करीव वीस वर्षो तक यह सोई पड़ी रही और तब नई पीढी के नेताओ ने आकर इसे कार्यशील किया। यह नई पीढी अवश्य उत्तराधिकारी होगी और इसे होना भी चाहिए। लेकिन इनके भी नाम हम यहाँ नही गिना रहे। इसलिए नही कि नामोल्लेख किये जाने वाले इसे पसन्द नहीं करेगे, बल्कि इसलिए कि प्रधान व्यवस्थापको और निदेशक-मण्डलों के अध्यक्षो की यह दूसरी पीढी सामान्यत स्थपतियो की नही न्यास-धारियों की है, रचयिताओं की नही प्रशासको की है, अकेले-अकेले पहाड उठाने-वाले 'वीरवरो' की नही दल के साथ मिल कर काम करने वालो की है।

सहकारी नेताओ की इस नई पीढी के सदस्य एक जगह मिल सकते है और साथ मिलकर निर्णय भी कर सकते है, जो अग्रवर्ती नेताओ के लिए कठिन था।

इस नये नेतृत्व का निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय भी हो सकता है जिससे हिस्सा लेनेवाले किसी नेता को अपना प्रधान व्यवस्थापक का पद खोना भी पड जाए। क्योंकि वे निर्णय अपने ही जैसी दूसरी सस्था से सघबद्ध होने, समन्वित होने—यहाँ तक कि विलयन के भी हो सकते है।

सयुक्त राज्य अमरीका मे सहकारिता का विकास नया-नया हो रहा है। यह ऐसे पुरुषो का कृतित्व और स्मारक है जिनमे से कई अभी जीवित है। नया होने के साथ-ही-साथ यह अपनी शक्ति के लिए अभी भी अधिकतर महान अग्रवर्ती नेताओं और उनके आसपास की मण्डली पर निर्भर करता है।

पश्चिमी यूरोप का 'सहकारी आन्दोलन' मुख्यत उपभोक्ता-हितो के प्रतिरक्षक के रूप मे विकसित हुआ है। पुरानी समाज व्यवस्थाओं मे लोग धन्धे कभी-कभार ही बदलते थे। उत्पादनकर्ता के रूप मे उनका धन्धा बडी सीमा तक तो वश-परम्परा से निश्चित और निर्धारित हो जाता था, या फिर यह काम प्रशिक्षण से होता था। पारिवारिक आय के स्तरो में परिवर्तन की गति बहुत मन्द होती थी। इसलिए पारिश्रमिक की क्रय-शक्ति सारे समाज के लिए बडी चिन्ता का विषय बनी रहती और उपभोक्ताओं के रूप मे जनता के आर्थिक हित सदैव अस्पष्ट और अकुलाहट पैदा करने वाले प्रतीत होते थे।

हम दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल मे, सुविधाओं की अतिरेकता वाले अन्य सभी लोगो के समान सादृश्यतावादी हो गए है, और कोई भी काम करते समय हमारे प्राण इस विचार से सूखने लगते है कि कही दूसरे लोग हमे 'भिन्न' न समझ वैठे। इसके अतिरिक्त, हम वडेपन के इतने भक्त हो गए है कि यदि स्वय कोई वडा काम नही कर सकते तो दूसरे लोगो के साथ मिलकर अपना ही कोई छोटा काम खडा करने की जिम्मेवारी लेने के वजाय किसी वडे काम-काज की सेवा करना पसन्द करते है।

इन्ही दो वातो के कारण वीसवी शताब्दी के इन मध्यवर्ती वर्षों मे भी अमरीकी नगरो के औसत निवासी के मन मे सहकारी-सगठन घर नही कर पा रहा है। और जैसा कि कहा जा चुका है सहकारी आन्दोलन के सम्वन्ध मे जनता को शिक्षित करने, समझाने-वुझाने और अवगत रखने का काम तो प्रायः किया ही नही जा रहा है।

लेकिन इस सवके वावजूद कुछ खास तरह के सहकारी और पारस्परिक-सहायता सगठन भी अवश्य है जिन्होने काफी प्रगति की और सुस्थापित सस्थाओं के रूप मे ख्याति अर्जित कर ली है।

ऐसे सगठनो मे किसानो और ग्रामवासियो के, लिए विक्री व्यवस्था सम्भरण, विद्युत्, लेनदेन और वीमा का काम करने वाली सहकारी सस्थाओ के नाम गिनाये जा सकते है। यही वात साख-सघो के वारे मे भी कही जा सकती है।

किसानो को सामान्यत अपनी आजीविका और पेशो पर वडा अभिमान होता है। धरती से लेकर दूसरी सभी तरह की चीजों और सम्पत्तियो की मिल्कियत की भी वे वडी कद्र करते है। जव तक आर्थिक स्थितियाँ एकदम असहनीय नही हो जाती और जीना दूभर नही कर देती वे न तो स्थान वदलते है और न अपना धन्धा ही, समाज के दूसरे समूहो की तरह नही है कि आज यहाँ वसे कल वहाँ, आज यह धन्धा किया कल दूसरा। दूसरे उद्योगो की तुलना मे लघु उत्पादनकर्ता होने के कारण खरीदने और बेचने के समय आर्थिक मोल-भाव की क्षमता को बनाये रखने के लिए सहकारी सस्थाएँ वनाना उनके लिए एक महती आर्थिक आवश्यकता हो जाती है। यही कारण है कि किसान सहका-रिता के विचार को, सहकारी सस्था को और कृषि कार्यो से सम्बन्धित अन्य

कर्ज पाने की सुविधाओ को विकसित करने के अवसर प्रदान करते है तो कौन है जो उनका विरोध करेगा ! साख-सघो के आविर्भाव के पहले मध्य वित्त के परिवारों के लिए ऐसी कोई जगह नही थी जहाँ से वे उचित व्याज पर कर्ज पा सके। इसलिए साख सघो ने भी विद्युत सहकारियो की ही भाँति जनता की एक ऐसी आवश्यकता को पूरा किया है जो पहले से अनपूरित चली आती थी।

ऐसी ही परिस्थितियाँ है जिनमे सहकारी सस्थाएँ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है।

विभिन्न प्रकार के सहकारियो का असमान गति से उन्नति करते जाना ही उनकी पारस्परिक एकता के लिए बाधक हो गया। सफल और जाने-माने सगठन नये प्रकार के सगठनों से सम्बन्ध करते इसीलिए हिचकिचाते है कि इस प्रकार के सम्बन्ध कही उनकी सुरक्षित स्थिति को खतरे मे न डाल दे।

फिर एकता की भावना के पूरी तरह विकसित और उत्कट न हो पाने का एक कारण यह भी है कि सामाजिक और आर्थिक सस्थाओ के जीवन मे पचास वर्ष की अवधि होती ही क्या है। सस्थाओ के विकास-क्रम मे यह समय बहुत थोड़ा है और पच्चीस वर्ष की अवधि तो और भी कम।

जैसा कि हम देख आये है सहकारी और पारस्परिक उद्यम हमारे देश मे आरम्भ से ही रहे है। हमारे जो पूर्वज आरम्भ मे यहाँ बसने के लिए आये उनके जीवन के अधिकतर कार्य-कलाप उनके सहकारी प्रयत्नो पर ही निर्भर करते थे ओर वे अपने अधिकाश जीवन-व्यापार को सहकारी ढग पर ही सगठित करते थे। वे मिल-जुल कर घर और खलिहान बनाते थे, मिल-जुल कर बीहडो और जगलो को पार करते थे, सर्व सामान्य विपत्तियो मे एक दूसरे की सहायता भी सम्मिलित रूप से ही करते थे। सदियो पहले १७५२ मे बेजामिन फ्रेंकलिन ने फिलाडेलफिया मे पारस्परिक अग्नि-बीमा कम्पनी बनाई थी। १८०४ मे कनेक्टिकर के दूध-उत्पादक किसानो ने दूध बेचने की अपनी सहकारी सस्था स्थापित की थी। उटाह के मरमोन्स लोगों ने सहकारी सिचाई समितियाँ, सहकारी भण्डारो और सहकारिता के अन्य रूपो के सहारे ही अपने जीवन को विकसित किया। और जैसा कि हम देख आये है उन्नीसवी-शती की ७वी दशाब्दि मे ग्रेंगरो ने अपने सदस्यो मे सहकारी सगठनो के निर्माण के लिए कितने बडे प्रयत्न किये थे !

लेकिन जिस तरह के सहकारी उद्यम आज हमारे देश मे काम कर रहे हैं यदि उनके आरम्भ का इतिहास टटोले तो पाएँगे कि उन्हे स्थापित हुए अभी पूरे पचास वर्ष भी नही हुए हैं; और उस समय भी केवल गिनी-चुनी कृषि-विक्रय सहकारी सस्थाएँ ही वन पाई थी या दो-एक दूसरी तरह की सहकारी सस्थाएँ होगी, वस।

पहला साख सघ कानून मसाचुसेट्स् की विधान सभा मे १९०९ मे पारित हुआ।

पहली क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी सस्था १९१४ मे स्थापित की गई और उसका नाम था फार्मर्स यूनियन स्टेट एक्सचेज आफ नेबास्कॉ।

उपभोक्ता वस्तुओं की पहली क्षेत्रीय थोक सहकारी संस्था १९१७ मे विस-कोन्सिन मे वनाई गई, जिसका नाम था सेण्ट्रल कोआपरेटिव होलसेल आफ सुपी-रियर। इसके केवल एक वर्ष पहले, १९१६ मे, न्यूयार्क मे सहकारी लीग की स्थापना की गई थी।

१९२१ तक तेल के कारवार मे एक भी सहकारी सस्था नही थी; उसी वर्ष मिन्नेसोटा राज्य के काटनवुड फाल्स के किसानो ने मिलकर तेल-उत्पादनो के स्थानीय वितरण के लिए एक छोटी-सी सहकारी कम्पनी खोली। १९२६ में मिडलैण्ड के स्थानीय सहकारियो ने मिलकर मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स नाम की तेल का थोक काम करनेवाली पहली क्षेत्रीय सहकारी संस्था सगठित की। १९२६ मे, न्यूयार्क सिटी मे पहली सहकारी गृह निर्माण योजना वनाई गई, जिसे अमलगामेटेड क्लोदिग वर्क्स ने प्रायोजित किया था।

पहला सहकारी अस्पताल या कह लीजिए कि स्वास्थ्य-योजना का १९२९ मे ओक्लाहोमा राज्य के एल्कसिटी मे वहा के सुप्रसिद्ध डाक्टर माइकेल शैडिड के सद् प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप स्थापना की गई।

तेल के पहले सहकारी कुएँ मे से सर्वप्रथम १९४० मे तेल निकाला गया। इस कुएँ को कन्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन ने कन्सास राज्य के फिलिप्स-वर्ग के समीप लगवाया था।

अधिकाश शक्तिशाली फारम-आपूर्ति सहकारी सस्थाएँ जिनका कारवार आज सारे सयुक्त राज्य मे फैला हुआ है इस सदी की दूसरी या तीसरी दशाब्दी

मे शुरू की गई थी। बडी मन्दी के वर्षो मे हमारे देश मे सहकारी सस्थाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। हम कह सकते है कि सयुक्त राज्य मे 'सहकारी आन्दोलन' का श्रीगणेश बडी मन्दी के दिनो से ही होता है।

मन्दी के ही वर्ष थे जब लोग पहली बार सोचने के लिए, बार-बार, बहुत जोरो से और जल्दी-जल्दी सोचने के लिए मजबूर हुए। ये ऐसे वर्ष थे जब प्रचलित व्यवस्था मे छाती-ठोक विश्वास डिगा और क्षीण होने लगा। ये ऐसे वर्ष थे जब लोगो ने नये साधनो की खोज की और उनको अपनाया, क्योंकि जिन पुरानो पर अभी तक निर्भर करते आ रहे थे वे असफल सिद्ध होने लगे थे। और ये ऐसे वर्ष थे जब अधिकाश अमरीकनो ने इस सचाई को पहचाना कि वे सब 'एक ही नाव मे सवार है', उसकी मरम्मत आवश्यक है और अकेला कोई अपने से उसकी मरम्मत नही कर सकता।

१९०० की तीसरी दशाब्दी ही थी जब देश मे इतने अधिक साख-सघ स्थापित हो चुके थे कि पहली बार उनका राष्ट्रीय सगठन बनाना सभव हो सका और राष्ट्रीय स्तर का क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन सगठित किया गया। यह मन्दी की प्रतिक्रिया का ही परिणाम था कि ग्रामीण विद्युत् सहकारी सस्थाए शुरू की गई। पच्चीस वर्षो की छोटी-सी अवधि मे लोगो ने बीस हजार साख सघ बना डाले जिनकी कुल सदस्य सख्या एक करोड दस लाख ओर कुल आस्तियाँ पाँच अरब डालर है। इन्ही पच्चीस वर्षों मे लोगो ने एक हजार ग्रामीण विद्युत् सहकारी सस्थाएँ स्थापित की, जिनके ४५ लाख सदस्य है, और जो प्रति वर्ष पचहत्तर करोड डालर से भी अधिक मूल्य की बिजली बेचती है।

दस लाख लोगो को सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की सीमा तक सहकारी स्वास्थ्य योजनाओ का विकास तो पूरा-का-पूरा दूसर महायुद्ध के परवर्ती काल मे ही हुआ है।

मन्दी के ही वर्षो मे किसानो के छोटे स्थानीय विक्रेता सहकारियो ने सार्वधिक भण्डार और बिक्री करने के लिए दुकानो और सस्थाओ का निर्माण करना शुरू किया और इस तरह वे माल की किस्म और मूल्य दोनो ही को प्रभावित कर सके।

जहाँ तक नगरो के उपभोक्ता सहकारियो का प्रश्न है, इस सचाई से इनकार

नही किया जा सकता कि बीच-बीच मे बहुत से छोटे भण्डार खोले गए, लापर-वाही से चलाये गए और उन्होने कुछ वणिज-व्यापार भी किया; लेकिन इस प्रकार के सहकारी उद्यम की सफलता के आवश्यक तत्त्वों का निरूपण पूरी तरह इस सदी की पाँचवी दशाब्दी मे ही हो पाया और तभी कार्य-सचालन को इस तरह व्यवस्थित किया जा सका जिससे भावी प्रगति सुनिश्चित हो सकी।

सहकारी बीमा कम्पनियाँ कब आरम्भ हुई यह तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसे 'सहकारी बीमा' कहा जाता है उस काम को करनेवाली 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण वाली पारस्परिक कम्पनियाँ हैं।

सहकारी बीमा के क्षेत्र मे किसानो का अग्नि बीमा करने वाली फार्मर्स टाउन-शिप म्यूचूअल्स का इतिहास, विशेषरूप से विसकोन्सिन-जैसे राज्यों मे, काफी लम्बा और प्रशसनीय रहा है। इन म्युचूअल्स का आविर्भाव इसलिए हुआ था कि दूसरी कम्पनियां किसानो का अग्नि-बीमा करने को तयार नही थी। लेकिन कई तरह का बीमा करने वाली सहकारी उद्देश्य और दृष्टिकोण वाली कम्पनियों की स्थापना तो इस शताब्दी के दूसरे दशक से ही होने लगी है।

एक प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि सयुक्त राज्य मे सहकारी सस्थाओ का विकास तेजी से क्यो नही हुआ ? इस प्रश्न का आशिक उत्तर यह है कि विकास तो बहुत तेजी से हुआ है ! पच्चीस वर्ष की छोटी-सी अवधि मे आप और क्या चाहते है ? हमारे देश मे जितने भी महत्त्वपूर्ण सहकारी उद्यम है उनका सारा विकास इन पच्चीस वर्षो मे ही तो हुआ है।

विशाल जन-आन्दोलन इतनी तेजी से कम ही विकसित होते है।

सयुक्त राज्य मे सहकारियो के एक दर्जन के लगभग राष्ट्रीय सगठन है। अपने विशिष्ट अमरीकी ढग के अनुसार हमारा सारा जोर काम को पूरा करने पर रहा, पद्धति, तर्क-सगति अथवा परिणाम की हमने कोई चिन्ता नही की। परिणामस्वरूप ऐसे राष्ट्रव्यापी सगठनो का रूप सामने आय जो अपने कार्यो मे कभी-कभी एक-दूसरे पर छा जाते है, हावी हो जाते हैं। और समय को देखते पारस्परिक कार्यो मे जितना ताल-मेल और उद्देश्य की जितनी एकता आवश्यक है वह स्थापित नही हो पा रही है।

देश मे एक नही दो राष्ट्रीय सहकारी थोक संगठन हैं--मिन्नेसोटा राज्य

के एल्वर्टली नगर का नेशनल कोआपरेटिव्स और ओहियो राज्य के एलायन्स नगर का युनाइटेड कोआपरेटिव्स। युनाइटेड कोआपरेटिव्स फारम-आपूर्ति सहकारियो का स्वामीत्वकृत है और उन्ही की सेवा करता है। नेशनल के सदस्यो मे फारम-आपूर्ति और उपभोक्ता-वस्तु के क्षेत्रीय दोनो ही तरह की सहकारी सस्थाएँ है। इसी अन्तर के कारण विलयन के काफी तर्क-सगत कारण होते हुए भी सारे प्रयत्न बार-बार निष्फल होते आ रहे है।

कृषि सहकारी सस्थाओ के लिए शिक्षा, वैधानिक (कानूनी) सहायता और जन-सम्पर्क का काम करने वाले दो राष्ट्रीय सगठन है। अधिकाश विक्रेता और फारम-आपूर्ति क्षेत्रीय सस्थाओ द्वारा समर्थित अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ को-आपरेशन स्कूलो, कालेजो और विश्वविद्यालयो मे 'कृषि मे सहकारिता' विषय के शिक्षण-अध्यापन को वढावा देने का काम करता है। इस काम के लिए वह सारे देश मे शिक्षण शिविर (वर्कशाप) आयोजित करता है ,एच-४ और भावी कृषको के सर्वांगीण विकास के लिए वनाये गए 'फारमर फ्यूचर' सगठनो के साथ मिलकर काम करता है, अनुसन्धान कार्यो के अतिरिक्त प्रतिवर्ष एक वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित करता है, और एक वार्षिक पीठ चलाता है जिसमे सारे देश के सहकारी नेता एकत्रित होते है।

दूसरे सगठन का नाम है नेशनल कौन्सिल आफ फारमर कोआपरेटिव्स। अमरीकन इन्स्टीट्यूट की तरह अधिकाश कृषि विक्रेता और फारम-आपूर्ति क्षेत्रीय सस्थाएँ इसकी भी सदस्य है। इस नेशनल कौन्सिल से छब्बीस राज्य स्तरीय सहकारी कोन्सिले सम्बद्ध है। यह वाशिंगटन मे कृषक-सहकारी सभाओ के हितरक्षण का काम और सटिप्पण लेखाचित्रों वाले एक साप्ताहिक पत्र, 'दि वाशिंगटन सिचुएशन' का प्रकाशन करती है। एक वार्षिक सभा का आयोजन इसके द्वारा भी किया जाता है, जिसमे फारम सहकारियो से सम्बन्धित प्रश्नो पर विचार होता है। नेशनल कौन्सिल इन सभाओं मे कृषि सहकारियो के लिए नीति-निर्धारण का काम भी करती है—विशेषकर ऐसी नीतियो के निर्धारण का जो कृषि सहकारियो के सम्वन्ध मे राष्ट्रीय विधि व्यवस्था को प्रभावित करनेवाली होती है, और यही वह क्षेत्र है जहाँ इन दोनो राष्ट्रीय सगठनो मे एकता स्थापित हो सकती है।

नेशनल फेडरेशन आफ ग्रेन कोआपरेटिव्स अनाज-विक्रेता सहकारियो की जनसम्पर्क और विधायी सस्था है और अपने क्षेत्र मे काफी अच्छा काम करती है। इसके कार्यकारी सचिव के साप्ताहिक वृत्त पत्र मे अमरीकी कृषि के सम्बन्ध मे काफी मूल्यवान और प्रचुर जानकारी रहती है।

नेशनल मिल्क प्रोडयूसर्ज फेडरेशन अपने सहकारी दूध उत्पादको के लिए ठीक इसी तरह के काम करता है।

साख-सघो ने प्राय सभी राज्यो मे अपने राज्य-सघ बना लिये है। ये राज्यस्तरीय सगठन साख-सघ आरम्भ करने के अभिलाषी नये जन-समूहो की सब प्रकार से सहायता करने के अतिरिक्त पुराने स्थापित साख-सघो को सलाह और प्रोत्साहन एव उनके निर्देशन का काम करते है; राजधानियो मे विधायी कामो की देखभाल और जन-सम्पर्क भी करते है। साख-सघ आन्दोलन की केन्द्रीय सस्था का नाम है क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे संक्षेप मे 'कुना' कहते है। इसका प्रधान कार्यालय विसकोन्सिन राज्य के मेडिसन नगर मे है। कुना अपना एक मुखपत्र प्रकाशित करता है, जिसका नाम 'दिब्रिज' है, साख-सघ से सम्बन्धित साहित्य का सम्भरण करता है और कांग्रेस मे साख-सघो के हितो की देखभाल करता है। कुना से सयुक्त कुना सप्लाई कोआपरेटिव है, जो साख-सघो के लिए आवश्यक लेखन-सामग्री-लेखा पत्रक, जमा पुस्तिकाएँ, ऋण-याचना-पत्रक आदि अधिप्राप्ति की और उत्पादन का काम करता है। और कुना म्युचूअल इन्स्यूरेन्स कम्पनी साख-सघो और उनके सदस्यो का ऋण-सुरक्षा बीमा, आजीवन-बचत बीमा और प्रत्यक्ष जीवन बीमा करती है।

स्वामीत्वकृत किराना थोक सहकारियों के हितों की रक्षा और संवर्द्धना करने वाला बड़ा प्रभावशाली और समर्थ राष्ट्रीय संगठन है। 'दि कोआपरेटिव मर्केण्डाइज' नामक मुखपत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त यह जन सम्पर्क का कार्य भी करता है।

देश की अधिकांश महत्त्वपूर्ण सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ, श्रमिक स्वास्थ्य योजनाएँ और सहकारी स्वास्थ्य संघ ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन आफ अमरीका (घ) की सदस्य हैं। यह संगठन निम्नलिखित कार्य करता है सामूहिक स्वास्थ्य कार्यकलापों से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन और वितरण, योजना को प्रारम्भ करने के अभिलाषी नये समूहों को परामर्श और मार्गदर्शन; सामूहिक स्वास्थ्य की वार्षिक राष्ट्रीय सभा का आयोजन, मासिक पत्र का प्रकाशन, सामूहिक स्वास्थ्य संघों से संयुक्त डाक्टरों के साथ भेद-भाव बरते जाने पर उनकी रक्षा, विधि-व्यवस्था से सम्बन्धित--विशेष रूप से स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों के लिए प्रतिबन्धकारी कठिनाइयों को हटवाने के लिए वैधानिक कारवाइयाँ।

संयुक्त राज्य की सहकारी लीग (कोआपरेटिव लीग आफ दि युनाइटेड स्टेट्स) सारे देश में उपभोक्ताओं की सहकारिता के सभी रूपों की उन्नति के लिए १९१६ में स्थापित की गई और १९२२ में शासपत्रित हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया लीग का कार्यक्षेत्र भी व्यापक और विस्तारित होता गया। लीग का प्रधान कार्यालय शिकागो में और एक कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० में भी है।

कई बड़े क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी, उपभोक्ता वस्तुओं के सभी बड़े क्षेत्रीय थोक सहकारी, कई पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ, क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन, विसकोन्सिन इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव, नेशनल कोआपरेटिव्स, युनाइटेड हाउसिंग फाउण्डेशन, और विभिन्न प्रकार के कई सहकारी संगठन लीग के सदस्य हैं।

लीग जिन संगठनों के कार्यों में सहायता और प्रायोजन करती है उनके नाम इस प्रकार हैं कोआपरेटिव इन्श्यूरेन्स कान्फ्रेन्स, ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन आफ अमरीका, नार्थ अमरीकन स्टूडेन्ट कोआपरेटिव लीग, रोशडेल इन्स्टीट्यूट,

कोआपरेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन आफ हाउसिंग कोआ-परेटिव्स और दि फण्ड फार इण्टर नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट।

लीग सहकारिता की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इण्टर नेशनल कोआपरेटिव एलायन्स की अमरीकी सदस्य है। यह पैंतालीस राष्ट्रों के सहकारी संगठनों का महासंघ है, जिनकी संयुक्त सदस्य संख्या पन्द्रह करोड़ से भी अधिक है।

लीग निम्नलिखित कार्य करती है: देश के सहकारिता से सम्बन्धित समाचार पत्रों के लिए खबरें इकट्ठी करने की केन्द्रीय संवाद एजेन्सी, कोआपरेटिव न्यूज सर्विस, का संचालन; साहित्य का प्रकाशन और वितरण एवं फिल्म निर्माण; सहकारी संगठनों के जन-सम्पर्क कार्यों का समन्वय; धार्मिक, कृषि, श्रमिक और अन्य राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क और संयुक्त कारवाइयां; और विधायी कार्य। लीग सम्मेलनों, पीठों और सभाओं के वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है जिनका मुख्य प्रयोजन है सहकारी व्यवस्थापकों, सम्पादकों, शैक्षिक एवं धार्मिक कार्यकर्ताओं की दक्षताओं को बढ़ाना और उनके कार्यस्तर को उन्नत करना।

इस प्रकार सहकारी लीग संयुक्त राज्य के सभी प्रकार के सहकारियों का सर्वमान्य मिलन स्थल और सेवा संस्था की गरज पूरी करती है; लेकिन फिर भी इसकी सदस्य संख्या देश के सभी सहकारी संगठनों की संयुक्त सदस्य संख्या से बहुत कम है।

राष्ट्रीय संगठनों की इस बहुलता के कई कारण हैं। देश में कई प्रकार के सहकारी उद्यम हैं और सब के हित और सब की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। उन भिन्न हितों की रक्षा और भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उनके अपने विशेषीकृत संघ ही अच्छी तरह कर सकते हैं। फिर स्पर्धा व्यापार का ही प्राण नहीं वह एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के लिए दूसरों से ज्यादा अच्छी सेवा करने की दिशा में स्वस्थ प्रोत्साहन भी है।

और किसी पर भी प्रकट होने देना नही चाहते। अपने लिए 'सहकारी आन्दोलन' पद का प्रयोग उन्हे विलकुल नही सुहाता, यही चाहते है कि लोग उन्हे एक परिपाटी वद्ध साधारण व्यवसाय ही समझते रहे और उनके काम-काज को कोई सामाजिक या आर्थिक महत्त्व न दिया जाए।

इस तरह की भावना के कारण मिले-जुले है, पर सभी वुरे हो ऐसी वात भी नही है।

जव सहकारी उद्यमो के स्वामी स्वय अपने वारे मे, या दूसरे उनके वारे मे, यह सोचा करते थे कि वे जन-समाज से भिन्न अथवा हमारे आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से कटे-छँटे विजातीय द्रव्य या कोई पन्थ है, वह जमाना तो कभी से बीत गया। सहकारी उद्यम हमारे आर्थिक जीवन से पृथक् तो कभी थे भी नही वस्तुत वे हमारी स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था के ही अविकल, महत्त्वपूर्ण और अगीभूत तत्त्व है। भिन्न प्रयोजनो और भिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति मे आविर्भुत कई प्रकार के व्यापारी सगठनो का समावेश होने के कारण 'स्वतन्त्र' अर्थ व्यवस्था सदैव मिश्रित अर्थ व्यवस्था भी होती है।

लेकिन यह तो मानना ही होगा कि सहकारी उद्यम दूसरे सभी प्रकार के उद्यमो से भिन्न होते है। उनमे अनुपम विशेषताएँ होती है और वे अनुपम योग दे सकते है। उनकी इन विशेषताओ को भुलाना नही चाहिए, और यह भी याद रखना चाहिए कि इन विशेषताओ मे आस्था रखने वाले लोग अपने-जैसे दूसरे आस्थावानो के साथ सम्मिलित रूप से काम करने को प्रस्तुत होकर ही इन विशेषताओ को पूरी तरह निष्पादित कर सकते है।

जब इस तरह का सम्मिलित कार्य होने लगेगा—जिसके कि सकेत मिलने लगे है—तब अमरीका के कुछ लोगो मे एक ऐसे शक्तिशाली, निश्चयात्मक और सुदृढ आन्दोलन का तत्त्व प्रस्फुटित होगा जिसे सही अर्थो मे सहकारी कहा जा सकेगा—फिर उस आन्दोलन की अभिव्यक्ति के सगठनात्मक रूप और प्रतिरूप किसी भी तरह के क्यो न हो और चाहे विलकुल ही न हो।

यह नही हो पाया उसके दो प्रमुख कारण है।

पहला कारण है उन्नति की समस्या। सहकारी व्यवसाय के नेताओ को तुरत और लग कर जो काम करना होता है वह यह कि जिस तेज गति से

उनके प्रतिस्पर्द्धी उन्नति करते जा रहे है कम-से-कम वही गति उनके अपने सगठन की भी हो। इसके लिए शक्ति को और विशेष रूप से आर्थिक शक्ति को दृढ़ करने की, दूरदर्शितापूर्ण व्यवस्था की, श्रेष्ठतम अन्वेषण की, उत्कृष्ट जन-सम्पर्क को चरमावस्था तक ले जाने की और सदस्यो एव सरक्षकों की अत्यन्त प्रगतिशील सेवाओं की आवश्यकता होगी।

इन सारे कामों को पूरा समय लगा कर, तन्मय हो कर करना पडता है।

लेकिन जैसे ही उन्नति होने लगती है एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है। वह यह कि क्या बड़े पैमाने के सहकारी उद्यम के निर्माण की प्रक्रिया मे ही ऐसे तत्त्व समाये रहते है जिनके कारण कुशल व्यापारी नेता शिक्षा के द्वारा सदस्य-स्वामियो मे आदर्शवाद, उद्देश्य परकता, और सक्रिय सहभागिता के पोषण का विरोध करने लग जाएँ—उन्ही सदस्य-स्वामियो मे, जो सच्ची सहकारी सस्थाओ के प्राण, उनकी शक्ति का अमित स्रोत और किसी भी आन्दोलन की आधार शिला होते है ?

यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

अमरीका मे सहकारिता के शक्तिशाली न हो पाने का दूसरा कारण भी बहुत-कुछ पहले कारण की ही तरह सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओ से सम्बन्धित है। वह यह कि कई सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओ का अपने कार्य मे—जिस कार्य मे वे लगे हुए है उसी कार्य मे जाग्रत विश्वास नही है। कुछ ही समय पहले विसकोन्सिन की एक फारम-आपूर्ति और उपभोक्ता सहकारी सस्था की वार्षिक सभा के समक्ष भाषण करते हुए शिकागो की एक बड़ी रसायनिक कम्पनी के, जो सहकारी नही है, व्यवस्थापक महोदय ने इस सम्बन्ध मे बडी पते की बात कही थी। उसके कुछ अंश इस प्रकार है :

"आप लोग बड़े कारबार की तरह काम करने की धुन मे बहुत अधिक लगे रहते है—उस दिशा मे बहुत अधिक प्रयत्न करते है।

"जब तक सहकारी बडे व्यवसायो के तौर-तरीके अपनाते रहेंगे, उनकी नकल करते रहेंगे तब तक वे सहकारियो की ओर से निश्चिन्त है, क्योकि उनके तरीको पर चलकर सहकारी उनका कुछ भी नही बिगाड़ सकते। लेकिन आपके पास तो बडे व्यवसाय से भी काफी बडी चीज है, वह है सातवाँ रोगडेल सिद्धान्त : 'निरन्तर शिक्षित करते रहो।'

"आपका आन्दोलन तो दुनिया के विशालतम आन्दोलनों में से है। आप इसको छोटा क्यों करते हैं, इसकी मर्यादा क्यों घटाते हैं ?

"दुनिया पुकार-पुकार कर सहकारी आन्दोलन से आर्थिक सहायता माँग रही है और सहकारी आन्दोलन जो सबसे बडी आर्थिक सहायता दे सकता है वह है ईसाइयत और विश्व के सभी महान धर्मों का आर्थिक भाष्य—आर्थिक क्षेत्र में उनपर आचरण। लेकिन मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ कि कोई उठे और इस बात को कहे तो सही।

"दुनिया अमरीका से घृणा क्यों करती है ?

"हमारे मिसनरी सारी दुनिया मे ईसाई धर्म का उपदेश दे रहे हैं—उसका प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ-ही-साथ हम दुनिया के लोगों को जो सबसे श्रेष्ठ आर्थिक ज्ञान—श्रेष्ठतम आर्थिक धर्म दे सकते हैं वह है प्रतियोगिता पूँजीवाद।

"आप किसी व्यवस्थापक से पूछिए कि आप किस तरहकी सहकारी संस्था है, तो वह तपाक से उत्तर देंगे 'हमने गत वर्ष दस, बीस या तीस लाख डालर का व्यापार किया।'

"मुझे यह बात हमेशा परेशान करती रही है कि डेढ सौ वर्ष हो गए और उन मूल सात रोशडेल सिद्धान्तों मे न तो हम कोई वृद्धि कर सके, न उनसे कुछ ले ही सके।

"प्रत्येक स्थानीय सहकारी संस्था द्वारा सहकारी लीग को शिक्षा के लिए अधिक धन और हर स्थानीय सहकारी संस्था मे एक शिक्षा समिति सही दिशा में उचित कदम होंगे।

'शिक्षा से प्रेरणा पाकर विस्तार और ज्यादा होगा, सेवा और अच्छी होगी।'

"विश्व को युवकों के विचारों और उनके उत्साह की आवश्यकता है और सहकारी आन्दोलन युवकों को सब कुछ दे सकता है।"

जब सहकारी नेता और सदस्य अपने काम और अपनी संस्था के मूल्य और महत्त्व को इतनी स्पष्टता से देख और समझ सकेंगे जितनी स्पष्टता से एक प्रतियोगी व्यापारी कम्पनी के इस व्यवस्थापक ने देखा और समझा है तभी संयुक्त राज्य अमरीका मे सहकारी विचार और सहकारी पद्धति अपना सही स्थान ग्रहण कर सकेंगे।

उसके पहले नहीं।

सहकारी उद्यम कितना ही बडा क्यों न हो जाय तब भी नहीं !

कमजोर होते और अच्छी व्यवस्था तो प्राय. दुर्लभ ही होती थी। ऐसी स्थिति मे कोई सहकारी भण्डार ज्यादा चलता भी कैसे ? कुछ ही दिनो में उसका टाट उलट जाता। और एक-एक कर सब इसी घाट उतर गए।

ऐसा लगता है कि युद्ध ओर युद्धोत्तर-काल मे सहकारी आदर्शवादिता की प्रबलता ओर व्यावहारिकता की कई अशो मे उपेक्षा सम्भवत. अवश्यम्भावी ही थी।

भूत काल मे सयुक्त राज्य की सहकारी सस्थाओ मे अतिरेकता की दुर्भाग्य-पूर्ण प्रवृत्ति रही है—वे घोर आदर्शवादिता और निरे व्यापार के दो ध्रुवों के बीच घडी के लोलक की तरह दोलायमान होती रही हैं। कुछ सहकारी नेता ओर कार्यकर्ता इस उद्यम को आर्थिक कार्य-व्यापार से अधिक, लोगो मे सामाजिक सम्बन्धो को उन्नत करने, न्याय भावना को बढाने ओर ससार को ज्यादा अच्छा बनाने का साधन मानते रहे हैं। दूसरे उतनी ही कट्टरता से इसे सदस्यो और सरक्षको को ठोस आर्थिक लाभ पहुँचाने वाला कार्यक्षम व्यावसायिक कारबार समझते रहे हैं, 'दुनिया के उद्धार' से उन्हे कोई मतलब नही होता। इनमे से कभी एक समूह हावी हो जाता और कभी दूसरा।

दोनों छोरों का समन्वय कर एक मध्यम मार्ग का निष्पादन कठिन ही बना रहा। सरल होना भी कैसे ? रद्दी कारबार के साथ सच्चे आदर्शवाद को जोडना उतना ही कठिन है जितना कि उच्च और व्यापक दृष्टिकोण के बिना केवल अच्छे व्यापार के सहारे सहकारिता के सफल होने की आशा करना। इन दोनो गुणो को न तो एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है और न एक-दूसरे के विरोध मे ही रखा जा सकता है। दोनो एक-दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा फल-फूल नही सकता। आलकारिक भाषा मे कह सकते हैं कि व्यापार का अच्छा सचालन और सहकारिता के मूल्यो मे सदस्यों का अकृत्रिम विश्वास स्वस्थ सहकारी शिशु के माता और पिता हैं।

आदर्शवादिता के अतिरेक की प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी थी। १९५० मे सहकारी लीग का शिकागो मे जो द्विवार्षिक् सम्मेलन हुआ उसमे एक प्रस्ताव पारित कर लीग से कहा गया कि 'वह जो भी करे उसके व्यवस्था-पक्ष पर पूरा-पूरा जोर दिया जाए।' सहकारी लीग के शैक्षिक कार्यो का कुछ दायित्व नेशनल

को 'पहले उन तरह रहने और तब उसके बारे मे कहने' की जरूरत थी। और तब सहकारी सस्थाओ ने इस काम को १९५० मे बडी मन्दगति से और काफी हिचकिचाते हुए शुरू किया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के पन्द्रह वर्षो मे अमरीकी सहकारी सस्थाओ ने बड़े कड़वे अनुभवो के बाद जो सबक सीखे उनमे से कुछ इस प्रकार है ·

१—कोई सहकारी व्यापार या सगठन एक जगह स्थिर नही रह सकता—वह या तो बढता, फैलता और ऊँचा उठता है या मरने लगता है;

२—निरे आदर्शवाद और उत्साह के सहारे जीवित रहने वाले छोटे सहकारी सगठनो के दिन लद गए, सहकारी व्यवसायो को प्रभावशाला बनाने के लिए समन्वयन, सघ बद्धता और विलयन नितान्त आवश्यक हो गए हैं, कच्चे माल और मूल स्रोतो से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के सभी कार्य-व्यापारो के एकीकृत सघटन की पद्धति को अपनाया ही जाना चाहिए,

३—कार्य-विस्तार की सही पद्धति नई-नई सहकारी समितियो का निर्माण नही; सुस्थापित सस्थाओ का समुचित उन्नति करते जाना है, अर्थात् विस्तार शक्ति के केन्द्रो से होना चाहिए। शहरो मे सहकारी गृह-निर्माण शक्ति का ऐसा ही केन्द्र है; ग्रामीण क्षेत्रो मे क्षेत्रीय सहकारी सस्थाएँ शक्ति का केन्द्र हैं;

४—अच्छी व्यवस्था अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और सहकारी सस्थाओ का प्रबन्ध किसी भी अन्य व्यावसायिक सस्था के जैसा या उससे श्रेष्ठ हो सकता है,

५—किसी भी प्रकार के सहकारी की सेवाओ पर मनमाने प्रतिबन्ध लगाना जैसे कि केवल किसानो या जाति-विशेष या राष्ट्र-विशेष के समूहो या एकल-सदस्यता-सगठनो के सदस्यो तक सेवाओ को सीमित करना अव्यावहारिक ही नही सकटास्पद भी है। सभी को सदस्य बनाने की खुली सदस्यता सहकारिता का सिद्धान्त ही नही सहकारी सस्थाओ के कामकाज के लिए बहुत अच्छा नियम भी है,

६—सहकारी सस्थाओ की जितनी ही उन्नति और वृद्धि होती जाती है सदस्यों को शिक्षा और कार्यशीलता के कार्यक्रमों को उतना ही बढाते जाने की जरूरत होती है, कम करने की तो जरा भी नही। उदाहरणार्थ पालिसी-

धारियों की सक्रिय सहभागिता और उनके नियन्त्रण को विकसित करने का उन्नतिशील सहकारी बीमा कम्पनियाँ जो प्रयत्न करती है वह उस सघर्ष के बहुत समीप है जो आधुनिक मानव अपनी नियति को अपने बस मे रखने के लिए करता है, क्योंकि एक तो लोगों की बचते उनकी उन्नति का प्रवेश द्वार होती है और दूसरे वे इस तरह अपनी बचतो को बीमे मे अधिकाधिक निवेशित करते है।

७—सहकारी सस्थाओ के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए, जिससे वे अपने कर्तव्य को ठीक-ठीक निभा सके, जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है उसे परम्परागत उपायों से प्राप्त करना अब सम्भव नही रह गया है;

८—अधिकाश अमरीकावासी बिलकुल ही नही जानते कि सहकारी सस्थाएँ क्या है, वे क्यो बनाई गई है और अमरीकी जीवन-पद्धति को वे कौन से मूल्य और लाभ प्रदान कर सकती है, अतएव सहकारी सस्थाओं के लिए जन-सम्पर्क और प्रसार-प्रचार का काम भी करणीय है और इस कार्य का महत्त्व दूसरे किसी भी कार्य से जरा भी न्यून नही है।

इन बातो को केवल सैद्धान्तिक रूप से समझ कर ही नही छोड दिया गया, व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न भी किया गया।

१९५१ मे कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम (सहकारी व्यवस्था विकास कार्यक्रम) आरम्भ किया गया। प्रबन्धन-प्रशिक्षण और कार्य-सचालन की क्षमता को विकसित करने वाले एक कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए सहकारी लीग की प्रेरणा से तीन क्षेत्रीय सहकारी सस्थाओं और दो सहकारी ढग की पारस्परिक बीमा कम्पनियों मे से प्रत्येक तीन-तीन हजार डालर लगाने को राजी हो गई, और पाँच हजार डालर स्वय सहकारी लीग ने लगाये। इन सस्थाओं ने इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के निम्न कारण बताये .

सयुक्त राज्य की जिन सहकारी सस्थाओं की नीव काफी मजबूत हो चुकी है आज उनकी सबसे बडी और सबसे पहली आवश्यकता ऐसे प्रबन्ध कर्मचारियों को निरन्तर तैयार करते जाना है जो आधुनिक ढग के प्रबन्धन मे सक्षम और दक्ष हो। इस तरह के प्रबन्धक तैयार करने की दिशा मे किसी सुव्यवस्थित कार्यक्रम का अभाव ही सम्भवत आज

सयुक्त राज्य मे सहकारी उद्यम के भावी विस्तार और उन्नति में वाधक हो रहा है। काम से अर्जित अनुभव का महत्त्व अवश्य है, लेकिन अव यह पद्धति भावी प्रवन्धकों को तैयार करने के उपयुक्त नही रह गई। यह महँगी भी है और इसमे समय भी वहुत लग जाता है। फिर वर्तमान प्रवन्धकों के कोशल और ज्ञान को अद्यतन वनाये रखना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है जितना कि नये प्रवन्धकों को तैयार करना।

प्रबन्ध की कला और विज्ञान पर प्रचुर सैद्धान्तिक सामग्री अव उपलब्ध है, लेकिन उसे व्यवस्थित और क्रमवद्ध करने का काम अभी शेष है। यह किया जा सकता है और इस तरह किया जाना चाहिए जिससे उपलब्ध सामग्री सहकारी सस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सके।

इसलिए कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम का उद्देश्य है आधुनिक प्रवन्धन के सिद्धान्तों और तकनीकों को सहकारी सस्थाओं के प्रवन्धन के व्यवस्थित पाठ्यक्रम के रूप मे पहली वार क्रमागत ढग से सकलित कर प्रकाशित कर देना। इस प्रकार की सामग्री सुलभ हो जाने से कार्य-सचालन-सम्वन्धी समस्याओं को आधुनिक प्रवन्धन की पद्धति से सुलझाया जा सकेगा।

इन्ही सव मूल कारणों से सहकारी लीग और कुछ क्षेत्रीय थोक सहकारी सस्थाओं एव सहकारी बीमा कम्पनियों ने प्रवन्धन के क्षेत्र मे राष्ट्र के अधिकारी विद्वानों से परामर्श कर इस कार्यक्रम को तैयार किया है।

कार्य-क्रम के उद्देश्य

१ आधुनिक-प्रबन्धन से सम्बन्धित जानकारी और सामग्री ऐसे रूप मे प्रस्तुत करना जो सहकारी सस्थाओं के लिए ज्यादा-से-ज्यादा उपयोगी हो सके।

२ कार्यक्रम मे भाग लेने वाले सहकारी सगठनों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए इस सामग्री को सुलभ करना और उन्हे अपने कार्यालयों एव सगठनों मे आधुनिक-प्रवन्धन की विधियों के उपयोग की शिक्षा और निर्देशन देना।

३ आधुनिक प्रवन्धन के तकनीकी ज्ञान को, स्थानीय और क्षेत्रीय संगठनों तथा सभी स्तर के प्रवन्धकों के लिए उपयोगी वनाने और उपलब्ध करने मे सहायक कार्यकर्ताओं एव साधन-सामग्रियों को तैयार करना।

इस सदी की पाँचवी दशाब्दी मे उन्नत प्रवन्धन, कार्यकर्ताओं के विकास और संगठनात्मक रूपो को ज्यादा अच्छा बनाने की रुचि और प्रवृत्ति बढ़ी। कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम मे कुछ वडे सगठन और सम्मिलित हो गए और इस तरह हिस्सा लेने वाले सदस्यो की सख्या दस हो गई।

इसके वार्षिक पीठ, इन्स्टीटयूट आफ माडर्न मैनेजमेण्ट मे, जहाँ शिक्षण-शुल्क दो सौ डालर है, उपस्थिति-सख्या बढते-बढते एक सौ हो गई।

बीमा कम्पनियों और क्षेत्रीय थोक सहकारी सस्थाओ द्वारा सम्बद्ध स्थानीय सगठनो के व्यवस्थापकों और प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण और कार्य कुशलता-वृद्धि के कार्यक्रम आरम्भ किये गए।

विशेषज्ञो के परामर्शानुसार दुकानो, कार्यालयो एव साधन-सुविधाओं का आधुनिकीकरण, एक रूपता और विज्ञापन, वाजारो का सर्वेक्षण, लम्बी अवधि की विस्तार योजनाएँ आदि कार्य प्रवन्धन के अध्ययन और शिक्षा-दीक्षा के बाद ही आरम्भ हुए।

अपने विपय के श्रेष्ठ परामर्शदाताओ को अच्छा पारिश्रमिक देकर संगठनात्मक रूपो मे काफी परिवर्तन-परिवर्द्धन किये गए। निदेशक मण्डल और व्यवस्था-विभाग एव विभागीय अध्यक्षो के 'प्रवन्धक दल' तथा 'व्यवस्था परिषद्' के सदस्यो मे पारस्परिक समझ और अच्छे सम्वन्धो के विकास के लिए नये तरीके अपनाये गए और पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा।

इसी बीच नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन ने प्रवन्धन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया जिसका कार्य क्षेत्र कुछ ही वर्षो मे राष्ट्रव्यापी हो गया। वह ग्रामीण विद्युत् व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप वनाया गया था। इसने विद्युत् सहकारी सस्थाओ के हजारो व्यवस्थापको, विभागीय अध्यक्षो और तकनीशियनो को प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान किया। इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापको और लाइन के अधिकारियो के अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण भी किया गया।

अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन की वार्षिक सभाएँ कृषि सहकारिता मे काम करने वाले व्यक्तियो के प्रशिक्षण-सत्रो का रूप धारण करने लगी।

इसी दशाब्दी मे सहकारी लीग ने जनसम्पर्क-निदेशक, वित्त-अधिकारी, शैक्षिक निदेशक और सम्पादक आदि सहकारी कर्मचारियो के विशिष्ट समूहो के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग पीठो और सम्मेलनो का एक कार्यक्रम तैयार किया।

ऐसे ही कुछ सम्मेलनो मे पेशेवर सगठनो की नीव पडी, जिनमे से एक कोआपरेटिव एडिटोरियल एसोसिएशन भी है। १९६० तक इसके दूध-बिक्री से लेकर नगर-उपभोक्ता और साख-सघो तक सभी प्रकार के सहकारी प्रकाशन के एक सौ से भी अधिक सम्पादक सदस्य हो गए थे। सम्पादको के इस सगठन की वार्षिक सभाएँ सहकारी पत्रकारिता के सक्षिप्त पाठ्यक्रम वाले लघु शिक्षा-सत्र ही होता है जहाँ सहकारी प्रकाशनो के सम्पादन का विशिष्ठ प्रशिक्षण दिया जाता है।

सक्षेप मे हम यह कह सकते है कि वर्तमान शती की पाँचवी दशताब्दी मे सहकारी व्यवसाय ने वयस्कता प्राप्त की।

कुछ मामलो मे तो इसके विकास की गति दूसरे सभी प्रकार के व्यवसायो से तेज रही, जो आवश्यक भी थी, क्योकि यह काफी पिछड रहा था और इसे उस पिछडेपन को बहुत थोडे समय मे पूरा कर लेना था।

ओर निश्चय ही इसने बरसो का काम महीनो मे पूरा कर डाला।

इसका मुख्य कारण यही था कि सहकारी नेताओ की मनोवृत्ति मे अब काफी परिवर्तन हो चुका था। सहकारी लीग और नेशनवाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज के अध्यक्ष मरे डी लिकन जैसे कुछ नेताओं ने आत्म सन्तोष की हानिप्रद मन स्थिति से जमकर सघर्ष किया। वे इस बात की बराबर शिकायत करते रहे कि उन्नति नही हो पा रही है और सहकारी उद्यम अमरीकी अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अश बनने मे बराबर असफल होता जा रहा है।

युद्धोत्तर काल के वर्षो मे रचनात्मक असन्तोष क्रमश आत्मसतोष का स्थान ग्रहण करता चला गया। यह धारणा दृढ होती गई कि अपने प्रति-योगियो से इक्कीस होकर ही सहकारी व्यवसाय जीवित रह सकता है और उन्नति कर सकता है।

सहकारिता का विचार और पद्धति निश्चय ही अच्छी और हितकर है।

लेकिन दूसरे महायुद्ध का अन्त होने तक यह विचार व्यापारिक सफलता से बँधा घिसटता रहा। सदस्यो से यह आशा की जाती थी कि वे सस्था की योग्यता-अयोग्यता और सेवाओ की उत्कृष्टता-न्यूनता एवं बहुलता विरलता का विचार किये बिना पूरी निष्ठा से अपनी सहकारी सस्था का सम्पोषण-सवर्द्धन करेंगे।

लेकिन पॉचवी दशाब्दी के सक्रान्ति काल ने एक नई मनोवृति का विकास किया, जो पुरानी विचार धारा के विरुद्ध यह कहती थी कि अपनी सेवाओ में विस्तार और उन्नति करना सहकारी सस्थाओ के हाथ की बात है और यह उन्हे करना ही चाहिए जिससे न केवल पुराने सदस्यो का सरक्षण बना रहे, बल्कि हजारो की संख्या मे नये सदस्य भी बनते रहे।

परिवर्तन उस समय की परिस्थितियों की माँग ही नही थी वास्तव मे उन परिवर्तनों को घटित भी किया। कृषि उस समय बुरी तरह विपत्तग्रस्त थी, खासकर के मालिकों द्वारा सचालित छोटे और मझौले फारमों के बहुत बुरे हाल थे। व्यापारी हित अपने कार्य-सचालन मे किसानों को इस तरह समन्वित करते जा रहे थे कि वे अपनी स्वतन्त्रता और आत्मनिर्देशन सभी कुछ गँवाते जाते थे। पूरा समय खेती करने वाले पक्के-पूरे किसानो की सख्या तेजी से कम होती जा रही थी। पुराने ढर्रे से पूरी तरह नाता तोडकर और नया ओजस्वी ढग अपनाकर ही ग्रामीण सहकारी सस्थाएँ अपने मे निहित विश्वास के उपयुक्त सिद्ध हो सकती थी। और नगरो की सहकारी सस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित, विज्ञापन और सेवा-साधनो की उन्नति पर हजारो डालर खर्च करके व्यापार को हथियाने के लिए प्रस्तुत शक्तिशाली प्रतियोगियो की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड रहा था।

इसलिए पाँचवी दशाब्दी के अन्तिम वर्षो मे सहकारी सदस्यो एवं संरक्षकों को नई, उन्नत और विस्तारित सेवाएँ प्रदान करने का विचार बडी तत्परता से घर करता गया।

सहकारी परिष्करण शालाओं का आधुनिकीकरण ही नहीं किया गया उन्हें इतना कार्यक्षम और उपयुक्त बनाया गया कि वे उत्पादन की उत्कृष्टता मे देश-व्यापी स्तर पर किसी से भी टक्कर ले सके। उदाहरणार्थ नेशनल कोआपरेटिव रिफाइनिंग एसोसिएशन की परिष्करण शाला दक्षिण-पश्चिम (साउथ वेस्ट)

के सम्पन्न तेल क्षेत्र के केन्द्रीय नगर मेकफरसन (कन्सास) का गौरव वन गई। फारम-आपूर्ति सहकारी सस्थाओं ने प्रोपेन गैस और द्रव ईंधन का कारवार ग्रामीण ग्राहकों मे ही नही कस्वे के निवासियो मे भी चालू कर दिया। मिडलैण्ड कोआपरेटिव इनकारपोरेशनने,जो मुख्यत: मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन, इओवा और डकोटा के देहाती क्षेत्रो मे काम काज करती है, सेवा-साधनो के आधुनिकीकरण, सुधार, क्षेत्रव्यापी एक रूपता और वृहद् विज्ञापन-अभियान का कार्यक्रम आरम्भ किया। इसने शहर और कस्वे के निवासियों मे भी व्यापार वढाने की नीति अपनाई। इसने अपने सारे क्षेत्र का वहुत वारीकी से सर्वेक्षण किया और जिन समुदायों मे सहकारी सेवाएँ नही थी वहाँ उन्हे स्थापित करने का कार्य हाथ मे लिया। फुटकर विक्री का काम करने वाली जो सहकारी सस्थाएँ इससे सम्वद्ध थी उनकी उपनगरीय क्षेत्रो मे पेट्रोल के पम्पों का अधिग्रहण करने मे यह सहायता करने लगी। मिडलैण्ड ने मिनियापोलिस मे एक नया भाण्डागार वनाया। मेडिसन मे एक नया तेल गोदाम और कुशिग (ओक्ला होमा) की अपनी परिष्करण शाला की कार्यक्षमता का पूरा-पूरा विकास किया।

'मिडलैण्ड कोआपरेटर' नामक पत्र ने अपने १३ जून १९६० के अक मे 'सहकारी का मुख्य वाजार मे स्थानान्तर' नामक एक लेख प्रकाशित किया था जिससे मिडलैण्ड के कार्यक्रमो के व्यापक प्रभाव पर काफी अच्छा प्रकाश पडता है। उक्त लेख के कुछ अश इस प्रकार है

"ओकली (मिन्नेसोटा) कोआपरेटिव आयल एसोसिएशन ने एक वडी तेल कम्पनी का सर्विस स्टेशन और लोहे के सामान का स्टोर खरीद लिया है और अपनी पुरानी जगह से उठकर कस्वे के मुख्य चौराहे पर चला आया है।

"मिन्नेसोटा के उस पश्चिमोत्तर जिले मे जहाँ किसानो की हजारों एकड जमीन भूमि-वैंक मे रखी हो, अवस्थित सहकारी सस्था के लिए यह प्रगति की दिशा मे वहुत वडा कदम है।

"इस सस्था के प्रधान व्यवस्थापक एल्मर ओरासन का कहना है 'अब हम केवल किसानो की सहकारी सस्था नही रहे, सामूदायिक सहकारी सस्था वन गए है। वहुत-से लोगों ने आ-आ कर हमे वताया है कि उन्हे यह परिवर्तन ˜द आया।'

"पिछले अप्रैल महीने मे इस संस्था को 'स्ट्रैण्ड्स् सर्विस सप्लाई' को खरीदने का मौका मिल गया। स्ट्रैण्ड की स्थापना नेल्सस्ट्रैण्ड ने १९३२ मे की थी। उनके पुत्र जेराल्ड ने १९४६ मे कारबार सँभाला; उन्होने काफी-कुछ नया किया और काम को बढाया।

"१९५७ में जेराल्ड ने लोहे का सामान रखना शुरू किया और मोटर का विभाग भी खोल दिया; लेकिन एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई।

"क्लिफर्ड 'माइक' स्ट्रैण्ड जो पिछले वर्ष तक इस कारबार को चला रहे थे, सब-कुछ बेच-बाचकर अपने पुराने निवास स्थान मिल्वॉकी लौट जाना चाहते थे।

"सहकारी सस्था के निदेशक-मण्डल को मुँह माँगी मुराद मिल गई। वे कारबार को बढ़ाने और नया सर्विस स्टेशन चालू करने का विचार कई दिनों से कर रहे थे। इसलिए एकमत से स्ट्रैण्ड कारबार को खरीदने का फैसला हो गया।

"२७ और २८ अप्रैल को जब संस्था का नये स्थान मे शानदार उद्घाटन हुआ तो कम-से-कम दो हजार ग्राहको की भीड तो रही ही होगी। उद्घाटन समारोह की पुरस्कार-प्रतियोगिता मे पच्चीस आदमियों ने मुश्किल इनाम जीते और ८६ व्यक्ति छोटे सरल इनामों मे कामयाब रहे।

"सस्था के प्रधान व्यवस्थापक ओल्सन का कहना है: 'हम जिस दिन से इस नई जगह मे आये है कारबार बढता ही जा रहा है, दम मारने की फुरसत नही मिलती। इस नई जगह मे रोज नये-नये ग्राहको का ताँता लगा रहता है। अब हमारे किसान सदस्यो की तो चॉदी-ही-चाँदी है, क्योंकि कारबार को चलाने का खर्च ग्राहको की बढती हुई सख्या पर फैलता और बँटता जाता है।

"सस्था की यह नई इमारत कस्बे की खास सड़क पर ५० फुट चौड़ी और अन्दर की तरफ ९९ फुट लम्बी है।"

उधर ओहियो के फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने 'फुटकर संचालन' के नाम से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया। यह एक राज्य-स्तरीय थोक सहकारी सस्था है। इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सम्बद्ध जिला संस्थाओं के लिए नई सेवा-सुविधाओ के निर्माण का काम हाथ मे लिया गया जिससे स्थानीय सगठन अपनी चालू सेवाओं का आधुनिकीकरण . ग्राहकों को आकर्षित करने वाली नई सेवाएँ आरम्भ कर सके।

कन्सास सिटी के कञ्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन न सूअर पालने-वाले किसानो के लिए एक सम्पूर्ण समन्वित सेवा की योजना कार्यान्वित की जिसमे सूअरो के प्रजनन, परीक्षण एव अनुसन्धान केन्द्र से लेकर बूचडखाना, मास के पण्योपयोगन और डिब्बो मे वन्द करने का कारखाना और विक्री-व्यव-वस्था तक सारे कामो का समावेश था। इस एसोसिएशन ने १९६० मे कई लाख डालर लागत के एक विशाल नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने के निर्माण की घोपणा भी की, जो नेब्रास्का मे लगाया जाएगा और कन्सास मे इस ढग के पहले से चल रहे कारखाने की टक्कर का होगा।

इण्डियाना फार्म व्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने अपने मे सम्वद्ध फुटकर विक्रेता भण्डारो के लिए रसायनो, उपकरणो और पेट्रोल-निर्मित वस्तुओ तक के दामो मे भारी कमी कर दी। इसने पैतीस मील लम्वी तेल की अपनी पाईप लाइन वनाई और चूजाघर का भी काफी विस्तार किया।

अनाज का कारवार करने वाली उन्नीस सहकारी सस्थाओ ने मिलकर गल्ले के सयुक्त निर्यात और विदेशी वाजारो मे खपत वढाने के लिए एक कम्पनी बनाई, प्रोडच्यूसर्ज एक्सपोर्ट कम्पनी इसका नाम रखा गया। काम काज के पहले ही वर्ष मे इस कम्पनी ने १४ देशो को कुल मिलाकर तीन करोड २० लाख बुशल गल्ला बेचा।

देश की अकेली सवसे वडी सहकारी सस्था कोआपरेटिव जीएलएफ एक्स-चैंज ने अपने मुर्गीखाने को इस तरह विकसित किया कि वहाँ की मेहनत केवल आधी रह गई, इस एक्सचैंज ने पशु खाद्य, चारा और उर्वरक किसानो को सीधे उनके फारमो पर पहुँचाने की सेवा शुरू की और अपने फुटकर विक्रेता भण्डारो को 'इतने वडे भण्डारो मे परिवर्तित कर दिया जहाँ किसान अपनी जरूरत की हर चीज और हर सेवा प्राप्त कर सकता है।'

मिचीगन की फार्म व्यूरो सर्विसेज ने अपने किसान सदस्यो की आवश्यकता-पूर्ति के लिए अण्डो के श्रेणीकरण (दर्जाबन्दी) और सवेष्टन (पैकिग) का कार्य शुरू किया।

पगेट साउण्ड की ग्रूप हेल्थ कोआपरेटिव के सीटल क्षेत्र मे वहाँ की कुल ७५। के पाँच प्रतिशत सदस्य है। अपने इन सदस्यो के लिए इस सामूहिक

स्वास्थ्य योजना ने एक बिलकुल नया अधुनातन अस्पताल बनाया, जिसकी अन्तिम मंजिल पर प्रसूतिगृह है, यह प्रसूतिगृह इतनी ऊँचाई पर है कि यहाँ से चारो ओर का दूर-दूर तक का दृश्य बडा ही मनोरम दिखाई देता है। और देश के उस छोर पर वाशिंगटन डी० सी० मे वहाँ की ट्राञ्जिट वर्कर्स यूनियन ने अपने समस्त सदस्यों को सहकारी ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या—सेवा प्रदान करने का फैसला किया और इस काम की सुचारुता के लिए एक नया बढिया अस्पताल भी बनवा दिया।

विसकोन्सिन राज्य मे ला-क्रोसे की डेरीलैण्ड पावर कोआपरेटिव की बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वह अपने एक लाख ग्राहक-स्वामियों को सस्ते-से-सस्ते मूल्य पर बिजली दे। १९५९ मे उसकी यह अभिलाषा पूरी हुई और उसने अपनी बिजली की दरे प्रति किलोवाट घण्टा एक सेंट से भी कम कर दी। इसका महत्त्व तब समझ मे आता है जब इस तथ्य पर विचार किया जाए कि यह सहकारी संस्था जिस क्षेत्र मे काम करती है वहाँ बिजली की दरे सारे देश में सबसे अधिक है।

ग्रीन बेल्ट कञ्जूमर सर्विसेज सयुक्त राज्य के नगर उपभोक्ता सहकारी सगठनों में सबसे बडी सस्था है। १९६० मे यह सारे देश मे विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन सब से सुन्दर बाजार चला रही थी और साल भर में कुल मिलाकर दो करोड डालर का कारबार करने लगी थी।

शिकागो की हाइड पार्क कञ्जूमर्स कोआपरेटिव नगर का सबसे बडा सुपर-मार्केट ही नही चला रही थी प्रति सप्ताह सैकडों नये सदस्य बना कर अपना विकास करने के साथ-साथ 'साउथ साइड' की घनी बस्ती के काफी बडे-बडे जन समूहों को 'अपने भण्डार' के स्वामी बनने का अधिकाधिक अवसर भी दे रही थी। इतना ही नही, अनेक जातियों और राष्ट्रों की समन्वित बस्ती साउथ साइड के पुनर्विकास के सघर्ष को सगठित और सचालित करने का यह सहकारी सस्था सामूहिक केन्द्र भी है।

इन दशाब्दों मे न्यूवार्क और मिशीगन के सहकारियों ने पूरी आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर ली थी, वित्तीय सुरक्षा मे वे दुर्जेय. मुक्त [illegible] और अपने सदस्यों के लिए दिन-दिन [illegible] परिचित अन्य सेवाएँ भी सुलभ करने लगे

थे। वह उल्लेखनीय सेवा है अपने सदस्यों को सहकारी आधार पर अच्छे, सुन्दर और सुशोभन मकानों का मालिक बनाना। इसके लिए साख-सघ सहकारी गृह निर्माण योजनाएँ प्रायोजित करते है और इस प्रकार की चालू योजनाओं की सहायता भी करते है।

सेण्ट पाल की म्युचूअल सर्विस इन्स्यूरेन्स कम्पनीज ने तो बीमा-सेवा मे युगान्तर करके यह दिखा दिया कि सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपने पालिसी-धारियो की कम-से-कम मूल्य पर कितनी उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट और व्यापकतम बीमा सेवाए कर सकती है। इओवा के एक जिले के हताहत व्यवसाय मे दूसरी व्यापारी बीमा कम्पनियो के मुकाबले ठीक उसी तरह के सात मामलो मे म्युचूल नेबीमकाक की जो बोलियाँ लगाई उनकी रकम आधे से भी कम थी। 'सहकारी बीमा कम्पनियों' मे सब से बडी नेशन वाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज ने नये प्रकार के हताहत बीमो और सामूहिक मोटर बीमो के प्रयोग किये। नेशनल ने सहकारी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाओ के विकास मे सहायता देने के लिए एक प्रतिष्ठान की स्थापना करने मे भी आगे बढ कर हिस्सा लिया। और ग्रूप हेल्थ म्युचूअल नामक एक तीसरी सहकारी बीमा कम्पनी ने जो बिलकुल नई तरह की जीवन-बीमा पालिसी शुरू की, इस पालिसी मे यदि २७ वर्ष का कोई आदमी बीमा करवा कर मर जाए तो वह केवल २ ५० डालर प्रति सप्ताह पर अपने बच्चों के वयस्क होने तक प्रति मास दो सौ डालर आय का निश्चित प्रबन्ध कर जाता है।

लेक सुपीरियर के आस पास के विपन्न और वीरान प्रदेश मे सेण्ट्रल कोआपरेटिव्स इनकारपोरेशन ने 'इलाके के सबसे सुन्दर और सबसे श्रेष्ठ' बाजारो के निर्माण का क्षेत्र व्यापी कार्यक्रम बनाया और कुछ चुने हुए समुदाय मे निर्माण-कार्य आरम्भ कर भी दिया।

पाँचवे दशक मे अमरीकी सहकारी सस्थाओ मे जिस नये दृष्टिकोण का क्रमश विकास हो रहा था उसके ये कुछ उदाहरण है और ऐसे कई नये उदाहरण और भी दिये जा सकते है।

बीसवी शताब्दी के अन्तिम तृतीयाश के आरम्भ होने से पहले ही अमरीकी सहकारी नेताओ को भूतकाल की असफलताओ के कारणो का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया और वे यह भी जान गए कि आगे सफलता किन बातो पर निर्भर करती

है। एक जबर्दस्त चुनौती सामने थी, जिसे उन्होने देखा और स्वीकार किया। अव उनके कर्तृत्व की सार्थकता इसी मे थी कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को वडे और प्रभावशाली उद्यमो के स्वामीत्व और नियन्त्रण मे सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के योग्य बनाए, न कि छोटे आदर्शवादी लँगडाते उद्यमो के। उन्हे विश्वास हो चला था कि यदि इस काम को कर लिया गया तो अमरीकी लोकतन्त्र के सवसे दुर्बल अग को पुन. शक्ति-सम्पन्न किया जा सकेगा।

लेकिन इस प्रतीति ने मार्ग की तीन वडी-वडी बाधाओ को और भी स्पष्ट कर दिया। वे थी :

१—पर्याप्त धन की आवश्यकता, जो यो तो एक चिरकालिक समस्या थी लेकिन अव सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकारण और समन्वयन के भारी खर्चों के कारण तात्कालिक और चिन्तनीय हो उठी थी।

२—जनता का अज्ञान, न केवल सहकारियो के कर-दान के सम्वन्ध में बल्कि उनके उद्देश्यो, प्रयोजनों, उनसे होने वाले फायदो, उनके स्वरूप और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के भी वारे मे सामान्य जनता को समुचित ज्ञान नही था।

३—सहकर्मिता का अभाव, सहकारी सस्थाएँ पूरी तरह साथ मिलकर काम करने मे सफल नही हो पा रही थी, जो स्वय उनके अपने लिए और उनके सभी सदस्यों के लिए भी वहुत आवश्यक और उपयोगी था।

इसलिए १९६० के सितम्बर महीने मे सहकारी लीग का शिकागो मे जो इक्कीसवाँ द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ उसमे प्रतिनिधियों ने अपना पूरा समय केवल दो समस्याओ के ही विचार-विनिमय मे लगाया, 'सहकारी सस्थाओं के वारे मे जनता की समझ को वढाना और वित्त के नये और वडे स्रोतों का विकास करना। इसके साथ ही एक प्रस्ताव के द्वारा उस अधिवेशन ने पहले के चार सिद्धान्त मे एक नये सिद्धान्त का समावेश और किया, वह पाँचवाँ सिद्धान्त था—"सहकारी सस्थाओ मे सहकारिता।"

अभी तक इन अधिवेशनों के प्रतिनिधि केवल सैद्धान्तिक वहस-मुवाहसा ही करते आये थे, अवकी पहली वार उन्होंने व्यवहार और आचरण के क्षेत्र मे कदम वढाये, क्योंकि सिद्धान्तों को मूर्त रूप देने का कार्य आरम्भ हो चुका था।

इस अधिवेशन मे प्रतिनिधियो को विमर्श और अभिस्वीकरण के लिए जन-सूचना पर एक सुचिन्तित निर्देश पुस्तिका भेट की गई, जो विशेष रूप से इसी अवसर के लिए प्रकाशित की गई थी।

इस वात का पता लगाने के लिए कि प्रचार के उद्देश्य पूरे क्यो नही हो पाते और औसत अमरीकावासी का सहकारी सस्थाओ से सम्वन्धित ज्ञान इतना अस्पष्ट और कभी-कभी प्रतिकूल क्यो होता है, १९५९ मे सहकारी लीग ने एक जॉच- समिति नियुक्त की, और उसे स्वय लीग एव लीग के सदस्य सगठनो के जन-सूचना कार्य की छान-वीन करने के आदेश दिये गए। इस समिति मे सहकारी सस्थाओ के कुछ योग्यतम और चोटी के जन-सम्पर्क निदेशको को लिया गया। समिति ने अपने काम मे समाज शास्त्र, जन-सम्पर्क, विज्ञान और अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान के क्षेत्र मे सलग्न चार श्रेष्ठ विशेपज्ञो की सेवाएँ भी ग्रहण की।

एक नही दो तथ्य अन्तर्निहित थे। इस वात पर ध्यान दिये विना की वीसवी शताव्दी के मध्य काल की अमरीकी जनता के विचार, मान्यताएँ और अभिरुचियाँ क्या है सहकारी सस्थाएँ उन्हे अपने वारे मे सही-सही अवगत कर ही कैसे सकती थी ? अमरीकी जनता को सही रूप मे जाने-समझे विना उन्हे अपने वारे मे वताना असम्भव ही था।

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि आज के अमरीकावासी वीसवी शताव्दी के दूसरे या तीसरे दशक के अमरीकावासियो से भिन्न है, किसी वहुत वड अनु-सन्धान की आवश्यकता नही है। आज लोगो के मन मे अपनी जो तसवीर है वह पहले से वहुत भिन्न है। आज के किसान अपने-आपको सूर्योदय से सूर्यास्त तक हल की मुठिया पकडे और खेत-मजदूरो की टुकडी की रखवाली करते खेतिहर के रूप मे नही देखते, और न पुराने फैशन के ओवराल पहनने वाले किसानो के ही रूप मे। आज तो सयुक्त राज्य का प्रत्येक निवासी, उसकी आय अथवा पेशा कुछ भी क्यो न हो, अपने-आपको 'मध्यवर्ग' का व्यक्ति समझता है और यही समझा जाना पसन्द करता। किसी जमाने मे लोग अपने सघर्षो और निम्न परिवारो मे जन्म लेने पर गर्व किया करते थे, लेकिन आज नही करते। वे अपने को सफल, सुशिक्षित और नागरिक वातावरण के अभ्यस्त व्यक्ति के

रूप मे देखना-सोचना पसन्द करते हैं। आज के अमरीकोवासी स्वतन्त्रता का वडा आदर करते हैं, यद्यपि अधिकाश न तो स्वतन्त्रता के उत्तरदायित्वो को समझते हैं न स्वतन्त्रता द्वारा प्रस्तुत अवसरो को ही। वे कुल मिला कर उदार होते हैं और दूसरो को—यहाँ तक कि दूर-देश के वासियों को भी सहायता करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने-आपको आत्मनिर्भर और स्वाधीन समझना चाहते हैं, सचाई चाहे कुछ भी रहे।

इन जानकारियो के आधार पर यह गलती समझ मे आई कि सहकारी सस्थाएँ विज्ञापन और प्रचार कार्यों मे कथ्य और कथन के जिस ढग को अपनाती आई हैं वह पिछली दशाब्दियों के लिए तो ठीक था, पर आज के उपयुक्त नही है। जनता के मानसिक स्तर तक पहुँच कर ही जनता की भ्रान्तियों का निवारण किया जा सकता है।

समिति ने इस वास्तविकता को भी स्वीकार किया कि सारी जनता एक-जैसी नही हैं, और विशेषज्ञ, वे भी इससे सहमत थे। समिति ने पाया कि देश मे कई तरह की 'अमरीकी जनता' रहती है। जन-सख्या का एक हिस्सा ऐसे लोगों का भी है जो झूठी तडक-भडक वाली उस दुनिया से जरा भी सन्तुष्ट और सुखी नही हैं जिस पर अधिकाश अमरीकावासी यों टूट पडते हैं। हाइड्रोजन बम का आतक हम मे से कइयो को उद्विग्न किये रहता है। कई ऐसे हैं जो जीवन की सोद्देश्यता और क्रान्तिकारी आदर्श की अपने अन्तरतम मे वडी तीव्र और गहन आवश्यकता अनुभव करते हैं, लेकिन आज के युग मे तो इन आध्यात्मिक गुणों का नितान्त अभाव ही हो गया है। सहकारी सस्थाओं मे ऐसे ही लोगों को अधिक रुचि हो सकती है और यही लोग उनके सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। भ्रातृ भाव, पारस्परिक सहायता, सामाजिक स्थितियो को शान्तिपूर्ण ढग से सुधारने, विश्व शान्ति को वनाये रखने आदि की आदर्शवादी पुराने ढग की अपीलें ऐसे ही लोगों के लिए प्रभावकारी हो सकती हैं।

लेकिन इस समूह के अतिरिक्त विशाल जन-समूह भी है जिससे सहकारी सस्थाओं को अपने लिए असन्दिग्ध रूप से समर्थन और स्वीकृति प्राप्त करनी है; और व्यापक जन-सम्पति को इस सीमा तक अपने पक्ष मे कर लेना आवश्यक है कि उनकी वृद्धि और उन्नति का कम-से-कम विरोध तो नही ही किया जाय।

सहकारी सस्थाओ के जन-सूचना कार्यक्रमो पर नियुक्त इस विशेष समिति की कारखाई और सिफारिशों को अन्त मे एक आकर्षक पुस्तिका मे प्रकाशित कर दिया गया। उस पुस्तिका का नाम रखा गया "सहकारी सस्थाओं के शब्द", लेकिन हमारे विचार मे "सहकारी सस्थाओं के आठ शब्द" नाम रखना अधिक उपयुक्त होता। किसी भी प्रकार के सहकारी सगठन मे जन-सम्पर्क अथवा जन-सूचना के कार्य मे सलग्न व्यक्तियों के सन्दर्भ ओर निर्देश के लिए सहकारी लीग ने इसका प्रकाशन किया था।

पुस्तिका मे इस वात का विशेष आग्रह किया गया कि अमरीकी जनता के समक्ष सहकारी सगठनो का चित्र अथवा स्वरूप निम्न अवधारणाओं के साथ या 'सहकारी सस्थाओ के शब्दों' मे प्रस्तुत करना ही उचित है

उद्यम---सदस्यो और सरक्षको की आवश्यकताओं को कल्पना शक्ति, दूरदर्शिता और अधिक एव श्रेष्ठ सेवाओ के द्वारा पूरा करने मे।

दक्षता---लागतो को कम करने ओर वितरण-पद्धतियों को उन्नत करने मे।

प्रतिस्पर्द्धा---न केवल अपने सदस्यो अपितु समस्त राष्ट्र के लाभ के लिए अर्थ-व्यवस्था पर एकाधिकारी जकडवन्दी को तोडने के लिए।

प्रचुरता---मूल्य के स्तरो की रक्षा के लिए वनावटी अवरोधो या नकली कमी के विना पूरा-पूरा उत्पादन करने मे।

स्वतन्त्रता---स्वामी और सक्रिय सहभागी वन कर सामूहिक कारखाई से अपनी आर्थिक समस्या को हल करने मे रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए।

हिस्सेदारी---लोगों को मिल-जुल कर सामान्य आवश्यकताओ को पूरा और सामान्य सकटो का सामना करने के योग्य वना कर और अपनी प्रचुरता को दूसरे देशवासियों के साथ बाँटने का मार्ग प्रशस्त कर के।

समझदारी---इसलिए कि सहकारी व्यवसाय 'खुली किताब' की तरह कार्य सचालन करता है और अपने सदस्य-स्वामियो को अपने कार्य-सचालन के ही सम्बन्ध मे नहीं जिन सिद्धान्तों पर कार्य किया जाता है उनकी भी पूरी-पूरी जानकारी देने का प्रयत्न करता है।

और हमारा---इसलिए कि सहकारी सस्थाएँ अपने सभी गाहको को अपना स्वामी वनाती है और इसलिए भी कि सहकारी व्यवसाय स्वभाव से

ही स्थानीय स्वामीत्वकृत और अपने समुदायो, वस्तियो एव क्षेत्रो के जोवन-व्यापार के अभिन्न अग होते हैं।

दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल मे सहकारी सस्थाओ ने जो प्रगतिशील कदम उठाये उनके वारे मे इसी अध्याय मे पहले वताया जा चुका है, उनसे पता चल जाता है कि ये आठो शब्द उनके कार्य सचालन के सर्वथा अनुरूप ही है और उनके कार्यो की व्याख्या भी करते हैं।

लेकिन इस वात को अमरीकी जनता का केवल एक छोटा अश ही जानता है। सहकारियो ने 'उस तरह रहना' तो शुरू कर दिया है, लेकिन 'उसके बारे मे कहने' का उनका काम अभी शेष है।

सहकारी लीग के इक्कोसवे सम्मेलन के प्रतिनिधियो ने 'सहकारी के शब्द' नामक पुस्तिका पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा कर उसे अधिकृत निर्देशिका का रूप प्रदान कर दिया।

जहाँ तक वित्त-व्यवस्था की समस्या का प्रश्न है सहकारी लीग के दस सम्मेलन के दो ही दिन पहले एक नई पारस्परिक निधि की स्थापना की गई, जिसका उल्लेख दसवे अध्याय मे किया जा चुका है। सघ और राज्य सरकारो को निधि के पजीयन की कारवाई का आवेदन भी कर दिया गया है। सहकारी लीग ने इस निधि को प्रायोजित किया है; और जो कम्पनी इसके निवेश के प्रवन्ध ओर हिस्से बेचने की हामी लेगी उसके लिए पूँजी की व्यवस्था कोआपरेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन आफ अमरीका ने कर दी है। कई सुयोग्य और सुप्रसिद्ध व्यक्तियो ने इस निधि के निदेशक मण्डल का सदस्य वनना स्वीकार कर लिया है और उन्होने मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स के व्यवस्थापक ए० जे० स्मावी को निधि का प्रथम सभापति भी निर्वाचित कर लिया है। इस निधि से दूसरे लाभ की आशाएँ की जाती हैं। एक तो यह निधि सभी सहकारी सस्थाओ, उनके सदस्यो और निवेशकर्ताओ के लिए अपने-अपने अधिशेषो और अपनी-अपनी बचतो के काफी वडे अश को निवेशित करने का आकर्षक, सुरक्षित और लाभदायी स्थान सिद्ध होगी; क्योकि निधि मे निवेश करके उन्हे अपनी पूँजी एक-साथ कई सस्थाओ मे—वडे-वडे कई सहकारी सगठनो के साथ-साथ व्यापारी कम्पनियो की प्रतिभूतियों मे लगाने का वढ़िया अवसर मिल जाएगा, जो इसके पूर्व

सम्भव नही था। दूसरे यह कि निधि के निवेशो का काफी अश सुस्थापित सहकारी व्यवसायो की प्रतिभूतियो मे किया जाएगा। इस प्रकार थोडे समय मे विस्तार के लिए आवश्यक पूंजी की कमी दूर हो जाएगी।

२१ वे अधिवेशन के प्रतिनिधियो ने पारस्परिक निधि के इस प्रस्ताव पर काफी बहस-मुबाहसा किया और अन्त मे प्रबल बहुमत से इसको स्वीकृत कर पूरी-पूरी सहायता का अभिवचन दिया।

सयुक्त राज्य की सहकारी सस्थाओ की त्वरित प्रगति के मार्ग की तीसरी बडी बाधा यह है कि पारस्परिक लाभ के लिए जिस हद तक साथ मिल कर जितना काम करना चाहिए वे करती नही है। उदाहरण के लिए कुछ ही समय पहले एक सहकारी ढग की पारस्परिक बीमा कम्पनी के अध्यक्ष ने हिसाब लगा कर बताया था कि उनकी कम्पनी विभिन्न राज्यो के जिन सहकारी सगठनो की बीमा-सेवा करती है वे सभी यदि अपने बीमा-सम्बन्धी काम का आधा ही उनको दे दे तो उनकी कम्पनी का कारबार पॉच गुना बढ जाएगा। सचाई तो यह है कि अधिकाश सहकारी सस्थाएँ गैर-सहकारी बीमा कम्पनियो मे बीमा करवाती है। साख-सघो के सम्बन्ध मे पहले बताया ही जा चुका है कि उनमे ऐसे बहुत से लोग है जो किसी भी प्रकार के सहकारी अथवा पारस्परिक उद्यम की कोई सहायता नही करना चाहते। ऐसी स्थानीय सहकारी सस्थाएँ भी कई है जिनके अपने स्वामीत्वकृत थोक सहकारी भण्डार है लेकिन वे अपना अधिकाश माल खरीदती है ऐसी व्यापारी कम्पनियो से जिनसे उनके हित किसी भी रूप मे जुडे हुए नही है। ऐसी सहकारी सस्थाएँ भी बहुत-सी है जिनमे से कोई खाद्योत्पादन का काम करती है तो कोई खाद्य के पण्योपयोगन का, कोई खाद्य के सवेष्टन का तो कोई वितरण का और कोई बिक्री व्यवस्था का। यदि ये सब अपनी क्रियाशीलताओं का समन्वय कर ले तो किसानो और उपभोक्ताओ के स्वामीत्व मे खाद्य-उद्योग का इतने प्रभावी एकीकृत सघटन हो सकता है, जिससे जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसानों को प्राप्त होने वाली और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतो के अन्तर की चौडी खाई बहुत हद तक पट जाएगी।

प्रबन्ध-परामर्श सेवाओं के लिए भी सहकारी सस्थाओ को प्रति वर्ष बहुत

धन खर्च करना पडता है। लेकिन समझ मे नही आता कि अपने सदस्यो से बचत का आग्रह करने वाली सभी सहकारी सस्थाएँ अपनी एक निजी परामर्श कम्पनी खोल कर, स्वय भी बचत क्यो नही करती? आखिर उन्हे कौन रोकता है?

लेकिन सबसे अपत्तिजनक बात तो यह है कि सभी सहकारी सस्थाओ ने सम्मिलित रूप से जन-सूचना और प्रचार का कोई समन्वित कार्यक्रम अभी तक भी आरम्भ नही किया है। इसका अनिष्टकारी परिणाम यह हो रहा है कि किसी भी सहकारी संस्था का प्रचारात्मक कार्य जरा भी प्रभावकारी नही हो पाता। कहना न होगा कि जिन पत्रों का राष्ट्र व्यापी प्रचार है यदि उनमे सीधे सरल ढग से सहकारी उद्यम और अमरीकी जीवन तथा कल्याण कार्यो मे उसके भूत, वर्तमान और भावी योगदानो का विज्ञापन किया जाए तो उससे जनमत पर कितना अनुकूल प्रभाव पड सकता है! लेकिन इस तरह के लगा-तार विज्ञापन का भारी खर्च किसी एक संस्था के तो क्या एक ही प्रकार के सहकारी सगठनो के किसी अकेले सघ के बूते का भी नहीं है। केवल देश के समस्त सहकारी सगठन सम्मिलित रूप से ही इस खर्चीले काम को कर सकते है।

सहकारी नेताओ को ये तथ्य ज्ञात न हो सो बात नहीं, वे काफी समय से इन बातो को जानते है। अकसर यह कहा जाता था कि किसानों की विक्रय उपभोक्ताओ की, गृह निर्माता, स्वास्थ्य योजनाओ वाली, फारम-आपूर्ति की, ग्रामीण विद्युत वाली सहकारी सस्थाओ के और साख-सघो के तथा पारस्परिक बीमा कम्पनियो के नेताओं को एक साथ लाना, एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल ही नही असम्भव है। ये लोग आपस मे मिलने को राजी ही नही होते।

जो चर्चाएँ हुई वे काफी जानदार और लाभदायी रही। बिक्री-व्यवस्था वाली सहकारी सस्थाओ के व्यवस्थापको ने थोक सहकारी सस्थाओ के व्यवस्थापको से नये व्यापारी सम्बन्ध बनाने के बारे मे बाते की। सहकारी गृह निर्माताओ ने सहकारी बीमा कम्पनियो के अध्यक्षो से वित्त-प्रबन्ध की सम्भावनाओ पर चर्चाएँ की। जन सम्पर्क और नेशनल टैक्स इक्विलिटी एसोसिएशन के आक्रमण की बात तो प्राय सभी की जबान पर थी। समापन के दिन सभी ने एक स्वर और एक मत से यह निश्चय किया कि इस तरह की बैठके प्रति वर्ष होनी चाहिए। सर्वसम्मति से इन बैठकों का नामकरण भी हो गया——कन्सल्टेशन आन कोआपरेटिव्स अमग कोआपरेटिव्स सहकारियो का सहकारिता परामर्श। बैठको के आयोजन और निर्देशन के लिए एक समिति चुन ली गई। इस समिति का महत्त्व और प्रभावोत्पादकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि यह अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन के अध्यक्ष, नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन के प्रधान व्यवस्थापक, नेशनल फेडरेशन आफ ग्रेन कोआपरेटिव्स एव नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर्ज फेडरेशन मे से प्रत्येक के कार्यकारी सचिव और सहकारी लीग के कार्यकारी निदेशक को लेकर बनाई गई थी।

१९५९ मे कन्सल्टेशन का उपनाम रखा गया 'समिट मीटिंग' और इस नाम से बुलाई गई बैठक भी काफी सफल रही। १९६० की बैठक भी सफल रही और यह निश्चय किया गया कि अब यह बैठक प्रति वर्ष होती रहे। किसी भी बैठक मे कोई निर्धारित काम करने का निर्णय या विचार नही किया गया। इन बैठको का प्रयोजन केवल अनौपचारिक विचार-विनिमय और चर्चाओ के ही लिए है।

सहकारी लीग के १९६० वाले अधिवेशन की ही भाँति कन्सल्टेशन भी प्रतीक है उस नई चेतना का जो सयुक्त राज्य की सहकारी सस्थाओ मे इन दिनो प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है। बच्चो का खेल समझ कर या उदासीन भाव से चलाये जाने वाले भण्डारो और कृषक सहकारी सस्थाओ के दिन अब लद चुके। यह दिन है आधुनिक सहकारी उद्यम का, जो कृतसकल्प है आते कल की सच्ची और न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को सार्थक ढग से सन्तुलित बनाये रखने का।

१३ | सहकारिता और शान्ति की आशा

शान्ति आज मनुष्य-जाति की जवर्दस्त आवश्यकता है। आज की दुनिया की हर सस्था, हर पद्धति ओर हर कोशिश को सवसे पहले इसी कसोटी पर कसा जाना चाहिए कि विश्व-शान्ति की सम्भावनाओं पर उनका क्या प्रभाव पडता है।

यदि शान्ति स्थायी न हो सकी ओर तीसरा महायुद्ध छिड ही गया तो स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, जन-कल्याण आदि समस्त मानवी मूल्य जिनका हम सम्पोषण, सम्वर्द्धन और सरक्षण करते है नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगे। श्रेष्ठ मानवी गुणों का मूल्य और महत्त्व तभी है जव तक शान्ति वनी रहे, शान्ति का मोल देकर हम जो भी पाएंगे वह एकदम व्यर्थ होगा।

आज शान्ति को अधिकाश वाते राजनयिकों के वार्तालापों और सन्धि-चर्चाओं, सयुक्त राष्ट्र की काररवाइयो या राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातो मे केन्द्रित होकर रह गई है।

लेकिन शान्ति की आशा मूलत. निर्भर करती है इस वात पर कि भीड़-भरी, वुरी तरह वटी और तेजी से वदलती हुई दुनिया मे लोग मिल-जुल कर रहना कितनी जल्दी सीखते है।

अमरीका की सवसे वडी गलती, जिसका दण्ड हम १९६० तक विश्व के नेतृत्व-पद से वचित होकर भुगत रहे है, यह थी कि हमने स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र मनुष्यों की गौरव-गरिमा पर मोटर, टेलीविजन और अन्तरिक्ष राकेट को प्रधानता देने का प्रयत्न किया। हम ऐसा आचरण करते रहे मानो उच्च कोटि के साधिनों-उपकरणों की विपुलता और भौतिक वस्तुओं का सुखपभोग ही विश्व के नेतृत्व पद का मूल मन्त्र हो।

अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, अभी तो हम अपने राष्ट्रीय पथ से भटक गए है।

हम उसी जाल मे फँस गए है जिसमे विश्व साम्यवाद की शक्तियाँ हमे फँसा हुआ देखना चाहती थी। असल मे हम अर्थवाद के गोरखधन्धे मे उलझ गए है और साम्यवाद की भी सारी प्रेरणा आर्थिक प्रेरणा ही होती है। साम्यवाद पीडितो और सकट ग्रस्तो से कहता है "हमारी प्रणाली को अपनाओ और अपने जीवन-मानों को जल्दी से उन्नत कर लो। अपनी स्वतन्त्रता की चिन्ता मत करो। अपने धर्म को भी भूल जाओ। आत्म-निर्भरता की सारी आशाओं को छोड दो। अपना जीवन राज्य को सौप दो और बदले मे खूब खाना लो, खूब कपडे लो।"

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षो मे अमरीका ने सबसे बडी गलती यह की कि दुनिया के लोगो के मस्तिष्क के नेतृत्व की लडाई जिस भूमि पर लडी जाने को थी उसका चुनाव साम्यवादियों को कर लेने दिया।

हम बिलकुल ही भूल गए कि एशिया और मध्य-पूर्व की जनता की आर्थिक से भिन्न मूल्यो, सास्कृतिक दाय और मूलत. धार्मिक आदर्शों मे शक्ति ही वहाँ के देशो मे साम्यवाद के मार्ग की सबसे बडी बाधा रही है।

जो लोग अभी तक गरीब है उनके लिए आर्थिक प्रगति और जीवन-मानो मे उन्नति का अवश्य बहुत अधिक महत्त्व है। और ये दोनो चीजे वास्तव मे शान्ति की बुनियादी शर्ते भी है। यदि अमरीका चाहता है कि विश्व-नेतृत्व का खोया हुआ पद फिर से मिल जाए तो हमे दूसरे देशो के लोगो के जीवन-मानो को उन्नत करने के लिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए और अभी तक उनकी जितनी सहायता करते रहे है उससे कही अधिक करनी चाहिए। हमे इस क्षेत्र मे रूसियो से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। हमे ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे हमारी कृषि-उपज के कथित अधिशेषो का विश्व की क्षुधा के निवारण मे उपयोग किया जा सके और देश मे उन अधिशेषों को शान्ति और स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय नीति का सबल अस्त्र बनाया जा सके।

शान्ति और स्वतन्त्रता से हमारा अभिप्राय है, ऐसी शान्ति जो लागू की जा सके और ऐसी स्वतन्त्रता जो व्यावहारिक और समस्याओ को हल करने वाली हो।

सयुक्त राज्य ही सारी दुनिया मे एक ऐसा देश है जहाँ महान् आर्थिक सम्भा-

बनाएँ और स्वतन्त्रता की संस्थाएँ भी हैं---स्वतन्त्रता की ऐसी संस्थाएँ और प्रथाएँ जो मनुष्य की गौरव-गरिमा को सम्भव करती हैं। हमारे पास देने को बहुत कुछ है। राष्ट्रपति केनेडी के संसार के नव विकासशील देशों मे काम करने के लिए शान्ति सेना के प्रस्ताव का अच्छा स्वागत-समर्थन हुआ---खास तौर पर युवकों की ओर से। यह एक नये ढंग के नेतृत्व की निशानी है और उनकी विजय मे भी इसका कुछ हाथ है।

विश्व का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए आज दुनिया के सामने अमरीका की जो तसवीर है, हमे उसमे दो परिवर्तन करने होंगे।

सबसे पहले तो हमे मानव-जीवन और विश्व की समस्याओं के क्षेत्र अर्थात् युद्ध और शान्ति के क्षेत्र मे अपने वर्तमान व्यवहार और आचरण को बदलना होगा। क्योंकि आज इसी क्षेत्र मे धरती के हर स्त्री, पुरुष और बच्चे की आशाएँ और आकाक्षाएँ केन्द्रित हैं और यही---इसी क्षेत्र मे न केवल यह निर्णीत होने जा रहा है कि मनुष्य जाति अच्छी तरह से और स्वतन्त्र रहेगी, बल्कि यह भी कि क्या वह जीवित भी रहेगी।

सबसे अधिक इसी क्षेत्र मे निर्भीक, साहसपूर्ण और नैतिक बल-युक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। लेकिन हम हैं कि रूसियों को बार-बार निरस्त्रीकरण और शान्ति के प्रश्न पर व्यापक और साहसपूर्ण, परन्तु साथ ही लच्छेदार और प्रचारात्मक प्रस्तावों और अपीलों के द्वारा चुनौती का अवसर देते आये हैं। संयुक्त राज्य ने उनकी हर अपील और हर प्रस्ताव का जवाब बार बार इनकार मे ही दिया है और जो प्राविधिक कारण बताये गए उनको समझ पाना तो मुश्किल ही है।

यदि हम अपनी सभी राष्ट्रीय योजनाओ और कार्यों मे मानव-जीवन की रक्षा को सर्वोपरि स्थान देने के लिए राजी हो जाएँ तो हम विश्व के नेता वन सकते है। और विश्व के नेता वनने के लिए हमे अपने विरोधी को वहाँ पकडना होगा जहाँ वह सवसे कमजोर पडता है। नैतिक आचार की कमी ही उनकी सवसे वडी दुर्वलता है। इसके साथ-साथ हम राष्ट्रीय सोद्देश्यता की पुनरूपलब्धि भी कर सकते है। लेकिन यदि हम इसी भ्रान्ति मे पडे रह गए कि अन्तरिक्ष मे हमारे उपग्रहो को और स्नानागारो मे हमारे 'फर'-विछे वाथ टवो को देखकर दुनिया हमारा अनुसरण करेगी तो इन दोनों मे से एक भी वात न हो पाएगी।

दुनिया के सामने आज अमरीका की जो तसवीर है उसमे दूसरा परिवर्तन हमारी अर्थ व्यवस्था से सम्वन्धित है।

हम 'जनता के पूँजीवाद' का वहुत अधिक प्रचार करते है। दूसरे देशो में जहाँ-जहाँ भी विश्व मेले लगे और विश्व प्रदर्शनियाँ हुई वहाँ सभी जगह तरह-तरह के अनोखे और नाटकीय ढग अपना कर हमने इस विचार को प्रदर्शित और प्रचारित किया है। लेकिन इस वात का जीता-जागता प्रमाण कि सयुक्त राज्य मे वास्तव मे 'जनता का पूँजीवाद' है, हम हर वार घर पर ही छोड जाते है।

हम लोगों को यह दिखला सकते है कि अमरीकी जनरल मोटर्स, युनाइटेड स्टेट्स् स्टील और स्टैण्डर्ड आयल पर ही गर्व करने वाला राष्ट्र नही है। अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करोड चालीस लाख परिवार अपनी स्वतन्त्रता और अपने अपेक्षाकृत छोटे साधनो का अपनी आर्थिक आवश्यकताओ को सीधे-सीधे पूरा करने वाली अपनी आर्थिक सस्थाएँ वनाने मे उपयोग करते है। अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करोड दस लाख परिवारो की अपनी जन-वैके है जो साख-सघ कहलाती है और इन वैको के द्वारा ये परिवार अपनी वचतो को अपनी आर्थिक सुरक्षा मे नियोजित करते है। अमरीका ऐसा देश भी है जहाँ के दो तिहाई किसान और ग्रामीण जनता अपने ही तेल कुओ, पाइप लाइनो, परिष्करण शालाओ और विद्युत् प्रदाय के स्वामी है। अमेरिका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ के कई लाख लोगो ने यह भेद जान लिया है कि वे वडी-वडी वीमा कम्पनियाँ—सही अर्थो मे 'पारस्परिक' कम्पनियाँ सगठित कर सकते है, के स्वामी वन सकते है और उनका नियन्त्रण-परिचालन भी कर सकते है।

अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ के लोग सामान्य नर और नारी की मानवी गरिमा को अत्यधिक व्यावहारिक ढगो से स्थापित कर सकते है, और कई अमरीकी जन है जो ऐसा कर भी रहे है।

अगर, जैसा कि डाक्टर रोल्लोमे का कहना है, शक्ति का केन्द्रीकरण ही हमारे समाज की वर्तमान दुर्बलता का कारण है तो हम यह भी दिखला सकते है कि हमारे पास ऐसा प्रतीकारात्मक उपाय भी है जिससे औसत नागरिक की उत्तरदायित्व भावना और आशा को पुन स्थापित किया जा सकता है।

प्रतीकार का वह सीधा-सा उपाय है सहकारिता—परस्पर सहायता की पद्धति।

धरती पर कही भी कोई भी जनसमूह उस उपाय को,—सहकारिता की पद्धति को अपना कर अपने जीवन-मानो को उन्नत कर सकता है, अपनी स्वतन्त्रता मे वृद्धि कर सकता है और अपनी मानवी गरिमा को निखार सकता है।

यह एक ऐसा चित्र है जिसे कोई भी समग्रवादी देश आलेखित नही कर सकता। यह एक ऐसा चित्र है जो सुचारुता से मानवी जीवन को न कि निष्प्राण वस्तुओ को, सँवारने के उपायों से, परिकल्पना, निष्ठा और लगन को जाग्रत और नियोजित कर सकता है। यह चित्र है सोद्देश्य लोगो का।

और यह चित्र है ऐसे लोगो का जो साथ मिलकर रहना और इस प्रकार शान्तिपूर्ण विश्व की नीव रखना सीख रहे है।

प्रबन्धर्न विकास कार्यक्रमो का सम्भवन. कुछ अधिक प्रभाव हुआ।
कुल मिलाकर परिणाम अच्छे रहे। आज सहकारी सस्थाओ के सदस्य-
ादेशक-मण्डल और व्यवस्था विभाग अपने सदस्यो की आर्थिक उन्नति के ही
ाए प्रयत्न करके नही रह जाते वल्कि जहाँ व्यापार करते है उन क्षेत्रो, राज्यो
ौर समुदायो के जनजीवन मे अपने सर्वागीण योगदान की भी सजग, सक्रिय-
चन्ता करते रहते है।

इस सम्वन्ध मे कुछ उदाहरण रुचिकर होगे

मिन्नेसोटा राज्य का क्लोकेट एक छोटा-सा नगर है, जो कभी सम्पन्न खनि-प्रदेश का केन्द्रस्थल था। लेकिन अव वहाँ की खाने वहुत कुछ रीत चली है और खनि-कर्म से उतना उत्पादन नही होता जितना पहले हुआ करता था। वहाँ नये उद्योगो और नये प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है। नगर की आवादी कम हो सकती है, लेकिन अव शायद ऐसा नही होगा। इसका एक कारण तो यह है कि वरसो पहले जिन आप्रवासियो द्वारा स्थापित नगर के प्रमुख सहकारी सगठन ने वहाँ एक वहुत खूबसूरत वाजार वना दिया है। इस वाजार की चहल-पहल और रोनक से सारे सयुक्त राज्य का कोई भी वाजार टक्कर नही ले सकता। जिस दिन उद्घाटन हुआ वह क्लोकेट और उसके विस्तार की वस्तियों के लिए शानदार उत्सव से कम न था। इस वाजार के पास अव नई इमारते वन रही है। जो व्यापारी और व्यवसाय घवराकर वस्ती छोड गए वे अव हाथ मलते है। लेकिन सहकारी सस्था तो छोडकर जा नही सकती। जिनकी आवश्यकताओ को पूरा करती है, जिनकी सेवा करती है सहकारी सस्था उन्ही को, अर्थात् स्थानीय लोगो की होती है। वह अपने स्वामियो-सरक्षको को छोडकर कहाँ जा सकती है। सहकारी सस्था तो लोगो को जहाँ वे है वही साथ मिलकर रहना सिखाती है।

शिकागो के ठीक मध्य भाग मे अनेक जातियो वाले जाति-वर्ण-मिश्रित हाइडपार्क का सहकारी भी वहाँ से नही गया, यद्यपि दूसरे कई व्यापार जन-सख्या की अदला-वदली और हालते कुछ विगड जाने से सैकडो की तादाद मे वहाँ से चले गए। ऐसी स्थिति मे हाइडपार्क कोआपरेटिव सुसाइटी के सदस्यो ने वही डटे रहकर हालत का मुकावला करने और हाइडपार्क को नये सिरे से विकसित

करने का फैसला किया। इस निर्णय ने जादू का-सा काम किया। इस सहकारी को केन्द्र बनाकर नई सामुदायिक चेतना विकसित होने लगी। पुनर्विकास की एक योजना तैयार की गई। वहीं की खस्ताहाल इमारतों के कुछ हिस्सों में एक बाजार बनाने का निश्चय किया गया। उस बाजार में सुपर मार्केट खोलने और चलाने की जिम्मेवारी सहकारी समिति को सौंपी गई। समिति ने इतना बड़ा और अच्छा सुपर मार्केट बनाया जिसकी टक्कर का सारे शिकागो में दूसरा नहीं है। इस सुपर मार्केट का एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड है। उस पूरे शहर नुमा इलाके के लोग उस नोटिस बोर्ड पर अपनी आवश्यकताएँ लगा देते हैं—किसी को बच्चे रखने वालों की जरूरत है तो किसी को बाबा गाड़ियों की : फरनीचर, कैलिफोर्निया की यात्राएँ आदि सब-कुछ, और यह तुलनात्मक आँकड़े थी कि इस तरह की चीजें और सेवाएं दूसरों से किस दाम पर मिल रही है। उस नोटिस बोर्ड पर सूचित किये बिना हाइडपार्क क्षेत्र में कोई सभा नहीं होती और और न हो ही सकती है। और बहुत-सी सभाएँ तो सहकारी समिति के सभा भवन में ही होती हैं।

हाइड पार्क कई जातियों के लोगों के शान्तिपूर्ण और रचनात्मक सहजीवन (साथ मिलकर जीवित रहने) के लिए अमरीका के संघर्ष का प्रतीक है। इस दिशा में हाइड पार्क समिति ने अपना योगदान बहुत पहले और बड़े ही यथार्थ-वादी ढंग से आरम्भ कर दिया था। उसका व्यावहारिक रूप था समिति के कर्मचारियों का 'एकत्रीकरण', अर्थात् कर्मचारियों को सेवा नियोजित करने में यह नीति अपनाई गई कि हाइड पार्क क्षेत्र में जितनी जातियाँ और प्रजा-तियाँ बसती हैं उन सब का प्रतिनिधित्व हो सके। शुरू-शुरू में इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ पेश आईं। कुछ सदस्य सम्बन्ध-विच्छेद भी कर गए, परन्तु बाद में पुन सम्मिलित हो गए।

१९५८ में हाइडपार्क कोआपरेटिव समिति के प्रधान व्यवस्थापक को शिकागो कौंन्सिल आन ह्यूमैन रिलेशन्स (मानवी सम्बन्धों की परिषद्, शिकागो) का नगर-पुरस्कार दिया गया, सारे शिकागो शहर में उन्होंने मानवी सम्बन्धों के सुधार की दिशा में सबसे अच्छा काम किया था।

लोग साथ मिलकर शान्ति से रहना सीखते हैं।

मध्योत्तर (नार्थ सेंट्रल) कन्सास के मिचेल काउण्टी के निवासियों को अपने 'सुपर्स' वडे सहकारी पर वडा अभिमान है। यह सस्था किसानों के अनाज के सग्रह और पोत-लदान के लिए आधा दर्जन समुदायों मे अन्नागारों की व्यवस्था करती है। शहर का सबसे बढिया किराना भण्डार इसी सस्था का है। यह किसानो और नगरवासियो, दोनों को पेट्रोल-सम्बन्धी हर मॉग को पूरी करती है। यह पशु-खाद्य और चारा, बीज, उर्वरक और फारमो के लिए आवश्यक दूसरा सामान बेचती है। लेकिन यह सस्था इन व्यापारी कामोंके अतिरिक्त और भी बहुत से काम करती है। इसके व्यवस्थापक वरसों से जिला बोर्ड के सदस्य और सामुदायिक अस्पताल के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं। स्थानीय कम्युनिटी चेस्ट (सामुदायिक निधि-सग्रह) अभियान के सभापति पद को कभी व्यवस्थापक महोदय और कभी सहकारी सस्था के निदेशक मण्डल के कोई सदस्य सुशोभित करते हैं। यह सस्था युवक-युवतियों के लिए नृत्य का आयोजन और बालचर दलों के लिए वाहनादि का प्रबन्ध करती है। यदि व्यापारी सस्थाओ के लिए कोई 'सुनागरिक' पद, पदक अथवा पुरस्कार होता तो मिचेल काउण्टी निश्चय ही उसे अपनी इस सहकारी सस्था को प्रदान करती।

उचित भी होता, क्योंकि मिचेल काउण्टी की सहकारी सस्था किसी एक आदमी की नही उस जिले के हजारों व्यक्तियों की अपनी, अपने स्वामीत्व की सस्था है।

मिचिगन क्रेडिट यूनियन लीग जो एक साख-सघ है, अपने सदस्यों की बचत की रक्षा और जरूरत पडने पर उन्हे उधार देने का ही काम नही करती, उनकी और भी कई आवश्यकताओ का ध्यान रखती है। उन आवश्यकताओं को सारे समुदायों की आवश्यकताओ से अलग नही किया जा सकता। लोगों की सामर्थ्य का मकान ऐसी ही आवश्यकता है। इसलिए मिचीगन लीग के नेताओं ने मकान के लिए ऋण सघ की स्थापना की और विधि-विधान इस तरह का बनाया जिससे हिस्सों की बिक्री से अर्जित धन साख-सघ की अधिशेष निधि मे निवेशित किया जा सके। शीघ्र ही उन्हे एक जन-हितैषी ठेकेदार भी मिल गया। यह मकान के लिए ऋण सघ दस हजार डालर या इससे कम लागत मूल्य के मकानों के लिए उधार देता है। मिचिगन मे इस योजना के

अन्तर्गत कई मकान बन भी गए और उनका कर्ज भी चुका दिया गया। डेट्रोइट टीचर्स क्रेडिट यूनियन अमरीका का सबसे बड़ा साख-संघ है, इसने अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया जिससे उन्होंने अपने सहकारी-स्वामीत्व की बहुत ही सुन्दर रिहायशी इमारत बनाई।

लोग साथ मिल कर रहना सीख रहे हैं।

डेरीलैंण्ड पावर कोआपरेटिव दक्षिण-पूर्वी मिन्नेसोटा, उत्तर-पूर्वी इओवा और पश्चिमी विसकोन्सिन के एक लाख किसानों की स्वामीत्वकृत संस्था है। यह इन एक लाख किसानों के विभिन्न सहकारी विद्युत प्रदायों को उस क्षेत्र में सबसे न्यून मूल्य पर थोक बिजली ही नहीं देती और भी बहुत कुछ करती है। विसकोन्सिन के लाक्रोसे का सबसे प्रमुख उद्योग है डेरी लैण्ड। इसका मासिक मुखपत्र प्रति वर्ष अक्तूबर महीने में लाक्रोसे कम्युनिटी चेस्ट अभियान का जुड़वाँ पृष्ठों पर विज्ञापन प्रकाशित करता है। उसमें पाठकों को विस्तार से बतलाया जाता है कि कम्युनिटी चेस्ट की संस्थाएँ क्या-क्या काम करती हैं। उसमें डेरी-लैण्ड के उन कर्मचारियों के नाम भी दिये जाते हैं जो अपने साथियों से निधि जमा करेंगे और यह भी बता दिया जाता है कि हर कर्मचारी को कितनी रकम देनी चाहिए।

अलग-अलग आधा दर्जन धन-सग्रह अभियानों के बदले अपने ग्रामवासियों से एक सयुक्त चन्दा कर लेने दिया जाए। विभिन्न निधियों के अध्यक्ष पहले तो हानि की अ.शका से राजी नहीं हुए, परन्तु बाद मे उन्होंने स्वीकार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि सहकारी ग्राम के निवासियों ने स्वेच्छा से जी खोल कर धन दिया और कुल निधियों को अपेक्षित जोड से कहीं अधिक पैसा जमा हो गया।

इन परिवारो ने साथ मिलकर रहना सीख लिया था।

विसकोन्सिन के एक मझोले नगर की सामूदायिक सहकारी सस्था के व्यवस्थापक नये प्रकार के मिशनरी के रूप मे पाँच वर्ष के लिए भारत जाने का विचार कर रहे है। उन्हे चर्च बोर्ड आफ एग्रीकल्चरल मिशन्स वहाँ भेजेगा। वे वहाँ धर्मोपदेश नहीं देगे, लोगो को पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वावलम्बी आर्थिक सस्थाओं का सगठन करना सिखाएँगे।उन्हे भेजने वाला मिशन बोर्ड इस काम को ईसाई धर्म प्रचारकों के सर्वथा उपयुक्त ही मानता है।

लेकिन ये व्यवस्थापक महोदय एक टेढी समस्या का हल अभी तक नहीं निकाल पाये है। वह समस्या है अपने समुदाय से छुट्टी पाने की।यदि वे भारत चले गए तो स्कूल समिति, गिरजाघर के प्रबन्ध मण्डल और वाणिज्य मण्डल (चेम्बर आफ कामर्स) मे उनकी जगह कौन काम करेगा ? स्कूल की उच्च कक्षाओं के छात्रों को प्रति वर्ष अपने नगर के व्यापार और उद्योग पर कौन भाषण देगा ? अपने-आप को 'अपरिहार्य और अत्यावश्यक' समझने की इनकी आदत जरा भी नहीं है। ये भले ही न समझे परन्तु अधिकाश नागरिकों का यह खयाल है कि उनके चले जाने से बहुत से काम रुक जाएँगे। इसलिए वे उन्हे छोडने को राजी नहीं होते, यह जानते हुए भी कि वे भारत जाकर वहाँ के लोगों को साथ मिल कर जीना सिखा सकते है, क्योंकि विसकोन्सिन मे वे इस काम को कर चुके है और आज भी कर रहे है।

विश्व मे शान्ति की स्थापना के लिए इन सारे कामो का जरा भी महत्व नहीं रह जाता यदि दुनिया के करीब-करीब हर देश मे ठीक इसी तरह के काम न हो रहे हो। लेकिन जहाँ सयुक्त राज्य मे सहकारी सस्थाओं को हर कदम पर अपने समाज के विरोधी दलों से सघर्ष करना पडता है, नवविकसित देशों

मे, विना एक भी अपवाद के, सहकारी संस्थाओ को आधार शिला बनाकर ही
वहाँ की जनता के जीवन-मानो का निर्माण किया जा रहा है। आज एशिया,
अफ्रीका और इधर-उधर तो लैटिन भाषी अमरीकी देशो मे भी 'सहकारी' वहाँ
के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत शब्दो मे है।

इन देशों मे साम्यवाद का विकल्प सहकारिता है, आर्थिक पूँजीवाद नही।
उदाहरण के लिए भारत की पचवर्षीय योजनाओ मे उस महान देश की
अर्थ व्यवस्था के 'सहकारी क्षेत्र' को समूची योजना के एक दृढ आधार के रूप
मे विकसित करने की वात बहुत जोर के साथ कही गई है।

यदि इण्डोनेशिया साम्यवाद से वच सकेगा तो केवल इसीलिए कि वहाँ
के निवासी अपने गाँवों और नगरो मे वडी तेजी से सहकारी संस्थाओं को
विकसित कर रहे है जो उनके जीवन-मानो को उन्नत करने के साथ-साथ सारे
देश की जनता को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगी। यह प्रसन्नता की वात है
कि वहाँ इस दिशा मे काफी प्रगति हो चुकी है।

मिस्र अपने लिए जितने पेट्रोल का उपयोग करता है उसका चालीस प्रति-
शत एक सहकारी सस्था द्वारा उपलब्ध किया जाता है।

पेरू मे एडीज के ऊँचे पहाडो मे कैथोलिक पादरियों का एक सगठन वहाँ
के निवासियों को जिनमे विशुद्ध इडियनो की सख्या अधिक है, साख-सघो को
सगठित करना और चलाना सिखला रहे है। इन प्रयत्नो से वहाँ के लोगो की
हालतो मे जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई उसकी कहानियाँ किसी परी कथा से
कम नही है। कोलम्बिया के सहकारियो ने १९६० मे अपना एक राष्ट्रीय सघ
बना लिया है। इस सघ मे किसानो के विक्रय और सम्भरण साख-संघ, गृह-
निर्माता, उपभोक्ता और अन्य प्रकार के कई सहकारी है। सयुक्त राज्य की
सहकारी लीग, कैरीबीयन कोआपरेटिव कान्फेडरेशन और मेक्सिको के नेशनल
फेडरेशन आफ कोआपरेटिव्स ने अपनी १९६० की बैठको मे जिस पहले अखिल-
अमरीकी सहकारी महा सम्मेलन को आयोजित करने का प्रस्ताव किया है वह
या तो पेरू या कोलम्बिया मे से कही पर होगा और उसमे सस्काट्चेवान से
पैटागोनिया तक के सगठन सम्मिलित होगे।

संयुक्त राज्य के सहकारियो के प्रतिनिधिगण भारत, कैरीवीयन और वियतङ-

नाम मे काम कर रहे है। उन देशो के सहकारी सगठनो के निमन्त्रण पर वे वहाँ गये है। वे वहाँ के लोगो को ऐसी आर्थिक सस्थाएँ विकसित करने मे तकनीकी सहायता देने के लिए गए है जो सदैव वहाँ के निवासियो के अधिकार मे बनी रहेगी। १९६० मे सयुक्त राज्य की सहकारी लीग का जो बाईसवाँ द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ उसकी प्रमुख वक्ता एक सुप्रसिद्ध भारतीय महिला थी, जो अपने देश की नेता और भारतीय सहकारी सघ की अध्यक्षा भी है। उस अधिवेशन मे बधाई का जो सबसे महत्त्वपूर्ण सन्देश प्राप्त हुआ वह पश्चिमी नाइजीरिया की सहकारी यूनियन द्वारा तार से भेजा गया था। जापानी उपभोक्ता सहकारियो के दो युवक अधिकारी १९५९ मे अमरीका आये और उन्होने छह महीने कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलीफोर्निया की सहकारी सस्थाओ मे प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका सारा खर्च कैलीफोर्निया की दो सहकारी सस्थाओ और सहकारी लीग ने उठाया। सयुक्त राज्य के सहकारियो ने अपने जिस व्यक्ति को वियतनाम भेजा था मुख्यत. उन्ही के प्रयत्नो से वहाँ पर सहकारी नेताओ, व्यवस्थापको और सदस्यो की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया।

जिस इण्टरनेशनल कोआपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन के हावर्ड काउडेन प्रमुख सस्थापक है, वह सयुक्त राज्य, स्वीडन, मिस्र, युगोस्लाविया, फ्रान्स, नारवे, हालैण्ड, जर्मनी, इस्राइल और दूसरे एक दर्जन देशो के सहकारी सगठनो की स्वामीत्वकृत अन्तर्राष्ट्रीय सस्था है। यह सस्था खरीदारो को सरक्षण-धन वापसियो की अदायगी के आधार पर पेट्रोल का कारबार करती है। इसका उद्देश्य मुट्ठी-भर स्टाकधारियो के लिए लाभ कमाना नही लोगो के जीवन-मानो को उन्नत करना है। सार्वलौकिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओ का व्यापार करने वाली इसी तरह की दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वणिज सस्थाओ की स्थापना की दिशा मे यह पेट्रोलियम सघ पथ प्रदर्शक बन सकता है।

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स का इक्कीसवाँ त्रयवार्षिक अधिवेशन १९६० की पतझड मे स्विट्जरलैण्ड मे हुआ। मनुष्य को जितने भी आर्थिक कार्य-व्यापार मालूम है उनमे लगे पन्द्रह करोड परिवारो के प्रतिनिधि अपने-अपने देशो से इस सम्मेलन मे भाग लेने के लिए आये थे। और वहाँ चर्चा का

मुख्य विषय था कि अमरीका और यूरोप के सुस्थापित सहकारी सगठन नव-विकासशील देशो के सहकारियो को अच्छो-से-अच्छो और ज्यादा-से-ज्यादा सहायता किस प्रकार कर सकते है।

इस प्रकार शान्ति के सेतु निर्मित होते है।

विश्व के सहकारी सगठन, सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणापत्र को शान्ति-स्थापन के प्रभावशाली अस्त्र के रूप मे न तो फिर से लिखेगे और न निर-स्त्रीकरण कार्यक्रमो का ब्योरा ही तैयार करेगे।

लेकिन वे इन कामो को करने के लिए भूमि अवश्य तैयार कर देगे, जिसका कि किया जाना वहुत आवश्यक है।

जो लोग देश मे अपने पडोसियो के साथ शान्ति से रहना सीख लेते है, उनमे दूसरे देशो के इसी तरह के अनुभव-प्राप्त जन-समूहो को समझने और उनसे मैत्री करने की भावना वहुत प्रबल हो जाती है। वे पारस्परिक समझ, शान्ति और एक प्रकार के व्यवहारिक भाई चारे के पुल बनाते जाते है; राष्ट्रो के बीच शान्ति के लिए निर्मित ऐसे पुलो के दूर व्यापी महत्त्व का मूल्याकन कठिन ही है।

दूसरे महायुद्ध के समय जब इस पुस्तक का लेखक कैलीफोर्निया से काग्रेस के सदस्य के रूप मे अपने देश की सेवा कर रहा था तब एक आधी रात को उसने निम्न पक्तियाँ लिखी थी :

वाशिंगटन का अनुभव मेरे लिए कई तरह से शिक्षाप्रद रहा; कहना चाहिए कि जिन बातों पर पहले मेरा केवल विश्वास था उन्हें इस अनुभव ने मन पर अमिट रूप से अंकित कर दिया।

मैंने सीखा कि मानवी सद्‌गुणों में विनय ही सबसे महान गुण है—यह प्रेम से भी महान् है, क्योंकि प्रेम स्वयं विनय से उद्‌भूत है और वही उसका एकमात्र स्रोत है। मैंने यह भी सीखा कि ईश्वर के अस्तित्व और उसकी उपस्थिति के चेतन ज्ञान के बिना जीवन निस्सार और निरानन्द है—बिना किसी आशा और अर्थबोध के, नितान्त भयावना। मैंने यह भी सीखा कि नैराश्य के भंवर में पड़ कर और उससे उबर कर भी जो दोनों को कोई महत्व नहीं देता आशा का यत्किंचित् वरदान उसी के हिस्से आता है। मैंने यह भी सीखा कि जिसे मूल्यवान समझते रहे उसके अधिकांश से वंचित हो जाने की स्थिति को अनुभव और अंगीकार करके ही जीवन के हर दिन को, भय विकम्पित हुए बिना अन्तिम दिन

मूल कार्य, नई समर्पणशीलता, नई अनुरक्ति और नई तत्परता से ग्रहण किया जा सकता है।

हम यहाँ भेजे गए हैं सफलता के लिए नहीं निर्भीक प्रयत्न के लिए, असाध्य कार्यों को साध्य करने के लिए नहीं यथाशक्ति कर्म करने के लिए, जीवित रहने के लिए नहीं अच्छी तरह मरने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मूर्खतापूर्ण आशावादिता के लिए नहीं निराशा की उस चरमावस्था के लिए जो अन्ततः मृत्यु की अनिवार्यता के ज्ञान से सौन्दर्यपूरित हो उठती है।

और दुनिया में जितना ही अन्धकार घिरता जाता है मेरा यह विश्वास उतना ही दृढ होता जाता है कि वह अन्धकार ही सब-कुछ और अन्तिम सत्य नहीं है, सच्चे प्रयत्नों निराशा का मुझे जितना ही अनुभव होता जाता है उनकी अन्तिम विजय में मेरी आ- उतनी ही दृढ होती जाती है, अनिष्टकारी शक्तियों को जितना ही बढते देखता हूँ उनके द्वारा अपने ही विनाश के बीज स्वय बोते जाने के बारे में मैं उतना ही आश्वस्त होता जाता हूँ।

मैं इसे समझा नहीं सकता। लेकिन मुझे कोई भय नही है—शायद इसलिए कि मेरे मन पर भय पूरी तरह आच्छादित हो गया है। और मैं फिर भी आशावान हूँ—शायद इसलिए कि मेरे मन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं बचा रह गया।

इन पक्तियों को लिखे बीस बरस होने आये। आज भी लिखना हो तो इसमे मै कोई परिवर्तन नही करूँगा।

लेकिन इसमे कुछ जोड अवश्य दूँगा।

हमारे युग की सकटापन्न स्थिति मे भी मानव जाति के भविष्य मे मेरा विश्वास क्यो नही डिगा इसके दो सारगर्भित कारण आज, सयुक्त राज्य की सहकारी सस्थाओ मे पन्द्रह वर्ष काम कर चुकने के बाद, मै बता सकता हूँ।

पहला कारण यह है

मैने देखा है कि जब लोगो का एक समूह बचतो की सर्व सामान्य निधि मे अपने पाँच-पाँच डालर के हिस्सो का निकाय करता है तो कैसे एक प्रकार की व्यावहारिक सहकारिता आरम्भ होती है। मैने देखा है कि जब लोग बिजली या स्वास्थ्य-परिचर्या या मकान या सिचाई की अपनी एक-सी आवश्यकता को समझ कर उसे पूरा करने के लिए स्वय को और अपने साधनो को सगठित करने लगते है तो किस प्रकार नये सम्बन्ध आरम्भ होते और बढने लगते है। मैने देखा है कि इस तरह के परस्पर सहायता के उद्यमो का प्रयोग करने वाले लोग कोई भी क्यो न हो और किसी भी देश मे क्यों न रहते हों पारस्परिक

समझ के दृढ सूत्रों मे किस तरह बँधे होते है और कैसे उस स्नेह बन्धन का सतत अनुभव करते रहते है। और इस तरह मैने देखा है कि लोग अपनी एक-जैसी समस्याओ के द्वारा व्यावहारिक और शान्तिपूर्ण ढग से एक साथ मिल कर रहना किस तरह सीखते है। और साथ मिल कर रहना सीखने का यह काम यदि दुनिया के अधिकतर गाँवों और फारमो मे, देशो और नगरो मे किया जा सके—परस्परावलम्बन और परस्पर सहायता के विचार यदि अधिकतर देशों मे अधिकतर लोगों को अनुप्राणित कर सके—तो राष्ट्रों के बीच शान्ति का बिरवा विश्व-जन समुदाय मे सुदृढता से आरोपित किया जा सकता है।

तो यह है मेरी आशा और मेरे विश्वास का पहला कारण जो मनोरम कल्पनाओ, स्वप्नो या राजनयिकों की चर्चाओं पर नही स्वय अपने और अपने पडोसी के लिए भोजन और छाजन प्राप्त करने की एक अच्छी पद्धति पर आधारित है।

दूसरा कारण है नई पीढी मे मेरी आस्था, जिसे मैं इस तरह व्यक्त करना चाहूँगा :

पहले महायुद्ध के बाद की घटनाओं, बडी मन्दी और पिछली पीढी के आशातिरेकपूर्ण उदारवाद की परम्परा से प्रभावित और निर्मित मेरी अपनी पीढी के सोचने-विचारने का ढग अब सामयिक नही रह गया और अकेले उससे काम चल भी नहीं सकता। हम आज की दुनिया को बीते कल की प्रथाओं और सस्थाओ मे बाँध रखने का प्रयत्न करते है। यह चल नही सकता और कोई अच्छी बात भी नहीं।

फिर अच्छा क्या है? ठीक-ठीक तो सम्भवत कोई नही जानता।

आदमी की आज की जिन्दगी को अनथक परिश्रम और सतत प्रयत्नों से इस तरह पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है जिससे मानव-जीवन और आशा, प्रेम और सवेदनाएँ सजीवन हो सकें, त्राण पा सके। इस तरह के निर्माण के उपयुक्त सक्षम उपकरणों का जिन्हें सम्भवत. धुँधला-सा आभास है और जिन्हें उनका उपयोग करना है वे अभी इतने बडे और वयस्क नही हो पाये है कि नेतृत्व का अपना दावा पेश कर सकें। मेरी पीढी उन्हें अनन्त मूल्यों का—विनत धार्मिक आस्था, प्रभु के शाश्वत नियमों की प्रतीति जन-जन में व्याप्त

परस्पर-सहायता-भावना और मानव-आत्मा की अमर पुष्करिणी आशा का दाय दे सकती है। प्राण और मन और बुद्धि और चेतना और प्रकृति के नियम आज भी उतने ही सत्य और अद्भुत और अलौकिक हैं जितने दस हजार या एक सौ या पच्चीस वर्ष पूर्व थे।

इन शाश्वत मूल्यो का दाय देने के अतिरिक्त मेरी पीढी के लिए उचित तो यही है कि भावी पीढी जिस साफ, मजबूत और चमकीली दुनिया को गढ रही है उसे समझने का प्रयत्न करे और अपने अधिक साहसी और अधिक यथार्थ-वादी बच्चो को बागडोर थामने का अवसर देने के लिए यथाशीघ्र रास्ते से हट जाए।

क्योकि हम तो उतनी अच्छी तरह नही जानते पर वे जानते है कि उन्नीसवी शताब्दी की राजनीति और अर्थनीति को बीसवी शताब्दी के विज्ञान के साथ गड्ड मड्ड करने से ऐसा विस्फोटक द्रव बन जाएगा जो इस दुनिया को ही उडा देगा। हमसे अधिक वे इस बात को जानते हैं कि बीसवी शताब्दी के विज्ञान को निरस्त नही किया जा सकता, और यह भी कि मनुष्य जाति के भविष्य की आशा बीसवी शताब्दी के अनुरूप राजनैतिक और आर्थिक सस्थाओ के विकास में ही निहित है।

वे किस प्रकार की सस्थाएँ होगी ? वे होगी पारस्परिक सहायता की पीठिका पर प्रस्थापित विभिन्न रूपो-प्रकारो वाली सस्थाएँ, मात्र इसीलिए कि आज समूची मानवजाति शाब्दिक और लाक्षणिक दोनो ही अर्थो मे 'एक ही नाव मे सवार' है। या तो हम सब मरते हैं, या हममे स्वार्थ-वृत्तियो पर विजय पाने की बुद्धि शेष रही तो नवोपलब्ध शक्तियो का उपयोग सभी के जीवन को ज्यादा सुन्दर और ज्यादा अच्छा बनाने मे करते हैं।